

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

Mal

सं० 521

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 29, 2001 (पौष 8, 1923)

No. 52]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 29, 2001 (Pausa 8, 1923)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके। (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

# भाग III—खण्ड 4 [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सिम्मिलित हैं] [Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

> राष्ट्रीय आवास बैंक नई दिल्ली, दिनांक 27 सितम्बर 2001 आवास वित्त कम्पनी (रा.आ. बैंक) निर्देश, 2001

अधिसृचना सं. एन.एच.बी.एचएफसी.डीआईआर. 1/सीएमडी/2001-- जबिक, इसे लीकहित में आवश्यक समझते हुए, राष्ट्रीय आवास बैंक ने, राष्ट्रीय आवास बैंक के अधिनियम, 1987 (1987 का 53) के अधीन उसे प्रदत्त शिक्तियों के प्रयोग में, प्रत्येक आवास वित्त कम्पनी को, 1989 के आवास वित्त कम्पनी (स.आ केंक ) निर्देश जारी किए थे।

- 2. और जबिक, राष्ट्रीय आवास बैंक ने आवास वित्त कम्पनियों को आय अभिज्ञान, लेखांकन मानक, आस्ति वर्गीकरण, अशोध्य एवं संदिग्ध आखि के लिए प्रावधान, पूंजी पर्याप्तता एवं ऋण/निवेश सकेन्द्रण पर विवेक सम्मत मानदंडों से संबंधित दिशा निर्देश भी जारी किए थे।
- 3. और जबिक, राष्ट्रीय आवास बैंक ने 1987 के अधिनियम में राष्ट्रीय आवास बैंक ( संशोधन) अधिनियम, 2000 ( 2000 का 15 ) के द्वारा आगे संशोधन किया गया है जिससे राष्ट्रीय आवास बैंक जमाकर्ताओं के हितों को सुरक्षित रख सके और देश में आवास विन कंपनियों की ठोस एवं सार्वभौमिक वृद्धि का संबर्धन हो सके।
- 4. और जबिक, पूर्वीक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, यह वांछनीय समझा जाता है कि उन मामलों के संबंध में समेकित निर्देश जारी किए जाएं जो मामले आवास वित्त कम्पनियों द्वारा जमाराशियों की स्वीकृति, आय अभिज्ञान, लेखांकन मानकों, आस्ति वर्गीकरण, अशोध्य एवं संदिग्ध आस्तियों के लिए प्रावधान करने, पूंजी पर्याप्तता, ऋण/निवेश सक्देन्द्रण से संबंधित हैं और जिनक्रमणलन आवास वित्त कम्पनियों की ओर से किया जाना है, और जो मामले ऐसी आवास वित्त कम्पनियों के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाएंगे तथा उन सहायक एवं प्रासंगिक मामलों से संबंध रखते हैं।
- 5. अत: अब, राष्ट्रीय आवास बैंक इसे लोकहित में आवश्यक समझते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि देश मे उसके लाभ के लिए आवास विक्त प्रणाली को विनियमित करने में राष्ट्रीय आवास बैंक के सामर्थ्य के प्रयोजन से, निम्नलिखित निर्देश आवश्यक हैं और एतद्हारा राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धाराओं 30, 30ए, 31 एवं 33 में प्रदत्त शक्तियों तथा इस दिशा में मभी मामर्ध्यकारी शक्तियों के प्रयोग में तथा उपरोक्त उल्लेखित निर्देशों एवं मार्गनिर्देशों के अधिक्रमण में यहां आरो विनिर्दिष्ट निर्देश दिए जाते हैं।

अध्याय-। प्रारंभिक

निर्देशों का संक्षिप्त नाम, प्रारंभ एवं प्रयोज्यता

- 1. (1) इन निर्देशों को यथा आवास वित्त कम्पनी (रा आ.बैंक) निर्देश, 2001 कहा जाएगा। ये सरकारी राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से लागृ हो जाएंगे। इन निर्देशों में इनके प्रारंभ होने की तारीख के लिये कोई संदर्भ उसी तारीख का संदर्भ माना जाएगा।
  - (2) अध्याय 4 में अन्तर्विष्ट निर्देश किसी भी आवास वित्त कम्पनी के प्रत्येक लेखापरीक्षक के लिए लाग होंगे।

परिमाषाएं.

- 2. (1) इन निर्देशों में, जब तक प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो
- (क) "बैंकिंग कम्पनी" से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 (ग) में यथा परिमाषित बैंकिंग कंपनी अभिप्रेत है:
- (ख) "अवशिष्ट मूल्य" का अर्थ उस साम्य पूंजी तथा आरक्षित निधि से होता है जिसमें से अमूर्त आस्तियां औरु पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियां घटा दी जाएं तथा जिसे निवेशी कंपनी के साम्य शेयरों की संख्या से विभाजित किया जाए।
- (ग) "वहनीय लागत" का अर्थ आस्तियों के बही मूल्य एवं उन पर प्रोद्भूत ब्याज किंतु अप्राप्त ब्याज से होता है।
- (घ) "कम्पनी" से मारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 झ (क क) मे यथा परिभाषित कंपनी अभिप्रेत है लेकिन इसमें ऐसी कंपनी शामिल नहीं है जो तत्समय प्रवृत्त किसी नियम के तहत परिसमापनाधीन है,
- (ड) "चालू निवेश" का अर्थ उस निवेश से होता है जो अनी प्रकृति महज ही वसूली योग्य है तथा जो उस तारीख, जिसको ऐसा निवेश किया जाता है, से एक वर्ष से अधिक के लिए नही रखा जाना अपेक्षित होता है।
- (च) "जमाराशि" से वही अभिप्रेत होगा जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 झ (ख ख) में यथा नियत है;
- (छ) "जमाकर्त्ता" का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसने किसी आवास वित्त कंपनी में राशि जमा की है, अथवा जो उसका कोई उत्तराधिकारी, वैद्य प्रतिनिधि, प्रशासक अथवा समनुदेशिती है।
- (ज) "संदिग्ध आस्ति" का अर्थ एक सावधि ऋण अथवा कोईपट्टाकृत आस्ति अथवा कोई किराया खरीद आस्ति, अथवा अन्य कोई आस्ति है जो कि दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए एक उपमानक आस्ति रहती है।
- (झ) "अर्जन मूल्य" का अर्थ कर उपरांत लाभ के औसत से संगणित किसी साम्य शेयर का मूल्य होता है जिसमें अधिमान लामांश घटा दिया जाता है और असाधारण एवं गैर आवर्ती मदो के लिए समायोजित किया जाता है। यह समायोजन तत्काल पूर्वगामी तीन वर्षों के लिए होता है तथा आगे निवेशी कंपनी के साम्य शेयरों की संख्या से विमाजित और निम्नलिखित दरो पर पूंजीकृत किया जाता है-
- (i) उत्कृष्ट रुप में निर्माता कंपनी के मामले मे, **8** प्रशितत ।
- (ii) उत्कृष्ट रुप में व्यापार करने वाली कंपनी के मामले में, 10 प्रतिशत।
- (iii) किसी आवास वित्त कंपनी सहित किसी अन्य कंपनी के मामले मे, 12 प्रतिशत।

टिप्पणी:

यदि कोई निवेश कंपनी घाटे में चलने वाली कंपनी है, तब अर्जन मूल्य यथा शून्य लिया जाएगा,

- (ट) "उचित मूल्य" का अर्थ अर्जन मूल्य तथा अवशिष्ट मूल्य के साधन से है।
- (ठ) "निर्बंध आरिक्षत निधियों" में शेयर प्रीमियम खाता, पूंजी और डिबेंचर, शोधन निधि में शेष तथा अन्य कोई आरिक्षत निधि शामिल होगी जिसे कंपनी के तुलन पत्र में दर्शाया या प्रकाशित किया गया हो, जो ऐसी आरिक्षत निधि न हो (1) जिसका सृजन मिवष्य की किसी देयता के प्रतिसंदाय या आस्तियों के अवक्षयण या अशोध्य ऋणों के लिए किया गया हो अथवा (2) जिसका सृजन कंपनी की आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन द्वारा किया गया हो,
- (इ) "आवास क्ति कंपनी" का अर्थ कंपनी अधिथनयम, 1958 (1958 का 1) के अधीन निगमित एक ऐसी कंपनी होता है जो मुख्य रुप से लेनदेन करती है अथवा चाहे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष में, आवास हेतु वित्त प्रदान करने का व्यापार चलाना उसके प्रधन उद्देश्यों में से एक होता है ।
- (ढ) "संकर ऋण) का अर्थ उस पूंजी लिखत से है जिसमें ऋण की विशेषताओं के अतिरिक्त साम्य पूंजी की कतिपय विशेषताएं होती हैं।
- (ण) "ऋणदाता सार्वजनिक वित्त संस्थान" का अर्थ
- (i) कंपनी अधिनियम, 1956 (1966 का 1) की घारा 4ए के तहत अथवा इसके अधीन विनिर्दिष्ट कोई सार्वजनिक वित्तीय संस्थान; अथवा
- (ii) कोई राज्य विसीय निगम अथवा कोई राज्य औद्योगिक विकास निगम; अथवा
- (iii) कोई अनुसचित वाणिज्यिक बैंक; अथवा
- (iv) साघारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 9 के उपबंधों के अनुसरण में स्थापित साधारण बीमा निगम, अथवा
- (v) अन्य कोई संस्थान जिसे राष्ट्रीय आवास बैंक इस दियशा में, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।
- (त) "हानिप्रद आस्तियों" का अर्थ -
- (i) ऐसी कोई आस्ति जिसकी पहचान आवास वित्त कंपनी अथवा उसको आंतरिक अथवा बाह्य लेखापरीक्षक अथवा राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा तब तक हानिप्रद आस्ति के रुप में की जाती है, जब तक यह आवास वित्त कंपनी द्वारा बट्टे खाते में नहीं ढाल दी जाती है; और
- (ii) एक ऐसी आस्ति जो या तो प्रतिमूति के मूल्य में कमीं के कारण अथवा प्रतिभफित उपलब्ध नहीं होने के कारण अथवा उद्यारकर्ता की ओर से किसी कपटपूर्ण कृत्य अथवा गलती के कारण वसूल नहीं हो सकने की संभावित खतरे से पूरी तरह प्रभावित है।
- (थ) "निवल आस्ति मूल्य" का अर्थ है संबंधित म्युअचल फंड द्वारा विनिर्दिष्ट योजना के संबंध मे वर्तमान में घोषित निवल आस्ति मूल्य ।
- (द) "निवल बही मूल्य" का अर्थ है-
- (i) किराया खरीद आस्ति के मामले में, कुल देय राशि एवं प्राप्त मावी किस्तें, जिनमें से अपरिपक्व क्ति प्रमारों की शेष राशि को घटा कर और आगे इन निर्देशों के अनुच्छेद 24 (2) (1) के अनुसार किए गए प्रावधानों की राशि भी घटा दी जाती है।

- (ii) पट्टाकृत आस्तियों के मामले में, यथा प्राप्य लेखा प्रदत्त अतिदेय पट्टा किराए के पूंजी अंश का कुल योग और पट्टा समायोजन लेखा की शेष राशि से यथा समायोजित पट्टाआस्ति का अवस्वियत बही मूल्य होता है।
- (घ) "नियल स्वाधिकृत निधि" का अर्थ वह निवल स्वाधिकृत निधि होता है जो उन चुकता अधिमान रोयरों जो उन चुकता अधिमान रोयरों, जो कि अनिवार्य रुप से साम्य पूंजी में संपरिवर्तनीय है, के सहित, 1987 के राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम की घारा 29ए में परिभाषित है।
- (न) "अनुपयोज्य आस्तियां (जिन्हें इन निर्देशों में यथा अनुपयोज्य आस्तियां विनिर्दिष्ट किया गया है) का अर्थ :-
- (i) कोई ऋण आस्ति, जिसके संबंध में ब्याज 6 महीने के लिए "विगत देय" रहता है;
- (ii) असंदत ब्याज सहित कोई सावधि ऋण जब किस्त 6 महीने से अधिक के लिए अतिदेय हो अथवा जिस पर ब्याज की राशि 6 महीने के लिए विगत देय रही ;
- (iii) कोई विनिमय-पत्र जो 6 महीने के लिए अतिदेय रहता है ;
- (iv) अल्पाविध ऋणों / अग्रिमों की प्रकृति में, "अन्य वर्तमान आस्तियां" शीर्ष के अधीन, किसी ऋण अथवा किसी प्राप्य पर आय के संबंध में ब्याज, औरजो सुविधा 6 महीने की अविध के लिए अतिदेय रही;
- (v) आस्तियों की बिक्री अथवा दी गई सेवाएं, अथवा उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति के मद्दे कोई देय राशि, जो 6 महीने की अवधि के लिए अतिदेय रही ;
- (vi) पट्टा किराया एवं किराया खरीद की किस्तें जो 12 महीने से अधिक की अवधि के लिए तिदेय हो गई हैं।
- (vii) कोई अंतर कंपनी जमाराशि, जिसके संबंध में ब्याज अधवा मूलधन 6 महीने की अवधि में अतिदेय रहा ।
- (प) "स्वाधिकृत निधि" का अर्थ ऐसी स्वाधिकृत निधि है जिसमें साम्य शेयरों में अनिवार्यतः संपरिवर्तनीय अधिमान शेयरों सहित चुकता पूंजी, निर्बंघ आरक्षित निधियां, शेयर प्रीमियम लेखा में शेष राशि, आस्तियों की बिक्री की राशि में से उत्पन्न अधिशेष जताने वाली पूंजी आरिक्षत निधियां आती हैं, किंतु आस्ति के पुनर्मूल्यन से निर्मित वे आरक्षित निधियां शामिल नहीं हैं, जिनमें से संचित हानि की शेष राशि, अमूर्त आस्तियों का बही मूल्य तथा आस्थिगित राजस्व व्यय, यदि कोई है, को घटा दिया जाता है।
- (फ) "विगत देय" का अर्थ आय अथवाब्याज की कोई राशि जो देय तारीख से परे 30 दिनों की अवधि के लिए असंदत्त रहती है ।
- (ब) "सार्वजनिक निक्षेप" से निक्षेप अभिप्रेत है, लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं है, अर्थात्:-
- (i) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से प्राप्त कोई राशि अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त कोई राशि और जिसका प्रतिसंदाय केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा गारंटीशुदा हो अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी सार्वजनिक आवास एजेंसी या किसी विदेशी सरकार या किसी अन्य विदेशी नागरिक, प्राधिकरण या व्यक्ति से प्राप्त राशि;
- (ii) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) के तहत स्थापित राष्ट्रीय आवास बैंक या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1984 (1984 का 18) के तहत स्थापित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1958 (1956 का 31) के तहत स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम या

साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 9 के उपबंधों के अनुसरण में स्थापित मारतीय साधारण बीमा निगम और उसकी सहायक कंपनियों या मारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का 39) के तहत स्थापित मारतीय लघु उद्योग विकास बैंक या मारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 ( 1963 का 52) के तहत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, अधिनियम, 1982 के तहत स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक या विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के तहत गठित विद्युत बोर्ड या तमिलनाडु औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम लि0 या दि इण्डिस्ट्रयल फाईनांस कारपोरेशन आफ इंडिया लि0 या भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि0 या भारतीय राज्य व्यापार निगम लि0 या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि0 या भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि0 या कृषि वित्त निगम लि0 या महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक एवं निवेश निगम लि0 या गुजरात औद्योगिक निवेश निगम लि0 या एशियाई विकास बैंक या अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम या विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओईसीएफ) या क्रेडिटैनस्टैल्ट फर वाइडरआफबो (केएफडब्ल्यू) या किसी अन्य संस्था , जिसे इस निमित्त राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, से प्राप्त कोई राशि;

- (iii) किसी आवास वित्त कंपनी द्वारा अन्य कंपनी से प्राप्त राशि:
- (iv) शेयर, स्टाक, बांड या डिबेंचरों का आबंटन लंबित रहने तक उक्त किसी भी शेयर, स्टाक, बांडों या डिबेंचरों में अमिदान के तौर पर प्राप्त कोई राशि और आवास वित्त कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसरण में शेयरों पर पहले से मांग के रूप में प्राप्त कोई राशि, जब तक कि ऐसी राशि आवास वित्त कंपनी के अंतर्नियमों के तहत सदस्यों को प्रतिसंदेय नहीं है;
- (v) ऐसे व्यक्ति से प्राप्त कोई राशि, जो राशि की प्राप्ति के समय आवास वित्त कंपनी का निदेशक था या किसी गैर सरकारी आवास वित्त कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों से प्राप्त कोई राशि या ऐसी गैर-सरकारी आवास वित्त कंपनी द्वारा प्राप्त कोई राशि, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की घारा 43 क के तहत सार्वजनिक आवास वित्त कंपनी बन गई है और अपने अंतर्नियमों में कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की घारा 3 की उपधारा (1) के खंड (iii) में विनिर्दिष्ट मामलों से संबंधित उपबंधों को शामिल करना जारी रखती है:

परंतु यह कि यथास्थिति, निदेशक या शेयरघारक, जिससे राशि प्राप्त हुई है, राशि देते समय आवास वित्त कंपनी को लिखित रुप में इस आशय का घोषणापत्र प्रस्तुत करता है कि यह राशि अन्यों से उधार लेकर या राशियां स्वीकार करके उसके द्वारा अर्जित निषियों में से नहीं दी जा रही हैं:

इसके अतिरिक्त, यह मी कि किसी प्राइवेट लिं0 कंपनी के संयुक्त शेयरधारकों के मामले में, पहले नाम वाले शेयरधरक को छोड़कर उनसे अथवा संयुक्त शेयरधारकों के नाम में प्राप्त घन कंपनी के शेयरधारकों से प्राप्त हुआ घन समझा जाने के लिए ग्राह्य नहीं होगा।

- (vi) आवास वित्त कंपनी की किसी अचल सम्पत्ति या किसी अन्य परिसम्पति के बंधक द्वारा प्रतिभूत ऐसे बांडों या डिबेंचरों या उन्हें आवास वित्त कंपनी के शेयरों में परिवर्तित करने के विकल्प के साथ जारी किए गए बांडों या डिबेंचरों द्वारा जुटाई गई कोई राशि, परंतु किसी अचल सम्पत्ति के बंधक द्वारा प्रतिभूत या अन्य परिसंपत्ति द्वारा प्रतिभूत ऐसे बांडों या डिबेंचरों के मामले में, ऐसे बांग्डों या डिबेंचरों की राशि ऐसी अचल सम्पत्ति / अन्य परिसम्पत्ति के बाजार मूल्य से अधिक नहीं होगी;
- (vii) प्रवर्त्तकों द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करने के अध्यधीन, ऋणदाता संस्थाओं की शर्तों के अनुसरण में अप्रतिभूत ऋण के रुप में लाई गई कोई राशि, अर्थात् :

- (क) यह ऋण ऐसे क्ति का अंशदान करने हेतु प्रवित्तकों की बाध्यता को पूरा करने के लिए ऋणदाता सार्वजनिक वित्तीय संस्था द्वारा लगाई गई शर्तों के अनुसरण में लाया जाता है,
- (ख) यह ऋण प्रवर्तकों द्वारा स्वयं / और या उनके संबंधियों द्वारा प्रदान किया जाता है, और न कि उनके मित्रों एवं कारोबार सहयोगियों द्वारा, और,
- (ग) इस उपखंड के अन्तर्गत छूट केवल तब तक उपलब्ध होगी, जब तक ऋणदाता सार्वजिनक क्तिय संस्था के ऋण का प्रतिसंदाय नहीं कर दिया जाता एवं उसके बाद नहीं;
- (viii) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (म्युचुअल फंड्स) विनियमन, 1996 से संचालित म्युचुअल फंड से प्राप्त कोई राशि;
- (ix) संकर ऋण अथवा गौण ऋण जिसकी न्यूनतम परिपक्वता अवधि 60 महीने से कम नहीं है, के रुप में प्राप्त कोई राशि
- (x) किसी आवास वित्त कंपनी के निदेशक के किसी संबंधी से प्राप्त हुई कोई राशि।

टिप्पणी. निक्षेप केवल जमाकर्त्ता की ओर दिए गए आवेदन पर स्वीकार किया जाएगा। जिसमें यह घोषणा अन्तर्विष्ट हो कि निक्षेप तारीख पर, वह कंपनी अधिनियम, 1958 (1958 का 1) में यथा परिमाषित एक संबंधी की हैसियत से विनिर्दिष्ट निदेशक से संबंधित है।

- (म) "सार्वजनिक आवास एजेंसी" में ऐसा कोई भी प्राधिकरण शामिल होगा जो किसी नियम द्वारा अथवा उसके तहत मारत में गठित किया गया हो, जो या तो आवास व्यवस्था की आवश्यकता पर कार्यवाही करने और उसे पूरा करने के प्रयोजन में लगा हो या जो शहरों, कार्यालयो और गांवों या दोनों की योजना बनाने, विकास या सुधार करने के प्रयोजन में लगा हो;
- (म) "प्रतिमूतियों" से प्रतिमूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की घारा 2(ज) में यथा परिभाषित प्रतिमूतियां अमिप्रेत हैं;
- (य) "मानक आस्ति" का अर्थ ऐसी आस्ति होती है, जिसके संबंध में मूलधन के पुनर्मुगतान अथवा ब्याज के भुगतान में कोई व्यतिक्रम नहीं दिखता है और जिससे कोई समस्या नहीं होती है और न ही इसमें व्यापार से जुड़े सामान्य जोखिम से अधिक जोखिम ही होते हैं।
- (र) "उपमानक आस्ति" का अर्थ
- (i) एक ऐसी आस्ति, जिसे दो वर्ष से अनिधक की अविध के लिए अनुपयोज्य आस्ति के रूप में वगीकृत किया गया है।
- (ii) एक ऐसी आस्ति है, जहां ऋण की कोई किस्त जारी की जाने के बाद ब्याज और / अथवा मूलघन के बारे में करार की शर्तें बातचीत से पुन. तय की गई हैं अथवा पुनर्निधारित हुई हैं अथवा एक ऐसी अंतर जमाराशि तक आगे बढ़ायी जाती रही है, पुन: तय की गई अथवा पुनर्निधारित शर्तों के अधीन संतोषजनक निष्पादन का एक वर्ष समाप्त हो जाने तक वो "उप मानक आस्ति" मानी जाएगी।

किंतु यह कि जहां किसी परियोजना के पूरी होने में विलंब कारण उस परियोजना को क्रियान्वित करने वाले अमिकरण के नियंत्रणय से परे होता है, वहां ब्याज और / अथवा मूलधन के बारे में ऋण करार की शतों को परियोजना पूरी होने से पूर्व एक बार पुनर्निर्धारित किया जा सकता है और ऐसे ऋण को इस शर्त के अध्यधीन यथामानक आस्ति समझा जाए कि ऐसे पुनर्निधारण की अनुमित केवल एक बार संबंधित आवास वित्त कंपनी के निदेशक मण्डल की ओर से दी जाएगी और यह कि ऐसे ऋण पर नियमित रूप से दिया जाता है और कोई व्यक्तिक्रम नहीं होता है।

इसके अतिरिक्त, यह भी कि जहां प्राकृतिक आपदाएं उधारकर्ता की पुनर्भुगतान करने की क्षमता को कमजोर कर देती हैं,वहां ब्याज और / अथवा मूलधन के बारे में ऋण करार की शर्तों को पुनर्निधारित किया जा सकता है तथा ऐसे ऋणों को यथा उपमानक वर्गीकृत नहीं किया जाएगा। ऐसे ऋणों का वर्गीकरण इसके बाद संशोधित नियम एवं शर्तों के अनुसार संचालित होगा।

(ल) "गौण ऋण" का अर्थ एक पूर्णतया चुकता पूंजी लिखत होती है जो कि अप्रतिभूत तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण बना दिया जाता है और यह प्रतिबंधात्मक खंडों से मुक्त होता है और धारक के अनुरोध पर अथवा आवास वित्त कंपनी के पर्यवेक्षणीय प्राधिकारी के सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं है। ऐसी लिखत का बही मूल्य बट्टा काटने के अध्यधीन होगा, जैसा यहां नीचे दिया जा रहा है:

लिखत की शेष परिपक्चता	बट्टा दर (प्रतिशत)
(i) 1साल त <b>क</b>	100
(ii) 1 साल से अधिक परंतु 2 साल तक	80
(iii) 2 साल से अधिक परंतु 3 साल तक	60
(iv) 3 साल से अधिक परंतु 4 साल तक	40
(v) 4 साल से अधिक परंतु 5 साल तक	20

जितने तक ऐसा बट्टागत मूल्य टियर-1 पूंजी के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं हो जाता है।

- (व) "पर्याप्त हित" का अर्थ किसी व्यक्ति अथवा उसके पत्नी अथवा उसके प्रति अथवा अवयस्क बच्चे का चाहे एकल रूप में अथवा एक साथ मिलकर किसी कंपनी के शेयरों में लाभकारी हित होना जिस पर संदत्त राशि उस कंपनी की चुकता पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है अथवा किसी मागीदारी फर्म के सभी भागीदारों द्वारा अभिदत्त पूंजी होता है।
- (श) "टियर I पूंजी का अर्थ है स्वाधिकृत निधि, जिसमें से अन्य आवास वित्त कंपनियों के शेयरों, ऋणपत्रों, बंघपत्रों में निवेश, सहायक कंपनियों को दिया गया किराया खरीद एवं पट्टा वित्त और उनमें तथा उसकी समूह की कंपनियों में जमा की गई राशियों सिहत ऋण एवं अग्रिम जो कि कुल योग में स्वाधिकृत निधियों के 10 प्रतिशत से अधिक होता है, घटाया गया हो।
- (ष) टियर ~ II पूंजी में निम्नलिखित शामिल हैं:-
- (i) अधिमान शेयर (उन्हें छोड़कर जो साम्य पूंजी में अनिवार्यतः संपरिवर्तनीय हैं);
- (ii) 55 प्रतिशत की बट्टागत दर पर पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियां;
- (iii) उतनी राशि तक, समान्य प्रावधान एवं हानिगत आरिक्षत निधिया, जितने तक इन्हें मूल्य में वास्तविक ह्वास, अथवा किसी विनिर्दिष्ट आस्ति में पहचान योग्य संमाव्यहानि के कारण से हुए नहीं माना जा सकता है और जोखिम भारित आस्तियों के एक और एक चौथाई प्रतिशत तक अनायास हानियों को पूरी करने के लिए उपलब्ध हैं।
- (iv) संकरण ऋण
- (v) गौण ऋण

उस सीमा तक, जितने तक कि कुल योग टियर - 1 पूंजी से अधिक नहीं होता है।

- (2) प्रयुक्त, किंतु यहां अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्द एवं अमिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें वहां दिया गया है। यहां अथवा अधिनियम में अपरिभाषित शब्द और अमिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें मारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2), बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) तथा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में समनुदेशित किया गया है।
- (3) (क) यदि ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि कोई कंपनी क्तिय संस्थान है या नहीं तो केन्द्रीय सरकार के साथ परामर्श करके राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा ऐसे प्रश्न का विनिश्चय किया जाएगा।
- (ख) यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, कि क्या कोई कंपनी एक आवास वित्त कंपनी है, तो उसका विनिश्चय राष्ट्रीय आवास बैंक करेगा।

#### अध्याय - 2 - सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार करना

#### निक्षेप स्वीकार करने पर प्रतिबंध

- 3. (1) ऐसी कोई आवास वित्त कंपनी जिसकी निवल स्वाधिकृत निधि (इसके बाद जिसे नि0स्वा0नि0) 26 लाख रुपए से कम है, सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार नहीं करेगी।
- (2) ऐसी कोई आवास क्ति कंपनी जिसकी निवल स्वाधिकृत निधि 25 लाख रुपए और इससे अधिक है, सार्वजनिक निक्षेप निम्न उल्लेखित सीमा के अतिरिक्त, स्वीकार या नवीनीकरण नहीं करेगी:-
- (i) कंपनी की निवल स्वाधिकृत निधि के पांच गुणा से अनिधक, बशर्ते जहां आवास क्ति कंपनी ने वर्ष में कम से कम एक बार किसी अनुभोदित ऋण पात्रता निर्धारण एजेंसी से सावधि निक्षेपों के लिए कम से कम "ए" ऋण पात्रता निर्धारण प्राप्त किया हो और ऋण पात्रता निर्धारण की एक प्रति रा0आ0बैंक को मेजी गई हो तथा कंपनी सभी विवेक सम्मत मानदंडों का अनुपालन करती हो; और
- (ii ) ऊपर (i) में किए गए उल्लेखनुसार ऋण पात्रता निर्धारण न होने पर, अपनी निवल स्वाधिकृत निधि के दुगुने या 10 करोड रुपए, जो भी कम हो, से अनिधक जिसमें इन निक्षेपो को स्वीकार या नवीनीकरण करने की तारीख को उसकी बहियों में कोई मी बकाया राशि शामिल होगी बशर्ते (क) वह सभी विवेकसम्मत मानदंडों का अनुपालन कर रही हो, और (ख) पिछले संपरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार पूंजी पर्याप्तता अनुपात 15 प्रतिशत से कम न हो ।

## अनुमोदित ऋण पात्रता निर्घारण एजेंसियां

वर्तमान में अनुमोदित ऋण पात्रता निर्धारण एजेंसियों के नाम निम्न प्रकार हैं:

- (क) दि क्रेडिट रेटिंग इन्फारमेशन सर्विसेज आफ इंडिया लि0 (क्रिसिल)
- (ख) इकरा लि0
- (ग) क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लि0 (केयर)
- (घ) फिच रेटिंग इंडिया प्रा0लि0
- (3) किसी मी आवास वित्त कंपनी के निक्षेप, सार्वजनिक निक्षेपों के साथ जिसकी कुल राशि तथा उसके पास रखी गई कोई अन्य राशि जिसका उल्लेख मारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आई की

उपधारा (खख) की धारा (iii) से (vii) में किया गया है, यदि कोई हो, तथा राष्ट्रीय आवास बैंक से ऋण का अन्य सहायता को मिलाकर, उसकी निवल स्वाधिकृत निधि के दस गुणा से अधिक नहीं होगे।

- (4) जहां आवास वित्त कंपनी इन निर्देशों के आरंभ होने की तारीख को, ऊपर (2) में निर्दिष्ट सीमा से अधिक सार्वजनिक निक्षेप रखती हो और जो इस पर लागू हैं या ऊपर (3) में उल्लिखित मदो सहित निक्षेप ऊपर (5) में निर्दिष्ट सीमा से अधिक हैं तो कंपनी —
- (क) नए निक्षेप स्वीकार नहीं करेगी या नए निक्षेप खाते नहीं खोलेगी, अथवा
- (ख) मौजूदा निक्षेपों का नवीनीकरण नहीं करेगी या जब किसी आवृत्ति योजना के अन्तर्गत निक्षेप राशि जमा ें रही है, योजना अवधि समाप्त होने के बाद उस योजना के अन्तर्गत किस्ते प्राप्त नहीं करेगी,
- (ग) सीमा से अधिक जमा निक्षेपों को परिपक्वता पर पुनर्भुगतान कर कम करेगी।
- (5) <mark>आवास वित्त कंपनी द्वारा पहले धारित ऋण पात्रता निर्धारण के बाद, "ए" से नीचे के किसी भी ऋण पात्रा निर्धारण स्तर पर होने पर, कपनी</mark>
- (i) राष्ट्रीय आवास बैंक को 15 दिनों के भीतर स्थिति की सूचना भेजेगी;
- (ii) यदि उसके पास धारित जमाराशि ऊपर अनुच्छेद 3(2) की घरा (ii) में निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो कर पार्वजनिक निक्षेप तुरंत प्रमाव से स्वीकार नहीं करेगी, एवं
- (iii) ऋण पात्रता निर्धारण का स्तर घटने की तारीख से 3 वर्ष के अंदर उल्लिखित सार्वजित किर्देश की उसके देय होने की तारीख पर पुनर्भुगतान करके अथवा अन्यथा, कम करके "शून्य" पर या क्ष्रपर अनुविधार कि
- (2) की धारा (ii) में उल्लिखित अनुमत्य सीमा, पर जैसा भी मामला हो, लाएगी।

#### निक्षेपो की अवधि

- 4. कोई भी आवास वित्त कंपनी कोई भी सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार या नवीनीकरण नहीं करे<sup>ं</sup>
- (क) जो मांग पर या नोटिस पर संदेय है, या
- (ख) जब तक ऐसे निक्षेप उन्हें स्वीकार करने या उनका नवीनीकरण करने की तारीख से कम से करा 12 + -एवं अधिक से अधिक 84 माह उपरांत पुनर्भुगतान के लिए संदेय हो।

#### स्पष्टीकरण

जब सार्वजनिक निक्षेप किस्तो में हो, तो ऐसे निक्षेप की अवधि की गणना प्रथम किस्त प्राप्ति की तिथि से की जाएगी।

### संयुक्त जमाराशिया

5. जहां वांछित हो, जमाराशियां संयुक्त नामों से स्वीकार की जा सकती हैं, जिसमे "आइदर और सर्वाइवर" "नम्बर वन और सर्वाइवर/स", "एनीवन और सर्वाइवर /स", जैसा वाक्य खण्ड हो या नहीं हो।

सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार किए जाने वाले आवेदन पत्र में उल्लेखित किए जाने वाले ब्यौरे

6 (i) कोई भी आवास वित्त कंपनी किसी भी सार्वजनिक निक्षेप को उसके द्वारा जारी प्रपत्र पर जमाकर्त्ता द्वारा लिखित मे आवेदन करने के अतिरिक्त, स्वीकार या उनका नवीनीकरण नहीं करेगी, इस प्रपत्र में वह सभी विवरण होंगे जो गैर बैकिंग वित्तीय कंपनियों एवं विविध गैर बैकिंग कंपनी (विज्ञापन) नियम, 1977 में उल्लिखित हैं, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 58क के अन्तर्गत तैयार किया है और इसमें जमाकर्ताओं की विशेष श्रेणी अर्थात् क्या जमाकर्ता आवास वित्त कंपनी का अंशधारक या निवेशक या प्रवर्तक है या सामान्य नागरिक है या कंपनी के निवेशक का संबंधी है,के ब्यौरे भी दिए गए हैं।

- (ii ) आवेदन फार्म में निम्नलिखित सूचनाएं भी निहित होंगी:
  - (क) उसके निक्षेप को प्रदान की गई ऋण पात्रता का निर्धारण और आवास वित्त कंपनी की ऋण पात्रता का निर्धारण करने वाली ऋण पात्रता निर्धारण एजेंसी का नाम:
  - (ख) इस आशय का एक विवरण कि आवास वित्त कंपनी द्वारा अपने निक्षेपों को चुकाने में किसी चूक के मामले में, जमाकर्त्ता राहत के लिए राष्ट्रीय उपमोक्ता विवाद निवारण मंच, राज्य स्तरीय उपमोक्ता विवाद निवारण मंच या जिला स्तरीय उपमोक्ता विवाद निवारण मंच में जा सकता है,
  - (ग) इस आश्य का कथन कि निक्षेपों में अनुबद्ध निबंधन एवं शर्तों के अनुसार संपूर्ण निक्षेप या उसके किसी भाग की गैर अदायगी की दशा में, जमाकर्ता राष्ट्रीय आवास बैंक के प्राधिकृत अधिकारी को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है।
  - (घ) इस आशय का एक कथन कि आवास वित्त कंपनी की क्तिय स्थिति, जैसा कि प्रकट किया गया है और आवेदन फार्म में दिए गए अम्यावेदन सही और ठीक हैं तथा आवास वित्त कंपनी और उसका निदेशक बोर्ड उसकी शुद्धता और सत्यता के लिए जिम्मेदार है,
  - (ड) इस आशय का एक कथन कि आवास वित्त कंपनी की जमाराशि स्वीकार करने की गतिविधियां राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विनियमित की जाती हैं। तथापि, यह स्पष्ट रुप से समझ लेना चाहिए कि राष्ट्रीय आवास बैंक आवास वित्त कंपनी की क्तिय सुदृढ़ता के लिए या आवास वित्त कंपनी द्वारा किए गए किसी भी विवरण या अभ्यावेदन या उसके द्वारा व्यक्त की गई किसी भी राय की शुद्धता के लिए; और आवास वित्त कंपनी द्वारा जमाराशि के प्रतिसंदाय / देनदारियों के निर्वहन के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है;
  - (च) उसी समूह की कंपनियों अधवा अन्य हस्तियों अधवा उन व्यापारिक उद्यमों जिनमें निदेशकगण और अधवा आवास वित्त कंपनी पर्याप्त हित रखते हैं रखंती हैं, उन कंपनियों से और उनको दी गई निधि एवं गैर निधि आधारिक, दोनों प्रकार की कुल देय राशियों, सुविधाओं से देय कुल राशियों और उनसे तथा ऐसी हस्तियों को निवेश की कुल राशियों से संबंधित जानकारी।
  - (छ) आवेदन फार्म के अन्त में, लेकिन जमाकत्तां के हस्ताक्षर से पहले जमाकर्ता द्वारा निम्नलिखित सत्थापन खंड जोड़ा जाएगा "मैंने आवास वित्त कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए वित्तीय और अन्य विवरणों / तथ्यों / अभ्यावेदनों को पढ़ लिया है और सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद मैं अपने जोखिम और इच्छा शक्ति पर आवास वित्त कंपनी के पास रकम जमा कर रहा हं।

#### जमाकर्त्ताओं का परिचय

7. प्रत्येक आवास वित्त कंपनी नया खाता खोलने या जमाराशि स्वीकार करने से पहले नए जमाकर्ताओं से उचित परिचय प्राप्त करेगी और उस साह्य को अपने अमिलेख में रखेगी जिसके आधार पर उस परिचय पर विश्वास किया गया ।

#### स्पष्टीकरण:

इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, परिचय से आश्य प्रत्याशित जमाकर्ता की पहचान करना होगा और यह काम या तो किसी मौजूदा जमाकर्त्ता द्वारा या स्थायी खाता संख्या (पैन), चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट या राशन कार्ड के आधारपर किया जा सकता है।

#### जमाकर्ताओं को पावतिया देना

- 8. (1) यदि ऐसा पहले न किया गया हो, तब प्रत्येक आवास वित्त कंपनी, प्रत्येक जमाकर्ता या उसके एजेंट को प्रत्येक उस राशि, जिसे इन निर्देशों के प्रारम्भ होने की तारीख से पहले या बाद में निक्षेप के रूप में आवास वित्त कंपनी द्वारा स्वीकार किया किया जाए, की पावती देगी।
- (2) इस निमित्त आवास वित्त कंपनी के लिए कार्य करने हेतु पात्र अधिकारी द्वारा उक्त पावती पर विधिवत् हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और वह निक्षेप की तारीख, जमाकर्ता का नाम, जमाराशि के रूप में आवास वित्त कंपनी को प्राप्त हुई राशि का शब्दों और अंकों में कथन करेगा, उस पर देय ब्याज दर और उस तारीख को बताएगा, जिस तारीख को वह राशि प्रतिदेय होगी।

परंतु, यदि ऐसी प्राप्तियां किसी आवर्ती जमा की पहली किस्त के बाद की किस्तों से संबंधित हैं, तो उसमें केवल जमाकर्ता / (ओं) का नाम, तारीख और जमाराशि निहित होगी।

#### निक्षेपों का रजिस्टर

- 9. (1) प्रत्येक आवास क्ति कंपनी एक या अधिक रिजस्टर रखेगी जिसमें प्रत्येक जमाकर्ता या संयुक्त जमाकर्ताओं के समूह के बारे में निम्नलिखित ब्यौरे रखे जाएंगे-
- (क) जमाकर्ता या संयुक्त जमाकर्त्ताओं के समूह, उनके नामितों के नाम व पते,
- (ख) प्रत्येक निक्षेप की तारीख और राशि,
- (ग) प्रत्येक निक्षेप की अवधि और देय तारीख,
- (घ) प्रत्येक निक्षेप पर प्रोद्भूत ब्याज और प्रीमियम की तारीख और राशि,
- (ड ) प्रत्येक पुनर्भुगतान की राशि व तिथि, चाहे मूलधन, प्रीमियम या ब्याज हो,
- (च) जमाकर्ता द्वारा किए गए दावे की तारीख,
- (छ) पुनर्मुगतान में पांच कार्यदिवसों से अधिक देशी होने के कारण,
- (ज) निक्षेपों से संबंधित कोई अन्य ब्यौरे।
- (2) ऊपर उल्लिखित या एक अधिक रिजस्टर आवास क्ति कंपनी की प्रत्येक शाखा में जहां जमा खाता खोला गया, जमा खातों के बारे में रखे जाएंगे और आवास क्ति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उसकी सभी शाखाओं का एक समेकित रिजस्टर बनाया जाएगा और उसे उस वित्त वर्ष जिसमें किसी जमा के पुनर्मुगतान या नवीनीकरण के बारे में सबसे बाद में इंदराज किया गया हो, और जिसके ब्यौरे उस रिजस्टर में हों, की तारीख से कम से कम 8 वर्ष तक अच्छी हालत में रखा जाएगा।

बशर्ते कि, यदि आवास क्ति कंपनी अधिनियम, 1958 (1958 का 1) की घारा 209 की उपघारा () में उल्लिखत लेखा बहियां उस उपघारा के प्रावधानों के अनुसार अपने पंजीकृत कार्यालय के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर रखती है, तो यह उप अनुच्छेद का उपयुक्त अनुपालन होगा यदि पूर्वोक्त रजिस्टर ऐसे फिर्फ अन्य रथान पर रखे जाते हैं, बशर्ते कि वह आवास वित्त कंपनी कथित उपधारा के प्रावधानों के अन्तर्गत बर्दासक को पूजे नोटिस की एक प्रति, नोटिस भेजने की तारीख से 7 दिन के अंदर राष्ट्रीय आवास बैंक को

बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल की जाने वाली सूचना

- 10. (1) इन निर्देशों के प्रारम्भ की तारीख के बाद कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की घारा 217 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत आवास वित्त कंपनी की सामान्य बैठक में रखी गई निदेशक बोर्ड की प्रत्येक रिपोर्ट में निम्नलिखित विवरण या सूचना शामिल की जाएगी अर्थात् .
  - (क) आवास वित्त कंपनी के सार्वजनिक निक्षेप खातो की कुल संख्या, जिनका जमाकर्ताओं द्वारा दावा नहीं किया गया है या जिस तारीख को जमाराशि प्रतिसंदाय के लिए देय हुई उस तारीख के बाद आवास वित्त कंपनी द्वारा उसका संदाय नहीं किया गया है; और
  - (ख) ऐसे खातों के अंतर्गत देय कुल राशियां, जिनका दावा नहीं किया गया है या पूर्वोक्तानुसार खण्ड (क) में उल्लिखित तारीखों के बाद संदाय नहीं किया गया है।

उपर्युक्त विवरण या सूचना उस वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख के अनुसार दी जाएगी जिससे वह रिपोर्ट संबंधित है और यदि पूर्ववर्ती उप-पैराग्राफ के खण्ड (ख) में यथा उल्लिखित अदावी या असंवितरित राशि पांच लाख रुपए की कुल राशि से अधिक है तो जमाकर्ताओं या संयुक्त जमाकर्ताओं के समूह को देय राशि और अदावी या संवितरित बकाया राशि की वापसी अदायगी के लिए निदेशक बोर्ड द्वारा उठाए गए या प्रस्तावित कदमों के संबंध में एक विवरण मी रिपोर्ट में शागिल किया जएगा।

ब्याज दर तथा दलाली और अतिदेय सार्वजनिक निक्षेपो की अधिकतम सीमा

- 11 (1) कोई भी आवास वित्त कपनी
- (क) 14 प्रतिशत से अधिक वार्षिक ब्याज दर पर किसी सार्वजनिक निक्षेप आमंत्रित, स्वीकार या उसका नवीनीकरण नहीं करेगी। ब्याज का भुगतान या चक्रवृद्धि आधार पर किया जा सकता है, जो एक माह से कम अविध का नहीं होगा।
- (ख) किसी भी दलाल को उसके द्वारा या उसके माध्यम से एकत्र किए गए सार्वजनिक निक्षेपो पर,
- (i) इस प्रकार एकत्र की गई जमाराशि से दो प्रतिशत अधिक की दलाली , कमीशन, प्रोत्साहन या अन्य लाभ, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाए, का भुगतान नहीं करेगी,
  - (ii) उसके द्धारा प्रस्तुत किए गए संबंधित वाउचरो/बिलो के आधार पर इस प्रकार एकत्र की गई जमाराशि के 0.5 प्रतिशत से अधिक की प्रतिपूर्ति के रुप में व्यय नहीं करेगी।
- (2) अतिदेय जमाराशि पर ब्याज का भुगतान

कोई भी आवास वित्त कंपनी, अपने विवेक पर, अतिदेय सार्वजनिक जमाराशि पर या उक्त अतिदेय जमाराशि के किसी भाग पर, जमाराशि की परिपक्वता की तारीख से ब्याज की अनुमति दे सकती है, जो इस शर्त के अध्यधीन होगी कि .-

(i) कुल अतिदेय जमाराशि या उसके किसी भाग का, इन निर्देशों के संबंधित उपबंधों के अनुसार, उसकी परिपक्वता की तारीख से किसी भावी तारीख तक नवीकरण किया जाता है, और (ii) अनुङ्गेय ब्याज ऐसी अतिदेय जमाराशि की परिपक्वता की तारीख को लागू उचित दर पर होगा, जो केवल इस प्रकार नवीकृत जमाराशि पर ही देय होगाः

परंतु, जहां कोई आवास वित्त कंपनी जमाकर्त्ता द्वारा दावा किए जाने पर, परिपक्वता पर जमाराशि का ब्याज सिंहत प्रतिसंदाय करने मे असफल रहती है, वहां आवास वित्त कंपनी दावा किए जाने की तारीख से प्रतिसंदाय किए जाने की तारीख तक जमाराशि पर यथा लागू दर पर ब्याज का भुगतान करेगी।

#### जमाराशियों की वापसी अदायगी के संबंध में सामान्य उपबन्ध

- 12 (i) कोई भी आवास वित्त कंपनी, सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के अंदर किसी भी सार्वजनिक निक्षेप की वापसी अदायगी नहीं करेगी।
- (ii) जहां कोई आवास वित्त कंपनी जमाकर्ता (ओं) के अनुरोध पर उपर्युक्त खण्ड (i) में बताई गई अविध के पश्चात परंतु, परिपक्व होने से पूर्व सार्वजनिक निक्षेप की वापसी अदायगी करती है वहां वह निम्नलिखित दर से ब्याज का भुगतान करेगी:

(क) तीन महीने लेकिन छ: महीने की समाप्ति से पहले कोई ख्याज नहीं

(ख) छः महीने लेकिन बारह महीने की समाप्ति से पहले

दस प्रतिशत वार्षिक से अनधिक

(ग) बारह महीने लेकिन परिपक्वता की अवधि से पहले

उस दर की तुलना में एक प्रतिशत बिन्दु कम, जिस दर पर आवास वित्त कंपनी ने सामान्यतया भुगतान किया होता, यदि जमाराशि उस अवधि के लिए स्वीकार की गई होती जिस अवधि के लिए ऐसी जमाराशि इस्तेमाल की गई थी।

परन्तु किसी जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने की सूरत में उत्तरजीवी खण्ड के साथ संयुक्त धारिता के मामलों में उत्तरजीवी जमाकर्ता (ओं) को या नामिती या कानूनी वारिस (वारिसों) को वापसी-अदायगी की तारीख तक संविदागत दर पर ब्याज सहित परिपक्वता की अवधि से सार्वजनिक निक्षेप का भुगतान किया जा सकता है।

(iii) कोई आवास क्ति कंपनी, सार्वजनिकजमा पर देय ब्याज से दो प्रतिशत विन्दु अधिक ब्याज दर पर सार्वजनिक जमा की तारीख से तीन महीने की समाप्ति के पश्चात किसी जमाकर्ता को सार्वजनिक निक्षेप के पचहत्तर प्रतिशत तक ऋण मंजूर कर सकती है।

# परिपक्वता से पूर्व निक्षेपों का नवीनीकरण

13 जहां कोई आवास वित्त कंपनी किसी जमाकर्ता को उद्य ब्याज दर का लाम प्राप्त करने के लिए परिपक्वता से पहले अपनी सार्वजनिक जमाराशि का नवीकरण करने की अनुमित देती है, वहां ऐसी कंपनी, जमाकर्ता को ब्याज दर में वृद्धि का भुगतान करेगी, बशर्ते कि,

- (i) सार्वजनिक जमा राशि का नवीकरण इन निर्देशों के अन्य उपबन्धों के अनुसार और मूल संविदा की बाकी अविध से लम्बी अविध के लिए किया गया है; और
- (ii) सार्वजनिक जमाराशि की समाप्त हुई अवधि का ब्याज, उस दर से एक प्रतिशत बिन्दु कम कर दिया गया है, जिस दर पर आवास वित्त कंपनी ने सामान्तया भुगतान किया होता, यदि जमाराशि उस अवधि के लिए

स्वीकार की गई हाती, जिस अवधि के लिए ऐसी जमाराशि इस्तेमाल की गई थी; पहले ऐसी घटी हुई दर से अधिक भुगतान किया गया कोई भी ब्याज वसूल/समायोजित किया जाएगा।

# अनुमोदित प्रतिमूतियो की सुरक्षित अमिरक्षा

14 (1) प्रत्येक आवास वित्त कंपनी द्वारा, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की घारा 29ख के अनुसार विल्लंगमरिहत अनुमोदित प्रतिमूतियों को रखना आवश्यक है। इस संबंध में आवास वित्त कंपनी, जहां उसका पंजीकृत कार्यालय है, वहां इस आश्य से इसके द्वारा नामित किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को इसका उत्तरदायित्व सौंपेगी।

बशर्ते यह कि आवास वित्त कंपनी अपनी प्रतिभूतियों को, राष्ट्रीय आवास बैंक से लिखित में पूर्व स्वीकृति लेकर एवं राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा इस संबंध में विहित की गई शर्तों के अध्यधीन, स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन आफ इंडिया को सौंप सकती है।

बशर्ते यह भी कि, जब आवास वित्त कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय के अतिरिक्त, किसी अन्य स्थान पर अवस्थित नामित बैंक में संघटक सब्सिडियरी जनरल खाते के रुप में अपनी प्रतिमूतियां रखना चाहती है, तो वह राष्ट्रीय आवास बैंक से लिखित में पूर्व अनुमति लेकर ऐसा कर सकती है

(2) उपर्युक्त उप अनुच्छेद (1) में उल्लिखित प्रतिभूतियां जमाकर्त्ताओं की प्रसुविधा के लिए ऐसे अभिहित बैंक को सौंपी जाती रहेंगी और वह आवास वित्त कंपनी जमाकर्त्ताओं को पुनर्भुगतान करने के अतिरिक्त इन्हें न तो वापस लेगी, न ही भुनाएगी अथवा इनके संबंध में अन्यथा कार्रवाई नहीं करेगी।

# किंतु यह तब जबकि,

- (1) कोई भी आवास वित्त कंपनी ऐसी प्रतिमूतियों के एक माग को निकालने की हकदार होगी। प्रतिमूतियों का यह निकाले जाने वाला भाग उसकी जमाराशि में कमी के यथा अनुपात और उसके लेखा परीक्षकों से इस दिशा में विधिवत् अनुप्रमाणित होना चाहिए।
- (2) जहां आवास क्ति कंपनी ऐसी प्रतिभूतियों को प्रतिस्थापित करना चाहती हैं, तो वह ऐसे आहरण से पूर्व अमिहित बैंक को समान मूल्य की प्रतिस्थापन्न प्रतिभूति सौंप कर ऐसा कर सकती हैं।

#### स्पष्टीकरणः

"अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक" से 1934 के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम (1934 का 2) की द्वितीय अनुसूची में शामिल किसी बैंक से है किंतु कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा सहकारी बैंक इसमें शामिल नहीं हैं।

# कर्मचारी प्रतिमूति जमा -

15. अपने सामान्य कारोबार के दौरान, अपने किसी भी कर्मचारी से, उसके कर्तव्यों के उचित निष्पादन के लिए, प्रतिभूति जमा के रुप में कोई भी राशि प्राप्त करने वाली आवास वित्त कंपनी उस राशि को किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक मे या डाक घर में कर्मचारी और आवास वित्त कंपनी के संयुक्त नाम वाले खाते में इस शर्त पर रखेगी कि:-

- (1) ५६ कर्मचारी की लिखित सहमित के बिना राशि नहीं निकालगी; और
- (2) यह राशि कर्मचारी को ऐसे जमा खाते पर देय ब्याज सिहत प्रतिदेय होगी, बशर्ते कि इस या उसके किसी माग का , कर्मचारी की ओर से उसके कर्त्तव्यों के उचित निष्पादन में असफल रहने के कारण आवास वित्त कंपनी द्वारा विनियोजन न किया जाना हो। "

#### विज्ञापन और विज्ञापन के बदले विवरण

- 16 (1) सार्वजनिक जमाराशिया स्वीकार करने वाली प्रत्येक आवास वित्त कंपनी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी और विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (मंज्ञापन) नियम, 1977 के उपबंधों का अनुपालन करेगी और उसके तहत जारी किए जाने वाले प्रत्येक विज्ञापन में निम्नलिखित मी विनिर्दिष्ट करेगी.
- (क) जमाकर्ता को ब्याज, प्रीमियम, बोनस या अन्य लाभ के रूप में प्रतिफल की वास्तविक दर
- (ख) जमाकर्ता को भुगतान करने का ढंग,
- (ग) जमाराशियो की परिपक्वता अवधि:
- (घ) किसी विनिर्दिष्ट जमाराशि पर देय ब्याज
- (ड) यदि कोई जमाकर्ता, परिपक्वता सं पहले जमाराशियां निकालता है तब जमाकर्ता को दिए जाने वाली ब्याज की दर।
- (च) वे शर्ते और निबंधन जिनके अध्यधीन किरी जमाराशि का नवीकरण किया जाएगा, और
- (छ) उन शर्तो और निबंधनो से संबंधित अन्य विशेष **या**ो जिनके अध्यधीन जमाराशियां स्वीकार की जाती है/उनका नवीकरण किया जाता है।
- (ज) उसी समूह की कंपनियों अथवा अन्य हस्तियों, अथवा व्यापारी उद्यमों, जिनमें निदेशको और अथवा आवार त कंपनी पर्याप्त हित रखती है से (उनको प्रदत्त गैर निधि आधारिक सुविधाओं सहित) कृत देय राशियों तथः ऐसी हस्तियों के निवेश की कुल राशि से संबंधित सूचना।
- (2)जहां को आवास वित्त कंपनी, ं जिनक जमाराशियां आमंत्रित करने के लिए किसी व्यक्ति को आमंत्रित किए बिना या उसे अनुमित दिए बिना था उसे इसका निमित्त बनाए बिना जमाराशियां स्वीकार करना चाहती है, वहां यह ऐसी जमाराशियां स्वीकार करने से पहले वह राष्ट्रीय आवास बैंक के नई दिल्ली कार्यालय में पंजीकरण के लिए ं (-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और विविध गैर-जिंकंग कंपनी (विज्ञापन) नियम, 1977 के अनुसरण में विज्ञापन में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित सभी विवरणों के विज्ञापन के बदले में एक विवरण प्रस्तुत करेगी और यहां उपर्युक्त उप पैराग्राफ (1) उल्लिखित विवरण, जो पूर्वोक्त नियमों में बताए गए ढंग से विधिवत् हस्ताक्षरित हो।
- (3) उप-पैराग्राफ (2) के तहत दिया गया विवरण उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 6 महीने पूरे होने तक वैध होगा जिसमें उसे दिया गया है या उस तारीख तक जब तक कि आवास वित्त कंपनी की सामान्य बैठक में तुलन पत्र प्रस्तुत नहीं कर दिए जाते या जहां किसी वर्ष की वार्षिक सामान्य बैठक नहीं हुई है वहां कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के उपबंधों के अनुसार वह अद्यतन तारीख, जिस तारीख तक बैठक हो जानी चाहिए, इनमें से जो भी पहले हो और उस वित्तीय वर्ष में जमाराशियां स्वीकार करने से पहले प्रत्येक अगले वित्तीय वर्ष में नया विवरण दिया जाएगा।

#### शाखाएं खोलना

17. कोई भी आवास क्ति कंपनी, शाखा या कार्यालय खोलने से पहले, शाखा या कार्यालय खोलने के अपने इरादे के बारे में, लिखित में, राष्ट्रीय आवास बैंक को सूचित करेगी।

#### शाखाएं बंद करना

18. निक्षेप स्वीकार करने वाली कोई भी आवास वित्त कंपनी अपनी शाखा / कार्यालय को बंद करने के अपने प्रस्ताय के बारे में 90 दिन पहले राष्ट्रीय आवास बैंक को सूचित किये बिना तथा राष्ट्रीय स्तर के किसी एक सभाचार पत्र में और उस स्थान पर प्रसारित किसी एक स्थानीय समाचार पत्र में इस आशय की विज्ञित दिए बिना शाखा / कार्यालय बंद नहीं करेगी।

#### अध्याय - 3 विवेक सम्मत मानदंड

#### आय अमिज्ञान

- 19. (1) आय अमिज्ञान मान्यता प्रापत लेखांकन के सिद्धान्तों पर आधारित होगा।
- (2) ब्याज बट्टा अथवा अनुपयोज्य आस्तियों पर अन्य प्रमारों सिहत आय का अभिज्ञान केवल तमी किया जाएगा जब ये वास्तव में वसूल हो जाती हैं। आस्ति में अनुपयोज्य हो जाने और वसूली नहीं होने से पूर्व ऐसी कोई मी आय वापिस की जाएगी।
- (3) किराया खरीद आस्तियों के संबंध में, जहां किस्तें 12 महीने से अधिक के लिए अतिदेय हैं, वहां आय का अमिज़ान केवल तभी किया जाएगा जब किराया प्रमार वास्तव में प्राप्त हो जाते हैं। आस्ति के अनुपयोज्य हो जाने और वसूल नहीं होने से पूर्व लाम एवं हानि लेखा में जया करने के लिए ली गई ऐसी किसी अन्य आय को वापिस किया जाएगा।
- (4) पट्टा आस्तियों, के बारे में, जहां पट्टा किराये 12 महीने से अधिक के लिए अतिदेय होता है वहां आय का अभिज्ञान केवल तभी किया जाएगा जबकि पट्टा किराया वास्तव में प्राप्त हो जाता है। आस्ति अनुपयोज्य हो जाने एवं वस्तुन नहीं होने से पूर्व लाम एवं हानि लेखा में जमा करने को लिया निवल पट्टा वापस किया जाएगा।

स्पष्टीकरणः इस अनुच्छेद के प्रयाजीर्थ, निवल पघ्ट्टा किराए का अर्थ सकल पट्टा किराया होता है जो लाम एवं हानि लेखा में नामे डाले गए / जमा किए गए पट्टा समायोजन लेखा से समायोजित किया जाता है और जिसमें से कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV के अधीन लागू दर से अवक्षयण घटा दिया जाता है।

#### निवेश से आय

20 (1) निगमित निकायों एवं म्युचुअल फंड्स की यूनिटों पर लामांश से हुई आय को नकदी आधार पर लेखा में लिया जाएगा।

किंतु यह तब जबिक, निगमित निकार्यों के शेयरों पर लामांश से हुई आय को तब प्रोद्भवन आधार पर लेखा में लिया जाए जब ऐसा लामांश निगमित निकाय द्वारा अपनी साधारण बैठक में घोषित किया जाता है और भुगतान प्राप्त करने का आयास वित्त कंपनी का अधिकार स्थापित हो जाता है। (2) निगमित निकायों के बंधपत्रों / ऋणपत्रों से तथा सरकार की प्रतिभूतियों / बंधपत्रों से आय को प्रोद्भवन आधार पर लेखा में लिया जाए।

किंतु यह जब, जबकि इन लिखतों पर ब्याज की दर पूर्व अवधारित होती है तथा ब्याज नियमित रूप में प्राप्त होता है और बकाया राशि में नहीं रहता है।

(3) निगमित निकायों अथवा सार्वजनिक उपक्रमों की प्रतिभूतियों, जिसके ब्याज का भुगतान एवं मूलघन की गारटी केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार ने दे रखी है, पर आय को प्रोद्भवन के आधार पर लेखा में लिया जाए।

#### लेखांकन मानक

21. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (जिसे इन निर्देशों मे यथा भा0सं0ले0सं0 निर्दिष्ट किया गया है) की ओर से जारी लेखांकन मानक एवं दिशा निर्देश संबंधी टिप्पणियां का वहां तक पालन किया जाएगा, जहा वे इन निदेशों से असंगत नहीं हैं।

# निवेश हेतु लेखांकन

- 22 (1) प्रतिभूतियों में निवेश यथा वर्तमान एवं दीर्घावधि निवेश वर्गीकृत किया जाएगा।
- (2) कोई दीर्घाविध निवेश का मूल्य मा0र्स0ले0सं0 द्वारा जारी लेखांकन मानक के अनुसार लगाया जाएगा।
- (3) उद्घृत वर्तमान निवेश के मूल्यांकन के प्रयोजन से, निम्नलिखित श्रेणियो में समूहबद्ध किया जाएगा -
- (क) साम्य शेयर
- (ख) अधिमान शेयर
- (ग) ऋणपत्र एवं बंधपत्र
- (घ) राजकोष के बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियां
- (ड) म्युचुअल फंड्स की यूनिटें, और
- (च) अन्य

प्रत्येक श्रेणी के लिए उद्घृत वर्तमान निवेशों, का मूल्य लागत अथवा बाजार मूल्य में से जो अल्पतर है, पर लगाया जाएगा। इन प्रयोजनार्थ, श्रेणी के निवेश को प्रतिभूति, तथा लागत एवं बाजार मूल्य क्रम से माना जाएगा और यह सभी श्रेणियों के निवेशों का योग होगा। यदि किसी श्रेणी के लिए कुल बाजार मूल्य उस श्रेणी की कुल लागत से कम होता है तब निवल अवक्षयण प्रदान किया जाएगा अथवा लाम एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाएगा। यदि किसी श्रेणी के लिए कुल बाजार मूल्य उस श्रेणी के लिए कुल लागत से अधिक हो जाता है, तब निवल अवक्षयण की उपेक्षा कर दी जाएगी। निवेशों की एक ही श्रेणी में अवक्षयण को किसी अन्य श्रेणी में अधिमूल्यन के लिए मुजरा नहीं किया जाएगा।

(4) वर्तमान निवेश की प्रकृति में उद्धत नहीं किए गए साम्य शेयरों का मूल्य लागत अथवा अवशिष्ट मूल्य में से जो भी अल्पतर है, पर किया जाएगा। तथापि, यदि आवास वित्त कंपनियां आवश्यक समझती हैं, तब वे शेयरों के अविशष्ट (अलग-अलग) मूल्य के लिए उचित मूल्य प्रतिस्थापित कर सकती हैं। जहां निवेशी कंपनी का तुलनपत्र दो वर्षों तक उपलब्ध नहीं होता है, वहां ऐसे शेयरों का मूल्याकंन केवल एक रुपए पर किया जाएगा।

- (5) वर्तमान निवेश की प्रकृति में उद्धृत नहीं किए गए अधिमान शेयरों का मूल्य लागत अथवा अकित मूल्य निवल आस्ति मूल्य में से जो भी कम है, पर लगाया जाएगा। यदि निवल आस्ति मूल्य नगण्य है, तब इसका मूल्य शून्य पर लगाया जाना चाहिए।
- (6) उद्धृत नहीं की गई सरकारी प्रतिमूतियो अथवा सरकारी गारंटीकृत बंधपत्रों में निवेश का मूल्य वहनीय लागत पर किया जाएगा।
- (7) वर्तमान निवेशों की प्रकृति में, म्युयुअल फंड्स की यूनिटों में उद्धृत नहीं किए गए निवेश का मूल्य प्रत्येक योजना विशेष के संबंध में म्युचुअल फंड द्वारा धोषित निवल आस्ति मूल्य पर लगाया जाएगा।
- (8) वाणिज्यिक पत्रों का मूल्य वहनीय लागत पर किया जाएगा।

टिपणीः उद्धृत नहीं किए गए ऋण पत्रों को उनकी अवधि अनुसार, आय अभिज्ञान एवं आस्ति वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए एक दीर्घावधि ऋण अथवा ऋण सुविधाओं के अन्य प्रकार के रुप में माना जाएगा।

#### आस्ति वर्गीकरण

- 23 (1) प्रत्येक आवास वित्त कंपनी मलीमांति परिभाषित ऋण संबंधी कमजोरियों को और वसूली के लिए समर्थक प्रतिभूति पर कितनी निर्भरता है, उसको हिसाब में लेने के बाद, पट्टा / किराया खरीद की अपनी आस्तियों, ऋणो एवं अग्रिमों तथा ऋण के अन्य रुपों को निम्न लिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करेगी:-
- (i) मानक आस्तियां
- (ii) उप मानक आस्तियां
- (iii) संदिग्ध आस्तियां
- (iv) हानिप्रद आस्तियां
- (2) ऊपर निर्दिष्ट किए गए आस्तियों के वर्ग को तब तक पुनर्निर्धारण के एक परिणाम के रुप में समुन्नत नहीं किया जाएगा, जब तक कि यह उन्नयन के लिए अपेक्षित शर्तों को पूरी नहीं करता है।

#### प्रावधान संबंधी अपेक्षाएं

24 प्रत्येक आवास वित्त कंपनी, किसी लेखा का अनुपयोज्य बन जाने, इस रुप में, उसके अमिशान के बीध समयांतर, प्रतिभूति की वसूली तथा प्रमारित प्रतिभूति के मूल्य में समयोपिर कमी को लेखा में लेने के बाद, उपमानक आस्तियों, संदिग्ध आस्तियों एवं हानिप्रद आस्तियों के लिए यथा निम्नलिखित प्रावधान करेगी:-

खरीदे गए एवं भुनाए गए बिलों सहित, ऋणों अग्रिमो एवं अन्य ऋण सुविधाएं

- (1) खरीदे गए एवं भुनाए गए बिलों सहित, ऋणों अग्रिमों एवं अन्य ऋण सुविधाओं के लिए प्रावधान संबंधी अपेक्षाएं यथा निम्न होंगी-
- ।) हानिप्रद आस्तियां समस्त आस्तियों को बट्टे खाते डाल दिया जाएगा। यदि आस्तियो को किसी भी कारण से लेखा बहियों में रहने दिया

जाता है, तब 100 प्रतिशत बकाया के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए।

#### 2) संदिग्ध आस्तियां

- (क) उतने तक 100 प्रतिशत प्रावधज्ञान किया जाएगा जितने तक अग्रिम उस प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य में नहीं आ जाता जिसके लिए आवास वित्त कंपनी के पास वैध संसाधन है । वसूली योग्य मूल्य का अनुमान यथार्थ आधार पर किया जाएगा।
- (ख) उपर्युक्त मद (क) के अतिरिक्त, उस अवधि जिसमें आस्ति संदिग्ध रही है, पर निर्भर करते हुए प्रतिमूति अंश (अर्थात् बकाया राशियों के अनुमानित वसूली योग्य मूल्य) के 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक के लिए प्रावधान निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा -

जिस अवधि में आस्ति	प्रावधान का प्रतिशत
यथा संदिग्ध मानी गई	
एक वर्ष तक	20
एक से तीन वर्षों तक	30
तीन वर्षों से अधिक	50

3) उप मानक आस्तियां

कुल बकाया के 10 प्रतिशत का एक सामान्य प्रावधान किया जाना चाहिए।

पट्टा एवं किराया खरीद की आस्तियां

(2) किराया खरीद एवं पट्टाकृत आस्तियो के लिए प्रावधान संबंधी अपेक्षाए यथा निम्न होगी.-

किराया खरीद की आस्तिया

(i) किराया खरीद आस्तियों के सबंध में, (अतिदेय तथा भावी किस्तों को एक साथ मिलाकर) कुल देय राशि, जिसमें से लाभ एवं हानि लेखा में जमा नहीं किए गए और अपरिपक्व वित्त प्रभारों के रूप में यथा अग्रनीत, वित्त प्रभारों तथा पूर्वता प्राप्त आस्तियों के अवक्षयित मूल्य को घटाकर प्रावधान किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.

इस प्रयोजन से, आस्ति का अवक्षयित मूल्य अनुमान से संगणित किया जाएगा क्योंकि आस्ति की मूल लागत में से अवक्षयण 20 प्रतिशत वार्षिक की दर से, एक सीधी रेखा पद्धित में कम कर दिया जाएगा । प्रयोग में आ चुकी आस्तियों के संबंध में, मूल लागत ऐसी प्रयुक्त आस्तियों को अर्जित करने में उपगत वास्तवित लागत होगी।

किराया खरीद एवं पद्टाकृत आस्तयों के लिए अतिरिक्त प्रावधान

(ii) किराया खरीद एवं पट्टाकृत आस्तियो के संबंध में, अतिरिक्त प्रावधान निम्न प्रकार से किया जाएगा.-

- (क) जहां किराया प्रभारो अथवा पट्टा किराए की "शून्य" प्रतिशत कोई राशि 12 महीने तक अतिदेय रहती हैं -
- (ख) जहां किराया प्रभारो अथवा पट्टा किराए की निवल बही मूल्य का 10 प्रतिशत कोई राशि 12 महीने से अधिक किंतु 24 महीनों तक अतिदेय रहती हैं -
- (ग) जहां किराया प्रभारो अथवा पट्टा किराए की निवल बही मूल्य का 40 प्रतिशत कोई राशि 24 महीने से अधिक किंतु 36 महीनो तक अतिदेय रहती है -
- (घ) जहां किराया प्रभारो अथवा पट्टा किराए की निवल बही मूल्य का 70 प्रतिशत कोई राशि 36 महीने से अधिक किंतु 48 महीनो तक अतिदेय रहती है -
- (ड) जहां किराया प्रमारों अथवा पट्टा किराए की निवल बही मूल्य का 100 प्रतिशत कोई राशि 48 महीनो से अधिक के लिए अतिदेय रहती है-
- (iii) किराया खरीद पट्टाकृत आस्तियों की अंतिम किस्त की देय तारीख के बाद 12 महीनों की अवधि समाप्त हो जाने पर, संपूर्ण निवल बही मूल्य के लिए पूर्णत. प्रावधान किया जाएगा।

#### टिप्पणियां:

- (क) किराया खरीद करार के अनुसरण में, उधारकर्ता आवास क्ति कंपनी के पास रखी गई अवधज्ञन राशि मार्जिन राशि प्रतिभूति की राशि को उपर्युक्त खंड (i) के अधीन निर्धारित प्रावधानों के लिए काट ली जाए, यदि करार में मासिक किस्तों को समान बनाते समय पहले से ही हिसाब में नहीं ली गई हैं। किराया खरीद करार के अनुसरण में उपलब्ध अन्य किसी प्रतिभूति मूल्य की कटौती केवल उपर्युक्त खंड (ii) में निर्धारित प्रावधानों के लिए ही की जाए।
- (2) पट्टा करार के अनुसरण में उपलब्ध किसी अन्य प्रतिभूति मूल्य के साथ पट्टा करार के ही अनुसरण में उधारकर्ता द्वारा आवास वित्त कंपनी के पास रखं। गई प्रतिभूति की राशि की कटौती केवल उपर्युक्त खंड (ii) में निर्धारित प्रावधानों के लिए ही की जाए।
- (3) यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुपयोज्य आस्तियों पर आय अभिज्ञान एवं उनके लिए प्रावधान किया जाना, विवेक सम्मत मानदंडों के दो मिन्न प्रश्न है तथा मानदंडों के अनुसार प्रावधान, पट्टा समायोजन लेखा में, यदि कोई शेष राशि होती है, तब उसे समायोजित किया जाने के बाद, संदर्माधीन पट्टाकृत आस्ति के अवक्षयित बही मूल्य सहित अनुपयोज्य आस्तियों की कुल बकाया शेष राशियो पर प्रावधान किया जाना आवश्यक होता है। इस तथ्य, कि अनुपयोज्य आस्तियों पर आय का अभिज्ञान नहीं किया गया है, को प्रावधान नहीं किया जाने का कारण नहीं माना जा सकता है।
- (4) इन निर्देशों के अनुच्छेद ् (:) (र) में यथा निर्दिष्ट कोई आस्ति, जिस पर पुनः बातचीत हो चुकी है अथवा पुनर्निर्घारित की जा चुकी है, ६८ एक उप मानक आस्ति होगी अथवा उसी वर्ग में बनी रहेगी जिसमें वह यथा स्थिति, एक संदिग्ध आस्ति अथवा एक हानिप्रद आस्ति के रूप में पुनः बातचीत करके तय किए जाने अथवा पुन्दिनिधरित किए जाने से पूर्व थी । ऐसी आस्ति के लिए यथा लागू आवश्यक प्रावधान तब तक

किया जाना अपेक्षित है, जब तक इसे समुन्नत नहीं किया जाता है। जहां किसी आस्ति को, ऐसी प्राकृतिक आपदाओ, जिन्हे उधारकर्ता की पुनर्भुगतान क्षमता को क्षीण कर दिया है, के कारण पुनर्निधारित किया गया है, जैसा अनुच्छेद 2 (1) (र) के द्धितीय परंतुक मे दिया गया है, वहां ऐसे पुनर्निधारण से पूर्व किया गया कोई प्रावधान न तो पुनरांकित किया जाएगा, न ही प्रावधान संबंधी ऐसी अपेक्षाओं के लिए समायोजित किया जाएगा जो कि भविष्य में उत्पन्न हो सकती हैं।

### तुलनपत्र मे प्रकटीकरण

- 25. (1) प्रत्येक आवास वित्त कंपनी उन प्रावधानों को, उन्हें आय से घटाए बिना अथवा आस्तियों के मूल्य से घटाए बिना तुलनपत्र में पृथक रुप से प्रकट करेगी जो प्रावधान उसने उपर्युक्त अनुच्छेद 24 के अनुसार किए हैं।
- (2) ये प्रावधान पृथक रुप से आवास एवं गैर आवा सवित्त व्यापार के लिए और व्यैक्तिक रुप से प्रत्येक प्रकार की आस्ति के लिए पृथक लेखा शीर्ष में स्पष्टतया निम्नानुसार उपदर्शित किए जाएंगे:-
- (क) उप मानक, संदिग्ध एवं हानिप्रद आस्तियों के लिए प्रावधान
- (ख) निवेश मे अवक्षयण के लिए प्रावधान।
- (3) ऐसे प्रावधानों का सामान्य प्रावधानों तथा रखी गई हानि आरक्षित निधियों यदि कोई हैं, से आवास वित्त कंपनी, द्वारा विनियोग नहीं किया जाएगा।
- (4) प्रत्येक वर्ष के लिए, ऐसे प्रावधान लाभ एवं हानि लेखा में नामे डाले जाएंगे। सामान्य प्रावधान एवं हानिप्रद आरक्षित निधि शीर्ष में रखे, अतिरिक्त प्रावधान, यदि कोई है, को उनके लिए समायोजित किए बिना पुनरांकित किए जाएं।

पूंजी पर्याप्तता के बारे मे अपेक्षाएं

- 26 (1) प्रत्येक आवास वित्त कंपनी टियर -1 एवं टियर 2 पूंजी का एक न्यूनतम पूंजी अनुपात रखेगी, जो निम्नलिखित से कम नहीं होगा -
- (i) 31 मार्च, 2001 को अथवा इससे पूर्व 10 प्रतिशत; और
- (ii) 31 मार्च, 2002 को अथवा इससेपूर्व 12 प्रतिशत

उपर्युक्त प्रतिशत उसकी कुल जोखिम भारित आस्तियों का और तुलनपत्र बाह्य मदों के जोखिम समायोजित मूल्य का होगा।

(2) किसी भी समय् कुल टियर - 2 पूंजी टियर - 1 पूंजी के 100 प्रतिशत अधिक नहीं होगी।

तुलनपत्र की आस्तियो पर स्पष्टीकरणः

(1) इन निर्देशों में प्रतिशत भार के रुप में अभिव्यक्त ऋण जोखिम की मात्रा तुलनपत्र की आस्तियों को समनुदेशित की गई है। इसलिए, प्रत्येक आस्ति / मद के मूल्य को आस्तियों का जोखिम समायोजित मूल्य निकालने के लिए सुसंगत जोखिम भारों से गुणा किया जाना अपेक्षित है। कुल योग को न्यूनतम पूंजी

अनुपात की गणना करने के लिए हिसाब में लिया जाएगा। जोखिम भारित आस्तियों को यथा निधिकृत मदों के भारित कुल योग परिकलित किया जाएगा, जिसका विवरण नीचे दिया जाता है:-

भारित आस्तियों अर्थात तुलन पत्र की मदें	प्रतिशत भार
<ol> <li>(i) मीयादी जमाराशियों और बैंको के पास जमाराशियां के प्रमाणपत्रो सहित नकदी और बैंक शेष राशियां</li> </ol>	0
(2) निवेश	
(क) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 में परिमाषित अनुमोदित प्रतिमूर्ति (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बंधपत्र एवं जमाराशियां / जमाराशि प्रमा	
/ सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के बंधपत्र	20
(ग) यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया की यूनिटें	20
(घ) सभी कंपनियों के शेयर में उपरोक्त ख) में उल्लेखरहित कंपनियों के डिबेचर / बाण्ड्स एवं वाणिज्यिक पत्र एवं उपरोक्त ग) के अतिरिक्त म्युअचल फंड्स यूनिटे	त अन्य
(3) (क) व्यैक्तिको को दिए गए अचल संपत्ति बंधक समर्थित आवास ऋण जो कि मानक आस्ति के रुप मे निर्दिष्ट हैं एवं जहां ऋण का मूल्य अन 75 प्रतिशत से अधिक नहीं है	
(ख) अन्य आवास ऋण	100
<u>(</u> 4) चालू आस्तियां	
(क) किराये पर स्टाक (कृपया अगले पृष्ठ पर टिप्पणी 2 देखे )	100
(ख) अंतरनिगमित ऋण / जमाराशियां	100
(ग) कंपनी की अपनी जमाराशियो द्वारा पूर्णत. जमानती ऋण और अग्रि	_
(घ) स्टाफ को ऋण	0
(ङ) अच्छे समझे गये अन्य जमानती ऋण और अग्रिम	100
(च) खरीदे   भुनाये गये बिल (छ) अन्य (उल्लेख करे )	100 100
(छ) अन्य (उल्लंख पर )	100
(5) अचल आस्तियां (निवल मूल्यहास)	
(क) पट्टे पर दी गयी आस्तियां (निवल बही मूल्य)	100
(ख) परिसर	100
(ग) फर्नी वर और जुडनार	100
(घ) अन्य अचल आस्तियां (उल्लेख करे)	100
(6) अन्य आस्तियां	
(क) स्रोत पर काटा गया आय -कर (निवल प्रावधान)	0
(ख) भुगतान किया गया अग्रिम कर (निवल प्रावधान	0
(ग) सरकारी प्रतिभूतियो पर देय ब्याज	0
(घ) अन्य (उल्लेख करे )	100

- (1) घटाए जाने का कार्य केवल उन आस्तियों के संबंध में कियाजाए, जिनमें प्रावधज्ञन अवक्षण के लिए अथवा अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए किया गया है।
- (2) किराए पर लिया माल वित्तीय प्रभारो अर्थात् ब्याज एवं वसूली योग्य अन्य प्रभारों को घटा कर दर्शाया जाना चाहिए।
- (3) उन आस्तियों, जो अनु0 2 (1) (श) के अनुसरण में, टियर I पूजी निकालने के लिए स्वाधिकृत निधि से काट ली गई है, को "0" की भारिता मिलेगी।

#### तुलनपत्र बाह्य मदे

(2) इन निर्देशों में, तुलनपत्र बाह्य मदों से जुड़ी ऋण जोखिम निवेश की मात्रा को ऋण संपरिवर्तन कारक के एक प्रतिशत रूप में अमिव्यक्त किए गए हैं। अर्थात् प्रत्येक मद के अंकित मूल्य को तुलनपत्र बाह्य मदों का जोखिम समायोजित मूल्य निकालने के लिए, पहले सुसंगत संपरिवर्तन कारक से गुणा किया जाना आवश्यक है। कुल योग को न्यूनतम पूंजी अनुपात की गणना के लिए हिसाब में लिया जाएगा। तुलनपत्र बाह्य मदों के जोखिम भारित मूल्य को गैर निधिकृत मदों के ऋण संपरिवर्तन कारकों के अनुसार परिकलित किया जाएगा, जिसका विवरण नीचे दिया जाता है.-

	मद का विवरण	ऋण संपरिवर्तन कारके (प्रतिशत)
i)	संस्तुत परंतु असंवितरित आवास ऋण	50
ii)	वित्तीय एवं अन्य गारंटियां	100
iii)	शेयर डिबेचर के हामीदारी दायित्व	50
iv)	अंशत प्रदत्त शेयर डिबेचर	100
v)	बट्टाकृत पुन. बट्टाकृत बिल	100
vi)	तय परंतु अनिष्पादित पट्टा करार	100
vii)	अन्य संभाव्य देयताएं (उल्लेख करे)	50

किंतु यह तब, जबिक, उपर्युक्त मद (1) में, उन मामलों, जिनमे कोई प्रलेख निष्पादित नहीं किया गया है, मे कोई संवितरण नहीं हुआ है, और यदि समय के क्रम में संस्वीकृत व्यपगत हो जाती है तथासंमावित उधारकर्त्ता को इस दिशा में नोटिस दे दिया जाता है, तब ऋण संपरिवर्तन कारक को यथा 0 प्रशितत माना जाएगा और आशिंक रूप में संवितरित आवास ऋणों के मामले में, ऋण संपरिवर्तन कारक को यथा 50 प्रतिशत माना जाएगा।

टिप्पणी . नकदी मार्जिन / जमाराशियां की कटौती संपरिवर्तन कारक लागू किया जाने से पूर्व की जाएगी।

भूमि, भवन और उद्धृत नहीं किए शेयरों में निवेश पर प्रतिबंध

27 (1) कोई भी आवास वित्त कंपनी, जो सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार कर रही हैं, निम्नलिखित में निवेश नहीं करेगी

- (क) अपने निजी उपयोग के अतिरिक्त, भूमि अथवा भवन में अपनी स्वाधिकृत निधि के 10 प्रतिशत से अधिक की राशि
- (ख) किसी अन्य कंपनी, जो कि सहायक कंपनी नहीं हैं, अथवा आवास वित्त कंपनी के उसी समूह की कंपनी नहीं है के उद्घृत नहीं किए गए शेयरों में अपनी स्वाधिकृत निधि के 10 प्रतिशत से अधिक की राशि,-

किंतु यह जब तब कि, अपने ऋण के शोधन में अर्जित मूमि, अथवा भवन अथवा उद्धृत नहीं किए शेयर उस आवास वित्त कंपनी द्वारा ऐसे अर्जन की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के भीतर अथवा ऐसी किसी अवधि, जो कि राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा बढ़ा दी गई है, के भीतर, निपटा दिए जाएंगे, यदि उस आवास वित्त कंपनी की ओर से पहले से ही रखे गई ऐसी आस्तियों के साथ साथ इन आस्तियों में निवेश उपर्युक्त उच्चतम सीमा से अधिक हो जाता है।

इसके अतिरिक्त, यह भी कि इन निर्देशों के प्रारंभ होने की तारीख से, यहां विनिर्दिष्ट उच्चतम सीमा से अधिक कपनी द्वारा धारित उद्धृत नहीं किए गए शेयर अथवा मवन अथवा भूमि को निपटा दिया जाएगा जिससे कि ऐसी धारिता को वह आवास वित्त कंपनी इन निर्देशों के प्रारंभ की तारीख से 3 वर्षों के भीतर अथवा ऐसी अवधि, जो राष्ट्रीय आवास बैक द्वारा बढ़ा दी जाती है, के भीतर कथित उच्चतम सीमा से नीचे ला सके।

#### ऋण / निवेश का सकेन्द्रण

- 28 (1) कोई भी आवास वित्त कपनी निम्नलिखित नहीं करेगी.-
- (i) किसी
- (क) एकल उधारकर्त्ता को अपनी स्वाधिकृत निधि के 15 प्रतिशत से अधिक उधार नहीं देगी,
- (ख) उधारकर्त्ताओं के किसी एकल समूह को अपनी स्वाधिकृत निधि के 25 प्रतिशत से अधिक उधार नहीं देगी।
- (ii) निम्नलिखित मे निवेश नही करेगी-
- (क) किसी अन्य कपनी के शेयरों में अपनी स्वाधिकृत निधि के 15 प्रतिशत से अधिक,
- (ख) कपनियों के एक एकल समूह के शेयरों में अपनी स्वाधिकृत निधि के 25 प्रतिशत से अधिक।
- (3) निम्नलिखित को निम्न सीमा से अधिक (एक साथ ऋण / निवेश) उधार नहीं देगी / निवेश नहीं करेगी -
- (क) एक एकल पक्ष को अपनी स्वाधिकृत निधि के 25 प्रतिशत से अधिक
- (ख) किसी एक एकल समूह के पक्षों को अपनी स्वाधिकृत निधि के 40 प्रतिशत से अधिक
- (2) यहां ऊपर विनिर्दिष्ट एव इन निर्देशों के प्रारंभ होने की तारीख को विधमान उच्चतम सीमा से अधिक आवास वित्त कंपनी द्वारा किया गया निवेश तथा प्रदत्त कोई ऋण उस आवास वित्त कंपनी द्वारा यथा समय पुनर्भुगतान की अनुसूची के अनुसार नीचे लाया जाएगा।

टिप्प्णी:

- (1) ऊपर लिखी सीमा को अवधारित करने के प्रयोजन से, तुलनपत्र बाह्य निवेश को यहां ऊपर स्पष्ट किये गए संपरिवर्तन कारको को लागू करके ऋण जोखिम में परिवर्तित किया जाए।
- (2) उपर्युक्त प्रयोजन के लिए, ऋण पत्रों में निवेश को यथा ऋण समझा जाए न कि निवेश।
- (3) ऋण निवेश पर उपर्युक्त उच्चतम सीमा उद्यारकर्त्ताओं निवेशी कंपनियों के अतिरिक्त अपने समूह की आवास वित्त कंपनियों के लिए लागू होंगी।

लेखा परीक्षकों को निर्देश

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में निर्दिष्ट विषय शामिल हो

29. ये निर्देश प्रारंभ होने के बाद आवास वित्त कंपनियों के लेखा पर कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की घारा 227 के अन्तर्गत परीक्षकों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अतिरिक्त, लेखा परीक्षक नीचे दिए गए अनुच्छेद 30 और 31 में निर्दिष्ट मामलों पर कंपनी के निदेशक मण्डल को भी रिपोर्ट मेजेंगे ।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल होने वाले विषय

- 30. आवास वित्त कंपनियों के लेखा पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में निम्नलिखित विषयों पर एक विवरण दिया जाए—
- (i) यदि आवास वित्त कंपनी की स्थापना 12 जून, 2000 से पहले हुई हो तो क्या उसने राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनिमय, 1987 की घारा 29क के अनुसार यथा अपेक्षित पंजीकरण के लिए आवेदन किया है और क्या उसे अपने पंजीकरण का प्रमाणपत्र मिलने या न मिलने के बारे में राष्ट्रीय आवास बैंक से कोई पत्र मिला ।
- (ii) यदि आवास वित्त कंपनी की स्थापना 12 जून, 2000 को या उसके बाद हुई हो तो क्या उसे रा0आ0बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र मिला ;
- (iii) क्या क्षाप्त कंपनी ने राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29ख में किए उल्लेखानुसार चल निष्टि को अनुपालन किया और प्रतिभूतियों को नामित बैंक में रखा ;
- (iv) क्ल वित्त कंपनी ने राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29म का अनुंपालन किया ;
- (v) क्या आवास वित्त कंपनी ने इन निर्देशों के उपबंधों का अनुभारान किया ;
- (vi) क्या रा0आ0बैंक को प्रस्तुत विवरणी में उल्लिखित पूंजी पयाप्तवा अनुपात का ठीक ठीक निर्धारण किया गया है और क्या यह अनुपात उन निर्देशों मे रा0आ0बैंक द्वारा उल्लिखित जोखिमवाली आस्ति अनुपात के न्यूनतम पूंजी के अनुरुप है;
- (vii) जहां आवास वित्त कंपनी जनता से निक्षेप स्वीकार / घारित कर रही है; क्या
- (क) आवास वित्त कंपनी द्वारा स्वीकृत सार्वजनिक निक्षेप अनुमत्य सीमा के अन्तर्गत है;
- (ख) आवास वित्त कंपनी के कुल ऋण अर्थात् सार्वजनिक निक्षेप सिंहत निक्षेप तथा भा0रि0बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आई की उपघारा (खख) के उप खंड (iii) से (vii) में उल्लिखित राशि या रा0आ0बेंक से प्राप्त ऋण या अन्य सहायता राशि इन निर्देशों में निर्दिष्ट सीमा के भीतर है;
- (ग) आवास वित्त कंपनी द्वारा अनुमत्य सीमा से अधिक धारित निक्षेपों को रा0आ0बैंक द्वारा निर्दिष्ट विधि से नियमित कराया गया है.

- (घ) निक्षेपों के लिए ऋण पात्रता निर्धारण अर्थात् (पात्रता का उल्लेख करे) ऋण पात्रता निर्धारण एजेसी द्वारा निर्धारित पर (तारीख) लागू है और वर्ष के दौरान किसी समय बकाया कुल निक्षेप ऋण पात्रता निर्धारण एजेसी द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक हो गई,
- (ड) आवास वित्त कंपनी अपने जमाकर्त्ताओं को उनके निक्षेपों पर ब्याज का मुगतान करने और / या मूलधन लौटाने में विफल रही जबकि वह ब्याज और / या मूलधन देय हो चुका था ;
- (च) सार्वजनिक जमाओ को स्वीकार करने के लिए नई शाखाएं या कार्यालय खोलने या शाखाएं या कार्यालय बंद करने के मामले में, आवास वित्त कंपनी ने इन निर्देशों के संगत प्रावधानों का अनुपालन किया ,
- (viii) जहां आवास वित्त कंपनी सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार नहीं करती है वहा क्या
- (क) निदेशक मंडल ने सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार न करने के बारे मे कोई प्रस्ताव पास किया ।
- (ख) कंपनी ने विचाराधीन अवधि / वर्ष क दौरान कोई सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार किया ।
- (ग) कंपनी ने विवेक सम्मत मानदंडो का अनुपालन किया ।

प्रतिकूल या सापेक्ष विवरण के लिए कारणों का उल्लेख करे

31. जहां, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में, उपरोक्त अनुच्छेद 30 में उल्लिखित किसी मद के बारे में दिया गया विवरण प्रतिकूल या सापेक्ष हो तो लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में उस प्रतिकूल या सापेक्ष विवरण देने, जो भी मामला हो, के कारणों का उल्लेख किया जाए। जब लेखा परीक्षक उपरोक्त अनुच्छेद 30 में उल्लिखित किसी मद के बारे में अपना मत व्यक्त करने में असमर्थ हो, तो लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कारणों सिहत इस आशय का भी उल्लेख किया जाएगा।

राष्ट्रीय आवास बैंक को रिपोर्ट भेजने के लिए लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

32. जहां, आवास वित्त कंपनी के मामले में, उपरोक्त अनुच्देद 30 में उल्लिखित किसी मद के बारे में विवरण प्रतिकूल या सापेक्ष हो या लेखा परीक्षक की राय में कंपनी ने इन निर्देशों के प्रावधानों या अधिनियम के अध्याय - V के प्रावधानों का अनुपालन न किया हो तो लेखा परीक्षक का यह उत्तरदायित्व होगा कि उस प्रतिकूल या सापेक्ष विवरण के ब्यौरे और / या अनुपालन न करने के बारे में, जो भी मामला हो, रिपोर्ट में दें और उसे नई दिल्ली स्थित रा0आ0बैंक के मुख्य कार्यालय को भेजें।

अध्याय - 5 - विविध

आवास वित्त कंपनी के अपने शेयरों के आधार पर ऋण देने पर रोक

- 33. (1) कोई भी आवास वित्त कंपनी अपने शेयरों के आधार पर ऋण नहीं देगी।
  - (2) किसी आवास वित्त कंपनी द्वारा इन निर्देशों के लागू होने की तारीख पर अपने ही शेयरों के आधार पर दिए गए बकाया ऋण की वसूली आवास वित्त कंपनी द्वारा पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार की जाएगी।

सार्वजनिक निक्षेप लौटाने में असफल आवास वित्त कंपनियों पर ऋण देने तथा निवेश करने पर रोक

34. आवास वित्त कंपनी जो कोई सार्वजनिक निक्षेप या उसके अंश को अधिनियम की धारा 36 क (1) में उल्लिखित निक्षेप शर्तों के अनुसार लौटाने में विफल रही, वह कंपनी चूककर्ता रहने तक किसी भी नाम से कोई ऋण या कोई अन्य आस्ति का सृजन नहीं कर सकेगी।

लेखा समिति का गठन

36. जिस आवास वित्त कंपनी की आस्ति उसकी पिछली संपरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार 50 करोड़ रुपए या अधिक होगी वह लेखा परीक्षा समिति का गठन करेगी जिसमें बोर्ड में कम से कम 3 गैर कार्यकारी निदेशक होंगे।

#### लेखा वर्ष

36. प्रत्येक आबास वित्त कंपनी 31 मार्च, 2002 को समाप्त लेखा वर्ष से प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को अपना तुलनपत्र तथा लाम एवं हानि लेखा तैयार करेगी। बशर्ते कि यदि किसी आवास वित्त कंपनी का लेखा वर्ष 31 मार्च, 2002 के बजाए किसी अन्य को समाप्त होता है तो वह आवास वित्त कंपनी 31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के बीच अंतराल अविध का अपना तुलनपत्र और लाम एवं हानि लेखा तैयार करेगी।

तुलनपत्र और लेखा की प्रतियों के साथ निदेशक की रिपोर्ट राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रस्तुत किया जाना

37. प्रत्येक आवास वित्त कंपनी प्रत्येक वित्त वर्ष की अंतिम तारीख को संपरीक्षित तुलनपत्र तथा आम सभा में आवास वित्त कंपनी द्वारा अनुमोदित उस वर्ष का संपरीक्षित लाभ एवं हानि लेखा के साथ कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 217 (1) की शर्तों के अनुसार उस बैठक में आवास वित्त कंपनी के समक्ष प्रस्तुत निदेशक मण्डल की रिपोर्ट की एक प्रति के साथ बैठक की तारीख से 15 दिन के अंदर राष्ट्रीय आवास बैंक को मेजेगी, इनके साथ ही उसके लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा लेखा टिप्पणियों की एक प्रति भी मेजी जाए ।

#### लेखा परीक्षक अस्तरापत्र

39. (1) सार्वजिनक निक्षेप धारित / स्वीकार करने वाली प्रत्येक आवास वित्त कंपनी अनुच्छेद 37 में किए उल्लेखानुसार संपरीक्षित तुलनपत्र की एक प्रति, निदेशक मंडल को प्रस्तुत लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की एक प्रति तथा उसके लेखा परीक्षकों द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रस्तुत करेगी कि जमाकर्ताओं के प्रति कंपनी की संपूर्ण राशि देयता को तथा उस पर देय ब्याज को तुलनपत्र में सही रूप से दर्शाया गया है एवं कंपनी इन सभी देयताओं की राशि का मुगतान करने की स्थिति में है।

# राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रस्तुत की जानेवाली विवरणियां

- 39. (1) अनुच्छेद 37 के प्रावधानों के होते हुए भी, प्रत्येक आवास वित्त कंपनी रा0आ0बैंक को प्रत्येक वर्ष यथा 31 मार्च को कंपनी स्थिति के बारे में इन निर्देशों की अनुसूची I में विनिर्दिष्ट सूचना के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट, प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर एवं 31 मार्च को कंपनी की स्थिति के संबंध में इन निर्देशों की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट सूचना के संबंध में छमाही विवरणी और प्रत्येक कलैण्डर वर्ष की तिमाही के अंत में कंपनी की स्थिति के बारे में अनुसूची III में विनिर्दिष्ट सूचना के संबंध में तिमाही विवरणी मेजेगी।
- (2) (i) प्रत्येक आवास कित कंपनी, अपना व्यवसाय आरंभ करने से एक माह के भीतर, रा०आ०वैंक को निम्नलिखित सूची के अनुसार एक लिखित विवरण प्रस्तुत करेगी—
- (क) अपने प्रमुख अधिकारियों को नाम और कार्यालय में उनका पद;
- (ख) पंजीकृत / कारपोरेट कार्यालय का पूरा डाक पता, टेलीफोन नंबर और फैक्स नंबर,
- (ग) कंपनी के लेखा परीक्षकों के नाम और कार्यालय का पता ,

- (घ) आवास वित्त कंपनी के निदेशकों के नाम और निवास स्थान का पता; और
- (উ) आवास वित्त कपनी की ओर से उप अनुच्छेद (1) में उल्लेखित विवरणियो पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के हस्ताक्षरों के नमूने ।
- (ii) इस उप अनुच्छेद के खंड (1) में उल्लिखित सूची में किस। भी संशोधन के बारे में, संशोधन करने की तारीख से एक माह के भीतर इस आश्य की सूचना राष्ट्रीय आवास बैंक को भेजी जाएगी।

नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आवास बैक के कार्यालय को प्रस्तुत किया जाने वाला तुलनपत्र, विवरणिया आदि

40 इन निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रस्तुत / प्रेषित की जाने वाली विवरणियों, तुलनपत्र या सूचना नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यालय को प्रस्तुत / प्रेषित की जाए।

छूट

41. राष्ट्रीय आवास बैंक, यदि किसी किठनाई को दूर करने या किसी अन्य उचित और पर्याप्त कारण के लिए वह यह आवश्यक समझता है तो राष्ट्रीय आवास बैक द्वारा यथा अधिरोपित ऐसी शर्तों के अध्यधीन या तो सामान्य रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अविध के लिए इन निर्देशों के सभी या किन्हीं प्रायधानों का अनुपालन करने या उससे छूट देने के लिए किसी आवास वित्त कंपनी या आवास वित्त कंपनियों के वर्ग को समयाविध बढ़ाने की मंजूरी दे सकता है।

#### व्याख्या

42 इन निर्देशों के प्रावधानों को प्रभावी करने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय आवास बैंक, यदि आवश्यक समझे, इसके अन्तर्गत आने वाले किसी भी मामले में अपेक्षित स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा इन निर्देशों के किसी भी प्रावधान की नई व्याख्या अंतिम होगी और सभी पक्षों पर बाध्य होगी।

आवास वित्त कंपनी (रा0आ0बैक) निर्देश, 1989 के उल्लंघन के लिए की गई या की जाने वाली कार्रवाई से वचाव।

- 43 एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि समय-समय पर यथासंशोधित आवास वित्त कंपनी (रा०आ०बैंक) निर्देश, 1989 का अधिक्रमण किसी भी स्थिति में निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगाः
- (i) उसके तहत अर्जित, प्रोदभूत या उपगत कोई अधिकार, **बाध्य**ता या दायित्व;
- (ii) उसके तहत किए गए किसी उल्लंघन के संबंध में उपगत कोई शास्ति, समपहरण या दंड;
- (iii)पूर्वोक्त के अनुसार ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दंड के संबंध में कोई जांच, कानूनी कार्यवाही या उपचार।

और स्थापित की गई, जारी की गई या प्रवृत्त की गई ऐसी कोई जांच कानूनी कार्यवाही या उपचार और अधिरोपित की जा सकने वाली ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दंड जैसा कि मानों इन निर्देशों का अधिक्रमण नहीं किया गया है।

(शेखर् अग्रवाल) अध्यक्ष

# अनुसूची-। (आयास वित्त कंपनी (रा०आ०बैंक) निर्देश, 2001 का अनुच्छेद 39 देखें) (अनुच्छेद 14 देखे) यथा 31 मार्च को विवर्गा।

(विवरणी मरने से पूर्व अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढें)

गादीय आवारा पेक द्वारा भरा जाएगा	
फाईल रा0	
आई दे। राठ	
व्यापार की प्रकृति	
जिला को द	
राज्य को इ	

					राज्य को इ			
1.		का नाग इर स्थायी खाता सं	0					
2	ग ( <b>i</b> )	जीकृत कार्यालय व	न पूरा	पता <sup>.</sup>				
			-,		गिनकोः	ਤ		
			टेलीफ	ोन	 फैक्स		 ई-मेल	
				Ŧ	टेलीग्रा	फ 		<del></del>
(;;)	पुरुष / उ	उपासनिक कामलि	य का पृ			गर्यालय <sup>.</sup>		<del></del>
				<del></del>	गिनकोड	······································	_	
		;		न	फैक्स		_ई-मेल _	
			टेलेवर	Ţ,	टेलीग्राफ			
3.	वया २	तरकारी कंपनी है			Ē	ां / नहीं		
4.	राज्य/	केन्द्र शासित प्रदेश	េចាន់	कंपनी पंजीकत	<b>*</b> :			
5		. + <b>1</b> . पब्दि		_		)		
		2. मानि	ात पन्टि	ाक कंपनी	-	, )		
		<b>3</b> . प्राङ्	ोट शि	ਪੇ <mark>ਟੇ</mark> ਫ	(	)		
		4. किर	ो विदेश	ी कंपनी की श	<b>ा</b> खा	()		
					_	गास गास	वर्ष वर्ष	वर्ष वर्ष
G.	िम्नि	नेखित की तारीख	(i)	निगमित होने	की			
			-, ,	व्यापार पारम	करने की			
			(iii)	कंपनी के वि	त वर्ष की			
7	( <b>i</b> )	संस्था के वर्हिनि	यमो में	यथा सन्होसिक	त, कंपनी का	मुख्य उद्देश	य	
	(ii)	रिपोटिधीन वर्न	में कंप	ी द्वारा निल्या ग	ागा मुख्य व्या	गार		
	(iii)	रिपोर्ट्सभीन वर्ष	मे ही तं	हेपनी द्वारा किए	मण् अस्य त	rats		

8. क्या कपनी ने राष्ट्राय आवारा बैक अधिनियम, 1987 के अनुसार राष्ट्रीय आवास वैक में पजीकरण के लिए आवेदन किया है : हां / नहीं

यदि हां, तब आवेदन की तारीख बताएं और यदि पहले से ही पंजीकृत है, तो राष्ट्रीय आवास बैंक द्धारा आवंटित पंजीकरण की संख्या दें:

- 9. शाखाओं / कार्यालयों की सं0 @
- 10 कर्मचारियों की कुल सं0
- (i) पूर्णकालीक
- (ii) अंशकालीक
- (iii) अवैतनिक आधार पर
- 11 क्या कंपनी के शेयर किसी शेयर बाजार में सूचीवद्ध है, यदि हां, तब शेयर बाजार/ (रों) का नाग नताएं
- 12. वया विवेक सम्मत मानदंडो पर अर्धवार्षिक विवरणी राष्ट्रीय आवास बैक में, इस विवरणी की तारीख से प्रस्तुत की गई है : हां / नहीं यदि हां, तब विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि बताएं
- 13(क) वया कंपनी उस वित्त वर्ष, जिससे विवरणी संबंध रखती है, के प्रारंभ में अपनी साविध जमाराशियों का कोई ऋण पात्रता निर्धारण रखती थी : हां / नहीं

यदि हां, तव निम्नलिखित विवरण देः

- (i) ऋण पात्रता निर्धारण एजेंसी का नामः
- (ii) ऐसी एजेसी द्धारा किया गगा निर्धारण (रेटिंग):
- (iii ) ऐसे निर्घारण (रेटिंग) की टारीख ओर विधिमान्यता की अवधिः
- (ख) तथा कंपनी ने उस वित्त वर्ष, जिससे विवरणी संबंध रखती हैं, के दोरान अपनी सावधि जपासिश्वों के लिए क्राइट रेटिंग प्राप्त कियां हां / नहीं

यदि हां, तम निम्नलिखित विवरण दें

- (i) त्राण पात्रता निर्धारण एजेंसी का नामः
- (ii) ऐसी एजेसी द्धारा किया गया निर्धारण (रेटिंग)
- (iii) ऐसे निर्धारण (रेटिंग) की तारीख और विधिमान्यता की अविध
- (ग) तथा उस वित वर्ष, जिससे विवरणी संबंधित है, के दौरान उपर्युवत (क) एवं (ख) मे वर्णित क्रेडिट रेटिंग में कोई परिवर्तन हुआ था हां / नहीं

यदि ग्रौ, तव निम्नलिखित विवरण देः

त्रहण पात्रता निर्धारण एजेसी का नाम-

(ii) (iii)	ऐसी एजेसी द्धारा किया गया निर्धारण (रेटिग) <sup>.</sup> ऐसे निर्धारण (रेटिग) की तारीख और विधिमान्यता की अवधि <sup>.</sup>
(iv)	क्रेडिट रेटिंग में मिन्नता का कारण, यदि कोई है
14	क्या यह एक नियंत्रक कंपनी है अथवा सहायक कंपनी है <sup>.</sup> \$ हां / नहीं
15.	वया यह कपनी एक संयुक्त उद्योग हैं हां / नहीं
15	कपनी के प्रवर्तको और प्रवर्तन संस्थाओं के नाग एवं पते तथा शेयर होल्डिंग पैटर्न
	(गदि आवश्यक हो, तो पृथक शीट सलम्न करें)
17	कंपनी के लेखा परीक्षकों के नाम एवं पते
	दूरगाष स0 फैक्स सदस्यता सं0
1	B कंपनी के वैकरों के नाम एवं पते
	(यदि आवश्यक हो, तो पृथक शीट संलग्न करें)
ļn	वर्तगान निदेशको के नाम एवं पते
	(यदि शावश्यक हो, तो पृथक सीट सलग्न वरे)
c)	तया कंपनी ने राष्ट्रीय आवास बैक अधिनियम, 1997 ती ए ए 20म ें शनुरार, कोई आयीत कोम वनाया है :
( <b>i</b> )	वर्ष के पारंभ में नकामा राभि
( <b>;;</b> )	वर्ष के दौरान इस कोम में अत्तरित राभि
( <b>iii</b> )	वया वर्ष के दौरान शारितित कोष में किसी राशि का ि[ियोग किया गया : हां /नही
चि हा	, (क) विनियोग की गशि
	(ख) विभिन्नेष का स्पर्देश्य
11.1	(॥) राष्ट्रीय भागस बैक को विभिन्नोम रिपोर्ट करने की ताशिखः
(i)	उप निवरणी की तारीख को चरापा पशिः
	लागू हो, उस खाने में निशान लगाए। हं कंपनी की शाखाएं कार्यालय स्थित है, उन स्थानों के नाम व पतों की एक सूची संलग्न की हिए।
\$ यदि	यह कोई सहायक कंपनी है, तब इसकी नियंत्रक कंपनी का नाम उपदर्शित किया जाना चाहिए।
* यहि	यह पर्नीवृत्र कार्गालय री जिन्न कीई २१।। है।

# खंड - 1 (क)

31 मार्च \_\_\_\_\_ को बकाया सार्वजनिक निक्षेप राशि के विवरण

(राशि लाख रुपए में)

			(राशि	
क्रम सं0	विवरण	मद 	खातों	राशि
		कोड	की सं0	
1	सावधि जमाराशियो, आवर्ती जमाराशियो आदि के रुप	111		
	मे जनता से लिए गए निक्षेप			
2	(i)सार्वजनिक कंपनी द्वारा अपने शेयरघारकों से लिए गए निक्षेप	112		
	(ii) प्राइवेट लि0 कंपनी द्वारा प्रथम नाम के शेयरधारकों के	113		
	अतिरिक्त अन्य संयुक्त शेयरधारकों से लिए गए निक्षेप			<del></del>
3	गैर परिवर्तनीय अप्रतिभूत डिबेंचरों की जारी करने से	114		
	प्राप्त राशि (अनुदेश 13 देखें) योग ( 1+2+3)	440	<del>                                     </del>	
4		110	<del>                                     </del>	
5	अनुसूची के खंड 2 में समिलित न हुआ कोई अन्य निक्षेप	120		
6	योग (4+5)			
7	उपरोक्त 6 मदों में कुल जमा राशि में से			
	(i) मांग अथवा नोटिस पर पुनःसंदेय *	141		
	(ii) 12 महीने से कम की अवधि के लिए *	142		
	(iii) 12 महीने या इससे अधिक परंतु 24 महीने से कम की अवधि के लिए	143		
	(iv) 24 महीने या इससे अधिक परंतु 48 महीने से कम की अवधि के लिए	144		· · · · · · ·
	(v) 48 महीने या इससे अधिक परंतु 60 महीने से कम की अवधि के लिए	145		
	(vi) 60 महीने की अयि के लिए	146		
	(vii) 60 महीने या इससे अधिक परंतु 84 महीने से कम की अवधि के लिए	147		
	(viii) 84 महीने की अवधि के लिए	148		
	(ix) 84 महीने से अधिक की अविध के लिए *	149		
8.	कुल ( 7 (i) से (ix) ) तक का जोड़ उपर्युक्त मद छ के साथ मेल खाना चाहिए	140		
9.	उपर्युक्त मद ६ की कुल जमाराशियों मे से ब्याज रहित			
	और स्याज वाली जमाराशियां ( दलाली को छोड़कर, यदि कोई हो तो) #			
	, ,			
<del></del>	(ब्याज दर वार्षिक प्रतिशत)	454		
	(i) व्याज रहित	151		
	(ii) ६ प्रतिगत रो कम	152		
	(iii) 6 प्रतिशत से अधिक परंतु 9 प्रतिशत से कम	153	<u> </u>	,
	(is) a प्रतिशत से अधिक परंतु 11 प्रतिशत से कम	154	<del> </del>	
	(v) 11 प्रतिशत से अधिक परंतु 13 प्रतिशत से कम	155		

	(vi) 13 प्रतिशत से अधिक परंतु 14 प्रतिशत से कम	156	,	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(vii) 14 प्रतिशत पर	157		
•	(viii) 14 प्रतिशत से अधिक *	158		
10.	कुल ( 7 (i) से (viii) ) तक का जोड़ उपर्युक्त मद 6 के साथ मेल खाना चाहिए	150		
11.	उपर्युक्त मद 6 की जमाराशियों का जमाराशियों के आकार के अनुसार वर्गीकरण			
	(i) 5,000 रुपए तक	161	<u>-</u>	,
	(ii) 5001 रुपए से 10,000 रुपए तक	152		<u> </u>
	(iii) 10,001 रुपए से 25,000 रुपए तक	193	<del>-</del>	
	(iv) 25001 रुपए से 50,000 रुपए तक	101		
	(v) 50001 रुपए से 100,000 रुपए तक	155 .		
	(vi) 1,00,000 रुपए से अधिक *	158		
12.	कुल ( 7 (i) से (vi) ) तक का जोड़ उपर्युवत गद ह के साथ मेल खाना चाहिए	159		
13.	उपर्युवत मद ६ की जमाराशियों में से			
	(i) जिनकी अवधि पूरी हो चुकी है परंतु दावा नहीं किया गया है	171		
	(ii) जिनकी अवधि पूरी हो चुकी है, एवं दावा भी किया गया है परंतु चुकौती नहीं की गई है	172		
14.	उपर्युक्त मद 4 में दर्शित प्रकार की जमाराशियों में से			
	(i) वर्ष के आरंभ में वकाया जमाराशियां	181		
	(ii) वर्ष के दौरान स्वीकार की गई/नवीकृत जगाराशिया	182		
	(iii) वर्ष के दौरान अदाकृत जमाराशियां	. 3		
<del></del> -	(iv) वर्ष के अंत में वकाया जमाराशियां	181	<del></del>	
15.	उपर्युक्त मद 5 में दर्शित प्रकार की जमाराशियों मे रो			<del></del>
	(i) वर्ष के आरंभ में वकाया जमाराशियां	191	<del></del>	
	(ii) वर्घ के दोराग स्वीकार की गई नवीकृत जमाराशियाँ	192		
	(iii) वर्ष के दौरान अदाकृत जमाराशियां	193		
	(iv) वर्ष के अंत में वकाया जमाराशियां	19 1		···
18.	जपर्युक्त मद ह की जगाराशियों में सी , अणिकांसी भारतीयों से प्राप्त जगाराशियां	195		

ख रिपोर्ट अवधि के दौरान जुटाई गई जमाराशियों ( माग - 1 (क) 14 ( ) एवं 15 ( ) का विवरण

(राशि लाख रुपए में)

	~, ···				
क्रम सं0	विवरण	मद	1 1	राशि	
		कोड	का स0		
1	भाग - 1 (क) की मद सं0 14 ( ) में कुल जमाराशि में	111.1	(राशि लाख स्थातों रा की सं0		
	सं 		!		
·	(i) मांग अथवा नोटिस पर पुनः संदेय *	.,			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(ii) 12 महीने से कम की अवधि *	112.1		_	
	(iii) 12 महीने या इससे अधिक परंतु 24 महीने से कम	113.1	1		
	की अवधि के लिए	-		··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	(iv) 21 महीने या इससे अधिक परंतु 48 महीने से	114.1			
	कम की अवधि के लिए			_	
	(v) 48 महीने या इससे अधिक परंतु 60 महीने से कम	115.1			
	की अवधि के लिए				
	(vi) <b>८</b> ७ गहीने की अवधि के लिए	116.1			
	(vii) 80 महीने या इससे अधिक परंतु ७१ महीने से	117.1			
	कम की अवधि के लिए				
	(viii) 84 महीने की अवधि के लिए	118.1			
	(ix) 84 महीने से अधिक की अवधि के लिए *	119.1			
2	योग (i से ix तक ) यह मान - 1 (क) की मद 14 (2)	110.1		··	
	के साथ मिलना चाहिए		1		
3	भाग-1(ए) की मद सं0 15 ( ) में कुल जमाराशि में से				
	(i) मांग अथवा नोटिस पर पुनः संदेय *	121.1			
	(ii) 12 महीने से कम की अवधि*	102.1	1		
	(iii) 12 महीने या इरासं अधिक परंतु 24 महीने से गाग	(25.1	1		
	की अवधि के लिए				
	(iv) 21 गहीने या इससे अधिक परंतु 48 महीने से	i21.1			
	कम की अवधि के लिए				
·- <b>-</b>	(v) 48 महीने या इससे अधिक परंतु 60 गरीने से कम	125.1			
	की अवधि के लिए				
	(vi) 60 महीने की अवधि के शिए	126.1			
	(vii) AO महीने या इससे अधिक प्राप्ति से	127.1	T -		
	कम की अवधि के लिए				
	(viii) e1 महीने की अवधि के लिए	128.1			
	(ix) 84 पड़ीने से अधिक की अविध के 'तर "	129.1			
1	योग ( 2(i) से (ix) ) यह भाग - 1(क) : वह (ii) के		1		
-	साथ मिलना च्छिप				
 r;	भाग (क) की गर्द क (ii) में कुन जमाराशि में से		<u> </u>		
	ये, जो ज्याल में भी हैं और जिन घर हमन समता है				
	(बतार्धा, यि टोर्च है, की छोड़ छ?) #		'		

	(ब्याज की दर - प्रतिशत वार्षिक)	_ <del></del> _		
	(i) ब्याज मुक्त	131.1		
	(ii) ६ प्रतिशत से कम	132.2		
	(iii) 6 प्रतिशत अथवा अधिक किंतु 9 प्रतिशत से कम	133.1		
	(iv) 9 प्रतिशत अथवा अधिक किंतु 11 प्रतिशत से कम	134.1		
	(v) 11 प्रतिशत अथवा अधिक किंतु 13 प्रतिशत से कम	135.1		
	(vi) 13 प्रतिशत अथवा अधिक किंतु 14 प्रतिशत से कम	136.1		
	(vii) 14 प्रतिशत पर	, 137.1		0
	(viii) 14 प्रतिशत से अधिक *	133.1	[	
6.	योग ( 5 (l) से (viii) यह भाग - 1 (क) 14 (ii) से गिलना चाहिए।			
7.	भाग - 1(ए) की मर 15 में कूल जमाराशियों में रो, वे जो ब्याज मुक्त और जिन पर ब्याज गिलता है (तलाली यदि कोई, को छोड़कर) # (त्याज की दर ; प्रतिशत वार्विक)			
	(i) व्याज मुक्त	141.1		
	(ii) 6 प्रतिशत से कम	142.2		
	(iii) 6 प्रतिशत अथवा अधिक किंतु 9 प्रतिशत से कम	143 1		
	(iv) 9 प्रतिशत अथवा अधिक किंतु 11 प्रतिशत रो कम	114.1		
	(v) 11 प्रतिशत अथवा अधिक किंतु 13 प्रतिशत से कम	115.1		
	(vi) 13 प्रतिशत अथवा अधिक किंतु 14 प्रतिशत रो कप	148.1		
	(vii) 14 प्रतिशत पर	147.1		
	(viii) 14 प्रतिशत से अधिक"	118.1		
8.	योग ( 7 (i) से (viii) यह भाग - 1 (क) 15 (ii) से भिलना चाहिए	140 1		
9.	(क) दलाली की संदत्त रा <sup>शि</sup>	151.1		
	(ख) दतानों को य्यय की प्रतिपूर्ति	452 1		
	(ग) बद्याती के भुगनान से जुटाई गई जगाराशि की रकम	153 1		

#ियरणी के दस भाग के साथ दी गई ब्याज की दरों, इसी प्रकार उनकी अवधि अर्थात् 12 महीतों, 21 महीतों, 38 महीतों वरतादि से अधिक के अनुभार विभिन्न प्रकार की जमाराशियों पर संदत्त वलाली की दरों का एक विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
\*विवरण प्रथम प्रस्तुत किया जाना नाहिए।

सम - 2 यशा 31 गार्च को ऋण और उन जमाराशियों का विवरण जो अर्जनिक निशेष में सम्पितित नहीं की गई हैं:

		 	(स्मरि	वाद रहा	7 13)
क्रम संव	विवरण	मद	खातो	राशि	

		कोड	की सं0	
1.	केन्द्र अथवा राज्य सरकार से प्राप्त हुआ धन अथवा	221		· ·
	अन्यों से प्राप्त हुआ धन, जिसकी वापसी अदायगी की			
	गारंटी केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार ने दी			,
	है अथवा स्थानीय प्राधिकरण से प्राप्त हुआ घन		}	
2.	निम्नलिखित से प्राप्त हुआ धन			
	(क) यिदेशी सरकार	222		
	(ख) विदेशी प्राधिकरण	223		
	(ग) विदेशी नागरिक अथवा व्यक्ति	224		
	(घ) योग ( (क) + (ख) + (ग) )	225		
3.	राष्ट्रीय आवास बैंक से उधार	226		JI - W.C.
4.	निम्नलिखित से उधार (क) बैंकों से	227		
	(ख) निर्देशों में विनिर्दिध अन्य वित्तीय संस्थानों से	228		
5	.िकसी अन्य कंपनी से प्राप्त हुआ धन		1	7.
6.	निदेशकों / निदेशकों के रिश्तेदारों से प्राप्त हुआ धन	230		<u>.</u>
7.	किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा शेयरधारकों से प्राप्त हुआ	231		
	धन (संयुवत शेयरधारको के मामले में प्रथम नाम के	]	]	
	शेयरघारकों से प्राप्त राशि ही गणना में ली जाए)	Ì		
8.	प्रतिभूति जमा के जरिए कंपनी के कर्मचारियों से प्राप्त	232	<del>                                     </del>	
	हुआ धन	1		
9.	कंपनी के व्यापार के अनुक्रम में क्रय विक्रय अथवा	233		
	अभिकत्ताओं से प्रतिमूति के रुपु में अथवा अग्रिम के			
	रुप में प्राप्त हुआ धन,अथवा माल की आपूर्ति, अथवा		ĺ	
	लम्पाले के लिए अथवा सेवाएं प्रदान करने के आदेशों	ļ		
	के लिए प्राप्त हुआ अग्रिम	ļ		 
10.	अचल सम्पत्ति को बंधक रखकर अथवा संपरिवर्तनीय	234		
	ऋणपत्रों में प्रतिमूत ऋणपत्रों के निर्गम से प्राप्त हुआ	}		}
	धन	235	Ì	
	रपर्युक्त ऋणपत्रों में बैको द्वारा अभिदत्त			
	भाग 1 (क) की मद सं0 (3) भी देखें			
11	आवंटन क लंबित रहते, किन्हीं शेयरों में अथवा	236		
	प्रतिभूत ऋणपत्रों मे अमिदान द्धारा प्राप्त हुआ धन, जब			<u> </u>
	तक संस्था के अन्तर्नियमों के अधीन ऐसी राशि	Ì		
	शेयरघारको को प्रतिदेय नहीं है, तब तक संस्था के	]	1	
	अन्तनियमों के अनुसार, शेयर की अग्रिम मांग से प्राप्त	ł		
	हुआ धन			
12	. जणदाता संस्थानों की शर्तों के अनुसरण में अप्रतिभूत	237		
	ऋणों के जरिए प्रवर्तकों द्वारा लाया गया धन	<u> </u>		
13.	वाणिज्यिक पत्रो	238		
14.	ग्युअुचफ फंड से प्राप्त राशि	239		
15.	संकर ऋण या गीण कण से प्राप्त राशि जिनकी	240		
	परिपवचता अविच 🗥 गहींने या इससे अधिक है			
16.	योग ( 221 + 225 से 234+236 से 240)	250		

# भाग - 3 यथा 31 मार्च \_\_\_\_\_ को निवल स्वाधिकृत निधियां दर्शाता विवरण (राशि लाख रुपए में)

क्रम सं0	विवरण	, मद कोड	राशि
1.	2	3	4
1.	चुकता साम्य पूंजी	311	
2.	वे अधिमान शेपर जो अनिवार्यतः साम्य पूजी में	312	
	संपरिवर्तनीय है	<u></u>	
3.	निर्बंध आरक्षित निधियां	·	
	(क) सामान्य आरक्षित कोष	313	
	(ख) शेयर प्रीगियम	314	
	(ग) (पृथक खाते में रखी आस्तियों की विक्री पर	315	
	अधिशेष जताने वाली) आरक्षित पूंजी निधि		
	(घ) ऋण पत्र शौधन आरक्षित निधि	316	
	(ड) पूजी प्रतिदान आरियात निधि	317	
	(च) लाय एवं हानि खाते मे ऋण अधिशेव	318	
	(छ) आयकर टाधिनियम, 1981 की धारा 38 (i) (viii)	319	
1	के तहत आरक्षित निधियां	1	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(ज) अन्य निर्वध आरक्षित निधियां (विनिर्दिष्ट की जाएं)	319.1	
4.	घोग (311 रो 319 तक)	310	
5.	छनि का संवित शेप	321	
6.	आस्थगित राजस्व व्यय	322	
7.	अन्य अमूर्त आस्तियां	323	
8.	योग (321 से 323 तक)		
b 	रवाधिकृत निधियां ( 310-220)	330	
10.	निप्नलिखित के शेयरों में निवेश का बही मूल्य		
	(क) राधायक कंपनियों में	<b>∠41</b>	1
	(ख) जसी समृह की कंगनियों में	342	
	(ग) अन्य आवास संस्थान जो कि दापनियां है	343	ļ
	(विवरण अनुलग्नक में)		
11.	निम्नितिचित के ऋणपत्रों और तंधपत्रों में		
	निवेशो का तसी पुल्य	344	
	क) राह्मयक कंपिनियो में	345	1
	(ল) তথা रामूह टी कंपनियों मे		Ĺ <u> </u>
12.	निम्निलिनित को दिए गण ऋणीं एवं अग्रिमीं और उनमें		
	चमाराभियों का वक्ताया	1	1
	(क) सहायक कंपनियों मे	346	
	(१५) वर्गी समृह भी कंपनियाँ में	347	
~	(विवाय अपरापण ्यो)		 
to	सं । (१ । सं ३४७ तक)	340	
11.	प्रतर्थनम् ए १ ३०७ के 10 प्रतिनात है। विकास <b>द ३४०</b>	350	

की राष्टि

15. निवल स्वाधिकृत निधियां (330-350) 300

भाग - ५ यथा 31 मार्च को अन्तर कंपनी ऋणो जग्गराशियों सहित बकाया ऋण एवं अग्रिम दर्शाता विवरण (राशि लाख रुपए मे)

			(सारा लाख रु
क्रम सं0	विवरण	मद कोड	राशि
1	2	3	4
1,	आवास ऋण		
(i)	<b>ट्येक्तिक</b>	411	
(ii)	निगगित निकाय		
	(क) उसी समूह की कंपनियां	412	
	(ख) वे कंपनियां, फर्में और स्वामित्व प्रतिष्ठान जिनमें कंपनी के निदेशक पर्याप्त हित रखते हैं	413	
	(ग) अन्य निगमित निकाय	414	
(iii)	अन्य		
	योग ( 1 (i) से (iii) तक )	410	
2.	अन्य ऋण एवं अग्रिम		
(i)	उसी समूह की कंपनियां	421	
(ii)	उसी समूह से वाहर की कंपनियां	422	
(i'i)	निदेशकगण	423	
(iv)	शेयरधारकगण	424	
(v)	मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अन्य कर्मचारीगण	425	
(vi)	क्रय विक्रय एवं अभिकर्तागण	426	
(vii)	जमाकर्त्तागण	427	
(viii)	গ্রন্থ	428	
<del></del>	योग ( 2 (i) से (viii)	420	
	कुल गोग ( 410+420)	430	

राम विव

410

#### भाग - 4.1 "ब्यैक्सिकॉ" को बिए गए आवास ऋणों की विवरणी

संवितरण

(शशि साख रुपए\_में) म**ा को इ** D) ET फिनमें से निम्नसिकित की वर्ष के वीशन नेणी / आवास ऋषु की राशि Theory 31 मार्च को बकाया **पुरर्गु**गतान भ-10जाति মনুও অলভারি गठ साहा रांक सांक्रे. राठ एतंश र ७ राष्ट्रा ण्डा साहा 2 5 6 9 10 11 12 13 14 -ry paner di Militer fi fan 50 000 truly rish 451 50 000 र वर् से अधि अ एवं 100 000 452 100 000 रुपरं ने अधिक रंग 13 3 00 000 tam Hib 300 000 रुपए से अधिव एवं 454 **५ ०० ००० रु**क्य सक 500 000 रच रो र 1 455

( **3**3 )

⟨ण

न्येणी / ध्यायास प्रश्ना की शांति	मद क्षांक	रोहरी	The State of	वास -	जिसिमं से वि	नेम्गभि <b>वित्त</b> की	वर्ष के दौरान पुरस्रुगतान	31 मार्च , को बळाया
		•			অপু0জানি	ৰশুও অনজাই		1
	<u>                                      </u>	राठ राशि.	∕ю <del>राति.</del>	संठ राशि.	राठ राशि.	रio <b>शांध</b>		l
1	2	3 4	5 6	7 8	9 10	11 12	13	14
गाउक के कीली केनाचार गेरिन संदेत गरमाल के लिए								
4 h 2 pp 000 00	461							**
20 000 रुपेंग र्री अधिक ए <b>वे 30 000</b> स्पर्नक	462			_		,		
90 090 के किंटी अधिक ऐसे 80 000 े स्वयुक्ता	469		,		-			,
50 000 र हरी भीधक	464							· 1
. प . ते व	460	7,					1	
र ने भेग ( 450 + 460°	470					1	12	

माग – 42 आवास ऋणों का अवधि वार विभाजन

( राशि लाख रुपण गे)

ज्ञण की अवधि	ध्यैक्तिक को भावास ऋण		<b>कारफोरेट निकार्यों को आवास ऋण</b>		
	संक	्रशशि^ं ू	40	राशि	
1 11		7			
1 थान । अध्य क्रियान तेष्ट्र " €		. 7			
उत्तर रे अधिक रंग इसीय संक्					
ड गान में ऋषिक एवं 7 सान तक					
प्रशास की भाषाता	•				

# माग - 5 यथा 31 मार्च को बही मूल्य पर निवेश दर्शाता विवरणः

राशि लाख रुपए में

	<del></del>		राश लाख
क्रम सं0	विवरण	मद कोड	राशि
1 <b>d</b>	2	3	4
1	निम्नलिखित के शेयरों में निवेश		
	(क) सहायक कंपनियो में	511	
	(ख) उसी समूह की कंपनियों में	512	
	(ग) अन्य आवास संस्थान जो कि क पनियां हैं, क	513	
	शेयरों में		
2	निम्नलिखित के ऋण पत्रों, बंधपत्रों एवं वाणिज्यिक पत्रों	<del></del>	
	मे निवेश		
	(क) सहायक कंपनियों में	514	
	(ख) उसी समूह की कंपनियों के	515	
3.	उन कंपनियों के शेयरों में अ र उन कंपनियो द्वारा	516	
	जारी किए गए ऋण बंधपत्रों और वाणिज्यिक पत्रों में		
	निवेश और फर्मों तथा स्विमत्व प्रतिष्ठानों की पूजी में	i	
	अंशदान जिनमें कंपनी के निदेशक पर्याप्त हित रखते हैं		
4.	अन्य कंपनियों के शेयरो, ऋण बंधपत्रों तथा वाणिज्यिक	517	
	पत्रों में निवेश		
5.	अन्य निवेश		
<u> </u>	(i) बैकों में सायधि जमा बैंकों द्वारा जारी जमा	518	
	प्रमाणपत्रों में		
	(ii) बैक के किसी अन्य जमा खाते में जमाराशि	519	
	(iii) केन्द्र राज्य सरकार की प्रतिभृतियों और केन्द्र	520	
	राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत बंधपत्रों में		
	(iv) मारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूनिटों में	521	<del></del>
<del></del>	(v) अन्ना में (कृपया मूल्य एवं बाजार मूल्य दर्शाता	522	
	विवरण प्रस्तुत करें		
-	योग (511 से 522)	500	<del></del>
5.	याग (511 स 522)	500 1	

#### प्रमाणपञ्च

- 🍍 प्रबंधक /प्रबंध निदेशक/ प्राधिकृत प्राधिकारी का प्रमाणपत्र
- 1. प्रमाणित किया जाता है कि 2001 के आवास वित्त कंपनी (रा0आ0बैंक) के निर्देशों में अन्तर्विष्ट निर्देशों का अनुपालम किया जा रहा है।
- 2. इसके अतिरिक्त, यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस विवरणी में प्रस्तुत विवरण /जानकारी का सत्यापन कर लिया गया है और यह सभी प्रकार से सही एवं पूर्ण पाया गया है।

तारीख:

प्रबंधक/ प्रबंध निदेशक/ प्राधिकृत अधिकारी

स्थान:

के हस्ताक्षर

नाम पदनाम

\*जो लागू न हो उसे काट दें।

#### लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

हमने इस विवरणी में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के संबंध में रखी हुई लेखा बहियों एवं अन्य अभिलेखों का परीक्षण कर लिया है और हम यह रिपोर्ट करते हैं कि हमारे शेख नाम के तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमने जिस अभिलेख का परीक्षण किया उससे मिली जानकारी के अनुसार इस विवरणी में प्रस्तुत किए गए आंकडें ठीक हैं।

सनदी लेखाकार

रथानः

तारीखः

विवरणी के संलग्नक :

निम्निखित दस्तावेज विवरणी के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए यदि उन्हें पहले से प्रस्तुत नहीं गया हो । कृपया संखयन दस्तावेज के लिए निशान लगाएं और यदि पहले से प्रस्तुत किए गए हैं, तब प्रस्तुत करने की तारीख घताएं ।

- (1) विवरणी की तारीख रो निक्टस्थ दिनांकित संपरीक्षित हलन पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखा की एक प्रति
- (2) नमूना हस्ताक्षर का कार्ड (कृपया अनुदेश 5 देखें। )
- (3) आवास वित्त कम्पनी (राठ आठनैंक) के 2001 के निर्देशों के अनुच्छेद -6 में निर्दिष्ट आवेदन फींर्म की एक प्रति ।
- (4) प्रधान अधिकारियों की एक सूची एवं निदेशकों के नाम एवं पते
- (5) निदेशों के अनुट्छेद -38 में यथा अपेक्षित लेखा परीक्षक का प्रमाण-पत्र

## विवरणी भरने और प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश

#### सामान्य.

- 1 यह विवरणी, संकलित की जाने के पश्चात, आवास वित्त कम्पनी द्वारा वर्ष में एक बार 31 मार्च की स्थिति अनुसार, चाहे लेखा बंद होने की तारीख कुछ भी हो, हर दशा में 30 सितम्बर तक राष्ट्रीय आवास बैंक के नई विल्ली स्थित मुख्य कार्यालय को अवशय प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए। जैसा कि आवास वित्त कंपनी (रा0आ0बैंक) निर्देशों, 2001 के अनुच्छेद 40 मे विहित है। निर्देशों के अनुच्छेद 38 के अनुसार कंपनी के लेखापरीक्षकों से एक प्रमाणपत्र भी विवरणी के साथ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।
- 2 विवरणी को प्रस्तुत करने में वार्षिक लेखा के परीक्षण को अन्तिम रूप देना/ संकलित किया जाना आदि जैसे किसी भी कारण से विवाम्ब नहीं होना चाहिए । विवरणी का संकलन कम्पनी की लेखा बहियों में उपलब्ध आंकडों के आधार पर किया जाना चाहिए ।
- जहां संभव हो, यह विवरणी एक फलोपी डिस्केट (फलोपी साइज 3.5 डाटा स्ट्रक्वर एक्सील /डी बेस
   4) मे भेजनी चाहिए जिसके साथ एक मुद्रित और हस्ताक्षरित प्रि भी आनी चाहिए ।
- ग खातो की संख्या वास्तविक अंकों मे दी जानी चाहिए जबिक राशि लाख रुपयो में दो दशमलव स्थिति तक पूर्णांकित करके दी जाए ा
- 5 इस विवरणी पर प्रबंधक के हस्ताक्षर होने चाहिए (जैसा कि कम्पनी अधिनियम 1956 की घारा -2 में परिभाषित है ) और यदि कम्पनी में ऐसा प्रवंधक नहीं है, तब प्रबंधक निदेशक अथवा कम्पनी का कोई अधिकारी जिसे निदेशक गंडल ने विधिवत पाधिकृत किया हो और जिसके नमूना हस्ताक्षर इस उद्देश्य से भेजे गये हों, को हस्ताक्षर करने चाहिए । यदि नमूना हस्ताक्षर विहित कार्ड में प्रस्तुत नहीं किये गये हों, तब विवरणी पर प्राधिकृत अधिकारी को हस्ताक्षर करने चाहिए और उसके नमूना हस्ताक्षर पृथक रुप से भेजे जाने चाहिए ।
- 6. अनुसूती में मांगा गया सभी विवरण भरा जाना चाहिए और कोई भाग / मद निरंक नहीं छोडा जाना चाहिए । यदि विवरणी के किसी भाग / किसी मद में प्रतिवेदित किया जाने के लिए कुछ न हो, तब उस में शून्य लिखा जाए और यदि कोई गाग मद सुसगत अथवा लागू न हो तब इस में लागू नहीं लिख दिया जाना चाहिए ।
- 7 विवरणी जिस तारीख से संबंध रखती हैं, यह तारीख प्रथम पृष्ठ पर और अनुसूची वे सभी भागो में समुवित रथान पर गरी जाए ।
- इस विवरणी मे वर्णित " सहायक कम्पनियो " का वही अर्थ होगा जो कम्पनी अधिनियम 1956 ( 1956 का 1 )
   में इन्हें बिसा गया है ।
- 9 किसी निगमित निकाय को निवेश कंपनी को उसी ग्रुप में होना समझा जाएगा यदि निगमित निकाय निवेश कंपनी की प्रवंध अभिकर्ता है अथवा यदि वह निगगित निकाय और निवेशक कंपनी एक ही प्रबंधाधीन है।
  10 " पर्याप्त हित" का अर्थ है किसी कम्पनी दे शेयरो जिन पर संसदत्त राशि उस कम्पनी की चुकता पूंजी अथवा किसी मागीदारी फर्म के सभी भागीदारो द्वारा अभिदत्त कुल पूंजी के तम्म प्रतिशत से अधिक नही होती है,
  ये किसी व्यक्ति अथवा उसकी पत्नी पति अथवा अव्यस्क, बच्चे द्वारा एकट! रूप मे अथवा सम्मिलित होकर एक
  हिताधिकारी हित रखना ।

#### भाग -1 (क)

11 यदि कम्पनी एक सार्वजिनिक कम्पनी है, और अनुदेश सं0 16 में यथा विनिर्दिष्ट एक घोषणा इसके निदेशकों सो ली गई है, तन ऐसी जमा सिंगां मद सं0 2 में दिखाई जानी वाहिए ।

12 जो कण-पत्र शांधिक रुप से संपरिवर्तनीय और आंशिक रुप से गैर -सपरिवर्तनीय होते है जन वण-पत्रों के गेर सपरिवर्तनीय भाग से संविधित राणि को गद 3 में शांगिल किया जाए और संपरिवर्तनीय अंश को माग-2

की गई 19 में दिशापा जाए ।

क नैको तथा भारतीय दिलाई के द्रारिधिम 1024 की धारा 45-1 (नीभी) के खंड (iii) एवं (iv) में वर्णित

किया नीको तथा भारतीय दिलाई के द्रारिधिम 1024 की धारा 45-1 (नीभी) के खंड (iii) एवं (iv) में वर्णित

किया नीको तथा भारतीय दिलाई के द्रारिधिम को भारतीय द्रारिधिम को भारतीय देशी सद रांठ 4 में शामिल किया जाना वाहिए।

- 14. जमा राशियों का अविध क्रम से वर्गीकरण उन अविधयों के अनुसार मद-7 के अधीन विमिन्न शीर्षों में किया जीना चाहिए जिनके लिए वे मूलत, प्राप्त हुई / पिछली बार नवीनी कृत की गई और उन अविधयों के अनुसार नहीं जो उन्होंने यथा 31 मार्च, अर्थात् विवरणी की तारीख से, चलाई हैं।
- 15. मद 11 में, खातों की संख्या एवं राशि को निवेश की प्रत्येक श्रेणी के संबंध में परिकलित किया जाना चाहिए
- 16. मद 13 में यदि अदत्त जमा राशि की कुल रकम 5 लाख रुपए से अधिक हो जाती है, तब प्रत्येक जमा राशि का भुगतान नहीं किए जाने के कारण और पुनर्भुगतान के लिए किए गए उपायों को एक अनुलग्नक में उदर्शित किया जाना चाहिए ।
- 17. भाग-2 में दर्शाई गई राशि को इस भाग में शामिल नहीं किया जाना चाहिए ा

#### माग - 2

- 18 केंनल ऐसे व्यक्तियों से एक लिखित घोषणा पर प्राप्त हुए धन को मद 6 एवं 7 के मुकाबले दिखाया जाना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों ने यह उधार लेकर अथवा किसी अन्य व्यक्ति से जमा राशियों स्वीकार करके अर्नित निधियों में से नहीं दिया है ।
- 19 तरापनी अधिनियम 1956 की घारा 43 ए के अधीन एक सार्वजिनक कम्पनी के रुप में मानित किसी प्राइवेट कम्पनी के शेयरघारकों से से प्राप्त घन को मद 7 में उपर्युक्त अनुदेश 16 में निर्दिष्ट घोषणा प्राप्त करने के अध्यधीन शामिल किया जाना चाहिए ।
- 20. भाग 1 (क) में पहले ही दर्शाई गई राशि को यहां शामिल नहीं किया जाना चाहिए ा

#### माग- 3

- 21 नियल स्वाधिकृत िधियों से संबंधित आंकड़े विवरणी की तारीख से संबंधित संपरीक्षित तुलनन पत्र के अनुसार होने चाहिए और यदि लेखा परीक्षण समाप्त न हुआ है तब आंकडें सुसंगत अविध की लेखा बिहयों के अनुसार होने चाहिए ।
- 22. निर्यंघ आरिक्षिति निधि" में शेयर प्रीमियम खाते में अधिशेष, पूंजी एवं ऋण पत्र में दर्शाई गई तथा लाम में से किसी आबंटन के जिरए निर्मित कोई अन्य आरिक्ष त निधि जो कि (क) किसी मावी देनदारी के मुगतान के लिण सर्जित आरिक्षत निधि, अथवा आस्तियों पर अवक्षयण के लिए अथवा अशोध्य ऋणों के लिए न हो अथवा (ख) कम्पनी की आस्तियों के मूल्यांकन के लिए निर्मित कोई आरिक्षत निधि न हों, शामिल की जाएंगी ा
- 23 शेयरों में किए गए निवेश में पूर्णत संपरिवर्तनीय ऋणपत्रों में निवेश और अथवा आशिक रूप से संपरिवर्तनीय ऋणपत्रों के संपरिवर्तनीय भाग में निवेश शामिल रहता है या तो निवेश खाते में अथवा विक्र य स्टाक में राप्ते निवेश को मद 10 क अधीन शामिल नहीं माना जाना चाहिए।
- 24. वाहे निवेश खादे में दर्ज ऋण-पत्र हो अथवा विक्रेय माल के रुप में हो, ऐसे सभी ऋण-पत्रों को मद 11 में शामिल किया जाना चाहिए ा गैर -संपरिवर्तनीय, ऋण-पत्रों आंशिक रुप में संपरिवर्तनीय ऋण-पत्रों का गैर-संप<sup>र</sup>दिवर्तनीय भाग और विकल्पत संपरिवर्तनीय ऋण-पत्रों को भी इस मद में शामिल किया जाए ा
- 25 लाम एवं हानि खाते में ऋण अधिशेष को अनुपयोज्य आस्तियों के लिए किए गए वारतियक प्रावधान द्वारा समयोजित किया जाना चाहिए ।

#### माग - 4

- 26. विविध देनदारों, अग्रिम रुप में सदत कर और अन्य वसूली योग्य मदे जो कि ऋणो एवं अग्रिम की प्रकृति की न हों, को इस विवरण में नहीं दर्शाया जाना चाहिए ।
- 27. अन्य कम्पनियों में साविध जमा राशियों को यथा स्थिति मद 2 (i) अथवा 2 (ii) में शामिल किया जाना चाहिए और भाग - 5 में नहीं ।
- 28 (शेयर वाजार की ) सूची से इतर ऋणा-पत्रों को निवेण नहीं अधितु ऋण समझा जायेगा और इन्हें गाम -5 में शामिल नहीं किया जाएगा ।

#### भाग - 5

- 29 निवेश के खाते में या व्यापारगत माल के जिए शेयरों ऋण-पत्रों एवं वाणिजियक पत्रों को इस माग में शामिल किया जाना चाहिए ।
- 30 कम्पनियों में जाम सावधि जमा राशियों को यहां शामिल नहीं किया जाना चाहिए अपितु इन्हें भाग-4 में दर्शाया जाना चाहिए ।
- 31 सूबी से इतर ऋण-पत्रों में निवेश यथा ऋण समझा जाएगा और निवेश नहीं, और यह भाग-5 में शामिल नहीं किया जाना वाहिए ।

# अनुसूची- II

# [आवास वित्त कंपनी (रा०आ०बैंक निर्देश, 2001 का रानुच्छेद 39 (1) देखें ] 31 मार्च 30 सितंबर, \_\_\_\_\_\_की स्थिति अनुसार अर्धवार्षिक विवरणी (अर्धवर्ष समाप्ति से दो माह के अंदर प्रस्तुत की जाए)

आवास वित्त कंपनी का नाम.		
कंपनी कोड संख्या	 	
पंजीकरण संख्या		

भाग -क पूंजी निधि - टियर - 1 (राशि लाख रुपए मे)

गद सं0	विवरण	मद कूट	राशि
1.	चुकता शेयर पूंजी	111	
2.	अधिमान शेयर जो शेयरों में अनिवार्य रुप से परिवर्तनीय है		
		112	
3.	निर्बंध आरक्षित निधियां		
	(क) सामान्य आरक्षित निधियां	113	
	(ख) शेयर प्रीमियम	114	
	(ग) पूंजीगत रिजर्व निधियां अधिशेष (परिसंपत्तियो की बिक्री	115	
	दर्शाती है, जिसे अलग खाते में रखा जाता है)	}	
	(घ) डिबेंचर आरक्षित शोधन निधि	116	
	(ड) पूँजी आरक्षित शोधन निधि	117	
	(च) लाम एवं हानि खाते में जमा शेष	118	
	(छ) अन्य निर्बंघ आरक्षित निधियां (उल्लेख करें)	119	
4.	कुल (111 से 119)	110	
5.	संचित हानि शेष	121	
6,	आस्थगित राजस्व व्यय	122	
7.	अन्य अमूर्त आस्तियां	123	
0	कुल (121 से 123)	120	
<u> </u>	स्वाधिकृत निवियां (110-120)	130	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
10.	निम्न के शेयरों मे निवेश का बही मूल्य		
		141	
	(क) अनुषंगियो	142	
	(ख) उसी समूह की कंपनियां	143	
	(ग) अन्य आवास वित्त संस्थानज ो कंपनियां हैं		
11.	निम्न के डिबेचरों तथा बंधपत्रों में निवेश का बही मूल्य		
		144	
	क) अनुसंगियो	145	
	(ख) उसी समूह की कंपनियां		
12.	निम्न की ओर बकाया ऋण एवं अग्रिम एवं निम्न में जमा धनराशि		
		146	•
	(क) अनुषंगियों मे	147	
	(ख) उसी समूह की कंपनियां		
13.	मद रांख्या 140 की राशि जो मद संख्या 130 के 10 प्रतिशत से	140	

	अधिक है।		
14.	योग (141 से 147)		
		150	
15.	टियर 1 पूंजी - निवल स्वाधिकृत निधि (130-150)	151	

भाग - ख - पुंजीगत निधियां टियर - 11 (राशि लाख रपए में)

विवरण	मद कूट	राशि
(1)	(2)	(3)
(i) अधिमान शेयर (जो अनिवार्यतः साम्य में परिवर्तनीय है को छोड़कर)	161	
(ii) पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि	162	
(iii) सामान्य प्रावधान और हानि आरक्षित निधि	163	<del></del>
(iv) संकरण पूजीगत लिखत	164	
(v) गीण ऋण	165	
(vi) योग टियर - 11 पूंजी	160	
कुल पूंजीगत निधिया (151+160)	170	

माग - ग - जोखिमपूर्ण आस्तियां एवं तुलनपत्र बाह्य मदें

(राशि लाख रुपए में)

विवरण	मद कूट	राशि
(i) निधिक जोखिम आस्तियों का समंजित नूल्य अर्थात् तुलनपत्र की मदें	181	
(भाग घ के साथ मिलनी चाहिएं)		
(ii) अनिधिक और तुलनपत्र बाह्य मदों का समंजित मूल्य (माग ड के	182	
साथ मिलनी चाहिए)		
(iii) कुल जोखिम मारित आस्तियां कुल निर्वश (योग (i ) + (ii) )	180	
(iv) जोखिम भारित आस्तियां निवेश के मुकाबले पूंजीगत निधियों का		
प्रतिशतः	191	
(क) टियर -1 पूंजी	ļ	
	}	
		·
(ख) टियर - 2 पूंजी	192	
(শ) কুল पूত্তী	193	

# माग घ - मिरत आस्तियां जैसे तुलनपत्र की मदें (राशि लाख रुपए में)

विवरण	मद	बही मूल्य	जोखिम	समंजित
	कूट		मारित	मूल्य
I. सावधि निक्षेपों और निक्षेप प्रमाणपत्रों सहित नकदी तथा बैंक शेष	210		0	
II. निवेश				
(क) राष्ट्रीय आवास वैंक अधिनियम, 1987 में परिभाषित अनुगोदित प्रतिपूर्तियां	221		0	
(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के यैंकों के बंधपत्र तथा सार्वजनिक				
ितीय संस्थानों में सावधि जगा / जगा प्रमाणपत्र / बंधपत्र				L
(i) भाग क में मद 14 में काटी गई राशि	222		0	
(ii) भाग क में मद 14 में नहीं काटी गई राशि	223		20	

(c) यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया	224	20	
(घ) सभी कंपनियों के शेयर में उपरोक्त ख) मे उल्लेखरहित			
कंपनियों के डिबेंचर / बाण्ड्स एवं वाणिज्यिक पत्र एवं उपरोक्त		1	
ग) के अतिरिक्त अन्य म्युअचल फंड्स यूनिटें		].	
(i) भाग क में मद 14 में काटी गई राशि	225	0	
(ii) भाग क मे मद 14 में नहीं काटी गई राशि	226	100	
III, चालू आस्तियां			
(क) किराये पर भंडार (नीचे टिप्पणी 2 देखें)			
(i) भाग क में मद 14 में काटी गई राशि	231	0	
(ii) भाग क मे मद 14 में नहीं काटी गई राशि	232	100	

(ख) अंत कारपोरेट ऋण /निक्षेप		
(i) भाग क में मद 14 में काटी गई राशि	233	0
(ii) भाग क में मद 14 में नहीं काटी गई राशि	234	100
(ग) कंपनी के स्वयं के निक्षोां द्वारा पूर्णतया प्रतिमूत ऋण तथा	235	0
अग्रिम		
(घ) स्टॉफ को ऋण	236	0
(3) (ड) व्यैक्तिकों को दिए गए अचल संपत्ति बंधक समर्थित	237	75
आवास ऋण जो कि मानक आस्ति के रूप में निर्दिष्ट है एव		
जहां ऋण का मूल्य अनुपात 75 प्रतिशत से अधिक नहीं है		
(च) अन्य आवास ऋण (व्यैक्तिकों को दिए गए उन ऋणों को	238	100
मिलाकर जो उपरोक्त (ड) में नहीं आते		
(छ) अन्य ऋण तथा अग्रिम		
(i) भाग क में मद 14 में काटी गई राशि	241	0
(ii) भाग क में मद 14 में नहीं काटी गई राशि	242	100
(ডা) क्रय / बद्टाकृत बिल		
(i) माग क में मद 14 में काटी गई राशि	243	0
(ii) भाग क मे मद 14 में नहीं काटी गई राशि	244	100
(झ) अन्य ( उल्लेख करे)	245	100
IV. अचल आस्तियां (अवक्षयण की निवल राशि)		
(क) पट्टे पर दी गई आस्तियां		
(i) भाग क में मद 14 में काटी गई राशि	251	0
(ii) भाग क में मद 14 मे नहीं काटी गई राशि	252	100
(ख) परिसर	253	100
(ग) फर्नीचर एवं जुडनार	254	100
V. अन्य आस्तियां		
(क) स्रोत पर काटा गया आयकर (प्रावधानों की निवल ाशि	255	0
(ख) अग्रिम कर भुगतान (प्रावधानो की निवल राशि)	256	0
(ग) सरकारी प्रतिमूतियो मे देय ब्याज	257	0
(घ) अन्य ( उल्लेख करें)	258	100
कुल मारित आस्तियां	200	

#### नोट:

- 1. जहां अवक्षयण या अशोध्य और संदेहास्पद ऋणों के बारे में प्रावधान किया गया है, वहां आस्तियों के संबंध में इसे घटाया जा सकता है।
- 2. किराए पर स्टाक को वित्त प्रमार की निवल राशि में दर्याया जाए जैसे ब्याज तथा वसूल होने वाले अन्य प्रमार।
- 3. निवल स्वाधिकृत निधि ज्ञात करने के लिए स्वाधिकृत निधि से जिन आस्तियों को व्यवकलित कियागया (मद कूट सं0 150) उनका मारित मूल्य "0"होगा।

भाग - ड - मारित गैर निधि निवेश / तुलन पत्र की बाह्य मर्दे

राशि लाख रुपए में

विवरण	मद	बही मूल्य	परिवर्तन	समकक्ष	जोखिम	समंजित
	कूट		कारक		मारित	मूल्य
1 संस्तीकृत आवास ऋणों की	310		50		100	
असंवितरित राशि	1					
2. वित्तीय एवं अन्य गारंटियां	320		100		100	
3. शेयर / डिवेंचर हामीदारी दायित्व	330		50	<u> </u>	100	
4 आशिक प्रदत्त शेयर / डिबेचर	340		100		100	
<ol> <li>वट्टाकृत / पुन.बट्टाकृत बिल</li> </ol>	350		100		100	
<ol> <li>निष्पादित पट्टा करार परतु जिनका</li> </ol>	360		100		100	
निष्यादन होना अभी शेष है						1
7 अन्य आकस्मिक देयताएं (उल्लेख	370		50		100	
करे)						
	<del> </del>				1	
				<del>                                     </del>	<u> </u>	
कुल गैर निधि निवेश	300					

नोट परिवर्तन कारक की प्रयोज्यता से पहले न इद मार्जिन / निक्षेपों का व्यवकलन किया जाएगा, जहां लागू है।

माग - च - आस्ति वर्गीकरण (राशि लाख कवण पे)

कुल ऋण एक्सपोजर तथा उसके लिए प्रावधान

विवरण	मद कूट	राशि	निद्रेशानुसार अपेक्षित प्रावधान	वास्तव मे किया गया प्रावधान
(i) गानक आस्ति	411			
(ii) उप मानक आस्ति				
व्यैवितक आवास ऋण	412			
कारगोरेट / एजेंसियों को दिए गए आवारा ऋण	413			
पद्टे पर एवं किराया खरीद की आस्तियां	414			
अन्य ऋण सुविघाएं	415			
(iii) संदिग्घ आस्तियां				
वैवितक आवास ऋण	416			
कारपोरेट / एजेसियो को दिए गए	417			

आवारा त्ररण		
पट्टे पर एवं किराया खरीद की आस्तियां	418	
अन्य ऋण सुविधाएं		
(iv) हानिप्रद आस्तियां	419	
ध्यैक्तिक आवास ऋण	420	
कारपोरेट / एजेंसियों को दिए गए	421	
आवास ऋण		
पट्टे पर एवं किराया खरीद की आस्तियां	422	
अन्य ऋण सुविधाएं	423	
कुल प्रावधान	400	
निम्न के बारे में अन्य प्रावधान		
(i) अचल आस्तियों पर अवक्षयण	451	
(ii) निवेश पर अवक्षयण	452	
(iii) हानि / अगोचर आस्तियां	453	
(iv) कर के लिए प्रावधान	454	
(v) उपदान / भविष्य निधि	455	
(vi) अन्य (उल्लेख करें)	456	
Total	450	

माग - छ - एक ही समूह की कंपनियों / फर्माों तथा अन्य आवास वित्त कंपनियों में निवेश तथा अग्रिम के ब्यौरे

विवरण	मद कूट	राशि
(i) एक ही समूह की सहायक कंपनियों तथा अनुषंगियों को दिए अग्निमों और निक्षेपों तथा वंधपत्रों और डिबेंचरों एवं ब्रकाया ऋणों का बही मूल्य (ब्यौरे अलग पत्रक में संलग्न किए जाएं)	510	
(ii) एक ही समूह की सहायक कंपनियों और अनुषंगियों में तथा सभी आवा सवित्त कंपनियों के शेयरों में निवेश (ध्यौरे अलग पत्रक में संलग्न किए जाएं)	520	
(iii) अन्य कंपनियों, फर्मों तथा स्वामित्व प्रतिष्ठानों जिनमें आवास वित्त कंपनी के निदेशकों का पर्याप्त हित है, के शेयरों,, डिबेंचरों, ऋणों एवं अग्रिमों, पट्टेगर, किराया खरीद वित्त, निक्षेपों आदि में निवेश	530	

माग - ज - अग्रिमों का सकेन्द्रण, तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर और उपरोक्त माग छ सिंहत अन्य पक्षीं में निलेश के साथ विवरण

विवरण	मद कूट	राशि
(i) आवास वित्त कंपनी की स्वाधिकृत निधि के 15 प्रतिशत से अधिक का किती एक ही पक्ष में तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर सहित ऋण एवं अग्रिम (ब्यौरे अलग पत्रक में संलग्न किए जाएं)	610	
(II) आवास वित्त कंपनी की स्वाधिकृत निधि के 25 प्रतिशत से अधिक का किसी एक ही पक्ष में तुलनपत्र बाह्य एक्सोजर सहित ऋण एवं अग्रिम (ब्यौरे अलग पत्रक में संलग्न किए जाएं)	620	
(44) आबास वित्त कंपनी की स्वाधिकृत निधि के 15 प्रतिशत से अधिक का किसी एकल कंपनी में निवेश (ध्यौरे अलग पत्रक में संलग्न किए जाएं)	630	
(iv) आवास वित्त कंपनी की स्वाधिकृत निधि के 25 प्रतिशत से अधिक का	640	

किसी एकल समूह द्वारा जारी शेपरों में निवेश		
(v) आवास वित्त कपनी की स्वाधिकृत निधि के २८ प्रतिरात से अधिक का किसी एक ही पक्ष के शेयरा मे निवेश तथा उसे दिए ऋण व अग्निम (डिबेचर, बधपत्र और तुलनपत्र से बाह्य एक्सपोजर सहित)		
(vi) आवास वित्त कपनी की स्वाधिकृत निधि के 40 प्रतिशत से अधिक का किसी एक ही पक्ष में निवेश ओर एते दिए गए ऋण, अग्रिम (डिबचर, वधपत्र आर तुलनपत्र से बाह्य एक्सफोजर राहित)	669	

#### नोट:

- (1) ये एक्सपोजर सीमाए अप्यास विक्त कपनी के अपने समूहो तथा कपनी समूह के उधारकत्तांजा निवनकर्ताजा पर लागू है।
- (2) इस प्रयोजनार्थ डिबेवरों में निवेश को निवंश नहीं ऋण माना जाएगा।

भाग - झ - परिसरो और उद्धत मुझे किए गए शेयरो में निवेश से संविधत ब्यौरे

विवरण	गद कूट	ધરિ
(i) कपनी द्वारा अपने इरतेमाल के आदेशियत परिसर (मूमि एउ भवन) में अपनी स्वाधिकृत निधि के 10 प्रतिशत से अधिक निवेश		,
(क) कपनी द्वारा स्वतंत्र रुप से अर्जित (ख) अपने ऋण के शोधनार्थ	710 720	
(ii) एक ही समूह की सहायक कपनियो और अनुषिया। के अतिरिक्त, अपनी स्वाधिकृत निधि के 10 प्रतिशत से अधिक उद्धृत नहीं किए गए शेयरा में निवेश	730	

#### भाग - त - ऋण पात्रता निर्धारण

निक्षेप लिखत	ऋण	पात्रत।	निर्घारित	ऋण	आवटित	वैधता	त्रहण पात्रना निर्धारण एजेसी द्वा।
	करने	वाली	एजेसी क	पात्रता	ऋण पत्रिता	की	लगाई गई ऋण सीमा या शर्ते
[	नाम			निर्धारण	1	तारीख	,
1				की			
				तारीख			
	<u>L</u>					ł	

नोट इस विवरणी के साथ ऋण पात्रंता की एक प्रति सलग्न की जाए।

भाग थ - आवास वित्त कपनी द्वारा एव उसके विरुद्ध दायर किए मुकदरो और डिक्री ऋणो के ब्यौरे

विवरण	मद कूट	राशि
(i) ऋण, अग्रिम तथा अन्य ऋण सुविधाए जिनके लिए आवास वित्त कपनी ने अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए किसी न्यायालय में मुकदमा दायर क्रिया तथा जिन मामलों में बिक्री मिली		
5 वर्ष से अधिक समय से लंबित	811	
3 से 5 वर्ष तक समयाविध से लिबत	812	

***	-8	<b>&amp;</b> .	

। से 3 वर्ष की समयावधि से लंबित	813	
वर्ष से कम समय से लंबित	814	
(H) उपर्युक्त (i) मैं से, वह ऋण, अग्रिम तथा अन्य ऋण सुविधाएं जिनके लिए आयास वित्त कंपनी को डिक्री प्राप्त हो गई है	820	
(iii) दायर मुकदमों / डिक्री ऋणों में की गई वसूलियां (न्यायालय में जमा कराई गई राशि सहित)	830	
(iv) कंपनी के विरुद्ध दायर मुकदमें और डिक्रिया	840	<del></del>

#### प्रमाणपत्र

#### प्रमाणित किया जाता है कि -

- (1) इस विवरणी में दिए गए आंकड़े / सूचना आवास वित्त कंपनी (रा0आ0वैंक) निर्देश, 2001 के अनुसार दी गई है। इस विवरणी को कंपनी की लेखा बहियों तथा अन्य अभिलेख से संकलित किया गया है तथा मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है;
- (2) कंपनी ने सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार किए और इनसे प्राप्त जमा राशि कंपनी की अनुमत्य सीमा में है ;
- (3) कंपनी ने निक्षेपों पर निर्देशों के अन्तर्गत निर्धारित सीमा से अधिक ब्याज / दलाली का भुगतान नहीं किया ;
- (4) कंपनी ने परिपक्य निक्षेपों का भुगतान करने में व्यतिक्रम नहीं किया ;
- (5) ऋण सीमा निर्धारण एजेंसी द्वारा सावधि निक्षेपों के लिए समनुदेशित ऋण सीमा निर्धारण पर (निर्धारित स्तर) वैद्य है।
- (6) विवरणी के माग ग में उल्लिखित पूज़ी, प्रयाप्ततता को माग घ, ड तथा च में दिए ब्यौरे के आघार पर सही इप से गणना करके दर्शाया गया है:
- (7) विवरणी के माग च में उल्लिखित आस्तियों के वर्गीकरण का सत्यापन किया गया और उसे ठीक पाया गया। पुनर्निर्धारणीय व्याज युक्त / पुनर्निर्धारणीय ऋणों, पट्टे एवं किराया खरीद लेनदेन तथा नियत तारीखों के बाद किता का अवलोकन कियागया। अवमानक यासंदिग्ध या हानिप्रद आस्तियों का, यदि स्तर बढ़ाया गया तो वह निर्देशों के संगत प्रावधानों के अनुसार है;
- (8) इस विवरणी के भाग छ में उल्लिखित समूह कंपनियों में किया गया निवेश और अर्धवार्षिक विवरणी के भाग ज में किये उल्लेखानुसार ऋण / िवेश सकेन्द्रण मानदंडों की सीमा से अधिक व्यक्तियों / फर्मों / अन्य कंपनियों में एक्सपोजर और उन आस्तियों का वर्गीकरण सही है;
- (9) कंपनी के टियर -1 के अनुसार निवल स्वाधिकृत निधि की सही रूप से गणना की गई है।

कृते तथा की ओर से

(कंपनी का नाम)

स्थान:

प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी

तिथि:

कार्यालय मुहर

# लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

हमने क	पनी <mark>लि0 द्वारा पूंजी, निधियों, जोखिम आस्तियों निवेश औ</mark> र
जोखिम आस्ति अनुपात इत्यादि के लिए रखी गइ	ई लेखा बहियों एवं अन्य अमिलेखों का कंपनी के प्रबंध निदेशक
मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उसके द्वार	रा प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा यहां ऊपर दिए गए विवरणों क
को परीक्षण	ग किया है। हम यह रिपोर्ट देते हैं कि हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और
हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे	रे द्वारा जांचे गए अभिलेख में किए गए उल्लेखानु।सर यहां ऊपर
दिए गए विवरण के भाग क, ख, ग, घ, ह, च,	. छ., ज. झ., त व थ में दर्शाण गए आंकड़ें ठीक हैं।

सनदी लेखाकारों के लिए तथा उनकी ओर से सदस्यता सं0 हस्ताक्षरी का नामः

स्थानः तिथिः

कार्यालय मुहर

# अनुसूची -3

सर्चा ज्या है। जिल्ला है को समाप्त तिमाही की साविधिक अर्थसुलम आस्ति की विवरणी (राष्ट्रीय जा हस क्षेत्र अधिनियम, 1987 की धारा 29 ख और आवास वित्त कपनी (रावआवबैक) निर्देश, 2001 का अनुच्छेद 39 (1) देखें

1.	कपनी का नाम				
<del></del>			<u></u>		
2.	कपनी कोड				
3.	पजीकृत कार्यालय का पत्ता				
		पिन			
	फोन न0	फैक्स स0		ईमेल का पता	
4.	कारपोरेट / मुख्य कार्यालय का पद्मा				
		पिन			
	फोन् न0	फेक्स स0		ईमेल का पता	
5.	राष्ट्रीय आवास बैक अधिंनयम, 1987 की धारा 29क के अनुसार रा0आ0बाक में पजीकरण की स्थिति  i) यदि रा0आ0वैक ने जारी किया हो तो पजीकरण प्रमाणपत्र की स0 य तारीख,				

<ul><li>ii) यदि पंजीकृत नहीं है, तो बताएं क्या पंजीकरण के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र अस्वीकृत हो गया / लंबित है</li></ul>	

भाग - क

# सार्वजनिक निक्षेपों के ब्योरे और अर्थसुलम आस्तियों का अनुरक्षण

1. पिछली दूसरी तिमाही अर्थात् मार्च / जून / सितंबर / दिसंबर 20..... के अंत में बकाया सार्वजनिक निक्षेपों के ब्यौरे (कृपया नीचे टिप्पणी 1 देखें)

(लाख रुपए में)

		(लाख रुपए म)
विवरण	कूट सं0	राशि
जनता से सावधि जमा, आवृत्ति जमा आदि के रुप में प्राप्त निक्षेप	111	,
(i) पब्लिक लि <b>0 कं</b> पनी द्वारा अंशघारकों से प्राप्त निक्षेप	112	
(ii) प्राइवेट लि0 कंपनी द्वारा प्रथम नामित अशंधारक के अतिरिक्त संयुक्त अंशधारकों 'से' प्राप्त निक्षेप	113	
(iii) अपरिवर्तनीय गैर जमानती ऋणपत्रों के निर्गम से प्राप्त राशि (कृपया नीचे टिप्पणी 2 देखें)	114	
(iv) किसी और प्रकृति के निक्षेप	115	
योग (111 से 115)	100	<u> </u>
	जनता से सावधि जमा, आवृत्ति जमा आदि के रुप में प्राप्त निक्षेप (i) पब्लिक लि0 कंपनी द्वारा अंशधारकों से प्राप्त निक्षेप (ii) प्राइवेट लि0 कंपनी द्वारा प्रथम नामित अशंधारक के अतिरिक्त संयुक्त अंशधारकों से प्राप्त निक्षेप (iii) अपरिवर्तनीय गैर जमानती ऋणपत्रों के निर्गम से प्राप्त राशि (कृपया नीचे टिप्पणी 2 देखें) (iv) किसी और प्रकृति के निक्षेप	जनता से सावधि जमा, आवृत्ति जमा आदि के रुप में प्राप्त निक्षेप (i) पब्लिक लि0 कंपनी द्वारा अंशधारकों से प्राप्त निक्षेप (ii) प्राइवेट लि0 कंपनी द्वारा प्रथम नामित अशंधारक के अतिरिक्त संयुक्त अंशधारकों से प्राप्त निक्षेप (iii) अपरिवर्तनीय गैर जमानती ऋणपत्रों के निर्गम से प्राप्त राशि (कृपया नीचे टिप्पणी 2 देखें) 114 (iv) किसी और प्रकृति के निक्षेप

# II. अनुरक्षित अर्भसुलम आस्तियों के ब्यौरेः

1.	अर्थसुलभ आस्तियों की न्यूनतम एशि जो कि विल्लंगमरहित अनुमोदित प्रतिभू तियों में उपरोक्त मद कूट सं0 100 में दर्शाई गई सार्वजनिक निक्षेप राशि के - प्रतिशत पर निवेश करना अपेक्षित है।	121
2.	अर्थसुलम आस्तियों की न्यूनतम राशि जो कि विल्लंगमरहित अनुमोदित प्रतिभू तियों एवं विनिर्दिष्ट अर्थसुला आस्तियों के साथ मद कूट सं0 100 में दर्शाई गई सार्वजनिक निक्षेप राशि के प्रतिशत पर रखनी आवश्यक है।	122
3.	वास्तव में अनुरक्षित अर्थसुलम आस्तियां क. विल्लंगमरहित अनुमोदित प्रतिमूतियां	

	(अनुलग्नक 1 अनुसार विवरण दिए जाएं)	123	
	ख. अनुसूचित बैकों में सावधि जमा या जमाराशि के प्रमाणपत्र	124	
	ग. रा0आ0बैंक में जमाराशि (ख और ग के ब्यौरे अनुलग्नक 2 के अनुसार दिए जाएं)		
	ग. रा <b>0आ0बैंक द्वारा जारी बंधपत्रो</b> में (अनुलग्नक 4 अनुसार विवरण दिए जाएं)	126	
	योग (123 से 126)	120	
4.	(क) निर्दिष्ट बैंक का नाम जहां प्रतिभूतियां जमा की जाती है। (अनुलग्नक 3 अनुसार विवरण दिए जाएं)		
	(ख) जमा की गई प्रतिभूतियों की राशि		
	(i) बही मूल्य	127	
	(ii) बाजार मूल्य	128	
	उल्लेख करें क्या कंपनी ने तिमाही के दौरान दैनिक आधार पर अर्थसुलम आस्तियों को अपेक्षित स्तर पर बनाए रखा	-	
-	क. विल्लंगमरहित अनुमोदित प्रतिभूतियों में (कृपया निशान लगाएं)		हां
			नहीं
	ख. समग्र आधार पर (अर्थात् विल्लंगरहित अनुमोदित प्रतिमूतियों तथा अन्य विनिर्दिष्ट अर्थसुलम आस्तियों के रुप में निवेश ) (कृपया निशान लगाएं)		हां
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		नहीं
	गदि नहीं, तो तिमाही के दौरान तारीखवार कमी दर्शायें (शंलग्नक 5 के अनुसार )		
5.	(क) क्या अंतिम तिमाही के दौरान सांविधिक चलनिधि अनुपात की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया		
	(कृपया निशान लगाएं)		हां
	(_) _0 _0 _)		नहीं
	(ख) यदि नहीं, तो क्या रा0आ0बैंक द्वारा दांडिक ब्याज की मांग की गई? (कृपया निशान लगाएं)		   Ej
			नहीं
	(ग) यदि हां,		
	(i) राशि	129	
	(ii) मुगतान की तारीख	130	

# माग् 🚉 ख

# आवास वित्त कंपनी (रा0आ0बैंक) निर्देश, 2001 (समय समय पर यथा संशोधित) के अनुपालन के संबंध में सूचना

(लाख रुपए में)

			(लाख रुपए में)
1.	निवल स्वाधिकृत निधि (कंपनी के पिछले संपरीक्षित	131	
	तुलनपत्र के अनुसार)		
2.	पूंजी पर्याप्तता अनुपात (कंपनी के पिछले संपरीक्षित	132	
	तुलनपत्र के अनुसार)		<u> </u>
3.	ऋण पात्रता निर्धारण		
	i) समनुदेशित ऋण पात्रता	133	
	ii) ऋण पात्रता निर्धारण की तिथि	134	
	iii) ऋण पात्रता निर्धारित करने वाली एजेंसी का	135	
	नाम		
	iv) क्या पिछले ऋण पात्रता निर्धारण के बाद कोई	136	
	परिवर्तन हुआ (कृपया ब्योरे अलग से दें)		1
4.	आवास वित्त कंपनी (रा0आ0वैंक) निर्देश, 2001 के प्रारंभ	13'7	
	होने की तिथि को कारोबार समाप्ति पर बकाया सार्वजनिक		
	निक्षेप		
5.	आवास वित्त कंपनी (रा0आ0बैंक) निर्देश, 2001 के प्रारंभ	138	
	होने की तिथि को कंपनी द्वारा घारित अतिरिक्त		
	सार्वजनिक जमाराशि, यदि कोई ही '		
6.	यह विवरणी भेजने की तारीख पर बकाया सार्वजनिक	139	
•	निक्षेप (अर्थात् तिमाही का अंतिम कार्यदिवस जिससे यह		
	विवरणी संबंधित है)		
7.	इस विवरणी की तारीखं पर आवास वित कंपनी	140	
	(रा0ाअ0वैक) निर्देश, 2001 के उपबंधों के अनतर्गत		
	अनुमत्य सार्वजनिक जमाराशि की मात्रा		
8.	इस विवरणी की जारीखपर नियमित करने के लिए बकाया	141	
	अतिरिक्त सार्वजनिक निक्षेप की मात्रा		
9.	संदर्भाधीन तिमाही के दौरान स्वीकार किए गए निक्षेपों	142	
	की राशि		
10.	संदर्भाणिन तिमाही के दौरान निक्षेपों की राशि जिनका	143	
	नवीनीकरण किया गया		
11.	इस विवरणी की तारीख पर परिपक्व हुए निक्षेप जिनका		
	मुगतान नहीं किया गया नवीनीकरण नहीं किया गया :		
	(क) खातों की सं0	144	
	(ख) राशि	145	
12.	उपर्युक्त 11 के बारे में, जिनमं राष्ट्रीय आवास बेंक के		
	प्राधिकृत अधिकारी से आदेश प्राप्त हुए		
	(क) खातो की सं0	146	
	(ख) राशि	147	

13. (क) अतिरिक्त सार्वजिनक निक्षेप को नियमित करने के लिए निर्देशों के अन्तर्गत अनुमत्य सीमा में की गई / कार्रवाई की जा रही कार्रवाई (कृपया अलग सारणी में क्यौरा दें)		
	(ख) राष्ट्रीय आवास बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के आदेशों का अनुपालन करने के लिए की गई कार्रवाई (कृपया अलग सारणी में ब्यौरा दे)	

#### माग् - ग

निक्षेप स्वीकार करने के लिए शाखाओं / कार्यालयों को खोलने और बंद करने से संबंधित सूचना

# (क) खोली गई शाखाओं / कार्यालयों की सूची:

शाखाओं / कार्यालयों के नाम और पते	खोलने की तारीख	रा0आ0बँक से हुए पत्राचार की संदर्भ संख्या और तारीख	अभ्युक्ति

# (ख) बंद की गई गई शाखाओं / कार्यालयों की सूची:

शाखाओं / कार्यालयों के नाम और पते	खोलन की तारीख	बंद करने की तारीख	रा0आ0बैंक से हुए पत्राचार की संदर्भ संख्या और तारीख	अम्युक्ति

हम घोषणा करते हैं कि उपर्युक्त सूचना सत्य एवं ठीक है।

स्थान:

तिथि:

प्राधिकृत अधिकारी का नाम तथा

हस्ताक्षर

नोट:

 इम विवरणी के प्रयोजनार्थ, परिसंगत्तियों को आवास वित्त कंपनी (रा०आ०वैंक) निर्देश, 2001 के अनुच्छेद 2 (1) (झ) में किए गए उल्लेखानुसार पिछली दूसरी तिमाही के अंतिम कार्य दिवस तक, क्रम सं0

दैनिक आधार पर तैयार किया जाए और वे सार्वजनिक जमादेयताओं (उस पर प्रोद्भूत ब्याज सहित) से संबंधित होने चाहिएं। उदाहरणार्थ 30 जून, 2000 (अर्थात् 1 अप्रैल, 2000 से 30 जून, 2000) को समाप्त तिमाही के दौरान अर्थसुलम आस्तियों को प्रतिदिन के आधार पर तैयार किया जाए एवं यह 31 दिसंबर, 1999 को समाप्त तिमाही के अंतिम कारोबार समापित दिवस को सार्यजनिक जमादेयताओं से संबंधित होना चाहिए।

- 2 इस मद में अपरिवर्तनीय गैर जमानती डिबेंचरों बंधपत्रों (बैकों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा अमिदत्त को छोड़कर अन्य) तथा उस पर प्रोद्भूत ब्याज शामिल करना चाहिए।
- 3. यह विवरणी संबंधित तिमाही की अंतिम तिथि से 15 दिन के अंदर प्रस्तुत की जाएगी।

### अनुलग्नक -1

अर्थसुलभ आस्तियों की अपेक्षा के प्रति रखी गई अनुमोदित प्रतिमृतियो की सूची

(लाख रुपए में)
प्रतिमूति का नाम राशि (बाजार मूल्य या उल्लिखित स्थाज संग्रहण तिथियां मूल्य, जैसा भी मामला हो)

## अनुलग्नक -2

अनुसूचित वाणिज्यिक बैकों या राष्ट्रीय आवास बैक में रखे निक्षेपों की सूची

(लाख रुपए में)

क्रम	बैंक का नाम	बैंक की शाखा का पता	राशि (प्रोद्भूत ब्याज
₹iu			सहित)
ļ — — — — — — — — — — — — — — — — — — —			
	<u> </u>		L

#### अनुलग्नक -3

#### नामित बैंक (बैंकों) का नाम व पता

क्रम सं0	बैंक का नाम	बैक की शाखा का पता	अभ्युक्ति (रा0आ0बैक को सूचना भेजने वाले पत्र की
			सं0)

# अनुलग्नक -4

# राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी बंधपत्रों में निवेश के ब्यौरे\*

क्रम सं0	विवरण	राशि	ब्याज संग्रहण तिथि

<sup>\*</sup>अनुमोदित प्रतिभूतियों में पहले से शामिल प्रतिभूतियों के अतिरिक्त (अनुबंध - 1)

# अनुलग्नक -5

# अर्थसुलम आस्तियों के अनुरक्षण में कमी के ब्यौरे

# क. अनुमोदित प्रतिभूतियों में कमी

(लाख रुपए में)

<del></del>	<del></del>				(0101 017 1)
	तिथि		अपेक्षित	वास्तव में	कमी
			अनुरक्षित राशि	अनुरक्षित राशि	
से	तक	दिनों की			
		संख्या			
					<u> </u>

ख. कुल अर्थसुलग आस्तियों में कमी (अर्थात् अनुमोदित प्रतिमूतियों व अर्थसुलग आस्तियों के अन्य अनुमत्य रुपों में)

(लाख रुपए में)

	तिथि		अपेक्षित अनुरक्षित राशि	वास्तव में अनुरक्षित राशि	कमी
से	तक	दिनों की संख्या			

# भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद

# भर्ती नियम

# टिप्पणीः

- परिषद कार्यालय द्वारा नियुक्ति व पदोत्रति के लिए समय-समय पर यथासशोधित आदेशो के अनुसार लागू होगी । अजा /अजजा /अपीर्या काडर की भती अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य मिछडा वर्गौ (अ पि वर्ग) के अभ्यर्थियों तथा विकलागों के लिए छूर च रियायते मन्त्रत मर्रकार तथा/अथता व पदोन्नति के लिए कार्मिक, लोक शिकायत एव पेशन मन्नालय, नई दिल्ली द्वारा जारी सामान्य अनुदेश लागू होगे
- आयु-सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख, आवेदन प्राप्ति के लिए नियत अतिम तारीख होगी । रोजगार कार्यालयो स भर्ती के मामले मे आयु निधारण लिए मिणांयक तारीख वह तारीख होगी जब तक रोजगार कार्यालय को नाम भेजने के लिए कहा गया हे 18  $\alpha$
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियो को अनुभव अहंता मे छूट देने के लिए, सक्षम प्राधिकारी, विवेकानुसार निर्णय ले सकेगा जब चयन के किसी स्तर पर उन्हे लगे कि इन समुदायो के, अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पर्याप्त मख्या मे उपलब्ध नहीं हो पाएगे जीर यह आरक्षित पद मर पाना सभव नहीं हो पाएगा । नियुक्ति-प्राधिकारी द्वारा अनुभव से सम्बद्ध अर्हताओं में छूट देने के कारण पाद टिप्पणी में दिए जाए ।
- समय-समय पर यथा सशोधित के सि से (पंशन)नियम,1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के वर्षों को जोड़ने का लाम अनुमत्य होगा খ
- यदि अम्यर्थी अन्यशा उपयुक्त पाया नाता है तो नियुक्ति प्राधिकारी विवेकानुसार अर्हताओं में छूट दे सकेगा । ری
- पदोन्नति के मामलो से वरिष्टता व-मारेट का मानदण्ड अपनाया जाएना । ण्दान्नति के लिए अन्यथा योग्य पाए गए विभागीय अथ्यार्थंगा के मानल ने आयु य शैक्षिक अर्हताओं में छूट टी जा सकेगी । विभागीय पदोन्नति सामिति द्वारा अनुशमा होनं पर सक्षमं प्राधिकारी चरान पदों में अर्हक सेचा में छूट दे सकते 4.
- सगत चयन पद म उच्चतर पदोन्नति के लिए भती नियमों म विहिन अईक सेवा पुरी करने पर ही गैर प्रकार्य चयन ग्रेड लागू होगा
- कार्मिक, लोक शिकायत एव पेशन मत्रालय (कार्मिक एव प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली के का ज्ञा स 35034/1/97-स्थापना(घ) दिनाक 9 8 1999 मे जारी सुनिश्चित कैरियर पोन्नयन गोजना के आदेश परिषद के कर्मचारियो पर भी लागू होगे (अनबध-1)  $\infty$

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के ग्रुप 'क' पदो के भर्ती नियम

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शेक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	7	शैक्षिक योग्यताएं मान्यमा प्राप्त विश्वविद्याल्क्क्से एम बी बी एस तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्याल्क्क्से एम बी बी एस तथा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान डिग्री । अनुभव इस वृत्ति मे 16 वर्ष का अनुभव जिसमे स्नातकोत्तर मेडिकल डिग्री के बाद किसी मेडिकल कालेज मे 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव और मेडिकल कातेज या शिक्षण अनुभव और मेडिकल कातेज या शिक्षण अस्पताल के किसी विभाग मे प्रोपेसर के पद पर कम-से-कम 3 वर्ष का अनुभव । अथवा इस वृति मे कुल 16 वर्ष का अनुभव जिसमे से मारतीय अग्रुर्विज्ञान परिषद मे अपर सदिव के रूप में 2 वर्ष का तथा सयु सविव के रूप में 3 वर्ष का अनुभव ।
सीधी भर्ती के लिण् आयु सीमा	9	40 से 55 वर्ष के बीच , लेकिन सरकारी कर्मचारियों के मामले मे 5 वर्ष तक की दील दी जा सकेगी
क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	5	लागू है
क्या मयन पद है या गैर-चयन पद	4	वयन
वेतनमान	8	18400-500- 22400 तथा यथाअनुमत्य प्रेक्टिसबदी भत्ता
पदो की संख्या	2	-
पद का	-	सिविव

6319

ज्मीदवारों के लिए निर्धारित वर्षि कोई हो सती हारा अथवा पदोत्रति वर्षाति होते हो से ने सिक्त प्रमित्र कार्य और भेरिक वर्षाति वर्षाते कार्य कार्य और भेरिक वर्षाति वर्षाते होता पर भी त्या होगी जाने वाले पदो की जाएगी जाने वाले पदो की जाएगी जाने वर्षाते पदोसित से आप होगी निर्धार सिक्त पदोसित हो कार्य कार्य होगे पर सिक्ष भी मित्र हे सक न पदोसित हो वाले अप महानिदेशक स्वास्त्र (पाई.) सदस्य ने सिक्त अथवा अपर महानिदेशक स्वास्त्र (पाई.) सदस्य सिक्त अथवा अपर महानिदेशक स्वास्त्र (पाई.) सदस्य सिक्त अथवा अपर सिक्त अथवा अपर महानिदेशक स्वास्त्र (पाई.) सदस्य सिक्त अथवा अपर सिक्त अथवा अपर महानिदेशक स्वास्त्र (पाई.) सदस्य सिक्त अथवा अपर सिक्त अथवा अपर महानिदेशक स्वास्त्र (पाई.) सदस्य सिक्त अथवा अपर सिक्त अथवा अपर महानिदेशक स्वास्त्र (पाई.) सदस्य सिक्त अथवा अपर सिक्त अथवा अपर सिक्त अथवा अपर सिक्त के सिक्त हो सिक्त के सिक्त हो सिक्त के सिक्त के सिक्त हो सिक्त के सिक्त हो सिक्त के सिक्त हो सिक्	क्या सीधी मर्ती वाले	परिवीक्षा की अवधि,	भर्ती की पद्धति क्या सीधी	वे ग्रेड जिनसे	यदि विभागीय पदोत्रति समिति/चयन समिति
हारा अथवा प्रति- नियुक्ति/आमेलन इत्ता तथा संविदा/पुननियोजन द्वारा मती विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे की जाएगी जाने वाले पदो की प्रतिशत्ता एक वर्ष पदोन्नति से और इसक न पदोन्नति - रु 16400- होने पर सीधी भर्ती द्वारा 20000/- के ग्रेड मे दो वर्ष की नियमित सेवा वाले अपर सरिव अथवा अपर सचिव संपुक्त सविव के ग्रेड मे मिलांकर 3 वर्ष की नियमित सेवा अथवा अपर स्मेंग्रिक्त का पद रिक्त रहने की स्थिति मे वाले सर्वक सविव	उम्मीदवारों के लिए निर्धारित	यदि कोई हो	मती द्वारा अथवा पदोत्रति	। पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/	मीजूद है तो इसकी संरचना
मियुक्ति/आमेलन इत्सा तथा संविदा/युननियोजन द्वारा भती विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे की जाएगी जाने वाले पद्धे की प्रतिश्वाता 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	की गई आयु और शैक्षिक	***	द्वारा अध्यवा प्रति-		;
जाने वाले पदो की  प्रतिशत्ता  9  10  पदोन्नति से और इसक न  एक वर्ष  पदोन्नति से और इसक न  होने पर सीधी भर्ती द्वारा  सिविव अथवा अपर सिवे  सेवा अथवा अपर स्मेन्न का  पद रिक्त रहने की सिथिति मे  14300-18300/- के ग्रेड मे  तीन वर्ष की नियमित सेवा	योग्यताएं पदोन्नति वाले		नियुक्ति/आमेलन इत्स तथा		
अपीक्षातता     10     11       एक वर्ष     पदोन्नित से और इसक न     पदोन्नित - रु 16400-       एक वर्ष     पदोन्नित से और इसक न     20000/- के ग्रेड मे दो वर्ष       होने पर सीधी भर्ती द्वारा     20000/- के ग्रेड मे दो वर्ष       सीव अथवा अपर सिव के ग्रेड मे     सिलाकर 3 वर्ष की नियमित       सेवा अथवा अपर स्मित्न का     पद रिक रहने की स्थिति मे       पद रिक रहने की स्थिति मे       पद रिक रहने की स्थिति मे       पद रिक स्हने की स्थिति से       पत रिक स्थित वर्ष की नियमित सेवा       पाले स्युक्त साविव	उम्मीदवारो पर भी लागू होंगी		विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे		
प्रकिशति     10     11       एक वर्ष     पदोन्नति से और इसके न     पदोन्नति - रु 16400-       होने पर सीधी भर्ती द्वारा     20000/- के ग्रेड मे दो वर्ष       की नियमित सेवा वाले अपर     सिविव अथवा अपर समिव       संयुक्त सिविव के ग्रेड मे     मिलाकर 3 वर्ष की नियमित       सेवा अथवा अपर स्मिन्न का     पद रिक्त रहने की स्थिति मे       पद रिक्त रहने की स्थिति मे     14300-18300/- के ग्रेड मे       याले स्यूक्त सिवव     याले स्यूक्त सिवव	· •		जाने वाले पदो की		
प्रक वर्ष पदोन्नति से और इसके न पदोन्नति - रु 16400- होने पर सीधी भर्ती द्वारा 20000/- के ग्रेड मे दो वर्ष की नियमित सेवा वाले अपर सिवव अध्यवा अपर सविव संयुक्त सचिव के ग्रेड मे मिलाकर 3 वर्ष की नियमित सेवा अध्यवा अपर स्मेंदिय के पद रिक्त रहने की स्थिति मे 14300-18300/-के ग्रेड मे	, 		प्रतिशतता	•	
एक वर्ष पदित्रति से और इसके न पदित्रति - रु 16400- होने पर सीधी भर्ती द्वारा 20000/- के ग्रेड मे दो वर्ष की निप्रमित सेवा वाले अपर सिद्धेव अथवा अपर सिवेव संयुक्त सिवेव के ग्रेड मे मिलांकर 3 वर्ष की निप्रमित सेवा अथवा अपर स्मेंदिन का पद रिक्त रहने की रिथेति मे 14300-18300/- के ग्रेड मे	8	G	10	-	12
र सीधी भर्ती द्वारा 20000/- के ग्रेड मे दो वर्ष की नियमित सेवा वाले अपर सिवव सिवव अथवा अपर सिवव संयुक्त सिवव के ग्रेड में मिलाकर 3 वर्ष की नियमित सेवा अथवा अपर सम्बेव का पद रिक्त रहने की रिथिति में 14300-18300/-के ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा याले स्यूक्त सिवव	नही	एक वर्ष	पदोन्नति से और इसक न	पदोन्नति - रु 16400-	
म म स्रा		*	होने पर सीधी भर्ती द्वारा	20000/- कें ग्रंड में दो वर्ष	उपाध्यक्ष - सदस्य
<b>中</b> 中到可		<del></del>		की नियमित सेवा वाले अपर	अपर महानिदेशक स्वा सेवा (एम ई.) सदस्य
—————— मिम्बीज				सिविव अथवा अपर सिविव	पिरेषद की कार्यकारिणी समिति तीन सदस्य
——————— म म झी या		-		संयुक्त सचिव के ग्रेड मे	मनोनीत करेगी जबकि परिषद के सचिव - सदस्य-
—————————————————————————————————————				मिलाकर 3 वर्ष की नियमित	सियेव होमे ।
<del></del>				सेवा अथवा अपर सम्बेज का	चयन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन किए जाने
14300-18300/-के ग्रेंड मे तीन वर्ष की नियमित सेवा याले सयुक्त सचिव			_	पद रिक्त रहने की रिथिति मे	की शतिधीन होगा
तीन वर्ष की नियमित सेवा याले सयुक्त सचिव				14300-18300/-के ग्रंड मे	
चाले सयुक्त सचिव				तीन वर्ष की नियमित सेवा	
				पाले सय्क सचिव	

	•				•	
4	सख्या		या गैर-चयन पद	hr-	ेलिए आयु सीमा	शैक्षिक एवं अन्य अहेताएं
-				सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है		
	2	က	4	5	9	7
पूर्णकालिक निरोधक	3	18400-500-	चयन	लागू नहीं	50 से 55 वर्ष <b>क्रे</b> ं बीच (विशिष्ट	<b>अर्हताएं</b> मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस
<u> </u>		्र यथाअनुमत्य			मामलों में दील दी	तथा क्लीनिकल व अक्लीनिकल विषयों में
_		प्रेक्टिसंबदी भता			जा सकेगी)	मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर मेडीकल डिग्री ।
<del></del>						अनुभव
						स्नातकोत्तर मेडिकल डिग्री के बाद 16 वर्ष का
						अनुभव जिसमे से मेडिकल कॉलेज स्नातकोत्तर
						सस्थान मे प्रोफेसर के रूप में कम-से-कम 3
			, , <u></u> ,			वर्ष का अनुभव हो ।
		-,				वांछनीय
_						आयुर्विज्ञान संस्थान मे स्नातकपूर्य व स्नातकोत्तर
						स्तर पर शिक्षण व परीक्षण दोनो का अनुभव
-			-			अथवा शिक्षण अस्पताल या कॉलेजों या
						विश्वविद्यालयों क अधीन एसोसिएशनो मे
-	-		<del></del>			प्रशासन और प्रबंधन का अनुमव हो, इस परिषद्
						मे निरीक्षण तथा अभिविन्यास व मेडीकल शिक्षा
						के क्षेत्र में योगदान हो ।

क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोत्रित वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	। निर्धारित प्रिक नग् होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोत्रति द्वारा अथवा प्रति- नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता		वे ग्रेड जिनसे पदोत्रति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण्/अल्पकालिक- संविदा/पुनर्नियोजन द्वारा की जाएगी	मनी	यदि विभागीय पदोत्रति समिति/चयन समिति मौजूद है तो इसकी संरचना
8		6	10		,	11	12
अपेक्षित ही नही	नही	प्रथमतः पद की कान्यतिष्टा दीन तर्भ	सीधी मती	द्वारा	अपेक्षित	अपेक्षित ही नही	अध्यक्ष अध्यक्ष समस्यम् - महस्य
		की होगी जो परिषद्   62 वर्ष की आय तक				- P H	
		बदा सकेगी ।					सिविव होगे । 
						2	वयन कायकारणा सांनात क अनुनादन प्रम् जान की शर्ताधीन होगा ।
पद का नाम प	पदो की	वेतनमान	क्या चयन पद है	क्या केन्द्रीय	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा	सीधी भर्ती के	सीघी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित
	संख्या		या गैर-चयन पद	(पेशन) नियम, 1972	ਜ. 1972	लिए आयु सीमा	शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
				के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों	) के अप्धीन हेसए वर्षों	, ,	
				का लाभ स्वीकार्य है	कार्य है		
	2	က	4	,	5	9	7
अपर सचिव		16400-450-20000	चयन	লামু	लागू नहीं	40 से 50 वर्ष के	अहंताएं
		तथा यथाअनुमत्य				बीच सरकारी	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम बी बी एस
		प्रेक्टिसबदी भता		·		कर्मचारियो क	तथा मान्यता प्राप्त रनातकोत्तर मेडीकल डिग्री ।
-			_			मामलेमे 5 वर्ष	अनुमव
						तक की दील दी	
						जा सकगा	स्तातकात्र माडकल डिग्रा क बाद ४ वष का किसी मेरीकल कॉकेंक में भिष्णा का थनाजा
							अथवा
							्ट्स तीने में कले 14 वर्ष को अनुभव जिसमें में
		<u> </u>					इत पुरा न युरत 14 वन वन अनुमन निवस्त रा 2 वर्ष की नियमित सेवा भारतीय आयुर्विज्ञान
	DE.						परिषतः म सयुक्त सचिव के रूप में की गयी हो।
				~= .	•		
	_						

_							
यदि विभागीय पदोत्रति समिति/ययन समिति मैजूद है तो इसकी संरचना	12	अध्यक्ष - अध्यक्ष उपाध्यक्ष - सदस्य परिषद की कार्यकारिणी समिति तीन सदस्य मनोनीत करेगी जबकि परिषद के सचिव - सदस्य सचिव होगे । चयन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन किए जाने की शर्ताधीन होगा ।	सीधी मर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित	शैक्षिक एवं अन्य अहताएं		7	अहंताएं  मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम बी.बी.एस. तथा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर मेडीकल डिग्री ।  अनुभव कुल 12 वर्ष का इस वृत्ति मे अनुभव जिसमे से स्नातकोत्तर मेडिकल डिग्री के बाद 5 वर्ष का किसी मेडीकल कॉलेज मे शिक्षण का अनुभव । अथवा इस पुत्ति मे कुल 12 वर्ष का अनुभव जिसमे से 5 वर्ष की नियमित सेवा भारतीय आयुर्वज्ञान परिषद् म उप सिवेव के रूप मे की गयी हो ।
वे ग्रेड जिनसे पदोत्रति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण/अल्पकालिक- संविदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जाएगी	11	पदोत्रति-रू.14,300-18,300 के ग्रंड में संयुक्त सिंदव के रूप में 2 वर्ष की नियमित सेवा या सयुक्त सिचव/ उप सिचें ग्रंड में मिलांकर 6 वर्ष की नियमित सेवा ।		त्तिए आयु सीमा		9	40 से 50 वर्ष के बीच सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक की दील दी जा सकेगी
		पदोत्रति-रू14,300 के ग्रंड में संयुक्त रूप में 2 वर्ष की संधा या सयुक्त रू सचित्र ग्रंड में मिला की नियमित सेवा ।	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा	(पेशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन	सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	5	ला में जिस ह
की पद्धति क्या सीधी द्वारा अथवा पदोत्रति अथवा प्रति- के/आमेलन द्वारा तथ्या त्र पद्धतियों द्वारा भरे वाले पदों की		क्षके न होने द्वारा	क्या केन्द्र	(पेशन) के नियम	सेवा के त का लाभ		
मतीं की पद्धति क्या सीधी मतीं द्वारा अथवा पदोत्रति द्वारा अथवा प्रति- नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथ्या विमित्र पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की	10	पदोत्रति से जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	क्या चयन पद है	या गैर-चयन पद		4	चयन
परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	6	एक वर्ष	वेतनमान			က	14300-400-18,300 तथा यथाअनुमत्य प्रेक्टिसबंदी भत्ता
गले भेए निर्धारित र शैक्षिक ते वाले भी लागू होंगी		d <del>.</del> .	पदों की	मस्या		2	
क्या सीधी मतीं वाले उम्मीदवारों के लिए निर्घारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोत्रति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	8	년 - -	पद का नाम			-	सयुक्त सिचव

यदि <b>विभागी</b> य पदोन्नति समिति/वयन समिति मौजूद है तो इसकी संरचना	12	अस्प्रक्ष - अध्यक्ष उपाध्यक्ष - सदरय परिषद की कार्यकारिणी समिति तीन सदस्य मनोनीत करेगी जबकि परिषद के सिंचव - सदस्य सिंचव होगे । चयन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन किए जाने की शर्ताधीन होगा ।	सीची भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं		7	अर्हताएं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम बी.बी.एस तथा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर मेडीकल डिग्री । अनुभव इस वृत्ति मे 10 वर्ष का अनुभव अवश्य होना चाहिए जिसमे से स्नातकोत्तर मेडिकल डिग्री के बाद 3 वर्ष का किसी मेडीकल कॉलेज में शिक्षण का अनुभव हो ।
मुस	7	<b>पदोशति</b> -उप सिषव (मेडिकल) रु.12,000-18,000 के ग्रेड मे 5 वर्ष की नियमित सेवा ।	सीधी मर्ती के लिए आयु सीमा		9	35 से 45 वर्ष के बीच सरकारी कर्मवारियों के मामले मे 5 वर्ष तक की दील दी जा सकेगी
		<b>पदोश्रति</b> -उप रु.12,000-1 मे 5 वर्ष की	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंझन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन	सवा क जान्ड गए वषा का लाम स्वीकार्य है	2	जा <u>म</u> जा <u>म</u> जा <u>म</u>
की पद्धति क्या सीवी द्वारा अथवा पदोश्रति अथवा प्रति- के/अमेलन द्वारा त्थ्या म पद्धतियों द्वारा भरे वाले पदों की	<b>.</b>	होते न होने	क्या केन्द्र (पंज्ञन) वि के नियम	का लाम		
मर्ती की पद्धति क्या सीवी मर्ती द्वारा अथवा पदोश्रति द्वारा अथवा प्रति- नियुक्ति/आमेलन द्वारा त्थ्या विमित्र पद्धतियां द्वारा मरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	10	पदात्रति से जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	क्या चयन पद है या गैर-चयन पद		4	लागू नहीं
परिविक्ता की अवधि, यदि कोई हो	6	ত্ত বৰ্ষ	वेतनमान		m	12,000-375-18,000 तथा यथाअनुमत्य 25% प्रेक्टिसबंदी भता
वाले लेए निर्धारित र शैक्षिक ते वाले मी लागू होंगी		the.	मदों की संख्या		2	
क्या सीक्षी मतीं वाले उम्मीदवारों के लिए निर्घारित की गई अम्यु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	8		पद का नाम		+	उप सचिव

यदि विभागीय पदोत्रति समिति/चयन समिति मौजूद है तो इसकी संरचना	12	अध्यक्ष - अध्यक्ष उपाध्यक्ष - सदस्य परिषद् की कार्यकारिणी समिति दो सदस्य मनोनीत करेगी जबकि परिषद् के सम्विव - सदस्य सचिव होगे । चयन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन किए जाने की शर्ताधीन होगा ।	सीची भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शीक्षक एवं अन्य अर्हताएं	7	शैक्षिक अर्हता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक । अनुमव सार्वजनिक/उपक्रम/साविधिक या स्वायत सगउन में 10,000-325-15,200 के वेतनमान मे वरिष्ट ग्रुप 'क' अधिकारी के रूप में 5 वर्ष का अनुभव हो और स्थापना, लेखा और प्रशासनिक कार्य का ज्ञान रखते हो ।
त्रक- इत्स भर्ती	11	अपेक्षित ही नही	सीधी भरीं के लिए आयु सीमा	9	(35 से 45 वर्ष के बीच सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक की दील दी जा सकेगी
		<del>程</del> (下 ()	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोडे गए वर्षो का लाभ स्वीकार्य है	5	लागू राष्ट्र
ते क्या सीधी वा पदोत्रति ति न द्वारा तथा यो द्वारा मरे देकी	10	ती द्वारा	क्या कन्द्री (पेशन) नि के नियम सेवा के ज		
मर्ती की पद्धति क्या सीधी मर्ती द्वारा अथवा पदोत्रति द्वारा अथवा प्रति- नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा मरे जाने वाले पदों की	-	सिधी भर्ती द्वारा	क्या घयन पद है या गैर-चयन पद	4	घयन
परिवेक्षा की अवधि, यदि कोई हो	တ	एक वर्ष	वेतनमान	က	12,000-375- 18,000
ाले ए निर्धारित शैक्षिक । वाले । लागू होंगी		(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	महों भी मंख्या	7	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
क्या सीची मर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई आयु और शेक्षिक योग्यताएं पदोत्रित वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	Φ	अपेक्षित ही नही	पद का नाम	-	उप सचिव (प्रशासन)

उन्नाद्यारा के एतर निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोश्रति	महीं हो	नता था पद्धात प्या सीकी मती द्वारा अध्यवा पदोत्रति द्वारा अध्यवा प्रतिः	च उट होत्यात नदानकात्रात्रात्रात्यात्रात्यात्रात्यात्रात्यात्रात्यात्रात्यात्रात्यात्रात्यात्रात्यात्रात्यात्र द्वारा मर्ती की जाएमी	समिति मौजूद है तो इसकी संरचना
बाले उम्मीदवारों पर मी लागू होगी		नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विमिन्न पद्मतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता		
	6	10	11	12
नहीं	दो वर्ष	पदोत्रति से जिसके	क. पदोन्नति रु 10,000-15,200 के वेतन्मान मे	अध्यक्ष - अध्यक्ष
	,	न होने पर सीधी	सहायक सचिव के रूप में 5 वर्ष की ियमित	उपाध्यक्ष - सदस्य
		मती द्वारा	सेवा ।	परिषद की कार्यकारिणी समिति दो
				सदस्य मनोनीत करेगी जबकि परिषद
			ख. प्रतिनिय्क्ति पर स्थानांतरण -केन्द्रीय/राःय	के सिचेव - सदस्य सिचेव होगे ।
			सस्कारो/विश्वविद्यालयों/ सरकारी मेडीकल	वयन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन
			कॉलेजों/अस्पतालों/ सार्वजनिक	किए जाने की शतिधीन होगा ।
			उपक्रम/साविधिक या स्वायत्त सगठनों के	
			कर्मचारी हो और	ı
-			।. नियमित आघार पर सदृश पदो पर तैनात	
			हों अथवा	
			ii. जो 10,000-15,200 के वेतनमान में 5	,
			वर्ष की नियमित सेवा पूरी किए हो;	-
			तथा।।।) सीधी मती के लिए नियारित	
			शैक्षिक अहैता रखते हो और साथ ही	
			स्थापना तथा लेखा सबंधी विषयो का	
			अनुभव रखते हो ।	

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	क्या चयन पद है या मैर-चयन पद	क्या केन्द्रीय सिवित सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोडे गए क्यों	सीधी मती के लिए आयु सीमा	सीधीं भर्ती बाले उम्मीदवारों के लिए अमेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
•		C		का लाम स्वीकार्य है		•
<u>-</u>	N 	<b>77</b>	4	<b>n</b>	٥	\ \frac{1}{2}
विधि अधिकारी		12,000-375-	लागू नहीं	नामु है	35 से 45 वा क क	मिसिक अहंता
	-	18 000			बीच सरकार	स्नातक एल एल वा साहत आर कम स कम
					कर्मचारियाः क्	55% अक लिए हो ।
	_				मामलेम िर्ध	
	~				तक की दील ने	अनुभव
					जा सकेगी	इस वृति मे भारतीय बार काउसिल के साथ
						पजीकरण के नपरात कम से कम 10 वर्ष का
						अनुभव
						वांछनीय
						सरकारी/स्वायत सगठन के विधि विमाग म
						कार्यं अनुभव ।
-						

क्या सीधी मतीं वाले	परिवीक्षा की अवधि,	भर्ती की पद्धति क्या सीधी	वे ग्रेड जिनसे	ह.दे विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति
उम्मीदवारों के लिए निधांरित	यदि कोई हो	मर्ती द्वारा अथवा पदोत्रीत	पदोत्रति/प्रतिनियुक्ति/	मैंजूद है तो इसकी संरचना
ो गई आयु और शैक्षिक		द्वारा अध्यक्त प्रति-	स्थानांतरण/अल्पकातिक	
योग्यताएं पदोत्रति वाले		नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा	संविदा/पुनर्नियोजन द्वारा मर्ती	
אוכסוגו אג או ט <b>וין</b> צוינו		बाभत्र पद्धातया द्वारा भर जाने बाले पदों की	का जाएगा	
		प्रतिशतता		
ထ	တ	10	11	12
अपेक्षित ही नहीं	दो वर्ष	सीधी मती द्वारा	अपेक्षित ही नहीं	ः ध्यास - अध्यक्ष
				उपाध्यक्ष - सदस्य
				परिषद की कार्यकारिणी समिति दो सदस्य मनोनीत
				करेगी जबकि परिषद के सचिव - सदस्य सचिव
				चयन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन किए जाने
				की गतिधीन होगा ।

									टन	<u>.</u> ک	8	4c.	<u>-</u>	\	 •	
सीधी मती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित	<b>शैक्षि</b> क एवं अन्य अर्हताएं	7	शिक्षक अहता		मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ।		अनुमव	) 	सार्वजनिक उपक्रम/सांविधिक या स्वायत संगठन	में 8,000-275-10,500 के वेतनमान में 5	यर्ष की निष्णीमित सेवा या 6500-200-10,500	क ग्रेड में 8 वर्ष की सेवा की हो और साथ ही	स्थापना,लेखा, मूल व पूरक नियमों तथा अन्य	सरकारी नियमों का ज्ञान हो ।	 	
सीयो मती क	लिए आयु सीम	9	35 से 45 नर्ष क	बीच सरकारी	, कर्मचारियो के	मामले मे 5 वर्ष	तक की ढील दी	जा सकेगी								
क्या केन्द्रीय सिवित सेवा   सीधी मर्ती के	(पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाम स्वीकार्य है	9	लागू है						•							
क्या चयन पद है	या गैर-चयन पद	4	चयन													
वेतनमान	,	က	10,000-325-15,200													
पदी	म् संख्या	2	က												 	
पद का नाम		-	सहायक सचिवः													-

क्या सीवी मती परिवीक्षा वाले उम्मीदवारों के अविष्ठे, लिए निर्घारित यदि को की गई आयु हो और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर	परिवेक्षा अविधे यदि कोई हो	मर्ती की पद्धति क्या सीधी मर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रति-नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथ्या विमिन्न पद्धतियों द्वारा मरे जाने वाले पदों की	वे ग्रेड जिनसे पदोत्रति/प्रतिनियुक्ति/ क्थानांतरण/अल्पकालिक- संविदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जाएगी	यदि विमागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति मौजूद है तो इसकी संरचना
ω	6	10		12
नही	दो वर्ष	पदोत्रति/प्रतिनियुक्ति	क) पदोन्नति-रु 8,000 13,500 के ग्रेट में 5 वर्ष की निरामिन सेवा वाले	अध्यक्ष - अध्यक्ष
		मर	प्रशासानिक अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी/अनुभाग अधिकार के ग्रेड मे	उपाध्यक्ष - सदस्य
		स्थानांतरण(अल्पकालिक	मिलाकर 8 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हो या प्रशास्नीक अधिकारी	ं परिषद की कार्यकारिणो
		संविदा भी शामिल	का पद रिक्त रहे होने की स्थिति में 6500-10,500 रुपग क ग्रंड मे 8 वर्ष	सिमिति दो सदस्य
		है) और इनके न होने	की सेवा पूरी कर चुके अनुभाग अधिकारी ।	मनोनीत करेगी जबकि
		पर सीधी मती द्वारा	ख) प्रतिनियुक्ति पर स्थानातरण -केन्द्रीय/राज्य सरकारो/विश्वविद्या~ यो/ सरकारी	परिषद के सचिव -
		टियमी	मेडीकल कॉलेजो/अस्पतालो/ सार्वजनिक उपक्रम/साविधिक या प्वायत सगठनो	सदस्य सचिव होगे ।
		यदि विभागीय प्रत्याशी	के कर्मचारी हो और	, चयन कार्यकारिणी
		को इस पद पर	। नियमित आधार पर सदृश पदो पर तैनात हो, अथवा	सिमिति के अनुमोदन
		नियुक्ति के लिए चुना		किए जाने की शतीधीन
		जाता है तब इसे	॥ जो 8,000-13,500/6500-10,500 के येतनमान में ब्रनाश 5/8 1षे की	होगा ।
		पदोत्रति द्वारा भरा हुआ	नियमित सेवा पूरी किए हो; तथा (ii) सीधी भर्ती के लिए भेंक्षिक यायता रखते	
		पद माना जाएगा ।	हो और स्थापना तथा लेखा सबधी विषयों का अनुभव रखते हो।	

				_									
सीधी मती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं		7	अर्हता	द्वितीय श्रेणी के साथ किसी मान्यता प्राप्त	विश्वविद्यालय से स्नातक ।		अनुभव	सार्वजनिक उपक्रम/सांविधिक या स्वायत्त सगठन	मे अनुमाग अधिकारी के रूप में 5 वर्ष का	अनुमव या ५५८८-५०४०/६५८४-१०,५४७ क ग्रेड मे ८ वर्ष की नियमित सेवा ।	9	बाष्ट्रनाय सरकारी नियमो तथा विनियमो का ज्ञान ।	
सीची मती के जिए आय मीमा		9	35 से 45 वर्ष के बीच सरकारी	कर्मचारियो के	मामले मे ५ वर्ष	तक की दील दी	जा सकेगी						
क्या केन्द्रीय सिविल सेवा   सीधी मती के   (धंजन) दियम 1972   लिए आय सीध	के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाम स्वीकार्य है	S.	लागू है										
क्या चयन पद है या गैर-चयन पट	7	4	चयन										
वेतनमान	; ; ;	ന	8,000-275-13,500										
क्र व	संख्या	2	-										
पद का नाम		-	प्रशास <b>मिक</b> अधिकारी			•			· •				 

पन्दोत्रति वाले उम्मीदवारों पर मी लाग् होंगी	अवधि, यदि कोई हो	नता का चुद्धारा प्रया सीघी मर्ती द्वारा अथवा पदोत्रति द्वारा अथवा प्रति-नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विमित्र पद्धतियों द्वारा मरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	व प्रड जिनसं पदाश्रात/भातानुष्कं स्थानातरण/अस्पकालकं संविदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जाएगी	बाद प्रमिति मीजूद है तो इसकी संरचना
80	6	10	4-1	12
नहीं	दो वर्ष	पदोत्रति/प्रतिनिय्कि पर	क) पदोन्नति-रु 6500-10,500 के ग्रंड में अनुभाग अधिकारी के	अध्यक्ष - अध्यक्ष
		स्थानांतरण(अत्यकालिक	रूप मे 5 वर्ष की नियमित संवा या अनुमाग अधिकारी/अधीक्षक	
		सविदा मी शामिल है)	के ग्रेड में 5500-9000 के वेतनमान में मिलाकर 8 वर्ष की	परिषद की कार्यकारिणी समिति
		और इनके न होने पर	नियमित सेवा पूरी कर चुके हो ।	दो सदस्य मनोनीत करेगी जबकि
		सीधी मर्ती द्वारा	)	परिषद के सचिव - सदस्य
•			ख) प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण -केन्द्रीय/राज्य	सचिव होंगे ।
		टिम्मणी	सरकारों/विश्वविद्यालयों/ सरकारी मेडीकल कॉलेजों/अस्पतालों/	चयन कार्यकारिणी समिति के
		यदि विभागीय प्रत्याशी	सार्वजनिक उपक्रम/सांविधिक या स्यायत्त संगठनों के कर्मचारी हो	अनुमोदन किए जाने, की शर्ताधीन
		को इस पद पर नियुक्ति	अरेर	होगा ।
_		के लिए चुना जाता है	<ol> <li>नियमित आधार पर सदृश पदों पर तैनात हों</li> </ol>	
		तब इसे पदोत्रति द्वारा	अथवा	
		मरा हुआ पद माना	<ol> <li>जो 6500-10,500/5500-9000 के येतनमान मे क्रमशः 5/8</li> </ol>	
		जाएगा ।	वर्ष की नियमित सेवा पूरी किए हों, तथा (iii) सीधी मनी के	
			लिए निधारित शैक्षिक अहंता रखते हो और साथ ही स्थापना	
			तथा लेखा मंबदी विषयो का अनुभव रखते हो ।	

55 से 45 वर्ष के बीच सरकारी कर्मचारियां के मामले मे 5 वर्ष तक की दील दी जा सकेगी	संख्या		क्या परन्त पद ह या गैर-चयन पद	क्या कन्द्राय ।सार्वल सर्वा (पॅजन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाम स्वीकार्य है	तिए आयु सीमा	संस्थिक एवं अन्य अहंताएं
लागु है 35 से 45 वर्ष के बीच सरकारी कमंद्रारियां क मामले मे 5 वर्ष तक की दील दी जा सकेगी	2	3	4	2	9	7
कर्मचारियां क मामले में 5 वर्ष तक की दील दी जा सकेगी	80	,000-275-13,500		लागु है	35 से 45 वर्ष के बीच सरकारी	अहंता
मामले में 5 वर्ष तक की ढील दी जा सकेगी		- <del></del>			कर्मचारियां क	डीसीए. या एम.सी.ए.के मध्य
तक की दील दी जा सकेगी					मामले मे 5 वर्ष	१/ गणित
जा सकेगी				-	तक की दील दी	ऑपरेशन रिसर्च/भौतिक विज्ञान या अर्थशास्
	<b></b> -				जा सकेगी	(स्टेटेस्टिक्स सहित)वाणिज्य (स्टेटेस्टि
प्राप्त वि विज्ञान में अनुभव वास्तिविक अनुभव । अनिवार्य सनातकोर	<del></del>			,		सहित)में स्नातकोत्तर डिग्री या किसी मान्यता
हलेक्ट्रानि अनुभव । अनुभव । अनिवार्य । सनातकोर		•				प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग/कप्यूटर
हलेक्ट्रानि अनुभव । अनुभव । <b>बांधनीय</b> अनिवार्य सनातकोर						विज्ञान मे या इसके ममकस डिग्री।
इलेक्ट्रानि अनुमव वास्तिविक अनिवार्य स्नातकोर						
अनुमव   बास्तविक अनुमव   बां <b>एनीय</b> अनिवार्य स्नातकोर						इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग कार्य में 5 वर्ष का
बास्ताविक अनुभव । बा <b>धनीय</b> अनिवार्य स्नातकोर (डिग्री प						अनुमव जिसमें से इलैक्ट्रानिक कम्प्यूटर पर
अनुमव । बां <b>एनीय</b> अनिवार्य स्नातकोर						वास्तिविक प्रोग्रामिंग का कम से कम 2 वर्ष का
बांग्रनीय       अनिवार्य       स्नातकोर       डिग्री						अनुभव ।
अनिवार्य स्नातकोर । डिग्री प						वांग्नीय
***       (8:4)       (3:4)						अनिवार्य अर्हता के रूप में दशीए विषयों मे
						स्नातकोत्तर इंजीनियरी डिग्री या डॉक्ट्रेट
H = 7-1-1		-,				डिग्री एक या ज्यादाप्रोग्रामिंग माषाओ का
						ज्ञान(मर्ती के समय उल्लेख करे)

यदि विमागीय पदोन्नति समिति। चयन समिति मीजूद है तो इसकी संरचना	12	अध्यक्ष - अध्यक्ष	उपाध्यक्ष - सदस्य	परिषद की कार्यकारिणी समिति	दो सदस्य मनोनीत करेगी जबकि	परिषद के सविव - सदस्य सविव	होगे।	चयन कार्यकारिणी समिति के	अनुमोदन किए जाने की शर्ताधीन	होगा ।
वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण/ अल्पकालिक संविदा/ युनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जाएगी	\$	अपेक्षित ही नहीं								
यदि मत्त्री की पद्धति क्या सीवी मती द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	10	सीधी मर्ती अथवा प्रतिनियुक्ति	द्वारा							
	6	दो वर्ष								- !
क्या सीधी मती वाले परिवीक्षा की अवधि, सम्मीदवारों के स्लिए निर्धारित कोई हो क्की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर मी लागू होंगी	8	अपेक्षित ही नहीं								

क्या सीची भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोत्रति वाले उम्मीदवारों पर	परिवीक्ता की अवधि, यदि कोई हो	क्या सीधी भर्ती परिवेक्षा की मर्ती की पद्धति क्या वाले उम्मीदवारों के कोई हो पदोत्रित द्वारा अथवा लिए निर्धारित की गई आयु हारा तथा विभिन्न और शैक्षिक योग्यताएं पदोत्रित वाले उम्मीदवारों पर	वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण/अल्पकालिक- संविदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जाएगी	यदि विभागीय पदोत्रति समिति/ चयन समिति मौजूद है तो इसकी संरचना
માં લાવી જાવા	o	0	11	12
<b>ס</b>	)	2		
tr Tw	वर्ष जी	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति-रु 5500-175-9000 के ग्रंड में अधीक्षक के रूप में 3 वर्ष की नियमित सेवा ।	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष - अध्यक्ष परिषद की कार्यकारिणी समिति द्वारा मनोनीत 2 सदस्य जबिक परिषद के सचिव - सदस्य सचिव होगे । चयन कार्यकारिणी समिति के
				होगा

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के ग्रुप 'ख'पदों के मर्ती नियम

पद का नाम	में के चे	वेतनमान	क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	क्या केन्द्रीय सिवित सेवा (पेशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के ओड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	सीषी मतीं के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
<b>-</b>	2	ဇ	4	5	9	
लेखा अधिकारी	<del>-</del>	6500-200-10,500	च थ न	ਕਾ ਜ਼ਿੰ	35 से 45 वर्ष के बीच सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक की दील दी जा सकेगी	अहंता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री। अनुभव केन्द्रीय/राज्य सरकार/ सार्वजनिक उपक्रम/ सांविधिक या स्वायत संगठन मे रु.5500- 175-9000 के वेतनमान में लेखाकार के रूप में 3 वर्ष का अनुभव ।

क्या सीधी मतीं परिवीक्षा की वाले अवधि, यदि उम्मीदवारों के कोई हो लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोत्रति वाले उम्मीदवारों पर	परिविक्षा की अवधि, यदि कोई हो	मर्ती की पद्धति क्या सीधी मर्ती द्वारा अथवा पदोज्ञति द्वारा अथवा प्रति-नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	वे ग्रेड जिनसे पदोत्रति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण/अत्मकालिक- संविदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जाएगी	यदि विभागीय पदोत्रति समिति/ चयन समिति मीजूद है तो इसकी संरचना
8	6	10	11	12
रेहें	प् प	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर्स्थानांतरण(अल्पकालिक संविदा भी शामिल है) और इनके न होने पर्स्थाधी भंती द्वारा हिष्पणी यदि विभागीय प्रत्याशी को इस पद पर नियुक्ति के लिए चुना जाता है तब इसे पदोन्नति द्वारा भरा हुआ पद माना जाएगा।	क) पदोत्रति-रु.5500-175-9000 के ग्रेड में लेखाकार के रूप में 3 वर्ष की नियमित सेवा ।	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष - अध्यक्ष परिषद की कार्यकारिणी समिति द्वारा मनोनीत 2 सदस्य जबिक परिषद के सिचेव - सदस्य सिचेव होगे । चयन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन किए जाने की शर्ताधीन होगा ।

पद का नाम	संस्कृति में	वेतनमान	क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
-	2	က	4	2	9	7
निज् रे	-	6500-200-10,500	म य न	E. P. S.	25 से 35 वर्ष के बीच सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक की दील दी जा सकगी ।	अहंता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री। अनुभव सरकारी / अर्थसरकारी, साविधिक निकाय/ सार्वजानिक क्षेत्र के उपक्रम या शिक्षण सस्थान मे आशुलिपिक, वैयोक्तिक सहायक के रूप मे 5500-175 9000 के वेतनमान में 3 वर्ष की नियदित सवा ।

क्या सीधी मतीं वाले उम्मीदवारों के लिए निर्मारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोत्रति वाले उम्मीदवारों पर	परिवेक्षा की अविधे, यदि कोई हो	क्या सीक्षी मती परिवीक्षा की मतीं की पद्धति क्या वाले उम्मीदवारों के कोई हो परोअति द्वारा अथवा लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोअति वाले सी लागू होंगी	वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण/अल्पकालिक- संविदा/पुनर्नियोजन द्वारा मर्ती की जाएगी	यदि विभागीय पदोत्रति समिति/ चयन समिति मीजूद है लो इसकी संरचना
æ	6	10	11	12
1	दी वर्ष	पदोन्नति/प्रतिनिय्क्ति पर	क) पदोन्नति-रु 5500-9000 के ग्रेड में निजी सहायक के रूप में	अस्यक्षा/उपाध्यक्ष - अध्यक्ष
		स्थानांतरण(अत्मकातिक	3 वर्ष की नियमित सेवा ।	
				पिरेषट की कार्यकारिया समिति
		ייין און אוויא פייין		יוייי לי ליוייי
		और इनके न होने पर	ख) प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण -केन्द्रीय/राज्य	दो सदस्य मनोनीत करेगी जबकि
	· <u>-</u>	सीधी मर्ती द्वारा	ं सरकारों/विश्वविद्यालयो/ सरकारी मेडीकल कॉलेजो/अस्पतालों/	परिषद के सचिव - सदस्य
	_		सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/साविधिक या स्वायत संगठनों का	सिंचेव होंगे ।
		िसमी	कर्मचारी हो और	चयन कार्यकारिणी समिति के
		यदि विभागीय प्रत्याशी	. नियमित आयार पर संदुश पंद पर तैनात हो	अनुमोदन किए जान की शर्तांबान
		को इस पद पर नियुक्ति	अथवा	होगा ।
		के लिए चुना जाता है	ii: जो 5500-9000/ <b>50</b> 00-8000 के वेतनमान में क्रमश <sup>.3</sup> /6	
		तब इसे पदोन्नति द्वारा	वर्ष की नियमित सेव, पूरी किए हो; तथा (iii) सीधी भती के	
		भरा हुआ पद माना	लिए निर्घारित शैक्षिक अहैता रखते हो ।	
		जाएगा ।		

	_			
सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारो के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताए	7	<b>अहंता</b> मान्यता प्राप्त विश्वविद्यातय से डिग्री । <b>अनुभव</b>	5000-8000 क चतनमान म आशुलिपिक क रूप मे 3 वर्ष की नियमित सेवा तथा आशुलिपिक व टाइपिंग म निम्मानुसार प्रवीणता	आशुलिप में 120 शपमि की गति तथा टाइपिगमें 40 शपमि की गति।
सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	9	25 वर्ष और सरकारी कर्मचारियों के मामले म 5 वर्ष तक की दीत्त दी	्रा सम्बद्धाः स्वरु	
क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोडे गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	വ	यो जिल्ला जिल्ला		
क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	4	गैरचयन		
वेतनमान	ဇ	5500-175-9000		
मदों संख्या	2	-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
पद का नाम	<b>,-</b> -	वैयक्तिक सहायक		

8     9     10       नही     दो वर्ष     पदोत्रति से और इसके     क) पदोत्रति-रु 5000-8000/450       द्वारां     5000-8000/450       संवाकाल     ।       ख) प्रतिनियुक्ति पर स्था       सरकारो/विश्वविद्याल       सार्वजनिक क्षेत्र के       कर्मचारी हो और       ।     नियमित आधार पर       ।     जो 5000-8000/	क्या सीधी भर्ती परिवीक्षा की मर्ती की पद्धति क्या वे ग्रेड जिनसे पदात्रति/ग्रितिनियुक्ति/ स्थानांतरण/अल्पकालिक- वाले उम्मीदवारों के कोई हो पदोत्रति द्वारा अथवा लिए निर्धारित की गई आयु द्वारा तथ्या विमिन्न ओर शैक्षिक योग्यताएं अप शैक्षिक पदोत्रति वाले उम्मीदवारों पर	यदि विभागीय पदोत्रति समिति/ चयन समिति मौजूद है तो इसकी संरचना
दो वर्ष पदोन्नति से और इसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारां।		12
(B) = =		1
(1)	382百 5000 8000 4500 7000 本 中 中 中 中	परिषद की कार्यकारिणी समिति
(a)	JUU/43UU-1UUU & 11S મ (મલાંભર 0 વર્ષ 	का   दा संदर्भ मंगानात करमा जबाक   परिषद के सचिव संदस्य
T 01 41 41 7	The state of the s	सचिव होगे ।
Pr 10 +-	्ष) प्रातानयुक्त पर स्थानातरण -कन्द्राय/राज्य सरकारो/विश्वविद्यालया/ सरकारी मेडीकल कॉलेजो/अस्पतालो/	. वयन कायकाारणा सामग्त फ अनुमोदन किए जान की शत्तिघीन
10 +-	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/साविधिक या स्वायत्त सगठनो के	होगा ।
—	कर्मचारी हो और	
	i नियमित आधार पर सदृश पदो पर तैनात हो	
	अध्यवा	
र प्राप्त कि कि	॥ जो 5000-8000/4000-6000 के वेतनमान में क्रमश 3/10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी किए हो	

	4(11)	ं क्या चयन पद ह	क्या केन्द्राय सिवित सेवा साधा भता क	सीधा भता क	सीधी भती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित
<del>S</del>		या गैर-चयन पद	(पेंशन) नियम, 1972	लिए आयु सीमा	शैक्षिक एवं अन्य अहैताएं
संख्या			क नियम 30 के अधीन	)	
			सेवा के जोड़े गए वर्षों		
-			का लाम स्वीकार्य है		
2	က	4	5	9	7
5	5500-175-9000	गैरचयन	लागू है	25 से 30 वर्ष के	अहंता
			·	बीच और सरकारी	
<del></del> -				कर्मचारियो के	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री।
				मामले में 5 वर्ष	
- <del>-</del> -				तक की दील दी	अनुभव
_				जा सकेगी -	
·					सरकारी / सार्वजनिक/ अर्घसरकारी/ उपक्रभ/
					सांपिषिक निकाय अथवा स्वायत सगठन मे
					5000-8000 के वेतनमान में मुख्य लिपिक के
					रूप में 3 वर्ष की नियमित सेवा ।
_					

यदि विभागीय पदोत्रति समिति/ चयन समिति मौजूद है तो इसकी संरचना	12	रूप अध्यक्ष/उपाध्यक्ष - अध्यक्ष परिषद की कार्यकारिणी समिति को सदस्य मनांनीत करेगी जबिके परिषद के सचिव - सदस्य सचिव होगे । चयन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन किए जाने की शतोधीन होगा ।
वे ग्रेड जिनसे पदोत्रति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण/अत्पकालिक- संविदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जाएगी		क) पदोत्रति-रू 5000-8000 के वेतनमान में मुख्य लिपिक के रूप भे र वर्ष की नियमित स्वा अथवा 5000-8000/4500-7000 के ग्रंड में मिलाकर 6 वर्ष जा सेवाकाल 1
मर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोत्रति द्वारा अथवा प्रति-नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	10	पदोत्रति द्वारा और इसके न होने पर सीधी मती से ।
परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	ð	दो वर्ष
क्या सीधी भर्ती   परिविक्षा की वाले उम्मीदवारों के कोई हो लिए निर्धारित की गई आयु और शेक्षिक योग्यताएं पदोत्रित वाले उम्मीदवारों पर	80	ਜੂ ਜ

hr:	· · ·	के क् <i>र्र</i>
सीधी मर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	7	अहंता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री। अनुभव सरकारी / सार्वजनिक/ अर्धसरकारी/ उपक्रम/ सांविधिक निकाय अथवा स्वायत संगठन में 5000-8000 के वेतनमान मे मुख्य लिपिक के रूप में 3 वर्ष की नियमित सेवा।
सीधी मर्ती के लिए आयु सीमा	9	25 से 30 वर्ष के बीच और सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक की दील दी जा सकेगी 1
क्या केन्द्रीय सिविल सेवा सिधी मर्ती के (पेंशन) नियम, 1972 लिए आयु सीम्के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाम स्वीकार्य है	5	<b>4</b> ω Ε <sup>ο</sup>  Σ
क्या चयन पद है या मैर-चयन पद	4	भैरचयन
वेतनमान	ဇ	5500-175-9000
मुद्धा	2	
पद का नाम	-	लेखाकार

क्या सीवी मतीं वाले उम्मीदवारों के लिए निव्वारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोत्रति वाले उमीदवारों पर	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	क्या सीधी मर्ती परिवीक्षा की मर्ती की पद्धित क्या वाले उम्मीदवारों के कोई हो पदोत्रित द्वारा अथवा लिए निर्मारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोत्रित वाले सि लागू होंगी	वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण/अल्पकालिक- संविदा/पुनर्नियोजन द्वारा मर्ती की जाएगी	यदि विभागीय पदोत्रति समिति/ चयन समिति मौजूद है तो इसकी संरचना
8	6	10		12
नहीं	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा और इसके न होने पर सीधी	क) पदोत्रति-रु.5000-8000 के वेतनमान में मुख्य लिपिक क रूप में 3 वर्ष की नियमित सेवा	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष - अध्यक्ष
		मतीं से ।	अथवा	परिषद की कार्यकारिणी समिति
			5000-8000/4500-7000 के ग्रंड मे मिलाकर 6 वर्ष का	दो सदस्य मनानीत करेगी जबकि
			सेवाकाल ।	परिषद के सचिव - सदस्य
				सिव होगे ।
				चयन कार्यकारिणी समिति के
		_		अनुमोदन किए जाने की शर्ताघीन
				होगा ।

क्या सीधी मर्ती परिविक्षा ी वाले उम्मीदवारों के कोई हो लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नित वाले उमीदवारों पर	परिवेक्षिता ी अवधि, यदि कोई हो	मती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोत्रति द्वारा अथवा प्रति-नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण/अल्पकालिक- संविदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जाएगी	यदि विभागीय पदोत्राति समिति/ चयन समिति मौजूद है तो इसकी संरचना
œ	o	10		12
नही	दो वर्ष	पदोत्रति द्वारा और	क) पदोन्नति-रु.4000-6000 के वेतनमान में आशुलिपिक गेड-3 के	सचिव-अध्यक्ष
		इसके न होने पर सीघी	रूप मे 8 वर्ष की नियमित सेवा	संयुक्त सचिव, उप सचिव,
<b></b>		मती से ।	अथवा	सहायक सचिव(प्रशासन)-सदस्य
			4500-7000 के वेतनमान में 3 वर्ष की नियमित सेवा ।	,
				चयन कार्यकारिणी समिति के
			ख) प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण -केन्द्रीय/राज्य	अनुमोदन किए जाने की शर्ताधीन
			सरकारों/विश्वविद्यालयों/ सरकारी मेडीकल कॉलेजों/अस्पतालों/	होगा ।
		-	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सांविधिक या स्वायत संगठनों के	
			कर्मचारी हों और	
			i. नियमित आधार पर सदृश पदों पर तैनात हो	
			ii. जो 4000-6000 के वेतनमान के पद में 8 वर्ष की नियमित	
<del></del> -			सवा पूरा किए है। iii सिक्ती भरी के जिल किशिटिन शैकिक योग्याना रखने हो	
			- }	

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के ग्रुप 'ग'पदों के मर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	क्या केन्द्रीय सिवित सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन मेवा के त्योदे गा वर्षों	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी मर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
				का लाभ स्वीकार्य है		
-	7	င	4	ß	9	7
हिंदी अनुवादक	-	5000-150-8000	लागु नहीं	लागू है	25 से 30 नर्ष के	अहंता
· -			ı		बीच और सरकारी	मान्यंता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी/अंग्रेजी मे
-	_				कर्मचारियों के मामले	मास्टर डिग्री तथा अग्रेजी/हिंदी डिग्री स्तर पर
					में 5 वर्ष तक की	मुख्य विषय रहे हो या किसी मान्यता प्राप्त
_					दील दी जा सकेगी	विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री जिसका माध्यम
		•				हिंदी हो और डिग्री स्तर पर अग्रेजी अनिवार्य
						विषय के रूप मे पास की हो या स्नातक डिग्री
						मे हिदी तथा अग्रेजी मृख्य विषय हो और इन
					···	दोनों में से एक परीक्षा का माध्यम रहा हो
	-					ं जबकि दूसरा मुख्य विषय हो । साथ ही हिंदी
-	_					से अग्रेजी या अग्रेजी से हिंदी अनुवाद में
						मान्यता प्राप्त डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स किया
						हो या हिंदी से अग्रेजी या अग्रेजी से हिंदी मे
_						किसी केन्द्रीय/राज्य के सरकारी कार्यालय या
						भारत सरकार के उपक्रम में अनुवाद का दो वर्ष
						का अनुभव हो ।
						अनुभव
						र 4500 125 7000 क ग्रन्मे तीन वर्ष की
						नियमित सेवा ।
			1	-		

क्या सीधी भर्ती परिवेक्षा की वाले उम्मीदवारों के कोई हो लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नित वाले उमीदवारों पर	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	मर्ती की पद्धति क्या सीधी मर्ती द्वारा अथवा पदोत्रति द्वारा अथवा प्रति-नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विमित्र पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशत्तता	वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण/अल्पकालिक- संविदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जाएगी	यदि विभागीय पदोत्रति समिति/- चयन समिति मौजूद है तो इसकी संरचना
ω	6	10		12
नहीं	वो वर्ष	सीधी मती से	अपेक्षित ही नहीं हैं ।	सचिव-अध्यक्ष सयुक्त सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव(प्रशासन)-सदस्य चयन कार्यकारिणी समिति क अनुमोदन किए जाने की शतिधीन होगा ।

पद का नाम	पदो	वेतनमान	क्या चयन पद है	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा सीधी मर्ती के लिए	सीधी मतीं के लिए	सीधी मती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित
	संख्या		या गैर-चयन पद	(पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाम स्वीकार्य है	आयु सीमा	शैक्षिक एवं अन्य अहंताएं
<b>Y-</b>	2	ო	4	2	9	7
मुख्य लिपिक	0	5000-150-8000	गैर-चयन	한 돈	30 से 35 वर्ष के बीच और सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक की डील दी जा सकेगी।	अहंता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री । अनुमंब सरकारी/सरकारी अस्पताल/ विश्वविद्यालय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ साविधिक निकाय या स्वायत सगठन या शिक्षण सस्थान मे रु.4000-6000 के वेतनमान में उच्च भ्रेणी लिपिक/स्टारकीपर के रूप में 8 वर्ष की नियमित सेवा ।

क्या सीधी मतीं परिवीक्षा की वाले उम्मीदवारों के कोई हो लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	मतीं की पद्धति क्या सीधी मतीं द्वारा अथवा पदोत्रति द्वारा अथवा प्रति-नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	वे ग्रेड जिनसे पदोत्रति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण/अल्पकालिक- संविदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जाएगी	यदि विभागीय पदोत्रति समिति/ चयन समिति मौजूद है तो इसकी संरचना
. œ	6	10		12
नहीं	दो वर्ष	पदोत्रति से जिसके न	पदोन्नति-रु 4000-6000 के ग्रेड में उच्च श्रेणी लिपिक/स्टोरकीपर	सचिव-अध्यक्ष
		होने पर सीधी भर्ती द्वारा	के रूप मे 8 वर्ष की नियमित सेवा	सयुक्त सचिव, उप सचिव,
			या	सहायक सचिव(प्रशासन)-सदस्य
			रु 4500-7000 के वेतनमान में 3 वर्ष की नियमित सेवा ।	
				चयन कार्यकारिणी समिति के
				अनुमोदन किए जाने की शतिधीन
				होगा ।

												_		_						_	_	 	 
सीधी भरी वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित	शैक्षिक एवं अन्य अहंताएं					7	अहंता	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय सं हिग्री या इसके	समकस अर्हता और डाटा एंद्री कार्य में प्रति घंटा	कम से कम 8000 कुजीवालन की गति हो ।		टिमगी:	क्रांटा एट्टी कार्य में प्रतिघंटा 8000 कुंजीयालन की	गति होने का मूल्यांकन ई.डी.पी मधीन पर सक्षम	प्राधिकारी द्वारा गति परीक्षा लेकर किया जाएगा ।		क्युंग्य	र.3050-4590 के वेतनमान में डाटा पट्टी	अग्परेटर ग्रेड-1 के इस में 3 वर्ष की नियमित	सेवा			
न्या केन्द्रीय सिवित सिवी मती क निग आयु	सीमा					9	18 से 27 वर्ष के बीच	और सरकारी कर्मचारियों	के मामले में 5 वर्ष तक	की ठील दी जा सकेजी।													
ह्या केन्द्रीय सिवित	सेवा (पेंशन) नियम,	1972 के नियम 30	के अधीन सेवा के	जोड़े गए वर्षों का	लग्ग स्वाकार्य है	9	लागू है																
क्या द्यान पद	***	या गैर-चयन	पद			4	लागू नही														_		 
वेतन्मान	-					3	4000-100-6000			•												 1	 
पदों की	संख्या		<u> </u>			C)	2									**			<del></del>		<b></b>	 	
मद का	표	_	<b></b> , :		74.	<b>*</b>	केप्यूटर	अस्मिटर			_											 	·

	क्यां सीधी भर्ती   परिविक्षा की वाले उम्मीदवारों के कोई हो लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोत्रति वाले उम्मीदवारों पर	परिवेक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोत्रति द्वारा अथवा प्रति-नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	वे ग्रेड जिनसे पदोत्रति/प्रतिनियुक्ति/ स्था संविदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जाएगी	वे ग्रेड जिनसे पदोत्रति/प्रतिनियुक्तिं स्थानांतरण/अत्पकालिक- संविदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जाएगी		यदि विमागीय पदोत्रति समिति / चयन समिति मौजूद है तो इसकी संरचना
- "	ω	6	10		11		12
	अपक्षित ही नही	च च च	सीधी मर्ती द्वारा		अपेक्षित ही नहीं ।	सिष्टेव-अध्यक्ष सयुक्त सिचेव सहायक सिट ययन कार्येव अनुमोदन कि	सिवेव-अध्यक्ष सयुक्त सिवेव, उप सिवंव, सहायक सिवंव(प्रशासन)-सदस्य वयन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन किए जाने की शर्ताधीन होगा ।
पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	ान क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाम स्वीकार्य है	सीधी मतीं के लिए आयु सीमा	सीधी मतीं वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	ारों के लिए अपेक्षित
+	2	က	4	5	မ		7
आशुलिपिक ग्रेड-3	<del>वि</del>	4000-100-6000	- <del>6</del> 000 लागू नहीं	त्र होत्र प्रमुख	18 से <b>2,3</b> वर्ष के बीच और सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक की ढील दी जा सकेगी ।	अहंता मैट्रिक या इसके समकक्ष । आशुलिपि(अंग्रे 80 श.प्र.मि. की गति तथा टाइपिंग(अंप्रेजी) श.प्र.मि. की गति । बांछनीय अहंता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिग्री	अहंता मेट्रिक या इसके समकक्ष । आशुलिपि(अंग्रेजी) मे 80 श.प्र मि. की गति तथा टाइपिंग(अंग्रेजी) मे 40 श.प्र मि. की गति । बांछनीय अहंता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिग्री ।

क्या सीधी मती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोत्रति वाले उम्मीदवारों पर	र्ग परिविक्षा की स्रे अवधि, यदि स्त कोई हो	मर्ती की पद्धित क्या सीधी मर्ती द्वारा अथवा पदोत्रीत द्वारा अथवा प्रति-नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे उ वाले पदों की प्रतिशत	मर्ती की पद्धित क्या सीधी मर्ती द्वारा अथवा पदोत्रीत द्वारा अथवा प्रति-नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	वे ग्रेंड जिनसे पदोत्रति/प्रतिनियुक्ति/ स्था संविदा/पुनर्नियोजन द्वारा मर्ती की जाएगी	वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण/अत्पकालिकः संविदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जाएगी	मका <u>लिक</u>	यदि विमागीय पदान्नति समिति चयन समिति मौजूद है तो इसकी संरचना
ω,	6		10		11		12
अपेक्षित ही नहीं	ही वर्ष	सीधी 1	सीधी मती द्वारा		अपेक्षित ही नहीं ।		सिवन-अध्यक्ष संयुक्त सिवव, उप सिवव, सहायक सिचव(प्रशासन)-सदस्य
							चयन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन किए जाने की शर्ताधीन होगा ।
पद का पदों की	देतनमान		क्या चयन पद	क्या केन्द्रीय सिविल	सीधी भर्ती के लिए आयु	सीधी मर्ती वाले	सीधी मर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित
नाम संख्या		anc F	AC AC	सेवा (पेशन) नियम, 1072 के नियम २०	सीमा	शीक्षक एवं अन्य अहताए	प अहंताए
		석	, he	के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का			
<del></del>				लाभ स्वीकार्य है			
1	6		4	2	မှ		7
टेलीफोन	4000-100-6000	0009-0	लागू नही	लामु है	18 से 🔏 यर्ष के बीच और सरकारी कर्मकारियों	अर्हता	
आपरदर्भ व- स्वागती					के मामले में 5 वर्ष तक	मैट्रिक या इसके समकक्ष	5 समकक्ष ।
					की दीत दी जा सकेगा ।	अनुभव	
						सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र वे निकाय या स्वायत्त संगठन, टेलीफोन,पी बी एक्स, फैक्स रूप मे 5 वर्ष का अनुभव	सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपकम/ साविधिक निकाय या स्वायत संगठन/शिक्षण सस्थान मे टेलीफोन,पी बी एक्स, फैक्स व टेलेक्स ऑपरेटर के रूप में 5 वर्ष का अनुभव ।

क्या सीधी मती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई आयु और शेक्षिक योग्यताएं पदोन्नाते वाले उम्मीदवारों पर		परिवीक्षा की भर्ती की पद्धति क्या अवधि, यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा कोई हो पदोन्नित द्वारा अथवा प्रति-नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	दे ग्रेड जिनसे पदोत्रति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण/अल्पकालिक- संविदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जाएगी	यदि विभागीय पदोत्रति समिति / चयन समिति मौजूद है तो इसकी संरचना
ဆ	6	10	11	12
अपेक्षित ही नही	दा व	सीधी मती	अपेक्षित ही नहीं ।	सनिव-अध्यक्ष सयुक्त सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव(प्रशासन)-सदस्य चयन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन किए जाने की शतिधीन

सीधी मर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	7	<b>अहंता</b> नान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या इसक समकक्ष समकक्ष <b>अनुभव</b>	िकिसी सार्वजनिक या निजी सैक्टर की विस्थात कपनी भ स्टोर तथा स्टोर्स का लखा नप्या रखने का एक वर्ष का अनुभव ।	वाछनीय अहंता	१ पट पया मन्/ लेखाकारिता में दिख्येमा ।
सीमा सीमा	9	18 से र्र्यः वर्ष के बीच और सरकारी कर्मचारियों के मामले म 5 वर्ष तक की ढील दी जा सकेगी ।			
क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	ro.	लाम हे			
क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	4	गैर-वयन			
वेतनमान	က	4000-6000			
मदों की संख्या	2	<del>, .</del>			
पद का नाम	-	स्टोरकीपर		- <u>-</u>	

क्या सीधी मतीं वाले उम्मीदवारों के लिए निर्वारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोशित वाले उम्मीदवारों पर	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	मतीं की पद्मितं क्या सीधी भरीं द्वारा अथवा पदोत्रति द्वारा अथवा प्रति-नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्मतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	वे ग्रेड जिनसे पदोत्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण/अत्पकालिक- संविदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जाएगी	यदि विभागीय पदोत्रति समिति/ चयन समिति मौजूद है तो इसकी संरचना
1	6	10	-	12
	दो वर्ष	100% पदोन्निते द्वारा	<b>पदोत्रितः</b> रु 3050-4590 के वेतनमान में निम्न श्रेणी लिपिक के रूप में 8 वर्ष की नियमित सेवा ।	सिवव-अध्यक्ष , संयुक्त सिवव, उप सिवव, सहायक सिवव(प्रशासन)-सदस्य
				चयन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन किए जाने की शर्ताधीन होगा ।

पदा का	वेतनमान	क्या चयन पद	क्या केन्द्रीय सिविल	मती के लिए आयु	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित
		≠nc	सेवा (पेंशन) नियम,	सीमा म	शैक्षिक एवं अन्य अहेताएँ
		या गैर-चयन	1972 के नियम 30		
···		पंद	के अधीन सेवा के		
			जोड़े गए वर्षों का		
			लाभ स्वीकार्य है		
2	က	4	2	9	7
16	4000-6000	गैर-चयन	लामु है	25 से 30 वर्ष के बीच	अर्हता
				और सरकारी कर्मचारियों	•
3. MP.				के मामले मे 5 वर्ष तक	मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या इसके
				की दील दी जा सकेगी ।	समकक्ष ।
-					
					अनुमव
•					
II					निम्म श्रेणी लिपिक के ग्रेड मे 8 वर्ष की
, -					नियमित सेवा ।
. —					
<del></del>					
<b></b>					
•		-			

वाले पदो की प्रतिशतता			
<b>पदोत्रति-</b> रु 3050-4590 के वेतनमान में निम्न श्रेणी लिपिक के रूप मे 8 वर्ष की नियमित सेवा और योग्यता-व-वरिष्टता के आधार पर ।	<i>ਚ</i> ਅ <b>ਹ</b>	100% पदोत्रति द्वारा प	

पद का	पदों की	वेतनमान	क्या चयन पद	क्या केन्द्रीय सिविल	सीधी मती के लिए आय्	सीधी मर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित
नाम	संख्या		ЯC	सेवा (पेंशन) नियम,	सीमा	भौसिक एवं अन्य अर्हताएं
			या गैर-चयन	1972 के नियम 30	_	
			पद	के अधीन सेवा के		,
			<del></del>	जोड़े गए वर्षों का		
_			· Mary and a	लाभ स्वीकार्य है		
-	2	က	4	5	9	7
स्टाफ कार	-	रु 4000-100-	गैर-चयन	लागू है	30 वर्ष या अधिक और	अर्हता
्दाइवर   गुद्ध-2		0000			मामले में 5 वर्ष तक की	
! ) ;					दील दी जा सकेगी।	ट्रांसपोर्ट/त्नाइमेंसिंग पाधिकारी से वैध
	•		<b>6</b> -4-1			द्राईविग लाइसेंस ।
_						अनुभव
						)
					· ·	सामान्य ग्रेड मे (रु 3050-4590) मे 12 वर्ष
						की नियमित सेवा और अंग्रेजी के अक व
<del></del>						संकेत पढ़ने की क्षमता। मामूली नुक्स व
						छोटी-मोटी मरम्मत कर सकता हो। यातायात
						विनियमों का अच्छा ज्ञान हो । पहियों को
						बदलने व इनमें हवा भरने में सक्षम हो ।
		<u> </u>				गाड़ी चालन का बदाग अनुभव हो और किसी
	·					सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस पर कोई बडा
				-	_	जुर्माना/सज़ा न की गयी हो ।
		_			- 1.0	

क्या सीधी मर्ती	परिवीक्षा की	परिवेक्षा की भरी की पद्धित क्या	वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण/अत्पकालिक	यदि विभागीय पदोत्रति समिति/
बाले उम्मीदवारों	अवधि, यदि	सीधी भर्ती द्वारा अथवा	संविदा/पुनर्नियोजन द्वारा मर्ती की जाएगी	चयन समिति मौजूद है तो
के लिए निर्धारित	कोई हो	पदोन्नति द्वारा अथवा	•	इसकी संरचना
की गई आयु		प्रति-नियुक्ति/आमेलन		
और शैक्षिक		द्वारा तथा विभिन्न		
योग्यताएं		पद्मतियों द्वारा भरे जाने		
पदोत्रति वाले		वाले पदों की प्रतिशतता		
उम्मीदवारों पर				
मी लागू होगी				
ထ	σ	10		12
北	दो वर्ष	गैर-चयन आधार पर	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेशन (कार्मिक विभाग व प्रशिक्षण) नई	सचिव-अध्यक्ष,
		पदोत्रति द्वारा (योग्यता-	दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या 35034/197-स्था (डी) दिनांक	संयुक्त सचिव, उप सचिव,
		व-वरिष्ठता) और साथ	9.8.99 के तहत एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन योजना के अतर्गत।	सहायक सचिव(प्रशासन)-सदस्य
		ही समुचित स्तर का		
		रेड टेस्ट पास किया हो		चयन कार्यकारिणी समिति क
		जिसके न होने पर सीधी		अनुमोदन किए जाने की शर्ताधीन
		भर्ती द्वारा ।		होगा ।

सीधी भर्ती के लिए सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं	्रेताए <u>ँ</u>				-			7		क) स्नातक या समकक्ष	ख) निम्नितिष्वित में से किसी एक में 3 वर्ष का	अनुभव/प्रवीणता	1. 35 स.प्र.मि. की गति से टाइपिंग ।	2. वर्गीकरण प्रणाली की जानकारी ।	3. सूचिका काई तैयार करने व भरने का अनुभव ।	काउटर ड्यूटी का अनुभव ।	5. बहुभाषा ज्ञान	ग) उपर्युक्त-ख में उल्लिखित अहंताओं मे अनुभव/प्रवीणता	के मूल्यांकन के लिए अभ्यर्थी को टेस्ट व सामान्य अंग्रजी	परीक्षा पास करनी होगी ।	ो <b>छ</b> नीय	पुस्तकालय व सूचना विज्ञान में डिप्लोमा/ सिटेफिकेट	धारक का वरावता दा जाएगा
सीधी भ	अन्य अहेताएँ								अहंता	क) स्ता	西) 印	अनुभव/	1, 35	2. arth	3. <del>सृ</del>	4. <del>का</del>	5. बहु	ग) उपर्	के मृत्य	परीक्षा प	विशेष/वांछनीय	पुस्तकात	न क्षेत्र न
सीधी मतीं के लिए	आयु सीमा							9	25 से 35 वर्ष के	बीच और सरकारी	कर्मचारियों के	मामले मे 5 वर्ष	तक की दील दी	जा सकेगी ।									
कन्द्रीय	मिविल सेवा	(पेंशन)नियम,	1972 के नियम	30 के अधीन	सेवा के जोड़े गए	वर्षों का लाभ	स्वीकार्य है	S	लागू है														
चयनपद	7 日本	चयन पद						4	लागु नही							••••							
की वेतनमान	<b>-</b>		~					ო	रू.3050-	75-3950-	80-4590												
1	संख्या							2	-														
पद का नाम									रिकार्ड कीपर-	व-लाडब्रेरियन													

<b>华</b>		दस्य १ के गिथीन
यदि विभागीय पदोन्नति समिति / चयन समिति मौजूद है तो इसकी संरचना	12	सचिव-अध्यक्ष संयुक्त सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव(प्रशासन)-सदस्य चयन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन किए जाने की शतिधीन होगा ।
वे ग्रेड जिनसे पदोत्रति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण/अल्पकालिक- संविदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जाएगी	-	अपेक्षित ही नहीं
परिविक्षा की मतीं की पद्धति क्या अवधि, यदि सीधी मतीं द्वारा अथवा कोई हो पदोत्रित द्वारा अथवा प्रति-नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	10	सीधी भर्ती द्वारा
परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	ō	दो वर्ष
क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उमीदवारों पर	8	अपेक्षित ही नहीं

										<u> </u>					<del>-</del>
क्या चयनपद क्या केन्द्रीय सिविल सीधी भर्ती के लिए सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के	लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य	अर्हताएं				7	अर्हता		1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से	बारहवी या इसके समकक्ष	योग्यता ।		[2] अंग्रेजी में 30 शप्रमि. की	टाइपिंग गति ।	
सीधी मतीं के लिए	अत्यु सीमा					မှ	18 中 27 邮 あ	बीच और सरकारी	कर्मचारियों के	मामले मे 5 वर्ष	तक की दील दी	जा सकेगी			
क्या केन्द्रीय सिविल	सेवा (पेंशन)नियम,	1972 के नियम 30 के	अधीन सेवा के जोड़े	गए वर्षों का लाम	स्वीकार्य है	5	लागू है								
क्या चयनपद	क्षे या गैर	क्यन पद				4	लागू नहीं							<u>.</u>	
की वेतनमान						က	रु.3050-75-	3950-80-4590							
	संख्या					2	27								
फ्ट का नाम						-	निम्न श्रेणी लिपिक								

					<del>16</del> ¢	<del></del> -						
यदि विभागीय पदोन्नति समिति∕चयन समिति मौजूद है तो इसकी संरचना	12	सचिव-अध्यक्ष	नियुक्त मायव, उप क्षायव, सहायक सचिव(प्रशासन)-	सदस्य	ने समिति  -	अनुमादन किए जान व शर्ताधीन होगा ।						
वे ग्रेड जिनसे पदोत्रि(प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण/अल्पकालिक- संविदा/पुनर्नियोजन द्वारा मर्ती की जाएगी	11	कॉलम 10 में दशीए	) F F F									
भर्ती की पद्धति क्या सीधी मर्ती द्वारा अथवा पदोश्रति द्वारा अथवा प्रति नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विमित्र पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	10	1. 90% सीची मर्ती	2. 5% रिक्तियां ग्रुप घ स्टाफ में से मरी जाएंगी जो मैट्रिक्लेशन या। दसके समकक्ष योग्यता रुग्बते हैं और इस येद में 5 वर्ष की नियमित	सेवा पूरी कर चुके हों । ये विभागीय अईक परीक्षा पास करने पर	तथा अंग्रेजी टाइपिंग की 30 श.प्र.मि की गति से परीक्षा पास करने के आधार पर भरी जाएंगी । अर्हक परीक्षा पास करने के लिए	अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष होगी (अ.जा., अ.ज.जा के मामले में आय 50 वर्ष)	टिमगी :	क) वर्ष विशेष में भरी न जा सकने वाली रिक्तियां अग्रेणीत नहीं की	ला । यदि उपर्युक्त खंड 2 में उपलब्ध रिक्तियों से अर्हक परीक्षा पास करने	वाले कर्मचारियों की संख्या अधिक हो तो ऐसे आधिक्य कर्मचारी अनुवर्ती विष्टें में होने वाली शिक्तियों में ममायोजित किए जाएंगे ताकि जो पहले	परीक्षा पास कर चुके हैं उन्हें पहले अवसर मिले ।	ग) 5% रिक्तियां विरिष्ठता-व-फिटनेस के आधार पर ग्रुप'घ कर्मचारियों में से मरी जाएंगी जो मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष योग्यता रखते हैं ।
परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई	ത	दो वर्ष	<u>.</u>		<del>-,,</del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई आयु और शीक्षक योग्यताएं पदोत्रति वाले उम्मीदवारों पर	ထ	हाँ जैसाकि	कालम १७ म   दशीया गया है									

3	युग्ने को	वेतनमान	क्या चयन पद	क्या कन्द्रीय सिविल	सीची मती के लिए आय्	सीधी मती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित
नाम	संख्या		机	सेवा (पेंशन) नियम,	सीमा	शैक्षक एवं अन्य अहंताएं
			या गैर-चयन	1972 के नियम 30		
			पद	के अधीन सेवा के		
				जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है		
-	2	8	4	S	9	7
द्राईवर	-	₹.3050-75-	लागु नहीं	लागु है	25 वर्ष से अधिक नहीं	अहता
(साद्यारण		3950-80-4590	;	5	लेकिन सरकारी	
भुंड)	<del>-</del>				कर्मचारियों के मामले में 5	1. कम-से कम आठवीं कसा ।
·					वर्ष तक की दील दी जा	2. मोटरकार के लिए वैघ ड्राईविंग लाइसेंस
					सकेगी	
			,			
	• -					4 मीटरकार चलाने का कम-से-कम 3 वर्ष का
						अनुभव ।
						वांग्रनीय अहंता
						1. मैट्रिक व समकक्ष ।
,						2. होमगाई/ सिवित वालंटियर के रूप में 3 वर्ष
		,				की सेवा ।
·						
					,	

यदि विमागीय पदोत्रति समिति/ चयन समिति मौजूद है तो इसकी संरचना	12	सचिव-अध्यक्ष संयुक्त सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव(प्रशासन)-सदस्य	वयन प्रायमारणा रामारा प्र अनुमोदन किए जाने की शर्ताधीन होगा ।
वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्तिः/ स्थानांतरण/अत्पकालिक- संविदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जाएगी	11	अपेक्षित ही नहीं है।	
परिविक्षा की मती की पद्धति क्या सीक्षी भर्ती द्वारा अथवा पदोत्रति द्वारा अवधि, यदि अथवा प्रति-नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभित्र पद्धतियों द्वारा कोई हो मरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	10	सीधी भर्ती द्वारा	
परिविक्षा की अवधि, यदि कोई हो	O	दो वि	
क्या सीची भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोत्रति वाले उम्मीदवारों पर	ω	अपेक्षित ही नहीं	

	Γ	
सीक्षी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	7	<b>अहंता</b> अनुभव गेस्टेटनर प्रचालन का एक वर्ष का अनुभव
सीधी मतीं के लिए आयु सीमा	9	18 से दुर्भवर्ष के बीच लेकिन संरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक की ढील दी जा सकेगी ।
क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाम स्वीकार्य है	3	₩ E
क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	4	गैर-चयन
वेत्त्तमान	က	\$3050-75- 3950-80-4590
मदों की संख्या	2	2
पद का नाम	-	ऑपरेटर

यदि विभागीय पदोत्रति समिति/ वयन समिति मौजूद है तो इसकी संरचना	12	सचिव-अध्यक्ष संयुक्त सचिव, उप सचिव सहायक सचिव(प्रशासन)-सदरय चयन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन किए जाने की शर्ताधीन होगा ।
वे ग्रेड जिनसे फ्टोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण/अल्पकालिक- संविदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जाएगी	-	पदित्रति 2650-4000 के ग्रेड म 4 माल की नियमित सवा पूरी करने वाला दफ्तरी जो गेस्टेटनर मशीन के प्रवालन में प्रवीणता रखता हो और इसके लिए निधारित टेस्ट पास कर पाया हो । लेकिन इसमे वरिष्टता और फिटनेस का
परिविक्षा की मर्ती की पद्धति क्या सीधी मर्ती द्वारा अथवा पदोत्रति द्वारा अविध, यदि अश्ववा प्रति-नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विमिन्न पद्धतियों द्वारा कोई हो मरे जाने वाले पढों की प्रतिशतता	10	पदोत्रति से जिसके न होने पर सीधी मती द्वारा
परिविक्षा की अवधि, यदि कोई हो	ō	च च
क्या सीधी मर्ती वाले उम्मीद्वारों के लिए निर्घारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पटोत्रित वाले उम्मीदवारों पर	ထ	<u>म</u>

सीधी मतीं वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	7	अहंता  मान्यता प्राप्त स्कूल/ संस्थान से आटवी पास । चपरासी/ संदेशवाहक के पद पर 10 वर्ष का अनुभव । से रखने को सही ढंग
केन्द्रीय सीधी मर्ती के लिए सीधी मर्ती वाले सेवा आयु सीमा उम्मीदवारों के लिए नियम, के नियम ज अधीन जोड़े गए हो लाम	9	18 से 27 वर्ष के बीच और सरकारी कर्मचारियों के मामले मे 5 वर्ष तक की दील दी जा सकेगी ।
क्या सिविल (पंशन)। 1972 30 वे सेवा के स्वीकार्य	5	जा <u>म</u> ल
क्या चयनपद है या गैर चयन पद	4	गैर-चयन
वेतनमान	က	\$ 2650-65-3300-70-4000
पदों की संख्या वेतनमान	2	က
पद का नाम	**	दफ्तरी

यदि विभागीय पदोत्रति समिति/ चयन समिति मौजूद है तो क- इसकी संरचना रा भर्ती	12	न रूप में सचिव-अध्यक्ष 100 में संयुक्त सचिव, उप सचिव, 11 । सहायक सचिव(प्रशासन)-सदस्य चयन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन किए जाने की शर्ताधीन होगा ।
वे ग्रेड जिनसे पदोन्नित/प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण/अत्मकालिक- संविदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जाएगी	11	चपरासी/संदेशवाहक के रूप में वेतनमान रू.2550-3200 में 4 वर्ष की नियमित सेवा ।
परिविक्षा की मर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोत्रीते द्वारा अवधि, यदि अथवा प्रति-नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा कोई हो मरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	10	पदोन्नति द्वारा
परिविक्षा की अवधि, यदि कोई हो	6	लागू नहीं
क्या सी <b>ची गर्ती</b> वाले उम्मीदवारों के लिए निर्मारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोत्रति वाले उमीदवारों पर	Φ	- 1 - 1 - 1

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के ग्रुप 'घ'पदों के भर्ती नियम

r <del></del>		
क्या केन्द्रीय सिविल सोधी मतीं के लिए आयु सीधी मतीं वाले खम्मीदवारों के लिए अपेक्षित सेवा (फेंक्सन) नियम, सीमा श्रीकृष्ट एवं अन्य अर्हताएं 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोडे गए क्यों का		<b>अक्ता</b> मान्यता प्राप्त स्कूल/संस्थान से आठवीं पास । <b>संघनीय</b> होमगार्ड तथा सिविल डिफेस में बेसिक तथा रिफ्रेशए प्रशिष्टाण ।
सीयी मती के लिए आयु सीमा	9	18 से <b>27</b> वर्ष लेकिन सरकारी कर्मचारियों के मामले मे 5 वर्ष तक की ढील दो जा सकेगी ।
क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पॅश्वन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोडे गए वर्षों का	5	the Fe
क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	4	लागू नहीं
वेतनमान	8	\$ 2550-55- 26 <b>69</b> -60-3200
मदों की संख्या	2	2
पद का नाम	-	संदशवाहक

यदि विभागीय पदोन्नति समिति/ चयन समिति मौजूद है तो इसकी संरचना	12	सचिव-अध्यक्ष, संयुक्त सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव(प्रशासन)-सदस्य वयन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन किए जाने की शर्ताधीन होगा ।
वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण/अल्पकालिक- संविदा/पुनर्नियोजन द्वारा मर्ती की जाएगी	-	अपेक्षित ही नही
परिविक्षा की मती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोत्रति द्वारा अवधि, यदि अध्यवा प्रति-नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विमिन्न पद्धतियों द्वारा कोई हो भरे जाने वाले पदों की प्रतिशातता	10	सीधी मर्ती द्वारा ।
परिवीक्षा की अविष्य, यदि कोई हो	6	चे <del>ष</del> चे
क्या सीधी भरीं वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोत्रति वाले उम्मीदवारों पर	ထ	अपेक्षित ही नहीं

सीधी मर्ती वाले उम्मीदवारों के क्लिए अपोक्षित शैक्षिक एवं अन्य अहंताएं	7	अहंता मान्यता प्राप्त स्कूल/संस्थान से आठवीं पास । वांछनीय होमगार्ड तथा सिविल डिफेंस में बेसिक तथा रिफ्रेशर प्रशिक्षण
क्यां केन्द्रीय सिवित्तं सीधी भर्ती के लिए आयु सेवा (पेशन) नियम, सीमा 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाम स्वीकार्य है	9	18 से 🏞 वर्ष लेकिन सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक की दील दी जा सकेगी ।
क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाम स्वीकार्य है	2	EE FE
क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	4	लागू नही
वेतनमान	3	\$2560-60-3200
मदो की संख्या	2	ις
मद का	-	<b>ब</b> परासी

क्या सीधी जती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदींत्रित वाले समीदवारों पर	대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대	परिविक्षा की भती की पदात क्या सीवी भर्ती द्वारा अथवा पदित्रिये द्वारा अवधि, यदि अथवा प्रति-नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्वतियों द्वारा कोई हो भरे जाने वाले पदों की प्रतिशातता	वे ग्रेड जिनसे पदोन्नि/ग्रेतिनियुक्ति/ स्थानांतरण/अत्पकालिक- संविदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जाएगी	यदि विभागीय पदोत्रति सन्ति/ चयन समिति मौजूद है तो इसकी संरचना
<b>6</b>	G	10		12
अपिकात ही नहीं	दो यर्ष	सीधी भर्ती द्वारा ।	अपेक्षित ही नहीं	सचिव-अध्यक्ष
				संयुक्त सचिव, उप सचिव,
				सहायक सचिव(प्रशासन)-सदस्य
				बगर कार्गकानियाँ समिति के
				مريد المالية ا
				अनुसरम् स्वरं जान का सताबान
		-		होगी

मृद्ध का नाम	मुख्या की मुख्या	देतनमान	क्या चापन पद है या गैर-चयन पद	क्या के-द्रीय सिदिल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए क्षों का लाल स्वीकत्यं है	सीसी मर्सी के लिए आयु सीमा	क्या केन्द्रीय सिक्षित सिक्षी मर्सी के लिए आयु सिक्षी मर्सी वाले उम्मीदवारों के लिए सेवा (पंशन) नियम, सीमा अपीक्षित शिक्षिक एवं अन्य अहंताएं 1972 के मियम 30 के अवीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाम स्वीकर्य है
-	2	e	4	S	9	7
कराश	<del>-</del>	7.2550-55- 26 <b>67</b> -60-3200	ज <b>म न</b> हा	लागू है	18 से 27 वर्ष लेकिन सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक की दील दी जा सकेगी ।	<b>अहंता</b> मान्यता प्राप्त स्कूल/संस्थान से आठवीं पास ।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति मैजूद है तो इसकी संरचना	12	सिवेव-अध्यक्ष संयुक्त सिवेव, उप सिवेव, सहायक सिवेव(प्रशासन)-सदस्य चयन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन किए जाने की शर्ताधीन होगा ।
वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण/अत्पकालिक- संविदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जस्पी		अपेसित ही नहीं
परिविद्धा की भर्ती की पद्धति क्या सीक्षी भर्ती द्वारा अविध, यदि अय्यवा पदोत्रति द्वारा अथवा प्रति- कोई हो नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	10	सिधी मती द्वारा ।
	O	वर्ष
क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नित वाले उम्मीदवारों पर	8	अपेक्षात ही नहीं

यदि विमागीय पदोन्नति समिति/	चयन समिति मीजूद है तो	इसकी संरचना	·		12	सचिव-अध्यक्ष	संयुक्त सचिव, उप सचिव,	सहायक सचिव(प्रशासन)-सदस्य	 चयन कार्यकारिणी समिति के	अनुमोदन किए जाने की शर्ताधीन	होगा ।
वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/	प्रसिनियुक्ति/ स्थानांतरण/	अल्पकालिक संविदा/	पुनानयाजन द्वारा भता का जाएगी		11	अपेक्षित ही नहीं					
यदि मती की पद्धति क्या सीधी	भर्ती द्वारा अथवा पदोत्रति	द्वारा अध्यवा प्रतिनियुक्ति	आम्ब्लन द्वारा तथा विपन्न पद्धतियों द्वारा मरे जाने वाले	पदों की प्रतिशत्तता	9	सीधी भर्ती द्वारा					
रविक्षा की अववि,	कोई हो				O	दो वर्ष					
क्या सीधी मती वाले	उम्मीदवारों के लिए निर्धारित	की गई आयु और श्रीक्षक	याग्यताए पदाञ्चात वाल उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी		80	अपेक्षित ही नहीं				,	

 $\lambda_0 \sim \lambda_0 \sim \lambda_0 \sim \lambda_0 \sim \lambda_0$  (खा. एम.सचदेवा) सिचेव मारतीय आयुर्विक्रान परिषद

# दि इंन्स्टीद्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाऊन्टेन्टस ऑफ इन्डिया

## २७ कफ परेड कोलावा गुंवई ४०००५

#### कोरीजेंडम नोटीफीकेशन

8 NOV 2001

३ डब्ल्यूसीए (८)/३/२०००-०१-नोटीफीकेशन नं ३ डब्ल्यूसीए (८)/१/ $^{\circ}$ 000- $^{\circ}$ 7 ता .२६/०४/२००१ में निम्निलिखित सभासदोंके प्रॅकटीस प्रमाण पत्र रदद करने व्हे संदर्भ में इस तिथीसे ८/१२/२००० सिरीयल नं जो सभासद के संदर्भ में  $^{\circ}$ 8, वह निकाल दिये गये .

अनु . क .	अनु .नं . नोटीस .	स. नं.	नाग और पता	अनु . क .	अनु . नं . मोटीस .	स. नं.	नाम भीर एत।
۶.	१८	<i>પ</i> હ <b>ર</b> 0	श्री . मुर्ते अरिवंद बाबुगव् ३०२ करनुरी टॉवर लाल बहादुर शास्त्री मार्ग वंदना टॉकिजक सामने टाणे ४००६०२	ч.	५४९	<i>አ</i> ወ <u>ጵ</u> ኃ፣	श्री पेपता त अतर ईग्गाईल ४८ सराना स्ट्रीट ३री भजित मुंबई ४००००३ /
₹•	03	१४८५१	श्री फणरोकर सुमापचंद्र वंगलो नं १० एसवीआय स्टाफ वेभव को ऑप दीलत नगर रोड नं १ वोरोवली (ई) मुंबई ४००० <b>८</b> ६	<sup>و</sup> ر .	<b>\$0</b> 7		में . नेहा सघवी ७९/८१ ऑगस्ट कार्ता मार्ग ४ निर्गल नितास नं . १ मुंबई ४०००५८ . श्री - पालन मेहल जयंत
₹.	१२०		श्री भोधस शांतीलाल ताराचंद मैन रोड चोपडा एटी अन्ड पी ओ चोपडा चोपडा ४२५००१			(0,011	७ अंजली चेंवर्स आर सी दत्त रोड सरिकेट हाऊस के सामने अल्कापुरी वरोडा ३९०००७
γ.	इ ७ इ	¥0 <b>८</b> 00	श्री प्रधान राजीव प्रभाकर ११/३२ ग्वांडके विल्डींग जे के सावत गेड दादर मुवई ४०००२८ .	۷.	७५४	805388	्श्री शाहा मेहुल अनंतराय १०३ रजनीकेतन बापु बाशी रोड चिले पालें (प) मुबई ४०००५६ .

अशोक हलदिया) (डॉ. अशोक हलदिया) सेक्रेटरी

16-389 GI/2001

### गुंबई ४००००५ 12 NOV 2011

३ डव्ल्यूसीए (५)/३/१९९९-२०००-नोटीफीकेशन नं ३ डव्ल्यूसीए (४)/३/९९-२००० ता .२७/०९/२००० में निम्नलिखित सभासदोंके जाम रदद करने के संदर्भ में इस तिथीसे १/१०/१९९९ सिरीयल नं जो सभासद के संदर्भ में है, वह निकाल दिये गये .

अनु . क .	अनु.नं. नोटीस .	स. नं.	नाम और ∙पता	अनु . क .	अनु नं . नोटीस .	स. नं.	नाम और पता
8	१६१	१५५७०	श्री रसतोगी सितश चांद १/३ यमुना वीएचवी सोसा ईस्ट हाय कोर्ट रोड कचीपुरा रामदास पेठ	ч.	१६४७		श्री कुंभानी देवांग हसमुख २०६ए विंग मधुवन२७-ए रहेजा टॉवरशिप मालाङ (ई) मुंबई ४०००९७
₹.	१७७	३२७११	नागपुर ४४००१० . श्री . दलाल शैलेश ३०७-३०८ राजकमल	<b>§</b> .	१७४९	७६५७१	श्री शिरीप जैन ४-ग-२०२ सगर्पण कॉप्नेक्स जेसल पार्क भायंदर (ई) ४०११०५
			प्लाझा-वी समृध्दी कॉम्प्लेक्स हाय कोर्टनजदीक नवरंगपुरा अहमदावाद	<b>७</b> .	१९५६	<b>१०२०</b> १८	
₹•	<b>0</b> ₹ <i>v</i>	३९२२२	३८००९ . श्री . कुलकर्णी वलवंत केशव वी-२ /१९ मीनल गार्डन ५वी मंजील पटवर्धन वाग एरंडावणे पुणे ४११००४		१९८१	७८६५०१	श्री . जैन कपिल अरतुर अंदरसेन अन्ड कं १८वी मंजिल एक्सप्रेस टॉवर नरीमन पॉईट मुंबई ४०००२१ .
γ.	८९७	४१३६५	श्री अधारे किरण सुधाकर ४/३ वीएचवी कॉलनी (एल आय जी ) मेडिकल कॉलेज के पीछे नागपुर ४४००२७	۹.	२५४३	१०५५७६	<b>~</b> .

्रार्थी) (ि) १ (डॉ. अशोक हलदिया) सेक्रेटरी

### दी इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स ऑफ इण्डिया

3 दिसम्बर, 2001

## (चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स)

संख्या : 25-सी०ए०(43)/91 : चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के उपबंधों के निबन्धनानुसार, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स ऑफ इण्डिया की परिषद द्वारा श्री गुप्ता हेमन्त कुमार, 35, कामायनी कुंज, 69, आई० पी० एक्सटेन्शन, पटपड़गंज, नई दिल्ली—110092, (सदस्यता संख्या—82016) को चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 22 के साथ पठित उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग 3 के खण्ड (1) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक अवचार का दोषी पाया गया है। उपर्युक्त अवचार की बाबत इन्स्टीट्यूट की परिषद ने उक्त श्री गुप्ता हेमन्त कुमार को उक्त अधिनियम की धारा 21(4) के अधीन सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यह आदेश किया है कि उनका नाम एक माह की कालावधि के लिए सदस्यों के रिजस्टर से हटा दिया जाए। इसके अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त श्री गुप्ता हेमन्त कुमार (सदस्यता संख्या—82016) का नाम 29 दिसम्बर, 2001 से एक माह की कालावधि के लिए सदस्यों के रिजस्टर से हटा दिया जाएग ।

्रेटी० कार्तिकेयन) अपर निदेशक (विशेष ग्रेड)

स भा 25-२५ ए० (76)/92 : चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20 की जमधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के उपबंधों के निबन्धनानुसार, एतदद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स ऑफ इण्डिया की परिषद् द्वारा श्री ग्प्ता नरेन्द्र कुमार, एफ०सी०ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट, ए-45, सेक्टर 26, नोएडा-201301, (जनपद) गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) (सदस्यता संख्या-16064) को चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 22 के साथ पठित उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग 1 के खण्ड (11) तथा भाग 3 के खण्ड (1) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक अवचार का दोषी पाया गया है। उपर्युक्त अवचार की बाबत इन्स्टीट्यूट की परिषद् ने उक्त श्री गुप्ता नरेन्द्र कुमार को उक्त अधिनियम की धारा 21(4) के अधीन सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यह आदेश किया है कि उनका नाम छह माह की कालावधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए । इसकें अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त श्री गुप्ता नरेन्द्र कुमार (सदस्यता संख्या-16064) का नाम 29 दिसम्बर, 2001 से छह माह की कालावधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा ।

> (टी० कार्तिकेयन) अपर निदेशक (विशेष ग्रेड)

ረ

90

92

#### भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान मुंबई ऑफिस अनवेशक, २७ कफ पॅरेड,कोलाबा, मुंबई

# -3 DEC 2WI

3 डब्ल्यूसीए(४)/२/-२०००-२००१ - चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनिः म १९८८ के विनियम १८ के अनुसार में एतद् द्वारा सूचित किया जाता हैं कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम १९४९ की घारा २० की उपघारा (१) के खण्ड (अ) द्वारा प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्था परिषद ने अपने सदस्यता रिजस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों के नाम उनके आगे दी गई तिथी से हटा दिया गया है।

क्र.सं. सदस्यता नाम व पता दिनाँक संख्या

- १ ०००००५ श्री शाह नारायणदास मोहनलाल २३/०८/२००० शाह अण्ड कं. मेकर भवन नं.२. तीसरा माला 'स्लॉक नं. सी १८, 'खु मरीन लाइन्स मुम्बई-४०००२०
- २ ०००५१४ श्री लाखीया ११/०८/२००० चन्द्रप्रसाद रतीलाल ६०६, प्रेसीडेन्ट हाउस आम्बावाडी सर्कल के पास सी एन स्कूल के सामने अहमदाबाद-३८०००६
- ३ ०००७०/ श्री शाह शान्तिलाल ०४/११/१९९९ केशवलाल अ/२, जलविहार ब्लॉक अजन्ता कॉमर्सिल सेन्टर आश्रम रोड
  अहमदाबाद-३८००१४
- ४ ०००७२४ श्री खारे महेश्वर त्रिम्बक ०८/०९/२००० खारे बंगला, १९-२० व्रन्दावन सोसाइटी नवी पेठ पुणे-४११०३०
- ५ ००१५८३ श्री घानेकर पुरुषोत्तम दत्तात्रेय ०९/०५/२००० पी डी घानेकर अण्ड के. २३९ कमिश्यरेट मवन

००१७९५ श्री मेनियया भानजी ०९/१२/१९९९ तुलसीदास बी टी मेनिथया अण्ड कं. ३१ कॉमर्सियल चेम्बर्स जंक्शन ऑफ मस्जिद बन्दर मोहम्भद अली रोड मुम्बई-४००००३

००१८९२ श्री पारिख बाबुमाई ०५/१२/२००० अम्बाताल बाबुमाई ए. पारिख अण्ड कं. ब्लॉक नं. अ-७, पांचवा माला सुन्दर सदन ६३ अ वाडिलाल पटेल मार्ग मुम्बई-४००००४

००१९९५ श्री कैकी रूस्तम अल्पेइवाला ०७/१९/२००० ए एफ फरग्यूशन अण्ड कं. इलाहाबाद बैंक भवन बोम्बे समाचार मार्ग मुग्बई - ४००००१

००३१६४ श्री शाह प्रतापचन्द २५/०३/२००० हिराचन्द पी एच शाह अण्ड कं. मंगल भवन , दूसरा माला रूम नं. २१, मनच्छुमाई रोड मालाङ-पुर्व मुम्बई-४०००९७

००३१९८ श्री गिरनीकर विनायक नारायण २७/०१/२००० वी एन गिरनीकर अण्ड कं. साई ओम विनायक अपार्टमेट ४८, हिल रोड गोकुलपेट नागपुर-४४००१०

११ ००३४६९ श्री सत्था जहांगिर बेहरामजी ०५/०७/२००० बी/३ बेनेट भवन भारूचा पारसी कोलोनी एस वी रोड अन्धेरी मुम्बई-४०००५८

००४०६० श्री अययर मनी अर्जुन **०५/०३/२०**०० के एस अययुर अण्ड के. ४९-५५ बोम्बे समाचार मार्ग मुम्बई-४०००२३

	оовувч	श्री केतकर दामोदर रामचन्द्र ०६/११/२ दूसरा माला, सिल्वा भवन	)ooo 22	००८७२८	श्री पिथवा किशोरकांत नारणदास	<b>4£\08\4000</b>
		इरेस्मो कारवेल्हो स्टेशन			३५३/३०/१ महावीर ज्योत्-२	शी
		मरगोवा , गोवा-४०३६०१			वल्लभ बाग लेन, घाटकोपर	
		11 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			मुम्बई-४०००७७	
9K	००५२२१	श्री शाह महेन्द्र हिराचन्द २०/११/२	1000		3 14 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	
	•	ए एस मेडोन अण्ड कं.	<b>२</b> ३	०१०५१८	श्री मुकदम अमीराली मुसाभ	गई ०१/०४/२०००
		७९-८० एस्पलेनेड मेन्शन	.,	·	मुकदम अण्ड कं.	
		दूसरा माला १४४ एम जी रोड			राघवजी भवन, दूसरा माला	
		मुम्बई-४००००१			राघवजी रोड गोवालीया टैंव	
					मुम्बई-४०००३६	
<b>ો</b> પ્	৽৽ঀড়ঽ৻	श्री सात्वे हेमेन्द्र कुमार प्रसादराव २९/	٥२/२०००			
		१७/१९, घोबले लेआउट फरास	२४	०१२३१८	श्री राजगोर जवेरलाल	२३/१२/१९९९
		छिन्नद्वारा रोड			शंकरजी	
		नागपुर-४४००३०			१७, सूद आनन्द, नरीमन र विलेपाली - पुर्व	ड एक्सटेन्शन
ξ	००५७५०	श्री शाह महेन्द्रकुमार विमनलाल ०७/	92/2000		मुम्बई-४०००५७	
		मेहता चैकसी अण्ड शाह			·	
		कूपर भवन दुसरा माला	રુષ	०१७३५५	श्री जोशी किरीट कुमार	08/08/3000
		२२९ शामलदास गाँधी मार्ग			शांतीलाल	
		प्रिन्सेस गली			बी १२ कामधेनु शास्त्री नगर	t
		मुम्बई ४००००२			एस वी रोड, बोरीवली-पश्चि	<b>ग्म</b> ,
					मुम्बई-४०००९२	
10	००५७८९	श्री मेहता नवरोज होरमुसजी २०/	/o८/२ <b>०</b> ००			
		पुन्डोल भवन मिठाईवाला	२६	०३१९५२	श्री श्रीफ राहुल विनोदचन्द्र	१२/०६/१९९९
		अग्यारी स्लेटर ग्रांट रोड			आर वी श्रोफ अण्ड कं.	
		मुम्बई-४००००७			२ सी अरीहन्त, अनुपम टॉवि	केज के सामने
					गोरेगाव-पुर्व	
6-		श्री सोनी तलक्षी रतनजी २१/१०/२	000		मुम्बई-४०००६३	
		टी आर सोनी अण्ड कं.			^ ^	
		५६ सी मित्तल कोर्ट नरीमन पॉइन्ट	રહ	०३३०७५	श्री पन्थाकी नवजर	03/00/9999
		मुम्बई-४०००२१			जमशेदजी	
_		A and A course			एन जे पन्थाकी अण्ड के.	
9		श्री अशेर क्रिश्नराज ३०/०४/२	500		C/O पी जे पोहोवाला,	
		अ/४३ भाग्या अपार्टमेन्ट्स भारद्वाडी अंन्धेरी-पश्चिम			१/९५७ पालीया स्ट्रीट, नान	पुरा
•					सुरत-३९५००१	
		मुम <del>्बई</del> -४०००५८	2/	*3N003	श्री चारी रामचन्द्र राधव	00/02/2000
0	008.460	थ्री <b>छैया किरीट कुमार</b> १२/१९/२	२८	קרראקט	त्रा यारा रामयन्द्र रायप शॉप नं.४, साइ ज्योत भवन	<b>9९/०२/२०</b> ०9
•		त्रा छया चित्राट चुनार - १२/११/२ रामार्शकर	500		गुप्ते रोड, विशुनगर	
		रागराकर राव निवास, <b>बीदासोह</b> ल्ला			डॉम्बिवली-४२१२०१	
		साई <b>बाग, बडोदा-३९०</b> ००१			01144011-04 1401	
		וויים אין ייים אין אין דיי אייי	ર૧	0384408	श्री आनन्दवाला	92/09/2000
		0		-		14 - 412
9	00(9(904 ·	प्राप्ताह लक्ष्माचन्द १६/०२/२	900		व्यामश मफतलाल	
9		प्री शाह लक्ष्मीचन्द ं १६/०२/२ तुलसीदास	000		व्योमेश मफतलाल ब्लॉक नं.४०४ , चौथा माला	

- ३०. ०३५७९६ श्री शाह दीपक ०३/०२/२००९ करितलाल दर्शन रेल्वे क्रोसीग के पास अमुल डेरी रोड आणंन्द-३८८००१
- ३१ ०३७७१८ श्री नन्या मनीलाल १६/०९/२००० जमनादास
   एम जे नन्या अण्ड कं.
   ३ रावलीया प्लॉट
   पोरबन्दर-३६०५७५
- ३२ ०३८३२६ श्री अग्रवाल विवेक कुमार १३/११/१९९९ ५०२/३-बी, सिद्धीविनायक को. ऑप. हाउ. सोसाईटी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, आशा नगर, बोरीवली-पुर्व मुम्बई-४०००६६
- ३३ ०३८३८३ श्री अग्रवाल रतनलाल फुलचन्द ३०/०४/२०००
   आर एफ अग्रवाल अण्ड कं.
   अ/१०, \$श्वर नगर ग्राउण्ड गाल।
   एल बी एस मार्ग, भाण्डुप
   मुम्बई-४०००७८
- ३६: ०३९३२९ श्री अग्रवाल सुरेश देवराज ०८/०६/२००० एस डी अग्रवाल १९/२ प्रियदर्शिनी कोलोनी आर टी ओ नगर के पास नागपुर-४४०००९
- ३५: ०५३५४२ श्री मालू के सी १०/१२/१९९९ सिन्ही अण्ड कं. १३/१०१२ ओल्ड एम.बी.एच. कोलोनी गोराई रोड, बोरीवली-पश्चिम मुम्बई-४०००९१
- ३६ १०४१९० श्रीमती निम्बालकर सोनल ०६/०४/२००० शिवाजी राव पनोरमा एच-२/४५४, लक्ष्मीनगर पुणे-४११००९

रिश्चर्या) (स्प्री) (डॉ. अशोक हल्दीया) संचिव. ३ डब्ल्यूसीए(४)/३/-२०००-२००१ :- चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम १९८८ के विनियम १८ के अनुसार में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम १९४९ की धारा २० की उपधारा (१) के खण्ड (४) द्वारा प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग करते हुए मारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्था परिषद ने अपने सदस्यता रिजस्टर से निम्नलिखित सदस्यों के नाम उनकी विनती पर हटा दिया गया है।

क्रां.सं.	सदस्यता संख्या	नाम व पता	दिनोंक
9	०००८४९	श्री श्रौफ पेस्टोजी सोरवजी	<b>৭</b> ४-০३-२० <b>०</b> १
		८०८ खुशनुम डॉ अम्बेडकर रोड	
		दादर	
		मुम्बई-४०००१४	
२	००७१९५	श्री खाटलावाना ज्योतीन्द्र जसवतलाल	<b>র</b> ৭ ৩३-२०००
		अ-९, प्रेरणा, एच पी पम्प के सामने	
		एस वी रोड	
		सान्ताकुज-पश्चिम	
		मुग्बई ४०००५४	
3	οζίογο	श्रीमती रवाती सिद्धार्थ प्रताप	o4-o8-2000
		c/o डॉ के एल <b>शा</b> ह	
		२६ दर उल मुलिक	
		२६ पंडता रामाबाई रोड	
		मुम्बई-४००००१	
8.	०३८५०२	श्री अहुजा सुनील जवाहरलाल	<b>9</b> 4-0८ <del>-</del> २०००
		बी-१०-६, पहला माला १, २	
		सेक्टर १५, वाशी	
		नवी मु <b>म्य</b> ई-४००७०३	2 & 3
		**************************************	ולנון דעגמצי

( डॉ. अशोक हल्दिया )

सचिव

#### कलकत्ता-700 071

उईसीए/5/4/2000-2001: इस संस्थान की अधिसूचना न. उईसीए(4)/2/1999-2000 दिनांक 11/04/2000, उएनसीए/4/01/1999-2000 दिनांक 01/03/2000, उएससीए(4)/4/1999-2000 दिनांक 20/01/2000, उडावल्युसीए 4/3/1999-2000 दिनांक 31/03/2000, के संदर्भ मे चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसरण मे एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रिजस्टर में निम्निलिखित सदस्यों का नाम 01/10/1999 तिथियों से स्थापित कर दिया है।

क्षः संख्या	सदस्यता संख्या	नान एवं घता
1	015958	मि. कल्याण कुमार बन्दयोपाध्याय एसिए 52, चण्डी धोष रोड
2	022140	कलकत्ता-700 040 मि. मोहन एन रवि एसिए
		हिन्दुस्थान लिवार लिभिटेड जिला तिनसुकिया दुमदुमा-786 151
3	050152	मि. आलोकनाथ सेठ एसिए 35, उपेन्द्र चन्द्र बेनार्जी रोड कलकत्ता-700 054
4	051752	मि. नटवरलाल बेदिया एफसिए प्रयन्ते गजानन सिकिओरिटिस सार्भिसेस लिमिटेड 9/12 लाल बाजार स्ट्रीट ए ब्लाक तृतीय तक्षा कलकत्ता-700 001
5	052499	मि. अशोक चिनचेला एफसिए स्टेट बैंक आव इंडिया (तुलसीपुर शाखा के नज़दीक)

देउलासाइ तुलसीपुर

052852 मि. पंकज कुमार बासोतिया एफसिए 863 लेक टाउन ब्लाक ए कलकत्ता-700 089

कटक-७५३ ००८

- 7 053082 मि विशाल सारीन एसिए 7बि हेमछाथा 40 आयरन साईंड रोड कलकता-700 019
- 8 054167 मि. पार्थ चर्कवर्ती एसिए
   843 ब्लाक ओ
   निउ आलिपुर
   कलकत्ता-700 053
- 9 054939 मि. अश्वीनी मेहरा एसिए प्रयन्ते डायर नेपाल प्राइवेट लिमिटेड पो. अ बाक्स 14375 टिनकुने नेपाल, काटमाण्डु-0 नेपाल
- 10 055284 मि सन्दीप संन एसिए 770ए, ब्लाक पी निउ आलिपुर कलकत्ता-700 053
- 11 055720 मि. मनोज कुमार भामा एपिए 18, लखी पत्नी, पो आ. मोरेपुकुर जिला-दुगली, रिषडा-0
- 12 058214 मिस. सुनेन्ना गुना एसिए १बि/२ए गोबिन्दपुर रोड लेक गार्डेन्स कलकत्ता-700 045
- 13 080628 मि. श्रीकुमार मेनन एसिए मुख्य आधिरासी नैगम एंड वाणिज्य बि ओ रि: इंडिया लिमिटेड कलकता-700 088
- 14 090317 मि. विश्वजीवन राय एसिए फ्लाट नं एइच-7, क्लास्टार-एक्स पूर्वाचल, सास्ट लेक कलकत्ता-700 097

💙 २ ग | /,- | /। (अशोक हलिदया) सचिव

08/12/2000

### 6 DEC 2001

3ईसीए/5/3/2000-2001: इस संस्थान की अधिसूचना न. 3ईसीए(4)/11/1982-83 दिनांक 31/3/1983, 3ईसीए(4)/12/1983-84 दिनांक 31/4/1984, 3सीसीए/4/6/1986-87 दिनांक 28/1/1987, 3ईसीए /4/4/1993-94 दिनांक 1/2/1994, 3ईसीए(4)/3/1994-95 दिनांक 3/2/1995, 3ईसीए (4)/2/1996-97, दिनांक 20/12/1996, 3ईसीए/4/3/1998-99, दिनांक 12/05/1999, 3ईसीए/4/2/1999-2000, दिनांक 11/4/2000, 3ईसीए/4/3/2000-2001, दिनांक 22/2/2001, एवं 3ईसीए/4/3/2000-2001, दिनांक 26/03/2001 के संदर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतद द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिचद ने अपने संदर्स्यता रिजस्टर में निम्निलिखत संदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथियों संस्थापित कर दिया है।

₩o Week	संबद्धाः संख्या	नान एवं पसा	विनाम
1	001864	मि. भगवानदास मणिलाल जन्त्रनिया 26, शरत बोस रोड 'बसुधारा' फ्लाट 43 कलकत्ता-700 020	8/12/2000
2	004248	मि. बीरेन्द्र किशोर दास एफसिए 50-06-46 स्ट्रीट एपिटि/3ए उड साइड, कुकुन्स, इउ.एस.ए निउ इयार्क 11377 निउ इयार्क	01/10/1999
3	004796	मि. किशोर देओ शर्मा एफसिए मेसार्स के डि शर्मा एंड को० 23/1 जनसन रोड हावड़ा-711 101	08/12/2000
4	006323	मि. ओम प्रकाश भुटानी एफसिए 12, बि लाई सिन्हा रोड, फ्लाट न०-4 कलकत्ता-700 071	08/12/2000
5	007555	मि. ताराचाँद अग्रवाल एफसिए 152 राजा आर एल मित्रा रोड "आइडियेल एपार्टमेन्ट" सप्तम तक्षा, फ्लाट में 7, सि एंड डि कलकत्ता-700 010	08/12/2000
6	008019	मि. आबदुल करिम कमलानी एफसिए पो. आ. बाक्स-88 शारजाह इउएई० इउ ए ई	08/12/2000

7	008725	मि. तुषारकान्ति नाग एफसिए 699 बि निउ आलिपुर ब्लाक-पि कलकत्ता-700 053	08/12/2000

- 8 009511 मि. रजतकान्ति मजुमदार एसिए 17/01/2001 बि-6/38 डायमन्ड पार्क जोका, कलकत्ता-700 104
- 9 009648 मि. अशोक कुमार कापुर एफसिए 08/01/2001 139 दक्षिणदौँदि रोड त्रिमुर्ति एपार्टमेन्ट कलकत्ता-700 048
- 10 010178 मि. मिहिर कुमार सेन एफसिए 08/12/2000 19, कोबाल्स्टोन कोर्ट ओकलेन्ड, एनजे 07436 इंच एस ए० इंच एस ए
- 011976 मि. राजेन्द्र प्रसाद एफसिए 08/12/2000 छपाध्यात्र आयकर आपील अधिकरण 225/सि ए जे सि बोस रोड कलकत्ता-700 020

012429 मि. अरविन्द घोष एसिए

10 गुरुसदय रोड कलकत्ता-700 019

12

- 164ए/6/1 लेक गार्डेन्स कलकत्ता-700 045 13 012451 मि. प्रह्लाद भगत पासारी एसिए 07/03/2001 अजन्ता एपार्टमेन्टस् फ्लाट ने 8ए
- 14 013905 मि. प्रशान्तकुमार रायवर्मण एफसिए 08/12/2000 पि-26 कानुनगो एफसिए पार्क गढ़िया, कलकत्ता-700 084
- 15 020527 मि. के पार्थसारथि एसिए 08/12/2000 643/बि, ओ ब्लाक, निउ आलिपुर कलकत्ता-700 053
- 16 023503 मि. के.ए.श्री निवासन एसिए 08/12/2000 एफडि-322 नीचे तक्ता,
   ए डि पार्क के नज़दीक, सेक्टार-3 साल्ट लेक सिटि, कलकत्ता-700 091
- 17 040182 मि. के रंजनकुमार सुबुद्ध एफसिए 08/12/2000 प्रयद्धे मेसार्स ए एम जैन एंड को० 37, हामाम स्ट्रीट, हामाम हाउस के सामने में मुम्बाई-400 023

===							
18	050044	मि. सत्यब्रत गुहा मजुमदार एफसिए इ.स.टि.पि फेज IV बि.टाईप फ्लाट 14/12 कलकत्ता-700 078	10/10/2000	30	051457	मि. नारायण बेनाजी एसिए 15, बि हाजरा रोड कलकत्ता-700 026	08/12/2000
				31	051467	मि. स्वपन बासु एफसिए	08/12/2000
19	050052	मि. अजन सरकार एसिए 2 लेक भिउ रोड कलकत्ता-700 029	08/12/2000	J.	031407	कमलपुर प्लाट बेना चिनि दुर्गापुर-713 213	Vai 12/2000
		1777711 700 023		32	051702	मि. रामस्वरूप तुलसीयान एफसिए	08/12/2000
20	050126	मि. बोधराज शेठ एफसिए 19 ए.दैओदार स्ट्रीट फ्लाट ने बि1-214 नान्दनिक एपार्टमेन्ट	08/12/2000	34	931773	आर एस तुलसीयान एंड को० 62 बेन्टिकं स्ट्रीट, तृतीय तस्त्रा, कलकत्ता-700 069	06/12/2000
		कलकत्ता-700 019		33	051833	मि. प्रेम कुमार भोतिका एफसिए 65 बाजाल पाइ। लेन	08/12/2000
21	050334	मि. भगचाँद जैन एफसिए 2बि ग्रान्ट लेन, द्वितीय तक्का	08/12/2000			सालकिया, हावड़ा-711 106	
		कलकता-700 012		34	051843	मि. अभय मिश्र एकसिए	08/12/2000
22 .	050567	मि. मदनलाल बाफना एफसिए 20 ए एमेश मित्र रोड	08/12/2000			प्रयन्ते मेसार्स राजेश चतुर्वेदी एंड एसोरि 337 पर्णश्री, कलकता-700 060	स् <b>येटस्</b>
		कलकता-700 025		35	052140	मि. विजय कुमार सारायोगी एफसिए मेसार्स वि के सारायोगी एंड कोo	08/12/2000
23	050623	अशोक कुमार दासगुप्ता एसिए	20/02/2001			कक्षा नं 401 मर्गलम	
		4 कसबा रोड (हालतु बाजार और तरुण सार्मिस स्टेशन के बीच में) कलकता-700 078				24 हेमन्त बासु सरणी कलकसा-700 001	
				36	052216	मि. ननीगोपाल कुण्डु एफसिए	08/12/2000
24	050777	अशोक भाण्डारी एफसिए 9 राजीव एपार्टमेन्टस	08/12/2000			3 वि बेलियाघाटा मैन रोड कलकत्ता-700 085	
		19 बि मेन्डेभिला गाडेन्स कलकत्ता-700 019		37	052380	मि. विश्वनाथ साहा एसिए पो. आ. और गावः विधाननगर	08/12/2000
25	050971	नरेश कुमार जैन एफसिए 4 सि अरविट	08/12/2000			कलकत्ता-700 066	
		1 गार्सस्टिन प्लेस		38	052389	मि. अजित कुंमार जैन एसिए	08/12/2000
		कलकत्ता-700 001				मणि टावार्स, फ्लाट डिए-1 31/41 बिनोवा भावै रोड	
26	051102	मि. गोपाल चन्द्र दीग एसिए एरिया फिनान्स मेनेजार	08/12/2000			दक्षिण ब्लाक, कलकत्ता-700 038	•
		पश्चिम ज्ञिरिया, पो. आ. मुनिक्रिष्ठ धानबाद-828 129		39	052550	मिस. मधुमिता घोष एसिए 66 हिन्दुस्ताम पार्क कलकत्ता-700 029	09/11/2000
27	051178	मि. शेखरकान्ति राय एसिए 4/17 पुर्वपक्षी, 24 परगना	08/12/2000	40	052617	मि. अजंभ बेनार्जी एसिए	30/11/2000
		सोदपुर-743 178				71;एस. एन बेनार्जी रोड कलकत्ता-700 014	
28	051398	मि. अंजनी कुमार अग्रवाल एफसिए एस आर वाटली वाय एड को० 36 गणेश चन्द्र एवेन्यु कलकत्ता-700 013	08/12/2000	41	052693	मि. समीर कुमार भट्टाचार्य एफसिए मेनेजार फिनासं एंड एडमिनिस्ट्रेशन कागेम माइनिं लिमिटेड पी. ओ. बाक्स 21657 किटवे ज्ञान्विआ (	08/12/2000
29	051416	मि. राम अवतार झानवार एकसिए 23/1 गर्डियाहाट रोह (पश्चिम) कलकत्ता-700 068	08/12/2000			ज्ञा <b>ग्वि</b> आ	

42	052755	मि. देवाशिस सरकार एफसिए	08/12/2000	53	053967	मि. एस रवीन्द्रन एसिए	08/12/2000
	·	208 एन एस सि बोस रोड फ्लाट न#1डि कलकता-700 040				आइ <b>डि</b> वि आइ बेंक लिमिटेड 101 पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता-700 016	
				54	054182	मि. पार्थ प्रतिम होड़ एसिए	08/12/2000
43	052784	मि. केशव अग्रवाल एफसिए 225, प्रान्तिक पक्षी कलकत्ता-700 042	08/12/2000			चीफ फिनान्स आफसर टेस्टि बाइट इटेब्लास लिमिटेड आर-4 कोहिनुर एस्टेट वाकडेवाडि बम्बे पूने रोड 3	
44	052992	मि रामिन्दर सिं सेखन एसिए एम ए-1/6, फ्लाट 2 बि	08/12/2000			पुने-411 003	
		गार्डेन एस्टेटस कलकत्ता-0		55	054291	मि अरूप कुमार अग्रवाल एफसिए 11 क्लाइव रो, तृतीय तक्का कक्षा ने 2 बि, कलकता-700 007	08/12/2000
45	053136	मि. अजयकुमार बोस एसिए	08/12/2000			<b>1</b> ,	
		1/13 पाइक पाड़ा रो कलकत्ता-700 037		56	054307	मि. आश्रम पुरोहित एफसिए 35, स्यार हरिराम गोयेका स्ट्रीट कलकत्ता-700 007	08/12/2000
46	053396	मि. दिय्येन्दु दत्ता चौधुरी एफसिए 41 रेल विहार, सेक्टार-30	08/12/2000				
		नयडा-201 303		57	054336	मि. विजय टेडन एसिए एइच बि-292/1 सास्ट लेक, सेक्टार-III कलकसा-700 091	08/12/2000
47	053450	मि. बासुदेव नन्दी एकसिए	08/12/2000			•	
		मेसार्स बि नन्दी एंड को॰ 86 पुर्व सिँथि बाइ लेन (मयदान पक्षी) कलकत्ता-700 030		58	054343	मि. संजय नागिलिया एसिए पी ओ बाक्स 2232, रुइ, पोस्टाल कोड सुलतानेत आभ ओमान-0 सुलतानेन आभ ओमान	08/12/2000 -112
48	053576	मि. बिजयराज जैन एफसिए	08/12/2000			<b>.</b>	
		32 एजरा स्ट्रीट, कक्षा ने 1062 दशम तक्षा, कलकत्ता-700 001		59	054350	मि. संजय कुमार लयालका एसिए प्रयन्ते हिन्दुस्थान ग्यास एंड इन्डास्ट्रिज 22 निउ टेगरा रोड, कलकत्ता-700 046	08/12/2000 ਕਿਸਿਟੇਫ
49	053679	मि, अशोक कुमार बोकारिया एफसिए	08/12/2000				
		ए के बोकारिया एंड को॰ 113 नेताजी सुभाव रोड तृतीय तहा, कक्षा न 40 कलकत्ता-700 001		60	054641	मि. जय सरकार एसिए फ्लाट नं 1 सि, शिवम एपार्टमेन्टस 134 पुर्व पत्नी, कसवा (हालतु) कलकता-700 078	01/12/2000
50	053693	मि. अरूण कुमार जैन एफसिए प्रयन्ते बि सि जैन एंड एसोसियेटस 2 बि ग्रान्ट लेन द्वितीय तल्ला, कक्षा ने 74	08/12/2000	61	054744	मि. सुप्रिय सेनगुप्ता एसिए प्रयन्ते डि दासगुप्ता पि-80ए लेक रोड द्वितीय तला कलकत्ता-700 029	06/02/2001
		कलकत्ती-700 012					
51	053704	मि. आशीश कुमार गोस्वामी एसिए डेपुटी भेनेजार	08/12/2000	62	054835	मि. अशोक कुमार अग्रवाल एफसिए 36, महर्षि देवेन्द्र रोड कक्षा नं 606, कलकत्ता-700 006	08/12/2000
		डावलु सि एल माजरी अंचल				प्रश्ना रा ७७७, प्रशासन्तान्त्रण ०००	
		सि-14 कुचना हाउसि कामप्लेक्स कुचना, पो. आ. शेम्बाल चन्द्रपुर-442 907		63	054858	मि. अरुण प्रकाश खैतान एसिए प्रयन्ते महेश कुमार अग्रवाल फ्लाट ने 308, ब्लाक ए 138 जि टि रोड	08/12/2000
52	053886	मिस, कुसुम गुप्ता एसिए 10/9 गोबिन्दपुर रोड	11/12/2000			हावडा-711 101	
		कलकत्ता-700 045		64	054890	मि. प्रमोद कुमार पति एसिए डि-22 एन डि डि वि केम्पास वेस्टार्न एक्सप्रेस हाईवये गुरेगावँ (पुर्व), मुम्बई-400 065	03/11/2000

		·	<del></del>			<del></del>	
65	054920	मि. सजय कुमार चौधुरी एफसिए 29 एन एस वि रोड जिला बर्धमान, रानीगंज-713 347	08/12/2000	76	055629	मि. अशोक कुमार एफसिए मेसार्स अग्रवाल माईश्वरी एंड को० 2 बि. ग्रान्ट लेन, कक्षा नं 88 घतुर्थ तस्त्रा, कलकत्ता-700 033	08/12/2000
66	054941	मि. पि. राजाराओ पात्र एसिए 303 निहारिका एपार्टमेन्ट कटक रोड, भुवनेश्वर-751 007	08/12/2000	77	055643	भिस. आशा एम. बाधिया एसिए 69 टि प्रिन्स विक्तियार शाह रोड कलकत्ता-700 033	08/12/2000
67	055021	मि. दिलीप कुमार सिपानी एफसिए परमेश्वर बिलर्डि चतुर्थ तका, छश्रिबारि कक्ष ने 7, गुआहाटि-781 001	08/12/2000	78	055650	मि. सुधीर कुमार एसिए फ्लाट 12िस मिन्टो पार्क सिडिकेट 13 डि एल खान रोड आलिपुर, कलकत्ता-700 027	08/12/2000
68	055186	मि. राजीव कुमार पाण्डे एसिए प्रयन्ते वीरेन्द्र कुमार पाण्डे फ्लाट ने बि-4 इ खेह गार्डेन 28 राज बाहादुर रोड कलकत्ता-700 053	08/12/2000	79	055651	मिस. ज्योति कुमार एकसिए मेनेजार ग्लोबाल ट्रास्ट बेंक ओएम टावार 32 चौरिगी रोड कलकत्ता-700 027	08/12/2000
69	055202	मि. सोम्यब्रत गुहाठाकुरता एसिए 296 एस एन राय रोड फ्लाट ने 4, कलकत्ता-700 038	08/12/2000	80	055706	मि. हिमाशु कुमार अधिकारी एकसिए 160 ए जादव घोष रोड, सरसुना कलकत्ता-700 007	08/12/2000
70	055266	मि. संजय गोयेल एसिए पो आ बाक्स 60552 गाबोरोन, बोटसोवाना 0 बोटसोवाना	08/12/2000	81	055804	मि. भास्कास ज्योति बद्ध्या एसिए आसाम टी ब्रोकार्स प्राइवेट लिमिटेड रुक्मिनीनगर, जि एस रोड गुआहाटि-781 006	08/12/2000
71	055411	मि. निखिलेश गुप्ता एसिए ब्लाक 852 टेमपाइन्स स्ट्रीट 82 #06-205	04/12/2000	82	055870	मि. गौतामंशु मुखोपाध्याय एसिए 29/1 राइ मोहन बेनार्जी सेड कलकत्ता-700 035	08/12/2000
		सिंगापुर-520 852 सिंगापुर		83	056048	मि. अलोक कुमार बियानी एसिए दिनेश एपार्टमेन्टस फ्लाट नं A.5.3	08/12/2000
72	055493	मि. ब्रह्मानन्द पानी एफसिए डि-2 फेकाल्टि हाउसिं नेशनाल इनस्टि आम् डिजाइन, पालडि	08/12/2000 ਟੇਚਟ			113/3 दक्षिण दाँडि रोड, श्रीभुमि कलकत्ता-700 048	
73	055505	आहमेदाबाद-380 007  मि. भि भराधाराजन एसिए फ्लाट नं 2ए द्वितीय तामा 18 करुणामयी घाट रोड कलकत्ता-700 082	08/12/2000	84	056144	मि. सन्दीप गुप्ता एसिए प्रयन्ते जि एस गुप्ता 6 ए किरण शंकर राय रोड द्वितीय तस्त्रा कलकत्ता-700 001	08/12/2000
74	055582	मि. बिश्वजित दत्ता एसिए 1 शममोहन प्लेस जिला हुगली कोन्ननगर-712 235	08/12/2000	85	056245	मि. देवेन्द्र कुमार बोहरा एसिए होटेल आनन्द बिल्डि खीयाभगं रोड मणिपुर इम्फल-795 001	08/12/2000
75	055617	मि. दिलीप पाल एसिए ए 2/2 नीरद एपार्टमेन्ट 'एल' रोड बिहुपुर जामशेदपुर-831 001	08/12/2000	86	056424	मि. महेश कुमार सांगेनेरिया एफसिए महेश सांगेनेरिया एंड को० बजरंग भवन, प्रथम तल्ला फेरिं बाजार, इंडको बेंक के सामने गुआहाटि-781 001	08/12/2000

87	056498	मि. संजय कुमार अग्रवाल एसिए फ्लाट ने एन 3/410 आइ आए सि गाँव नया पक्षी भुवनेश्वर-751 015	08/12/2000	97	057165	मि. राजेश शर्मा एसिए उइ क्रेसेन्ट टावार 229 ए जे सि बोस रोड कलकत्ता-700 020	08/12/2000
88	056512	मिस. मोनिका सिपानि एफसिए परमेश्वरी बिल्डि चतुर्थ तल्ला, कक्षा नं 7 चत्रिबारि	08/12/2000	98	057174	मि. सुरेश कुमार साराओगि एसिए 37 डा. अबनी दत्ता रोड गगनाचेल कामप्लेक्स हावड़ा-711 106	08/12/2000
89	056633	गुआहाटि-781 001 मि. ललित तोशनीवाल एसिए	08/12/2000	99	057264	मि बिपल्ब समाजदार एसिए 10 किरण शंकर राय रोड तृतीय तक्का	08/12/2000
		एक्सपेक्ट्राम सलुयशानस 22/9 मनोहर पुकुर रोड कलकसा-700 026		100	057389	कलकत्ता-700 001 मि राजेश कुमार कल्याणी एसिए	08/12/2000
90	056698	मि. दीपक सेन एसिए प्रयन्ते मि. समीरकुमार दत्ता 9 खेलात बाबु लेन	08/12/2000			प्रयन्ते आए एस आर मोहता एस पि जि एंड डावलु भि जि मिलस लि पो आ हिगनघाट, जिला वार्था, वार्घा०	-
91	056028	कलंकता-700 037 मि. प्रवीण कुमार त्रिवेदी एसिए	08/12/2000	101	057450	मि निलाद्रि प्रसाद मिश्र एसिए फाउ ने एन/1/70 नयापक्षी बिल्डि एन. एइच-5	08/12/2000
91	030928	356/26 एस के बोस सरणी कालिन्दी पश्चिम चतुर्थ तक्षा	00/12/2000		A	भुवनेश्वर-751 013	
		वासी पारा कलकत्ता-700 030		102	057478	मि. अरिजित बन्द्योपाध्याय एसिए भि एस एन एल एल भि एस बि काशीनाथ युरु मार्ग	08/12/2000
92	056977	मि. आनन्द कुमार सुराना एसिए प्रयन्ते आलेक्सान्द्रिया कार्यन ब्लाक को० एस एइ एल नाहदा रोड	15/12/2000			प्रभादेवी मुम्बई-400 028	
		एमरेया, आलेक्सान्दिया इजिप्ट० इजिप्ट		103	057497	मि बि. कार्तिकेयन एसिए कार्पोरेशन बेंक जोनाल आफिस 16/10 आर्य समाज रोड कारोलबाग	08/12/2000
93	057018	मि. प्रशात गुप्ता एसिए शार्ति नगर बिल्डि नं 5 फ्लाट नं 27	08/12/2000	104	057518	नयादिली-110 005 मि. अरुण कुमार गुप्ता एसिए	08/12/2000
		लिलुया, हायडा-711 204				33 अभय गुहा रोड प्लाट नं 201	
94	057041	मि. आशिस मजुमदार एसिए 188/61 प्रिन्स आनवार शाह रोड कलकत्ता-700 045	08/12/2000			लिलुया हावड़ा-711 204	
95	057071	मि. राजकुमार गाथवाला एफसिए 65एन एस रोड घोष मार्केट	09/12/2000			मि. मुकेश कुमार एसिए 6/1/1 पद्मपुकुर (नैताजी नगर) कलकता-700 042	08/12/2000
	L	प्रथम तल्ला, कक्षा नं 19 रानीगंज-713 347		106	057665	मि. बिश्वरूप सोम एसिए 4/ए/। धर्मतल्ला रोड प्रथम तल्ला	08/12/2000
96	057096	मि श्याम सुन्दर राधी एसिए आइ डि वि आइ नरिमेन भवन	09/02/2001	107	057777	कलकत्ता-700 042 मि. अलोक गारोदिया एसिए	08/12/2000
		निरिमेन पयेन्ट मुम् <b>यई</b> -400 021		107	<i><b>V</b>37111</i>	फ्रिटो हो, जे 174 विजय रत्तन विहार सेक्टार-15 (पार्ट 11) गुरागाँव 0	33, jai 2000

108	057938	मि. अनिल अग्रवाल एसिए 8 बॉशतका लेन कलकत्ता-700 001	08/12/2000	119	058569	मि. सुरज कुमार धनधनिया एसिए 228, एम. जि. रोड द्वितीय तल्ला कलकत्ता-700 007	08/12/2000
109	058052	मि. बिजय कुमार लेका एसिए अटोमोटिव वायारिंग सिस्टेमस लिमिटेड 4 माइल पोस्ट नगर रोड पुने-411 014	09/10/2000	120	058793	मि. शारदा अग्रवाल एसिए 3ए महाराज एपार्टमेन्ट 2 ब्रह्स स्ट्रीट कलकत्ता-700 019	08/12/2000
110	058068	मि. देबदुलाल चट्टोपाध्याय एसिए उत्तरायण, हाउस नं 42 जिला हुगली रिषड़ा-712 102	08/12/2000	121	058846	मि. संजीय कुमार सिंह एसिए केपिटाल एकाउन्टस् ग्रुप जेनेराल आफिस बिल्डिं टाटा स्टील जामशेदपुर-831 001	08/12/2000
111	058085	मि. बिकाश चौधुरी एसिए बि चौधुरी एंड एसोसियेटस प्रयन्ते घौधुरी हाउस नेहरू रोड शिलिगुड़ि-734 405	08/12/2000	122	058876	मि. दीप्ति रंजन मोहान्ति एसिए गोविन्दश्वर रोड, आल्ड टाउन भुवनेश्वर-751 002	28/09/2000
112	058116	मि. अमित कुमार जैन एसिए सि 33 सानराइज फ्लाट नं 605 एंड 60 शास्त्री नगर लोक मान्डावाला के नज़दी औंधेरी (पश्चिम) मुम्बई-400 053		123	058901	मिस. सिम्मि अरोरा एसिए ए-1/2/203 सुषीधाम 10 सि कामप्लेक्स जेनेराल ए के विद्या मार्ग मालदा (पुर्व) मुम्बई-400 097	08/12/2000
113	058192	मि. प्रद्युम्न घोष एसिए आईल्थ सिमिटेड 108 एमबेसी सेन्टार 11 क्रिसेन्ट रोड बागालोर-560 001	07/02/2001	124	058992	मि. अनुराग भागानिया एसिए ए/31 सक्षशीला एपार्टमेन्टस 57 आइ पि एक्सटेनशान दिस्री-110 092	08/12/2000
114	058199	मि. सजन धानुका एसिए 12 मेगों लेन कलकत्ता-700 001	08/12/2000	125	059238	मि. विवेक गुप्ता एसिए शांति नगर, बिल्डि नं-5, फ्लाट-27 लिलुया, हावडा-711 204	08/12/2000
115	058202	मि. राजेश कुमार जैन एसिए 127 नेताजी सुभाव रोड चतुर्थ तक्षा, कक्षा नं 402 हावड़ा-700 001	08/12/2000			मि. लक्ष्मीपत बाँधिया एसिए पलाट 5 इसि मणिकांचन 5/1/1 बि डा. आर के एम सरणी कलकत्ता-700 019	08/12/2000
116	058336	मि. अरविन्द घोखानी एसिए एफ डि-16, सेक्टार III सारट लेक सिटि	08/12/2000	127		मि. अनिल कुमार डालमिया एसिए प्रयन्ते मेसार्ष जि गर्ग एंड को० 14/2 ओल्ड चायना बाजार स्ट्रीट प्रथम तल्ला, कलकत्ता-700 001	08/12/2000
117		कलकत्ता-700 091 मि. राजशेखर पटनायेक एसिए निमर्ल भवन, डि आर नं 15-97 अरुन्धती कालोनी, केन्टनमेन्ट कलकत्ता-0	14/12/2000	128		मि. सजंय कुमार नाहाटा एसिए ब्लु हिल एपार्टभेन्ट फ्लाट मं-बि-4, तृतीय तस्त्रा ए डि रवीन्द्र पस्त्री केष्टपुर कलकत्ता-700 059	08/12/2000
118		मि. राजेश कुमार सिंघल एसिए 23 मित्र लेन कलकत्ता-700 007	08/12/2000	129		मि. सुनील कुमार जैन एसिए प्रयन्ते लोघा कैपिटाल मार्केटस लिमिटेड 13/3 स्ट्रांड रोड 3 कलकत्ता-700 001	08/12/2000

							<del></del>
130	059404	मि. राजेश कुमार जैन एसिए प्रयन्ते अभयकुमार जैन रोशन मार्केट, द्वितीय तला फेन्सि बाजार गुआहाटि-781 001	08/12/2001	140	200282	मि. पि. आनन्द कुमार एसिए प्रयन्ते कोयेस्ट इन्टारनेशनाल 6 सांकि विहार रोड सांकिनाका मुम्बई-400 072	08/12/2000
131		मि. लक्षण कुमार प्रसाद एसिए प्रयन्ते भोल्टास लिमिटेड गिलेन्डार हाउस, 8 एन एस रोड कलकत्ता-700 001	08/12/2000	141	206143	मि. कालागोलाप राउत राथ एसिए पो. आ बालिटुठ मायाकुजर्ग जिला-जगनसिंहपुर उड़िसा, जगनसिंहपुर-754 141	08/12/2000
32		मि. रिरोश कुमार मुन्द्रा एसिए प्रयन्ते पि के मुन्द्रा एंड को० 1 क्रुकेड लेन 119 मारलिन चेम्बार्स कलकत्ता-700 069	08/12/2000	142	207497	मि. राजेन्द्र कुमार सारागीं एसिए सि-7 पार्क भिउ एपार्टमेन्टस् फार्स्ट प्रफेसर कालोनि तामग्राम पुर्व चेन्नाई-600 056	08/12/2000
133	059898	मि. रितुम जैन एसिए फ्लाट ४ ए मेट्रो टावार्स 1 हो चि मिन सरणी कलकत्ता-700 071	08/12/2000	143	057506	मि. सुदर्शन कुमार अग्रवाल 7/15 ग्रान्ट लेन, द्वितीय तक्का कलकत्ता~700 012	08/12/2000
134	060009	मि. यिकास कुमार अग्रवाल एसिए सिनियर एकाजन्टेन्ट डिओलाइट एंड टाच पो. आ. बाक्स 778 बोस्टोआना गोबोरोन 0, बोस्टोआना	08/12/2000				र्भा २ (गो / १०० ) (अशोक हिलदया) सचिव
35	060091	मि. देवदुलाल बन्द्योपाध्याय एसिए मेसार्स डि के दे सरकार एंड को० 167/4 लेनिन सरणी, तृतीय तक्का कलकत्ता-700 072	08/12/2000				
136	060193	मि. अमित छाओछारिया एसिए सिटि बेंक एन ए सिटि बेंक सेन्टार प्लाट सि 061, बान्द्रा कुरल' कामप्लेक्स बान्द्रा (पुर्व), मुम्बई-400 051	08/12/2000				
137	089188	मि. अभ्मिका प्रसाद बिश्वजित मिक्किक ए एस के सामाल एंड एसोसियेटस बि-221 एइच आइ जि डुप्लेक्स बारमुडां भुवनेश्वर-751 003	कसिए 08/12/2000				
138	105724	मि करुणाकर पानसारि एसिए प्रयन्ते अन्नपुर्णा राइस मिलस् बारगर-768 028	08/12/2000				
139	107255	मिस. मनीषा धरनीधरका एसिए ए5 एइच, ख्रेह गाडेन्स 28, राय बाहादुर रोड कलकत्ता-700 053	08/12/2000				

### 10 DEC 201

3ईसीए/5/5/2000-2001: इस संस्थान की अधिसूचना न. 3ईसीए/4/41/2000-2001 दिनाक 26/03/2001, के संदर्भ में एतद द्वारा सुक्रना दी जाती हैं कि निम्नलिखित सदस्यो जिनका क्रम संखा है 5,8,12,18,25, 26,30,35,37,39,43,47,48,58,59,61,64,66,69,72,73,74,78,80,82,85 86,87,92,99,104,115,117,118 एवं 119 क्रमानुसारे का कार्य प्रमाण पत्र 8 दिसम्बर 2000 से रद्द समझे जाएँगे क्योंकि उन्होंने कार्य प्रमाण पत्र हेतु वार्षिक शुल्क का भुगतान नहीं किया था।

٥fio	सदस्यता	नाम एवं पता
संख्या	संख्या	
I	006998	मि. सुशीलकुमार मजुमदार 36/3, पि जि एम शाह रोड अजंलि एपार्टमेन्ट, फ्लाट-ए1 कलकत्ता-700 033
2	011926	मि. शिवाजी दासगुप्ता प्रयद्गे पि सरकार एंड एसोसियेटस् 35, चित्तरंजन एवेन्यु, तृतीय तल्ला कलकत्ता-700 012

- 3 050151 मि. राजेन्द्र कुमार मुकीम मुकीम एंड एसोसियेटस्, मुकीम भवन, द्वितीय तल्ला, जि टि रोड, आसानसोल-713301
- 4 051550 मि. परिमल सरकार पि सरकार एंड एसोसियेटस् 35, चित्तरंजन एवेन्यु, तृतीय तल्ला, कलकत्ता-700 012
- 5 052560 मि. आनन्द चॉद मेहता बि-1, गार्डेन एपार्टमेन्टस 2/10 शरत बोस रोड कलकत्ता-700 020
- 6 052568 मि. नदंन कुमार बागची प्रयते पवित्रपद चक्रवर्ती 47 नदंन कानन साउथ, जिला-२४ परगना (उत्तर), रहडा-743186

- 7 053372 मि प्रकाशकुमार श्यायल्य 13ए, डेकर्स लेन, कक्षा न-508 पचम तल्ला कलकत्ता-700 069
- 053812 मि अजयकुमार टोडि 205, रवीन्द्र सरणी द्वितीय तल्ला, कक्षा न 81 कलकत्ता-700 007
- 9 054063 मि. सब्यसाची सेन प्रयन्ते पि एम सेन, निचि तल्ला, फ्लाट "-96 कार्कुलिया राउ कलकत्ता-700 0.39
- 10 054308 मि शिव शकर गुप्प डेपुटी चेयारमन, पारावीप पोर्ट ट्रास्ट जिला जगत सिहपुर पारावीप-754 142
- 11 054593 मि प्रेम कुमार गा। 11, क्लाइट ये, तृतीय तक। कक्षा न 11, क*े इ*ला-760 %
- 12 055065 मि रामनी कार्य 198 बि शरत बाग के कलकत्ता-760 023
- 13 055106 मि. अजय टिव्रेगल ए डि/६३ राल्ट लेक, सेक्टार-1 कलकत्ता-700 064
- 14 055715 मि. सुबोध कुनार िट कक्षा न-63 एड्ट तृतीय तल्ला,
   161/1 महान्या गाधी रोड कलकत्ता-700 007
- 15 055782 मि. प्रदीपकुमार लुहारुका 90/95 राजारहाट रोड गगां एपार्टमेन्ट, तृतीय तक्षा कलकत्ता-700 059
- 16 055940 मि. श्रीनाथ मुखार्जी लेन्सडाउन स्कोयार मेनशन 30 बि पद्मपुकुर रोड कलकत्ता-700 020

- 17 056221 मि. एस घोष चोधुरी 'मोनालिसा' 28/4 मोतिज्ञिल एवैन्यु कलकत्ता-700 074
- 18 056317 मि. सुधीरंजन पात्र 116/2 नरसिंह दत्ता रोड हावड़ा-711 101
- 19 056663 मि. सुबीर रक्षित 3 ए. जयदीप नाथ राय लेन कलकत्ता-700 006
- 20 056737 मि. समरेन्द्र पानी फ्लाट नं 2132/5036 नागेश्वर टागी लियुस रोड भुवनेश्वर-751 002
- 21 056822 मि सुभाशिष दे फ्लाट 2/3 'गोधुलि एपार्टमेन्टस' एई-1 रयीन्द्र पक्षी, पो. आ. प्रफुक्त कानन कृष्णपुर, कलकत्ता-700 059
- 22 056886 मि. एन गुरुमुर्ति
  प्रयद्भे मेसार्स पि सरकार एंड एसोसियेटस्
  35 सि आर एयेन्यु, तृतीय तक्का
  कलकत्ता-700 012
- 23 057116 मि. विनीता अग्रवाल 13 ए डेकर्स लेन, पर्चम तस्त्रा कक्षा न 508, कलकत्ता-700 069
- 24 057228 मि. कमलकुमार गोयेका 1/1 इ साउथ सिथिँ रोड कलकत्ता-700 050
- 25 057350 मि. रमेश कुमार बनसाल आई टि सि लिमिटेड,
   37 चौरिंगि, इन्टारनेल आंडिट डिपार्टमेन्ट (छै सक्षा) कलकत्ता-700 071
- 26 057623 मि. विकास खांडेलच्ला स्लाक ए, फ्लाट-501, 36 पाम एवेन्यु कलकत्ता-700 019
- 27 057641 मि. दीपालि भाण्डारी 55 डि केनिंग स्ट्रीट प्रथम तस्रा, कलकत्ता-700 001
- 28 057674 मि जयप्रकाश तोशनीवाल एकाजन्टस एक्सेदिन्डटिव, हिन्दुसाउ क्षेत्रकाकोता बेभारिजेस प्राईवेट लिमिटेड फ्लाट 11/11 ए देवग्राम इन्डास्ट्रियाल ग्रोथ सेन्टार जलपाइगुड़ि

- 29 058045 मिस. तनुजा सिनहा सि-6/4 ग्रीन टावार गाल्फ ग्रीन कलकत्ता-700 095
- 30 058456 मि. सुनीलिकुमार पाटावारी प्रयद्वे बाबुलाल अग्रवाल 156 बैठक खाना रोड, द्वितीय तस्त्रा, कलकत्ता-700 009
- 31 058752 मि. पर्कज आरोरा पि-92 ब्लाक बि. तृतीय तस्त्रा, बागुर एथेम्यु कलकत्ता-700 055
- 32 059930 मि. जयन्त कुमार पांडा प्रयत्ने सन्तोष रथ, कल्पना स्कोयार कोवार्टार मं-2, आर बि 1/2 उदिसा, भुषनेश्वर-751 014
- 33 060108 मि पार्थ सारथि मिश्र फ्लाट नं 270 प्रथम तक्का खारभेल नगर, युनिट-III भुवनेश्वर-751 001
- 34 060208 मि. रोहित सरफ 11 ए. कालाकार स्ट्रीट भुवनेश्वर-700 007
- 35 060293 निस. अरुणा सुग्रह्मनियाम 112/2 सेलिम पुर रोड कलकत्ता-700 031

्रिश्रोक हिलदया) सचिव

#### कानपुर-208001 11 DEC 2011

3 सी.सी.ए (5)/2/2000—2001 : इस संस्थान की अधिसूचना नं. 3 सी.ए.(4) (6) / 1988—89 दिनांक 09/02/1989, 3 सी.सी. ए.(4) (6) / 1993—94 दिनांक 01/12/1993, 3सी.सी.ए.(4) (1)/1996—97 दिनांक 02/12/1996, 3सी.सी.ए.(4)(4)/1997—98 दिनांक 12/03/1999, 3सी.सी.ए.(4) (1)/1998—99 दिनांक 23/04/1999, 3 सी.सी.ए.(4) (1)/99—2000 दिनांक 12/01/2000, 3 सी.सी.ए. (4) (1)/2000—2001 दिनांक 02/02/2001, 3 ई.सी.ए. (4)/3/1994—95 दिनांक 03/02/95 के सन्दर्भ में

चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनिमय 20 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रिजस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथियों से स्थापित कर दिया है।

क्र सदस्यंत सं0 संख्या	ा नाम व पता	दिनांक	क्र सं0	सदस्यता संख्या	नाम व पता	दिनांक
1. 003312	मि. गुप्ता महेश चन्द्र एफ. सी. ए. 133/189 एम ब्लाक किदवई नगर कानपुर—208011	08/12/2000	6.	013085	मि. नहाता चन्दनमल ए.सी.ए. वृन्दावन अपार्टमेन्ट डी—2 मीरा मार्ग बानी पार्क जयपुर—302016	08/12/2000
2. 007249	मि. टो डी गोविन्द राम एफ.सी.ए. मनास्थी 2/1 पारसी मोहल्ला, जी.प इन्दौर452001	08/12/2000 ी.ओ.	7.	013310	मि. शर्मा राजेन्द्र एक.से.ए. आर. सर्नेडल्या एण्ड कम्पर् अमृत रघु नाथ जी का मरि जयपुर — 302002	h '
3. 008084	मि. मेहता रमेश चन्द एफ.सी.ए. एस.बी.—10 गनेश मार्ग बापू नगर जयपुर—302015	08/12/2000	8,	014272	मि. सक्सेना बिपिन कुमार ए.सी.ए. पलैट नं० ४० जै लक्ष्मी अपार्टमेन्ट प्लाट नं० 59 आई. पी. एक्सटेन्शन दिल्ली—110092	23/01/2001
4. 010438	मि. शर्मा वासुधा बल्लम एफ.सी.ए. 28 शमला हिल्स रोड भोपाल	08/12/2000	9.	028870	मि. ऋस्निवासन आर एफ.सी.ए. 712 एक्सप्रेस अपार्टभेन्टस वैशाली	08/12/2000
5. 012316	मि. सुजीत चन्द्र बन्धोपध्याय ए.सी.ए. डिप्टी जनएल मैनेजर सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया मुम्बई मेन आफिस महात्मा गाँधी सेड, फोर्ट मुम्बई—400023	21/11/2000	10.		गाजियाबाद मि. तिवन्दर जीत सिंह एफ.सी.ए. 61 मोतीलाल नेहरू नगर एस.ए.एफ. लाइन्स मिलाई नगर दुर्ग—490022	08/12/2000

क्रे सदस्यत सं0 संख्या	ा नाम व पता	दिनांक	क्र सदस्यत सं0 संख्या	ा नाम व पता	दिनांक
26. 070407	मि. माथुर प्रेम बिहारी एफ.सी.ए. ग्राउन्ड फ्लोर "सांई दीप 7/29, तिलक नगर, कानपुर—208002	08/12/2000 '' बिल्डिंग	33. 072019 	मि. घोष अमिताम एफ.सी.ए. चन्दन काम्पलेक्स नियर कोतवाली रायपुर	08/12/2000
27, 070449	मि. अग्रवाल वेद प्रकाश एफ.सी.ए. 71 आदर्श कालोनी सिविल लाइन्स रामपुर—244901	08/12/2000	34. 072025	मि. वर्मा दिनेश कुमार ए.सी.ए. सत्य भवन खाई लैण्ड मार्केट अजमेर	08/12/2000
28, 070712	मि. दादू राजेन्द्र कुमार एफ.सी.ए. आर—14/53 निव राज नः गाजियाबाद—201002	08/12/2000 गर	35. 072158	मि. खण्डेलवाल दिनेश चन्द ए.सी.ए. 434 केशव नगर अन्ना सागर सरकुलर रोड अजमेर-305006	08/12/2000
29. 070790	मि. शाह नवीन चन्द्र ए.सी.ए. 309 5 ए.वी.ई. 500, न्यूयार्क न्यूयार्क—10016 न्यूयार्क	08/12/2000	36. 072200	मि. अग्रवाला संजय कुमार एफ.सी.ए. 30/220 फस्ट फ्लोर संजय प्लेस आगरा—282002	08/12/2000
30. 071228	यू.एस.ए. मि. राजीव कृष्ण ए.सी.ए. नजर बाग बॉदा—210001	08/12/2000	37. 072238	मि. मादुरी मोयुख ए.सी.ए. सीनियर मैनेजर (फाइनेन्स स्टील आथोरिटी आफ इण्डि मिलाई स्टील प्लान्ट मिलाई—490001	)
31. 071537	भि. इवानी सुधाकर एफ.सी.ए. प्लाट नं0 3 ब्लाक नं0 29 वेस्ट नहेरू नगर डि. दुर्ग भिलाई—490020	08/12/2000	38. 072271	मि. प्रमोद कुमार महेश्वरी ए.सी.ए. ए.डी.ए. फेस—द्वितीय आर्थ ऋगर रामघाट रोड नियर डा० नवनीत महेश्वरी का रेजीडेन्स	06/09/2000
32. 071913	मि. जैन महेन्द्र कुमार एफ.सी.ए. 201 अमित चेम्बर 5—6 जौरा कम्पाउन्ड एम.वाई.एच. रोड इन्दौर—452001	08/12/2000	39. 072583	अलीगढ़	06/11/2000

क्र सदस्यत सं0 संख्या	ा नाम व पता	दिनांक	क्र सदस्यत सं0 संख्या	ा नाम व पता	दिनांक
26. 070407	मि, माथुर प्रेम बिहारी एफ.सी.ए. ग्राउन्ड फ्लोर ''सांई दीप 7/29, तिलक नगर, कानपुर-208002	08/12/2000 '' बिल्डिंग	33. 072019	मि. घोष अमिताम एफ.सी.ए. चन्दन काम्पलेक्स नियर कोतवाली रायपुर	08/12/2000
27. 070449	मि. अग्रवाल वेद प्रकाश एफ.सी.ए. 71 आदर्श कालोनी सिविल लाइन्स रामपुर—244901	08/12/2000	34. 072025	मि. वर्मा दिनेश कुमार ए.सी.ए. सत्य भवन खाई तैण्ड मार्केट अजमेर	08/12/2000
28. 070712	मि. दादू राजेन्द्र कुमार एफ.सी.ए. आर—14/53 निव राज न गाजियाबाद—201002	08/12/2000 गर	35. 072158	मि. खण्डेलवाज्ञ दिनेश चन्द ए.सी.ए. 434 केशव नगर अन्ना सागर सरकुलर रोड अजमेर-305006	08/12/2000
29. 070790	मि. शाह नवीन चन्द्र ए.सी.ए. 309 5 ए.वी.ई. 500, न्यूयार्क न्यूयार्क-10016 न्यूयार्क	08/12/2000	36. 072200	मि. अग्रवाला संजय कुमार एफ.सी.ए. 30/220 फस्ट फ्लोर संजय प्लेस आगरा—282002	08/12/2000
30. 071228	यू.एस.ए. मि. राजीव कृष्ण ए.सी.ए. नजर बाग बॉदा—210001	08/12/2000	37. 072238	मि. भादुरी मोयुख ए.सी.ए. सीनियर मैनेजर (फाइनेन्स स्टील आधोरिटी आफ इणि मिलाई स्टील प्लान्ट मिलाई—490001	<b>)</b>
31. 071537	मि. इयानी सुधाकर एफ.सी.ए. प्लाट नं० 3 ब्लाक नं० 29 वेस्ट नहेरू नगर डि. दुर्ग मिलाई—490020	08/12/2000	38. 072271	मि. प्रमोद कुमार महेश्वरी ए.सी.ए. ए.डी.ए. फेस-द्वितीय आर्य जगर रामघाट रोड नियर डा० नवनीत महेश्वरी का रेजीडेन्स	06/09/2000
32. 071913	मि. जैन महेन्द्र कुमार एफ.सी.ए. 201 अमित चेम्बर 5–6 जौरा कम्पाउन्ड एम.वाई.एच. रोड इन्दौर–452001	08/12/2000	39. 072583	अलीगढ़	06/11/2000

क्र सदस्यत सं0 संख्या	ा नाम व पता	दिनांक	क्र सदस्यत सं0 संख्या	ा नागः व भेशा	दिनां क
40, 072611	भि. जैन अशोक कुमार एफ.सी.ए. 103 बरजटिया चेम्बर्स 44 जलोरा कम्पाउण्ड	08/12/2000	47. 073626	मि. जैन राजेश ए.सी.ए. आर–58 जोन–1 एम.पी.नगर भोपाल–462003	08/12/2000
41. 072840	इन्दौर–452001 मि. राज शिरोमनी सिंह एफ.सी.ए. 134, एम.आई.जी. अवधपुरी	08/12/2000	48. 073745	मि. चतुर्वेदी कृष्णा चन्द्र एफ.सी.ए. प्रथम तल शार्रदा मार्केट चट्टा बाजार मथुरा—281001	08/12/2000
42, 072888	लखनपुर कानपुर मि. संजीव कुमार विजय ए.सी.ए. ट्रेजरार मसीलियन स्टेनले 411ओबर रोड एस. डब्लू.	08/12/2000 नेस इनक	49. 73879	मि. टण्डन लिति नारायन ए.सी.ए. मैनेजर (एफ एण्ड ए) मारत एल्यूमिनियम कम्पर्न पी.ओ बालको टाउनशिप कोरबा495684	08/12/2000 ੀ ਕਿ.
	पो. आ. बाक्स नं.—4813 औ. एच.—44648 मसीलियन यू.एस.ए.		50. 074006	मि. अनिल कुमार शर्मा एफ.सी.ए. फ्लैट नं0 टी—2 मन्जुसा अ बी—7 रामप्रस्थ गाजियाबाद—201011	08/12/2000 पार्टभेन्टस
43, 072969	मि. चौघरी सच्चिदानन्द ए.सी.ए. शिव सदन बी.बी. रोड़ करिनीबाद झारखण्ड बी. देवगढ़814112	08/12/2000	51. 074060	मि. तिवारी संजय कुमार ए.सी.ए. कस्तूरी आंचल सी—123 डा. आर. के. काल मील्डवारा—311001	08/12/2000 ोनी
44, 073052	मा. दयगढ़	08/12/2000 काम्प्लेक्स	52. 074079	मि. मेहता सुरेन्द्र सिंह एफ.सी.ए. सुरेन्द्र सिंह मेहता एण्ड क 101 सिद्धार्थ अपार्टमेन्ट 51 महावीर नगर इन्दौर-452001	08/12/2000 म्पनी
45. 073454	मि. राजीव मोहन ए.सी.ए. 278—सी रीगल शिप्रा सन सिटी इन्द्विरापुरम गाजियाबाद	29/12/2000	53. 074098	मि. अग्रवाला राजेश कुमार एफ.सी.ए. सेकेण्ड पलोर जानकी भवर नियर शाहिद पार्क क्री गंज उज्जैन	-
46. 073574	मि. गुप्ता सुरेश कुमार एफ.सी.ए. 313 दूल्हा हाउस बापू बाजार जयपुर	08/12/2000	54. 074104	मि. गेहानी रवि एफ.सी.ए. ए. एल. मोवासत हास्पिटल पो.आ. बाक्स—282 घम्मम—31411 सक्तदी अरविया	03/01/2001

क्र सदस्यत सं0 संख्या	ा नाम व पता	दिनांक	क्र सदस्यत सं0 संख्या	। नाम व पता	दिनां क
55. 074243	मि. चौहान राजेन्द्र सिंह ए.सी.ए. धरतीनाथ पवेतियन बिहाइन्ड शास्त्री सरकल उदयपुर—313001	08/12/2000 पी.ओ.	62. 074726	मि. सोनी संजय ए.सी.ए. फाइनेन्स मैनेजर सी.बी.एम. प्रोजेक्ट सेल सी.एम.पी.डी.आई रोंची—834008	08/12/2000
56. 074267	मि. खण्डेलयाल जीतमल ए.सी.ए. 60 शान्तीकुंज नियर सरकिट हाउस अलवर—301001	08/12/2000	63, 074760	मि. शुक्ला सुनीब एम ए.सी.ए. बिहारी सदन 5 श्रीनगर (एनेक्ज) इन्दौर—452001	22/01/2001
57. 074286	मि. पारीख रविन्द्र एफ.सी.ए. 303 एण्ड 304 श्री गोपाल अशोक मार्ग अहिंसा सर्कि सी—स्कीम जयपुर—302001		64. 074840	मि. तिवारी राकेश ए.सी.ए. एच. न. 20/2528, तिवारी पुरानी बस्ती कान महाजन का बार गोविन्द रजियन व जयपुर-302001	न
58. 074328	मि. जैन अशोक कुमार एफ.सी.ए. ए5 मूनलाइट अपार्टमेन्ट 70 आई.पी. एक्टेन्शन पतपड्डगंज	08/12/2000	65. 074976	मि. श्रीवास्तव कृष्ण कुमार एफ.सी.ए. 117/एच–1/304 माडल पाण्डु नगर कानपुर–208005	08/12/2000 टाउन
59. <b>07435</b> 5	दिल्ली—110092 मि. जैदी सानुल हसन एफ.सी.ए. 117/556 पी—1 ब्लाक काकादेव	08/12/2000	66. 075064	मि. सक्सेना मुदित ए.सी.ए. 215 दिलजकपुर (नियर डा. सेन गुप्ता) गोरखपुर—273001	08/12/2000
60 <sub>-</sub> 074405	कानपुर208025  H. जैन दिनेश एफ.सी.ए. रूप कमल  13 बैंक कालोनी नवरंग नगर	08/12/2000	67. 075204 68. 075212	मि. सोगनी महेश कुमार एफ.सी.ए. 66-ए रेडियो मार्केट नेहरू बाजार जयपुर—302001 मि. व्यास राजेश	08/12/2000 08/12/2000
61. 074528	बेवर-305901 मि. कबरा अनिल कुमार ए.सी.ए. फाइनेन्स कन्द्रोलर	08/12/2000		कुमार एफ.सी.ए. व्यास कुटी पुरानी ढींग अरतपुर—321001	, , , = ,
	जयप्रकाश इण्ड्रस्टीज लिए कैम्प बस्पा-द्वितीय हाईड्रो प्रोजेक्ट (300एम.वी.वी) सोल्टु कालोनी पी.ओ. था किन्नर—172104	इले क्ट्रिक	69. 07532 <b>7</b>	भि. राजेश कुमार टी एफ.सी.ए. 25 मेघना सिंह मार्केट गुमटी नं०—5 कानपुर—208012	08/12/2000

क्र सदस्यत सं0 संख्या	। नाम व पता	दिनांक	क्रे सदस्यत सo संख्या	।। नाम व पता	दिनांक
70, 075370	मिस छाबरा रिश्म ए.सी.ए सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया पार्लियामेन्ट हाउस नई दिल्ली	•	78, 076136	मि. मदन ज्योत्सना ए.सी.ए. 1000/2 शास्त्री नंगर मेरठ— <b>25</b> 0001	08/12/2000
71. 075487	मि. खान हारून ए.सी.ए. पी.ओ. बाक्स नं0—2832 के.एम.पी.जी. सीएट मारवि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स सलालह—211 सल्तनत आफ ओमेन	08/12/2000 वेक	79. 076171	मि. सिंघल महावीर प्रसाद ए.सी.ए. एम.पी.सिंघल एण्ड एसीरि 64 शापिग सेन्टर कोटा—324007	
72. 075601	यू.ए.ई. मि. मल्होत्रा रवि ए.सी.ए. डिप्टी मैनेजर (टैक्सेशन) एच.एम.टी. लि.	08/12/2000	80. 076189	मि. शुक्ला शेखर एफ.सी? 3/सी.एच./19 जवाहर नगर जयपुर-302004	C. 08/12/2000
	बेवर रोड अजमेर—305003		81, 076240	मि. खण्डेलवाल श्याम सुन्दर ए.सी.ए. मेसर्स राजस्थान स्टेट पा	08/12/2000
73. <b>07</b> 5693	मि. अग्रवाल विवेक प्रकाश ए.सी.ए. द्वारा मि. अंकुश गुप्ता 37—ए मोतियाखान नई दिल्ली—110055	01/01/2001		कारपोरेशन लि0 ई—166, युधिष्ठर मार्ग सीस्कीम जयपुर	•
	मि. सब्बरवाल गिरीश ए.सी.ए. 3, जिलाधीश मार्ग राजपुर रोड देहरादून—248001	08/12/2000	82, 076280	मि. राजन संजीव कुमार ए.सी.ए. एल.आई.सी. आफ इण्डिया एफ. एण्ड ए. डिपार्टमेन्ट डिविजनल आफिस 19 एम.जी.मार्ग इन्दौर	19/02/2001
75. <b>07579</b> 5	मि. सेन गुप्ता अमित एफ.सी.ए. एल-5/22 शास्त्री नगर सिगरा वाराणसी	08/12/2000	83. 076310	डा० जैन अरून कुमार ए.सी.ए महिला महाविधालय जोधपुर—342001	08/12/2000
76. 07598!	मि जैन सुरेन्द्र कुमार ए.सी.ए. 18, तरानी कालोनी देवास—455001	15/12/2000	84. 076311	मि. घूत प्रदीप ए.सी.ए. 27 मलहरगज (देवास) कन्नौड–455332	08/12/2000
	मि. सिंह अमित ए.सी.ए. 8 विद्या भवन स्कूल उदयपुर313001	08/12/2000	85. 076325	मि. शर्मा नरेश कुमार ए.सी.ए. 44/45 कटेवा चेम्बर्स शास्त्री नगर जयपुर-302016	08/12/2000

क्र सदस्यत सं0 संख्या	ा नाम व पता	दिनां क	क्र सदस्यत सं0 संख्या	ं नाम व पता	दिनांक
86, 076345	मि. चोखानी प्रभोद कुमार ए.सी.ए. स्टील आधोरिटी आफ इपि 16/98 एम.जी.मार्ग एल.आई.सी. बिल्डिंग चतुः		94. 076742	मि. खण्डेलवाल गजेन्द्र प्रकाश ए.सी.ए. 3768 सरस सदन गंगौरी बाजार जयपुर—302001	08/12/2000
87. 076348	कानपुर-208001  मि. मुस्तफा अली ए.सी.ए. कास्टल टेड्रिंग एण्ड कान्टे पी.ओ. बाक्स-2323 दुब्ह यू.ए.ई.		95. 76777 96. 076779	मि. दुबलिश विपुल चन्द्र ए.सी.ए. 270 सोती गंज मेरठ—250001 मि. कश्यप	08/12/2000 08/12/2000
88. 076352	भू. ५. स मि. सुशील कुमार ए.सी.ए. जे.आर. 4 डिण्डालको इण्ड रेनूकूट सोनभद्र—231217		70. 070777	मुकेश एफ.सी.ए. मेसर्स एम. कश्यप एण्ड ए शान्ती विहार कालोनी डगनिया रायपुर-492001	
89. 076354	ति. चिन्ताकिन्दी राधा कृष्ण ए.सी.ए. सीनियर एकाउन्ट आफिस नार्दन कूसफील्डस लि0 जयंत प्रोजेक्ट सिद्धी-486890	08/12/2000 र	97. 076796	मि. गर्ग दीपक कुमार ए.सी.ए. योगी एसोसियेटस 13 विक्टोरिया पार्क मेरठ—280004	08/12/2000
90. 076452	मि. झनवार मुकेश कुमार ए.सी.ए. नियर बालाजी टेम्पल सदर बाजार मदनगंज किशनगढ़—305802	08/12/2000	98. 076952	मि. समतानी पवन ए.सी.ए. प्लाट नं० 314/5 सेक्टर—द्वितीय नोयडा	08/12/2000
91: 076556	मि. गुप्ता विजय कुमार ए.सी.ए. 1096 बरकट नगर किरान मार्ग जयपुर-302015	08/12/2000	99. 077324	मि. सिघवी रजनीश ए.सी.ए. सौभाग्य ए—306 शास्त्री नगर जोधपुर	08/12/2000
92. 076631	मि. मंगल संजय ए.सी.ए. डी34 एल.जी.एफ. ईस्ट आफ कैलाश नई दिल्ली110065	08/12/2000	100. 077423	मि. जैन राकेश कुमार ए.सी.ए. 165 स्कीम नं0 4 राजेन्द्र नगर	08/12/2000
93. 076632	मि. अरोरा शिव कुमार एफ.सी.ए. हरनाम शिव एण्ड कम्पनी प्रगति विहार अपोजिट एन.आई.आई.टी. काशीपुर बाईपास रोड रुद्धपुर-263153	08/12/2000	101. 077517	अलवर-301001 मि. जैन पुष्पेन्द्र कुमार ए.सी.ए. 73/100 अग्रवाल फार्म मानसरोवर जयपुर	14/07/2000

क्र सदस्यत सं0 संख्या	ा नाम व परा।	दिनांक	क्र सदस्यत सं० संख्या	ा नाम व पता	दिनांक
102, 077714	अमिताम ए.सी.ए. रामकुमार शिवदत्त राय सदर रोड पो.आ. फारबेसगंज	08/12/2000	110. 078575	मि. अमोलक ए.सी.ए. बी—19 रतन नगर नियर बालाजी हास्पिटल ढेर का बालाजी जयपुर—302012	08/12/2000
103. 077803	अरिया मि. भट्ट कमलेश कुमार ए.सी.ए. 1/9 किशनगज बेवर—305901	08/12/2000	111. 078707	मि. गर्ग भारत कुमार ए.सी.ए. डी2/23 हरमेस हेरीटेज यशवदा पुने	08/12/2000
104 077821	मि बेद विक्रम ए.सी.ए. के—18, दुर्गा दास पथ मालवीय मार्ग सी—स्कीम जयपुर—302001	08/12/2000 .	112. 078751	मि. सोपरा जितेन्द्र कुमार ए.सी.ए. डा0 जयप्रकाश कालोनी नियर दीन दयाल पार्क डिसंटि. बरन	08/12/2000
105. 77943	मि. अग्रवाल रोहित ए.सी.ए सी–21, शिवाजी मार्ग डिग्गी हाउस रामबाग रोड, जयपुर–302001	. 08/12/2000	113. 078833	बरन-325205 मि. तिवारी नवीन ए.सी.ए. 18 पंचमहल अपार्टमेन्टस 47, आई.पी. एक्सटेंशन	08/12/2000
106. 078049	मि. अश्वासुनील ए.सी.ए. 18, आहूजा मार्केट आपोजिट श्री क्लाथ मार्केट पुर रोड भीलवारा-311001	08/12/2000 E	114. 07 <del>9</del> 077	नई दिल्ली—110092  मि. पोरवाल राहुल ए.सी.ए. 28 सुराना स्ट्रीट मलदास स्ट्रीट उदयपुर—313001	08/12/2000
107. 078190	मि. विनोद कुमार ए.सी ए के109 साउथ सिटीप्रथ हरियाना गुड़गॉव122001		115. 079087	मि. शाह पंकज ए.सी.ए. के 37/110, ग्वाल दास सा वाराणसी-221001	08/12/2000 हू लेन
108, 078200	मि. हवेलिया नीलम ए.सी.ए. 18 आर्य समाज मन्दिर रोड गणेश गंज लखनऊ–226018	08/12/2000	116. 079089	मिस. कायथवाल पूजा ए.सी.ए. 14वी मंजिल सी विंग मित्तल टावर 47/6 एम.जी.रोड बेंगलौर–600001	08/12/2000
	मि. पोददार नरेश कुमार ए.सी.ए. साईट—द्वितीय डी—40 सेक्टर55 नोयडा—201301	08/12/2000	117. 079108	मि. खेटपाल प्रदीप ए.सी.ए. इन्द्र पुष्पा सिविल लाइन्स बिहाइन्ड छत्तीसगढ़ कालेर रायपुर-492001	·

क्रे सदस्यत संo संख्या	ता नाम व पता	दिनांक	क्र सदस्यत सं0 संख्या	ा नाम व पता	दिनों क
118, 079116	<ul> <li>मि. गर्ग लिंत ए.सी.ए.</li> <li>जी-5 चेतक सेन्टर</li> <li>12/01 आए.एन.टी. मार्ग इन्दौर-452001</li> </ul>	08/12/2000	127, 082338	मि. राकेश कृष्ण ए.सी.ए. भी-1/1565 वसंत कुंज नई दिल्ली-110070	21/07/2000
119. 079141	मि. चौधरी कुलदीप जे. ए.सी.ए. 208—कमला नेहरू नगर अजमेर रोड हीरापुर	08/12/2000	128, 082477	मि. अशोक कुमार ए.सी.ए. मैनेजर (एफ एण्ड ए) ओ.एन.जी.सी. टेली. भवन देहरादून—248003	
120, 079180	जयपुर मि. शुक्ला चन्द्र प्रकाश ए.सी.ए.	08/12/2000	129. 087064	िम. माथुर संजय एफ.सी.ए ए—639 सेक्टर—19 नोय <b>डा</b> —201301	. 08/12/2000
	216 प्राइम प्लेस अरावली मार्ग फैजाबाद रोड लखनऊ		130, 87383	मि. योगेश कुमार रेनबैक्सी लेब लि0 25 नेहरू प्लेस नई दिल्ली	08/12/2000
121. 079340	मि. शर्मा संजीव ए.सी.ए. 1/132 एफ (प्रथम) साकेर सुरेन्द्र नगर अलीगढ़	08/12/2000 त:कालो नी	131, 087665	मि. अग्रवाल घुव कुमार एफ.सी.ए. ए–69 बी सेक्टर–40 नोयखा–201301	08/12/2000
122. 079516	मि. चोपश सूर्य प्रकाश ए.सी.ए. बी—71 दुर्गादास नगर पाली मारवार—306401	08/12/2000	132, 088605	मि. मलहोत्रा राजेश एफ.सी.ए. 16/256/7 वसुन्धरा डिस्टि, गाजियाबाद	08/12/2000
123, 079677	मि. घामनी मुकेश ए.सी.ए.	08/12/2000		स्तरिकास्य । सहीबाबाद	
	डी-118ए. बाबू नगर कृष्ण मार्ग जयपुर-302015		133, 089330	उमेश एफ.सी.ए. बी—114 गनपति प्लाजा	08/12/2000
124. 079704	मि. अरोरा अतुल ए.सी.ए. 41 अंकुर अपार्टमेन्टस 10 गुलमोहर एक्स रोड मुम्बई–400049	08/12/2000	134, 089373	भिवाड़ी-301019 मि. गोयल अनिल कुमार एफ.सी.ए. 311-311 ए तृतीय मंजिल	08/12/2000
125. 081155	अनिल एफ.सी.ए. इफको लि० ओनला यूनिट	08/01/2001		नामघारी घेम्बर डी.बी. गुप्ता रोड कारोल बाग नई दिल्ली—110005	
126. 081668	बरेली243403 मि. गुप्ता अम्बरीश कुभार एफ.सी.ए. के-8 अनुपमा नगर रायपुर492007	08/12/2000		मि. शशिकान्त आर. ए.सी.ए. के.पी.एम.एल पेट मारविक पी.ओ. बाक्स—7613 अय्यु ढाबी यू.ए.ई.	08/12/2000

अलीगद

्रिं सदस्यत् सं0 संख्या	ता नाम व पता	दिनां क	क्र सदस्यत रा० संख्या	ा नाम व पता	दिनांक
136. 090006	भि. महतो श्याम कुमार एफ.सी.ए. 304 जगत ट्रेंड सेन्टर प्रसर रोड पटना—800001	29/11/2000	143. 093565	मि. पंकज मोहन ए. द्वारा श्री आर. एम. १ द्वतीय सी—117 नेह गाजियाबाद—20100	पुष्ता रू नगर
137. 090198	<ul> <li>मि. मनोज कुमार ए.सी.ए.</li> <li>मेसर्स कुमार मनोज एण्ड</li> <li>मधु सुदन दयाल</li> </ul>	•	144. 093747	मि. मित्तल अजय ए इण्डियन आयल का के.आर.पी.एल. रिफ पानीपत	
138. 091060	3	08/12/2000	145. 094489	मि. गुप्ता श्याम शंकर ए.सी.ए. अपोजिट हेड पोस्ट फिरोजाबाद—28326	
130 001640	कुमार एफ.सी.ए. 306 मस्जिद मोड एन.डी.एस.ई.–द्वितीय नई दिल्ली–110049 मि. गुप्ता राजेश	09 /12 /2000	146. 096077	मि. जैन हितेन्द्र कुमार ए.सी.ए. द्वारा जय कलैन्डर नियर खादी आश्रम	08/12/2000
	कुमार एफ.सी.ए. सी—137 सेक्टर—15 नोयडा201301	08/12/2000	147. 104323	367 सेक्रेटरी 3 शक्ति नगर	.सी.ए. 08/12/2000
140. 091983	मि. सिंह हरनाम एफ.सी.ए. 15/5 शास्त्री नगर उद्यम सिंग नगर बाजपुर-262401	. 08/12/2000	148. 105557	मोपाल-462024 मि. तोषमीवाल विनो कुमार ए.सी.ए. गोकुल राय जी मोरा	। स्ट्रीट
141, 092499	मि. त्यागी प्रमोद ए.सी.ए. नीटाक्रास लि0 बी—65 ओखला फेस—1 नई दिल्ली—110020	08/12/2000		तोषमीवासों का नोहे मीसवारा-311001	
142. 093278	मि. अग्रवाला संजीव कुमार ए.सी.ए. श्री डी. डी. सिंघल शान्ती पुरम ए.डी.ए. कालोनी आगरा रोड	08/12/2000		(	श्रिकी (है)) डा० अशोक हिल्दिया) सचिव

		चेलई-600 034 <i>े ्</i>	10.	016425	श्री भास्कर रामदास, एफसीए 01/04/2001 लाबानी, टी सी 17-1029-1, पूजापपुरा, तीरुवानाथापुरम-695012
	<b>.3</b>	•	11.	016815	श्री माधिस नोइल जोसप, 01/04/2001
	-	1/2001-2002 :- चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम	• • • •	010015	एसीए
		0(1) खण्ड (तीन) के अनुसर <b>ण में एतद द्वा</b> रा यह कि निम्निक्षिखत सदस्यों को जारी <b>किये गये प्र</b> क्टिस			जी−1, ईस्ट्रन कोर्ट, 24 कोल्स रोड
		क तम्बालाखत सदस्या का जारा क्रिय गय प्राक्टस म दो गई तिथियों से रदद कर दिये गये हैं क्योंकि वे			फराजर टाऊन, बैंगलोर-560005
		पत्र को रखने के इच्छक नहीं है।	12.	018725	श्री किरण चन्द्रा एन बोल, 01/04/2001
<u></u>					एफसीए
Sto 1	सदस्यता मध्या	नाम एखं पता दिनांक			बोल सेन्टर, सैकन्ड क्रॉस,
					गांधी नगर, बॅंगलोर-560009
ŀ	00 <b>3<i>9</i>48</b>	श्री शेशाधारी टी एस, एफसीए 01/04/2001	13.	018976	श्री जोस जे मुलकाल, एसीए 01/04/2001
		नं 13 (ऑल्ड नं.7)			फाईनेन्सियल कन्द्रोलर,
		फर्स्ट क्रोस स्ट्रीट, कारपागम गांडेन्स			इरीदीम मिडल ईस्ट, पोस्ट बॉक्स-32616
	0040	अडयार, चेन्नई-600020			दुबई, यू.ए.ई
2	004056	श्री अरुमुगम वी एन, एफसीए      01/04/2001 40-ए, मन्डावली स्ट्रीट, नलवर <b>कोविल पेटाई</b> ,	14.	020069	श्री राजारामन एन, एफसीए 31/03/2001
		तीरुकाञ्चल्यसम् -603109			फ्लैट 2 ए, अर्थिन अवारत, नं. 69,
3.	004479	श्री जोसप के सी, एफसीए 01/01/2001			पंचाली अमन कॉयल स्ट्रीट,
٥,	004477	वालाकलील, टो.सी. 4/109, कॉदीयर पी ओ	4.0	000047	अरुमबाक्म, चेन्नई-600106
	•	थीरुवानाथापुरम् -695003	15.	020216	श्री गणेशन के वी, एफसीए 01/04/2001
4.	004485	श्री सुब्रामन एम एन, एसीए 01/04/2001			नं. 51, (ओल्ड नं. 22) । फ्लोर, मारामा टैम्पल स्ट्रीट, ऑफ कोकोनट अवेन्यु रोड,
•		नं. 4सी थर्ड मेन रोड़, पोस्टल कॉलोनी			मालेसवरम, बैंगलोर-560003
		वैस्ट मामबलम्, चेन्नई-600034	16.	021995	श्री मदन वी, एसीए 15/06/2001
5	005/11	श्री मुथुकुष्णनन् एस एफसीए 01/04/2001	10.	02 1773	54 II क्रॉस, II स्टेज, राधाकृष्णा लेआऊट,
		टचवुड अर्पाटमैन्टस ११ फ्लोर,			बैंगलोर-560017
		21 <b>8, रामानाथन</b> स्ट्रीट,	17.	022853	श्री कशीम ए जे, एसीए 31/03/2001
		महार्लीगापुरम, चेन्नई- 600034			1, अप्पू स्ट्रीट, I लेन, मईलापोर
6.	009612	श्री वासुदेवन एमए, एसीए 01/04/2001			चेनाई-60004
		ओल्प्ड नं. 25/26 वारन रोड,	18.	023319	श्री रघुनाथन एम एस, एसीए 31/03/2001
		फ्लेट नं. १, राजशेवरी अर्पाटमेन्टस			जी-1, सुर्या गुरूहा,
		माईलापोर, चेन्नई-600004			10/1, शेनथिल अन्दावार रोड,
7.	011191	श्री नरसींग राव आर पी, 01/04/2001			धनलक्ष्मी कॉलोनी, वादापालानी
		एफसीए			चेन्नई-600026
		हीग मं. 12 को एच बो कॉलोनी,	19.	023672	श्री सुधाकर रेडी जे, एफसीए 01/04/2001
		कालाहाली II स्टेज, सिमोगा-577204			डी नं. 9-14-13, सी बी एम कम्पाउन्ड,
8.	015613	श्री रामामूर्ति ए, एफसीए 31/03/2001			विशाखापट्नम-0
		10, पिएन्ड स्ट्रीट, lst फ्लोर,	20.	026000	श्री वेंकटेशन बी, एफसीए 31/03/2001
9	015723	ईस्ट अभीपूरम, माईलापोर, चेन्नई-600004 श्री मोप्तन जॉर्ज जेकोब, एफसीए 01/04/2001			चीफ फाईनेन्स ऑफिसर,
7	015/73	श्री माहन जोज जकाब, एफसाए 01/04/2001 2 जी, किंगस कैंग्स्ट, 8 मिल्रस रोड,			चीनमाया इन्टरनेशनल रैजिडेंशियल स्कूल
		2 मा, किंगल करन्ट, 8 मिल्स्स रा <b>ड</b> , बैंगलोर-560046			शिरूवनी रोड्, नालुरवायल पोस्ट,
		4 IVIIV SOOOMO			कोयमबदूर-641114

<u></u>					
21.	027939	श्री रमेश बाबू एस वी, एफसीए 10/03/2001	34.	203653	श्री लक्ष्मण कामथ एस, एफसीए 31/03/2001
		फाईनैंसियल कन्ट्रोलर, बिग स्टार ट्रैड्गि क. लि.			'माधव क्रीपा' मातादाकानी क्रॉस रोड्,
	•	पी ओ बॅक्स-39325, नेरोबी			<b>मॅगलो</b> र-575006
		केन्या-521301, ईस्ट अफ्रीका	35.	203697	श्री मुरुगेशन आर, एफसीए 01/04/2001
22.	029611	श्री शंकर नारायण, एसीए 01/04/2001			एकाउन्टेंट, एनकाई एक्सप्रैस,
		280, 37 बी क्रॉस, जयानगर, 9th क्लॉक			पी ओ बॉक्स-55393 यू ए ई
		<b>र्वं</b> गलोर-560069	36.	203723	श्री ब्रारामैयाह वुनम, एसीए 31/03/2001
23.	029911	मिस पदमा गौथामन, एसीए 31/03/2001			12-12-160/2, रविन्द्रा नगर, शीथापालमंडी,
		14-ए धनाशेखरन, । क्रॉस स्ट्रीट,			सिकन्दराबाद-500361
		वैस्ट ममबालम, चेन्नई-600033	37.	204300	मिस महालक्ष्मी एस, एसीए 31/03/2001
24.	053152	श्री श्रीनिवासन पी ए, एफसीए 01/04/2001			ओल्ड नं. 281, न्यू नं. 288, सैक्टर सी
		डीपटी जनरल मनैजर,			जलवायुविहार, कामानाहाली मैंन रोड्,
		मैसर्स ओसियन मास्टरस एल एल सी,			बैंगलोर-560084
		पं) ओ बॉक्स-52056 यू ए ई	38.	204329	श्री <b>वॅंकटेश</b> न आर, एसीए 31/03/2001
25	079547	श्री टनक्रन अभिषेक, एसीए 06/01/2001	20,	204329	1-1-401/2/ए, गांधीनगर, हैदराबाद-500080
		फाईनैंसियल ऑफिसर	20	204504	मिस मीरा रमनन, <b>ए</b> सीए 01/04/2001
	,		39.	204584	
		दूरवानी नगर, बैंगलोर-5600016			फ्लैट नं. 303, विजया लीला अर्पाटमैन्टस,
26.	095763	श्री सिंह दीपक कुमार, एसीए 31/03/2001			7-1-32 लीला <b>नग</b> र अमीरपत,
20.	075765	मैनजर कैनरा बैंक ट्रस्टी एन्ड टैक्शएशन सैक्शन			हैदराबाद-500016
		51, स्टॉक एक्सचैन्ज टॉवरस,	40.	204889	श्री सुभाषचन्द्रा पाई टो, एसीए 01/04/2001
		1st क्रॉस जे.मी रोड, बैंगोलोर-560027			एफएन-5, एमआरपीएल हाऊसींग कॉलोनी,
27	200500	श्री जॉन के आबाह्य, एकसीए 01/04/2001			क् <b>थेहुर</b> , पीओ वाया काटीपाला,
27.	200500	श्री पात के जाजात, र्क्सिए 1704/2001 चीफ एकाउन्टेंट, मैसर्स जीसको,			<b>मैं</b> गलोर-574149
			41.	204943	श्री नरसीमहन पीएल, एसीए 31/03/2001
	200.11	पीओ बॉक्स-46625 अबू धाबी, यू ए ई श्री चन्द्रामोली एन, एसीए 01/04/2001			फ्लैट नं. 25, थर्ड फ्लोर, 33 थर्ड मैन रोड़,
28.	200851	श्री चन्द्रामाला एन, एसाए - 01/04/2001 फ्लैट-11, सैंकन्ड फ्लोर,			गांधीनगर अध्यार, चेन्नई 600020
			42.	205054	मिस भारती मुरुगेशन, एसीए 💎 01/04/2001
		3/1 एन्ड 2 देवादी म्ट्रीट, माईलापोर,			सी/ओ श्री आर मुरुगेशन पीओ बॉक्स- 55393,
		चेनाई-600004			दुवई, यू ए ई
29	201924	श्री नरेन्द्रनाथ डी, एसीए 01/04/2001	43.	205483	श्री नागारजन टी, एसीए
		जी-234, पानामपीली नगर, एरनाकुलम			365, साबारी सालाई, जे एम अर्पा <mark>टेम</mark> ैंटम,
		कोची-682036			मादिपककाम, चेन्नई-600091
30.	202253	मिस उषा एन, एसीए 25/04/2001	44.	205690	श्री सुरेश आर, एसीए 31/03/2001
		वसन्त अर्पाटमैन्टस १बी, फर्स्ट फ्लोर न्यू नं. 32,	• • •	2000,70	सी14 आरआर फ्लैटस, 8 वारेन रोड,
		ओल्ड नं. 26, वैंकटेस आगराहरम,			माईलापोर, चेन्नई-600004
		माईलापोर, चेन्नई-600004	45	205777	श्री वासीमाला लुथर अन्तदा राजू,01/04/2001
31	202369	श्री कॉलेथ जॉन सुदीप, एफसी 31/03/2001	.45.	203777	*
		फाईनैंस मनेजर, लोरन सैटवर्ट पीएलसी,			एसीए
		सेटवर्ट हाऊस कैन्टन रोड्,			हाऊस नं. 6-3-582/1/1, खैरताबाद,
		हाररो मिडलैससैक्स एचए३ 9टीयू,		305050	हैदराबाद-500004
		यृनाईटैड किंगडम	46.	205979	श्री शिव शरावन्न एस के, एमीए 31/03/2001
32	202548	श्री नारायण श्री एस, एसीए 03/12/2000			(ओस्टड मं. ७) न्यू मं ।५, श्रीरंगामल स्ट्रीट,
		4षी 25th वार्ड, कैन्टोमैन्ट, <b>ब</b> लेरी∼583104			ओल्ड वसीरमैनपत, चेन्नई -600021
33	2036 91	श्री शैनथील वैलन एस, एसीए 31/03/2001	47.	206039	श्री कॉलेपारा रामा गॅय, एमीए 🛮 30/12/2000
		11 फस्ट मैन रोड, राजीव गांधी नगर,			2~2~1137/8/8/ए, न्यु नालाकुन्ता,
		इरूकोनचैरी, चेन्नई-600118			<del>हैद</del> राबाद-500044

48.	206227	मिस वीना एम सी, एसीए 01/04/2001 नं. 378, 7TH मैन, 2ND क्रॉस रेमको लेआऊट,	55.	209480	श्री राहुल त्यागी, एसीए 01/04/2001 डी/123-ई राजामनार सलाई, के के मगर,
		विजयनगर,॥ स्टेज, बैंगलोर-560040			चेन्नई-600078
49.	20740/	श्री शानमुगासुन्दरम एन, एसीए 02/05/2001	56.	209499	मिस मीरा एस, एसीए 31/03/2001
		सीनियर आकाऊन्टस ऑफिसर ( <b>एक्सपोर्टस</b> ),			जी−2 नं. 6, किपाशंकारी स्ट्रीट
		कैवीन केरी पीवीटी एलटीडी,			वेस्ट मंगलम्, चेन्नई-60033
		पीटरस रोड, चेन्नई-600014	57.	210092	श्री देवाकुमार पी, एसीए 31/03/2001
50.	207604	श्री विष्णुवरधन एस, एसीए 01/04/2001			17/2, विवेकानन्दर स्ट्रीट, एम जी आर नगर,
		फ्लैट बी/4, 47ा। फ्लोर,			चेन्नई-600078
		पारसन अजय अर्पाटमैन्टस,	58.	210093	श्री दीपक चन्दरन, एसीए 31/03/2001
		7, हनुमनथा रोड़, चेन्नई-600014			सी/ओ केपीएमजी, वैस्केयर टॉवरस,
51.	207807	श्री वेंकटरमन एम के, एसीए 01/04/2001			16 सैनोतप रोड, टेईनमपत, चेन्नई-600018
		नं. 9 सुबु स्ट्रीट, एल बी रोड़, टीरुवैनमीयुर,	59.	210277	श्री कृष्णन वी, एसीए 01/04/2001
		चेन्नई-600041			नं. 55, (ओल्ड नं. 17),
52.	. 208513	श्री साई महेश डी, एसीए 31/03/2001			साऊथ के आर कॉयल स्ट्रीट,
		फ्लैट नं. 3-सी क्वाटा ट्रीनीटी, 34 वैस्ट सीट नगर,			वैस्ट ममबालम, चेन्नई-600033
		नन्दानम, चेन्नई-600035	60.	210501	श्री वेनकेशवरा रॉय डी, एसीए 28/05/2001
53.	209123	श्री वैंकटाकिशन्न एम, एसीए 31/03/2001			टी-4 साई सारावाना रैजीडँसी,
		4/51 अलाथुर सुबरामनी स्ट्रीट, चुलई,			डी नं.4-2-65 लिलतानगर, आकायापालेम,
		चेन्न <b>ई</b> -600112			वीशाकापट्नम-530016
54.	209377	श्री हरीप्रदीप जी, एसीए 01/04/2001	61.	210504	श्री सूर्यानारायन के, एसीए 🔧 01/04/2001
		वाडी अल हवासना ट्रैंडिंग एनट.			जी-3 'जुम्बो गनपथ' कार्थीकैयापुरम,
		पी∙ओ वॉक्स∼1987, पोस्टल कोड−111, सीब			2ND, क्रॉस लेन, मादीपाकाम, चेन्नई-600091
		शल्तनत ऑफ ओमन	62.	210677	मिस <del>चि</del> त्रा आर, एसीए 11/06/2001
					ऑफिसर, ( अकाऊन्टॅंटस डिपॉटमॅंट),
					सैन्ट्रल ऑफिस नाईकानाल राजन्ड,
					केरला, त्रिसुर

अधी, १ / जि र् अशोक हिस्दया)

संचिव

## 12 DEC 2001

3 सी.सी.ए (5)(1)/2001-2002 : इस संस्थान की अधिसूचना नं. 3 सी.सी.ए.(4) (3) / 1984-85 दिनांक 10/09/1985, 3 सी.सी.ए.(4) (3) / 1987-88 दिनांक 01/12/1987, 3सी.सी.ए.(4) (6)/1988-89 दिनांक 09/02/1989, 3सी.सी.ए.(4) (3)/1992-93 दिनांक 11/11/1992, 3सी.सी.ए.(4) (1)/1996-97 दिनांक 02/12/1996, 3 सी.सी.ए.(4) (4)/1997-98 दिनांक 23/03/1998, 3 सी.सी.ए. (4) (1) /1998-99 दिनांक 23/04/1999, 3 सी.सी.ए. (4) (1) /99-2000 दिनांक 12/01/2000, 3 सी.सी.ए. (4) (1)/2000-2001 दिनांक 02/02/2001, 4 सी.ए. (1)/18/78-79 दिनांक 11/08/1978 के सन्दर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतद द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथियों से स्थापित कर दिया है।

क्र सं0	सदस्यता संख्या	नाम व पता	दिनां क	क्र सं0	सदस्यता संख्या	नाम व पता	दिनांक
•	003681	मि. योतिकर प्रभाकर वासुदेव एफ.सी.ए 402 आक्रुति निवास 12—13, 619 नगरौअना न सिकन्दराबाद—500017		6.	017529	मि. गुप्ता विजेन्द्र लाल ए.सी.ए. द्वारा जी.पी. शर्मा एडवोके शमी छरी बाजार दुर्ग	03/04/2001 ਵ
2.	011084	मि. जैन सतीश चन्द्र ए.सी.ए. फ्लैट नं० 3 मारवेलुअस अपार्टमेन्ट महात्मा नगर नासिक	28/05/2001	7.	0175 <b>99</b>	मि. गोयल श्री किशन ए.सी.ए. हाउस नं. 8 वसन्त विहार फेस–द्वितीय देहरादून	08/12/2000
3.	012786	मि. गुप्ता श्याम सुन्दर ए.सी.ए. 40 नवीन पार्क श्याम पार्क एक्सटेन्हान साहिबाबाद गाजियाबाद	21/03/2001		024328	मि. मुकिलन डी एफ.सी.ए. 1/83 सीड कालोनी फेयरलैण्डस तमिलनाडू सलेम—636016	
4.	014039	मि. वर्सने जनार्दन प्रसाद एफ.सी.ए. के—136, शिवालिक नगर फेस–द्वितीय	14/06/2001	9.	029482	मि. एमेश नायक के ए.सी.ए. तृतीय मेन रोड सुभाष नगर मृंगलोर—575001	08/12/2000
		बी.एच.ई.एल. हरिद्वार—249403		10.		मि. कुम्मत पंकज ए सी.ए.	21/08/2001
5. 0	15972	मि. अगिवाल – सीतारीम ए.सी.ए. फ्लैट नं. 101 गनेशाल्या झरूघी <i>धनबाद</i>	06/07/2001			रीजनल फाइनेन्स मैनेजर कोका कोला पी.ओ. बाक्स52172 दुबई यू.ए.ई.	

क्रे सदस्य सं० संख्या	वा नाम व पता	दिनांक	क्र सदस्यत् स० संस्था	।। नाम व पता	दिनाक
11. 043769	कुभार ए.सी ए 67 अशोक भार्ग अन्नासागर लिंक रोड अजमेर—305001	29/05/2001	19. 059399	कुभार ए.सी.ए. बुस बोक ऐलीन (इण्डिया 5 जे. एल. नेहरू रोड मेट्रे1 हाउस द्वितीय मंजिल	08/12/200೧ ) ति.
12. 054481	मि. उमेश कुमार एफ.सी एच. नं. 73 अम्बेदकर पथ नेशनल स्कूल के पीछे पी.ओ.बी.वी. कालेज पटना—800014		20. 070094	कलकत्ता-700013 मि. चौधरी विश्व नाथ एफ.सी.ए. 5/57 विद्याधर नगर जयपुर	17/07/2001
13. 054685	मि. अग्रवाल सुधीर कुमार एफ.सी.ए. चार्टेंड एकाउन्टेन्ट एलाइंड कामर्श लि. बी–9 रेशर प्लाजा इन्दिरा बाजार जयपुर302001	08/12/2000	21. 070485	मि. रमेश चन्द्र गुप्ता एफ.सी.ए. फ्लैट नं 550 पाकेट5 मयूर विहारप्रथम दिल्ली	28/08/2001
14. 054786	मि. डे संतोष कुमार ए.सी.ए. देथ इलेक्ट्रकिल्स गोरस बिल्डिंग लहुराबिर	09/05/2001	22 070999	मि भूषन लाल बजाज ए.सी.ए. डी.जी.एम. (फाइनेन्स) एन.टी.पी.सी./वी.एस.टी.प पी.ओ. विन्धयानगर, सिधी—486385	08/08/2001 ो.पी.
15. 055502	वराणसी—221001  मि. सेठ जवाहर ए.सी ए. डिप्टी मैनेजर फाइनेन्स टाटा इजीनियरिंग एण्ड ल		23. 071216	मि. अग्रवाल नरेन्द्र कुमार ए.सी.ए अग्रवाल सदन ओल्ड स्टेशन रोड अलवर–301001	23/05/2001
16 055809	िष्नहट इण्डिस्ट्रियल एरि लखनऊ—226019 मि पान्नीग्रही पार्थसार्थी ए.सी ए पी ओ. बाक्स—56921	रेया 22/03/2001	24 071502	मि. मेहता रमेश ए.सी.ए. न 1813, सुमाष नगर जी एच.बी आई ओ.सी. रोव चन्द्रेखेडा अहमदाबाद	28/05/2001 s
17. 055846	के एस.ए. रियाध—11564 गि माथुर जितेन्द्र ए.सी ए द्वितीय/25 जे अनू किरन		25 071575	मि. पवन कुमार स्वरूप ए.सी.ए. 298/8 संजय कुटीर आसिफगंज आजमगढ़—276001	25/04/2001
18 057830	विआ कोटा भाभा नगर –323307 मि असरफ नोमन एसी ए न 185 पाटलीपुत्र कालोर्न पटना		26. 071592	मि. पण्डिया रमेश चन्द्र एफ.सी.ए. बी–1017 इन्दिरा नगर लखनऊ	06/08/2001

क्रे सदस्यत् स० संख्या	॥ नाम व पता	दिनांक	क्र सदस्यत सं0 संख्या	।। नाम व पता	दिनांक
27. 071831	मि. जैन विनोद कुमार एफ.सी.ए अमिनव अनिल एण्ड एसो 75/6, हालसी रोड	, 06/09/2001 सियेटस	36. 074037	मि. सुमीत चुघ ए.सी.ए बी–5/24 बल्लम विहार सेक्सन–13 रोहिनी दिल्ली–110085	05/09/2001
28. 071881	कानपुर208001 मि. गर्ग नेत्रपाल एफ.सी.ए आई442 गोविन्द पुरम पोस्ट दसना गाजिथाबाद-201002	12/06/2001	37. 074088	मि. खुर्दिया रतन लाल एफ.सी.ए. 178 अरिविनी मार्ग हुमद हाउस, दिल्ली गेट उदयपुर313001	01/10/1999
29. 072029	मि. गुप्ता अनिल कुभार एफ.सी.ए.	08/12/2000	38. 074260	मि. जैन राजेन्द्र ए.सी.ए. आई जी. ए–23 जवाहर जयपुर	
30. 072454	75/6 हालसी रोड कानपुर-208001 मि. परवीन कुमार ए.सी.ए	01/10/1999	39, 074283	मि. अग्रवाल मुकेश एफ.सी.ए. एफ–306 सरिता विहार	08/12/2000
	गौर मनडी हनुमानगढ़ टाउन श्रीगंगा नगर—335001	,,,	40. 074318	नयी दिल्ली—110044 मि. अनन्ता श्यानम टी. ए.सी.ए.	02/08/2001
31. 072797	मि. गुप्ता राम बाबू एफ.सी.ए 5/3 खण्डेलवाल टावर्स विद्याघर नगर	08/12/2000		ई–3/408—एफ भील टाउनशिप कैलाशपुरम त्रिरूची–620014	
32. 072819	जयपुर—302012 मि. सम्बरवाल सुदीप एफ सी.ए 11 रंगीटाटा प्लेट	01/10/1999	41. 074470	मि. मित्तल विनय कुमार ए.सी.ए. 82 अंकुर अपार्टमेन्ट्स पथपर गंज दिल्ली	03/04/2001
	लेनफील्स अखलैण्स न्यूजीलैण्ड		42. 074542	मि. राठी राम किशोर ए.सी.ए. 59 दामोदर कालोनी	01/10/1999
33. 073126	मि. त्रिपाठी राजीव एफ.सी.ए 5/29 सेठ स्ट्रीट	27/03/2001	43. 074545	रामोहल्ल–7 जोधपुर मि. सन्धु जसपाल	12 /07 /2001
34. 073296	बी—3 बपना हाउस नई कालोनी	28/04/2001	43. 014343	सिंह टी. ए.सी.ए. डी–84 पहली मंजिल रोड 1 अशोक नगर रॉची	13/07/2001
5. 073904	्एम. आई. रोड जयपुर मिस. मेहता सुनीता ए सी.ए के—7 मालविया मार्ग सी—स्कीम जयपुर—302001	01/10/1999	44. 074818	मि. जोशी धनश्याम एफ.सी.ए. एच. नं. 871 गंगा माता की गली गोपाल जी का रास्ता जयपुर302001	01/10/1999

क्र ्सदस्यः सं० संख्या	ता नाभ व पता	दिनांक	क्र रावस्थत राठ संख्या	।। नाम व पता	दिनांक
45. 75057	मि. मून्द्रा कैलाश ए.सी.ए गोयल बिल्डिंग सरदारपुरा	01/10/1999	53. 076413	मि. मेहता रोहित ए.सी ए अंजनी राकेश एण्ड एसो। कस्टम रोड बंसवरा—327001	
44 075170	जोघपुर-342006 राजिका	04 /05 /0-04	54. 076628	मि. सोनी बद्री लाल ए.सी 2/411, विद्याधर नगर	.ए <b>08/12/2</b> 000
46, 075178	मि. केडिया गोपाल कुमार ए.सी.ए	21/05/2001		जयपुर-302001	
	अन्नापुराना एजेन्सी 113 अम्बा जी टेक्सटाइल मीलवारा	न मार्केट	55. 076634	मिस. इन्टोडिया दीपा ए.सी ए 71 सेक्टर नंo 3	14/06/2001
47, 075377	कुमार ए.सी.ए.	23/04/2001		हिरन मेगरी उदयपुर-313001	
	128/953 वाई ब्लाक नियर एस. आई. वी. एन किदवई नगर कानपुर208011	कान्वेन्ट स्कूल	56. 077120	मि. मतई दिलीप कुमार ए.सी ए ई—136 अम्बाबरी	04/06/2001
48. 075556	मि. जालान अजय एफ.सी.ए 323 तृतीय मंजिल गनपति प्लाजा एम. आई. रोड	08/12/2000	57. 077225	जयपुर—30,2012 मि. गुप्ता प्रशान्त ए.सी.ए 1 पारीख कालेज रोड जयपुर	08/12/2000
49. 075678	जयपुर-302001  मि. पाण्डेय रूप मनी एफ.सी.ए  246-बी रीजेन्ट सिप्रा सन सिटी	29/08/2001	58. 077322	मि. परख राजेश ए.सी.ए दिलोटी एण्ड टच पी.ओ. बाक्स—990 अब्बु दाबी यू.ए.ई.	08/12/2000
	इन्द्रिरापुरम गाजियाबाद—201010		59. 077400	मि. गुप्ता आशिष कुमार ए.सी.ए. 105, नई बस्ती,	01/10/1999
50. 075723	मि. गुप्ता कृष्ण कुमार ए.सी.ए 552, ई—ब्लाक	01/05/2001	60. 077706	गाजियाबाद201001 मि. डंगायेच मधरा	08/12/2000
	मयूर विहार फेस-द्वितीय नई दिल्ली			दास ए.सी.ए एच. नं. 881 बाबा हरिसचन्द्र मार्ग	
51. 075747	मि. सेठी अंशुल ए.सी.ए 2 शिव मार्ग गर्वनर हाउस के पीछे	27/08/2001		चन्द्रपोली भाजार जयपुर—302001	
	सिविल लाइन्स जयपुर–302006		61. 077726	मि. बाजपेयी अनुराग	28/05/2001
52. 076121	मि. अग्रवाल प्रमोद एफ.सी.ए 110 सरावगी मेनसियन एम. आई. रोड जयपुर—302003	08/12/2000		111/138 हर्ष नगर कानपुर208012	

क्र संदस्यत सं0 संख्या	ा नाम व पता	दिनांक	क्र सदस्यत सं0 संख्या	।। नाम व पता	दिनां क
62. 077814	मि. मिश्रा शशी चन्द्र ए.सी.ए चार्टेंड एकाउन्टेन्ट 431 एण्ड 232, सेक्टर-प्र बोकारो स्टील सिटी827		71. 083710	मि. गगरानी ब्रिज मोहन एफ.सी.ए फाइनेन्शियल कन्ट्रोलर टोरोरो सीमेन्ट 8—10 इन्टेब ई रोड पी. ओ. बाक्स—22753	01/10/1999
63. 078387	मिस. मित्तल नीतू ए.सी.ए चार्टें ड एकाउन्टेन्ट सेक्टर-सी	01/10/1999		कम्पाला उगन्डा	
	68—सोनागिरी पिपलानी भील भोपाल		72. 085903	मि. रिजवी अहमद परवेज एफ.सी.ए 288 चहुत्ता साहूपीर गेट	01/10/1999
64. 078641	मि. झनवार सुरेश कुमार ए.सी.ए	28/06/2001		मेरठ	
	ए–501, विजय सिंह पथिन मीलवारा–311001		73. 086214	मि. अन्शुमन कनकन एफ.सी.ए बी.—91 सेक्टर—27	08/12/2000
65. 079501	मि. समरिया अजय कुमार ए.सी.ए	08/12/2000	74 007440	नोयडा-201301	T 25 /0/ /2001
	204, ए ब्लाक सिलवर लाइन्स अपार्टमेन्ट 20/2 बी मनोरमा गंज इन्दौर		74. 087648	मि. अनिल कुमार एफ.सी.ए नसको भार्केटिंग के. लि. याकूरी ग्राउनवे पी.ओ. बाक्स 716, जे.ओ.उ नाईजीरिया	
66. 080864	मि. गोयल अरून कुमार ए.सी.ए सी—121 होजरी काम्पलेक फेस–द्वितीय एक्सटेन्शन नोयडा	25/06/2001 स	75. 088103	मि. संदीप कुमार ए.सी.ए मेसर्स संदीप कुमार एण्ड व 105 नई बस्ती नया घंटाघर गाजियाबाद—201001	
67. 080957	मि. महेश्वरी राम स्वरूप एफ.सी.ए 135 रतनदीप काम्पलेक्स बरेली	08/12/2000	76. 088941	मिस. काक अंजली ए.सी.ए फ्लैट नं. 586 सेक्टर—29 नोयडा—201303	08/12/2000
68. 081270	मि. जैन सुरेश चन्द एफ.सी.ए 26 पार्क रोड देहरादून	20/04/2001	77. 089072	मि. अग्रवाल मुकेश ए.सी.ए. बी—89 पिंक अपार्टमेन्ट पश्चिम विहार	18/05/2001
69. 082820	मि. सलूजा परषोत्तम लाल एफ.सी.ए 26 पटेल मार्केट	08/12/2000	78. 089796	नई दिल्ली—110063 मिं. अग्रवाल	08/12/2000
70: 083389	श्रीगंगा नगर—335001 मि. ऋषेश्वर प्रसाद ए.सी.ए 16 मगवती रोड नादर्न टाउन जमशेटपुर	08/12/2000		संजय एफ.सी.ए -110 सरावगी मेनसेन एम. आई. रोड जयपुर	

क्रं सदस्यत् सं0 सख्या	ता नाम व पता	दिनांक	क्र सदस्यर सo संख्या	।। नाम व पता	दिनां क
79 089807	मि. गुप्ता अशोक कुमार एफ.सी ए गली कनोनगो भण्डी रामदास मथुरा	08/12/2000	88. 096538	मि. रजनीश कुमार सिंह ए.सी ए जनक कामिशीयल काम्प्लेव श्री कृष्ना नगर बिगुसराय	07/08/2001 इस
80. 090196	मि. वर्द्धराजन एन. के ए सी.ए प्राइस वाटर हाउस कोपर थेमस कोर्ट 1 विक्टोरिया एस. टी. विंडसोर ब्रेक एस एल.4 3		89. 100890	मि. वाई वी. नरशिम्हा राव ए सी.ए मि. कृष्नामूर्ति डोर नं0 86—4—14/उ वादरेवु नगर राजहमुन्द्रे —533103	19/06/2001
81 090316	यू के. मि. बुद्धदेव प्रसाद एफ.सी ए मैनपुर पेहानी पी.ओ. बुनियादगज	30/04/2001	90. 102355	मिस. अग्रवाल दीपाली ए.सी.ए द्वितीय—ए/67 नेहरू नगर गाजियाबाद—201001	08/12/2000
82. 092398	गया—823003 मि जैन मुकेश ए.सी.ए 202 ओसियन काम्प्लेक्स सेक्टर—18 नोयडा	08/12/2000	91, 105899	मि. मोदी कमलेश वी. ए सी.ए 9 परसवा ब्लाक शान्ती नगर सिरोही – 307001	01/10/1999
83. 093099	मि. मटिया रमेश ए सी.ए रमेश भाटिया एण्ड एसोरि तृतीय—एम—37 नेहरू नग गाजियाबाद—201001	<b>स्येट्स</b>	92. 201558	मि. वृष्ट्यन एल. ए.सी.ए फाइनेन्स मैनेजर पालिसी मैनेजर सिस्टम प्रा ओपटेल साफ्वेयर टेक्नोलो इन्दौर-452001	
84. 093840	मि. त्रिपाठी राजेश ए सी.ए सतोष मिश्रा 1252/60 अवध नगर स्टेशन रोड मैनपुरी–205001	16/07/2001	93. 207182	मि. शंकरन आर. ए.सी.ए. आफिसर इंडबी बैंक लि0 अलंकार चेम्बर्स रतलाम कोठी ए. बी. रोड इन्दौर–452001	08/12/2000
85. 094630	भि. पटरा बी अजय कुमार ए.सी.ए 387 डी.डी.ए. फ्लैटस खिरकी विलेज दिल्ली	09/07/2001	94. 208354	मि रमेश पी. ए.सी.ए नुराली जवाहर एण्ड कम्पनी 33—बी ब्रिन्दावन एस.टी. वेस्ट ननबालम	22/36/2001 i
36. 094740	मि. सुभाष चन्द्र ए.सी.ए एफ801 नीलपदम कुन्ज वैशाली गाजियाबाद	08/12/2000		चेन्नई-33	(6,71.
37, 095291	मि. गगन दीप ए.सी.ए 9 गंगा नगर रेलवे रोड हापुर-245101	08/12/2000			क हिन्दिया) ज्टरी

#### NATIONAL HOUSING BANK

New Delhi

the 27 september, 2001

## THE HOUSING FINANCE COMPANIES (NHB) DIRECTIONS 2001

Notification No. NHB.HFC.DIR.1/CMD/2001

Whereas, having considered it necessary in the public interest, the National Housing Bank had issued Housing Finance Companies (NHB) Directions, 1989, to every housing finance company in exercise of the powers conferred on it under the National Housing Bank Act 1987 (53 of 1987).

- 2. And whereas the National Housing Bank had also issued guidelines to housing finance companies on prudential norms on income recognition, accounting standards, asset classification, provisioning for bad and doubtful assets, capital adequacy and concentration of credit/investments.
- 3. And whereas the National Housing Bank Act, 1987 has been amended further by the National Housing Bank (Amendment) Act, 2000 (15 of 2000) further to enable the National Housing Bank to safeguard the interest of depositors and promote healthy and universal growth of Housing Finance Companies in the country.
- 4. And whereas, having regard to the objectives aforesaid, it is considered desirable to issue consolidated directions in respect of matters relating to acceptance of deposits by housing finance companies, prudential norms for income recognition, accounting standards, asset classification, provision for bad and doubtful assets, capital adequacy and concentration of credit/investments to be observed by the housing finance companies and matters to be included in the Auditors Report by the auditors of such housing finance companies and matters ancillary and incidental thereto.
- 5. Now therefore, the National Housing Bank having considered it necessary in the public interest and being satisfied that for the purpose of enabling the National Housing Bank to regulate the housing finance system of the country to its advantage, it is necessary to give the Directions mentioned below, hereby in exercise of the powers conferred, by sections 30, 30A, 31 and 33 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and of all the powers enabling it in this behalf, and in supercession of the aforementioned directions and guidelines, gives the Directions hereinafter specified.

## **CHAPTER I - PRELIMINARY**

#### Short title, commencement and applicability of the Directions

- 1. (1) These Directions shall be known as the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001. They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette and any reference in these Directions to the date of commencement thereof shall be deemed to be a reference to that date.
- (2) Directions contained in Chapter IV shall be applicable to every auditor of a housing finance company.

#### Definitions

- 2. (1) In these Directions, unless the context otherwise requires,
  - (a) "banking company" means a banking company as defined in Section 5(c) of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949);
  - (b) "break up value" means the equity capital and reserves as reduced by intangible assets and revaluation reserves, divided by the number of equity shares of the investee company;
  - (c) "carrying cost" means book value of the assets and interest accrued thereon but not received:
  - (d) "company" means a company as defined in Section 45I(aa) of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) but does not include a company which is being wound up under any law for the time being in force;
  - (e) "current investment" means an investment which is by its nature readily realisable and is intended to be held for not more than one year from the date on which such investment is made;
  - (f) "deposit" shall have the same meaning as assigned to it in Section 45 I (bb) of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);
  - (g) "depositor" means any person who has made a deposit with the housing finance company or a heir, legal representative, administrator or assignee of the depositor;
  - (h) "doubtful asset" means a term loan, or a leased asset, or a hire purchase asset, or any other asset, which remains a sub-standard asset for a period exceeding two years;
  - (i) "earning value" means the value of an equity share computed by the average of profits after tax as reduced by the preference dividend and adjusted for extra ordinary and non recurring items, for the immediately preceding three years and further divided by the number of equity shares of the investee company and capitalised at the following rate:-
    - (i) in case of predominantly manufacturing company, eight percent;
    - (ii) in case of predominantly trading company, ten percent; and
  - (iii) in case of any other company, including a housing finance company, twelve percent;

#### Note:

If an investee company is a loss making company, the earning value will be taken as zero;

- (j) " fair value" means the mean of the earning value and the break up value;
- (k) "free reserves" shall include the balance in the share premium account, capital and debenture redemption reserves and any other reserve shown or published in the balance sheet of the company and created through an allocation of profits, not being (1) a reserve created for repayment of any future liability or for depreciation

in assets or for bad debt or (2) a reserve created by revaluation of the assets of the company;

- (l) "housing finance company" means a company incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) which primarily transacts or has as one of its principal objects, the transacting of the business of providing finance for housing, whether directly or indirectly;
- (m) "hybrid debt" means capital instrument which possesses certain characteristics of equity as well as of debt;
- (n) "lending public financial institution" means -
  - (i) a public financial institution specified in or under section 4A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956); or
  - (ii) a State Financial Corporation or a State Industrial Investment Corporation; or
  - (iii) a scheduled commercial bank; or
  - (iv) the General Insurance Corporation of India established in pursuance of the provisions of section 9 of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972); or
  - (v) any other Institution which the National Housing Bank may, by notification, specify in this behalf;
- (o) "long term investment" means an investment other than a current investment;
- (p) "loss asset" means -
  - (i) an asset which has been identified as loss asset by the housing finance company or its internal or external auditor or by the National Housing Bank, to the extent it is not written off by the housing finance company; and
  - (ii) an asset which is adversely affected by a potential threat of non-recoverability due to either erosion in the value of security or non availability of security or due to any fraudulent act or omission on the part of the borrower;
- (q) "net asset value" means the latest declared net asset value by the concerned mutual fund in respect of that particular scheme;
- (r)"net book value" means -
  - (i) in the case of hire purchase asset, the aggregate of over due and future instalments receivable as reduced by the balance of the unmatured finance charges and further reduced by the provisions made as per paragraph 24(2)(i) of these Directions;
  - (ii) in the case of leased assets, aggregate of capital portion of over due lease rentals accounted as receivable and depreciated book value of the lease asset as adjusted by the balance of lease adjustment account;
- (s) "net owned fund" means net owned fund as defined under section 29A of the National Housing Bank Act, 1987 including paid up preference shares which are compulsorily convertible into equity capital;

- (t) "non-performing asset" (referred to in these directions as "NPA") means:-
  - (i) a loan asset, in respect of which, interest has remained past due for six months;
  - (ii) a term loan inclusive of unpaid interest, when the instalment is over due to, more than six months or on which interest amount remained past due for six months;
  - (iii) a bill of exchange which remains over due for six months;
  - (iv) the interest in respect of a debt or the income on a receivable under the head 'other current assets' in the nature of short term loans/advances, which facility remained over due for a period of six months;
  - (v) any dues on account of sale of assets or services rendered or reimbursement of expenses incurred, which remained over due for a period of six months;
  - (vi) the lease rental and hire purchase instalment, which has become over due for a period of more than twelve months;
  - (vii) an inter corporate deposit, in respect of which interest or principal has remained over due for a period of six months;
- (u) "owned fund" means paid up capital including preference share compulsorily convertible into equity shares, free reserves, balance in share premium account and capital reserves representing surplus arising out of said proceeds of asset, excluding reserves created by revaluation of asset, as reduced by accumulated loss balance, book value of intangible assets and deferred revenue expenditure, if any;
- (v) "past due" means an amount of income or interest which remains unpaid for a period of thirty days beyond the due date;
- (w) "public deposit" means a deposit but does not include the following, namely-
  - (i) any amount received from the Central Government or a State Government or any amount received from any other source and whose repayment is guaranteed by the Central Government or a State Government or any amount received from a local authority or any public housing agency, or a foreign Government or any other foreign citizen, authority or person;
  - (ii) any amount received from the National Housing Bank, established under the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987), or the Industrial Development Bank of India established under the Industrial Development Bank of India Act, 1964 (18 of 1964) or the Life Insurance Corporation of India established under the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956) or the General Insurance Corporation of India and its subsidiaries established in pursuance of the provisions of section 9 of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972) or the Small Industries Development Bank of India established under the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (39 of 1989) or the Unit Trust of India established under the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) or National Bank for Agricultur and Rural Development established under the National Bank for Agricultur and Rural Development Act, 1982 or an Electricity Board constituted under the Electricity (Supply) Act, 1948 or the Tamil Nadu Industrial Investment

Corporation Ltd., or the National Industrial Development Corporation of India Ltd., or the Industrial Credit & Investment Corporation of India Ltd., or the Industrial Investment Bank of India Ltd., or State Trading Corporation of India Ltd., or the Rural Electrification Corporation Ltd., or the Minerals and Metals Trading Corporation of India Ltd., or the Agricultural Finance Corporation Ltd., or the State Industrial and Investment Corporation of Maharashtra Ltd., or the Gujarat Industrial Investment Corporation Ltd., or Asian Development Bank or International Finance Corporation or the Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) or Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) or any other institution that may be specified by the National Housing Bank in this behalf;

(iii)any amount received by a housing finance company from another company;

(iv)any amount received by way of subscription to any share, stock, bonds or debentures pending the allotment of the said shares, stock, bonds or debentures and any amount received by way of calls in advance on shares, in accordance with the Articles of Association of the housing finance company so long as such amount is not repayable to the members under the Articles of Association of the housing finance company;

(v)any amount received from a person who at the time of receipt of the amount was a Director of the housing finance company or any amount received from its shareholders by a private housing finance company or by a private housing finance company which has become a public housing finance company under section 43A of the Companies Act, 1956 and continues to include in its Articles of Association provisions relating to the matters specified in clause (iii) of sub-section (1) of section 3 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956):

Provided that the Director or shareholder, as the case may be, from whom the money is received furnishes to the housing finance company at the time of giving the money, a declaration in writing to the effect that the amount is not being given out of funds acquired by him by borrowing or accepting from others;

Provided further that in the case of joint shareholders of a private limited company, money received from or in the name of the joint shareholders except the first named shareholder shall not be eligible to be treated as the receipt of money from the shareholder of the company;

(vi)any amount raised by the issue of bonds or debentures secured by the mortgage of any immovable property of the housing finance company; or by any other asset or with an option to convert them into shares in the housing finance company provided that in the case of such bonds or debentures secured by mortgage of any immovable property or secured by other assets, the amount of such bonds or debentures shall not exceed the market value of such immovable property/other assets;

(vii) any amount brought in by the promoters by way of unsecured loan in pursuance of stipulations of lending institutions subject to the fulfillment of the following conditions, namely:-

- (a) the loan is brought in pursuance of the stipulation imposed by the lending public financial institution in fulfillment of the obligation of the promoters to contribute such finance,
- (b) the loan is provided by the promoters themselves and/or by their relatives, and not from their friends and business associates, and
- (c) the exemption under this sub-clause shall be available only till the loan of the lending public financial institution is repaid and not thereafter;
- (viii) any amount received from a mutual fund which is governed by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996;
- (ix) any amount received as hybrid debt or subordinated debt the minimum maturity period of which is not less than sixty months;
- (x) any amount received from a relative of a director of a housing finance company;
- Note: The deposit shall be accepted only on an application made by the depositor containing therein a declaration that as on the date of deposit, he is related to the specific director in the capacity of a relative as defined under Companies Act, 1956 (1 of 1956);
- (x) "public housing agency" shall include any authority, constituted in India by or under any law, engaged either for the purpose of dealing with and satisfying the need for housing accommodation or for the purpose of planning, development or improvement of cities, towns and villages or for both;
- (y) "securities" means securities as defined in section 2(h) of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956);
- (z) "standard asset" means the asset in respect of which, no default in repayment of principal or payment of interest is perceived and which does not disclose any problem nor carry more than normal risk attached to the business;
- (za) "sub-standard asset" means -
  - (i) an asset, which has been classified as non-performing asset for a period not exceeding two years;
  - (ii) an asset, where the terms of the agreement regarding interest and/or principal have been re-negotiated or rescl.eduled after release of any instalment of loan or an inter-corporate deposit which has been rolled over, until the expiry of one year of satisfactory performance under the re-negotiated or rescheduled terms:

Provided that where a delay in completion of a project is caused on account of factors beyond the control of the project implementing agency, terms of the loan agreement regarding interest and/or principal may be rescheduled once before the completion of the project and such loans may be treated as standard asset, subject to the condition that such reschedulement shall be permitted only once by the Board of Directors of the concerned housing finance company and that interest on such loan is paid regularly and there is no default;

Provided further that where natural calamities impair the repaying capacity of a borrower, terms of the loan agreement regarding interest and/or principal may be rescheduled and such loans shall not be classified as sub-standard; the classification of such loans would thereafter be governed by the revised terms and conditions;

(zb) "subordinated debt" means a fully paid up capital instrument, which is unsecured and is subordinated to the claims of other creditors and is free from restrictive clauses and is not redeemable at the instance of the holder or without the consent of the supervisory authority of the nousing finance company. The book value of such instrument shall be subjected to discounting as provided hereunder:

Remaining maturity of the instruments	Rate of discount (%)
(i) up to one year	100
(ii) More than one year but upto two years	80
(iii) More than two years but upto three years	60
(iv) More than three years but upto four years	40
(v) More than four years but upto five years	20

to the extent such discounted value does not exceed fifty percent of the Tier-I capital;

- (zc) "substantial interest" means holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together in the shares of a company, the amount paid up on which exceeds ten percent of the paid up capital of the company; or the capital subscribed by all the partners of a partnership firm;
- (zd) "tier-I capital" means owned fund as reduced by investment in shares of other housing finance companies and in shares, debentures, bonds, outstanding loans and advances including hire purchase and lease finance made to and deposits with subsidiaries and companies in the same group exceeding, in aggregate, ten percent of the owned fund;
- (ze) "tier-II capital" includes the following:-
  - (i) preference shares (other than those compulsorily convertible in to equity);
  - (ii) revaluation reserves at discounted rate of fifty five percent;
  - (iii) general provisions and loss reserves to the extent these are not attributable to actual diminution in value or identifiable potential loss in any specific asset and are available to meet unexpected losses to the extent of one and one fourth percent of risk weighted assets;
  - (iv) hybrid debt;
  - (v) subordinated debt

to the extent the aggregate does not exceed Tier-I capital;

(2) Words or expressions used but not defined herein and defined in the National Housing Bank Act, 1987 shall have the same meaning as assigned to them therein. Any other words or expressions not defined herein or in the National Housing Bank Act, 1987 shall have the same meaning as assigned to them in the Reserve Bank of

India Act, 1934 (2 of 1934), Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) and the Companies Act, 1956 (1 of 1956);

- (3) (a) If any question arises as to whether a company is a financial institution or not, such question shall be decided by the National Housing Bank in consultation with the Central Government.
- (b) If any question arises as to whether a company is a housing finance company, the same shall be decided by the National Housing Bank.

#### **CHAPTER II - ACCEPTANCE OF PUBLIC DEPOSITS**

## Restriction on acceptance of deposits

- 3. (1) No housing finance company having net owned fund (hereinafter referred to as 'NOF') of less than twenty five lakhs of rupees shall accept public deposits.
- (2) No housing finance company having NOF of twenty five lakhs of rupees and above shall accept or renew public deposits except to the extent specified below:-
- (i) not exceeding five times of its NOF, where the housing finance company has obtained credit rating for fixed deposits not below 'A' from any one of the approved rating agencies at least once a year and a copy of the rating is sent to the National Housing Bank and it is complying with all the prudential norms; and
- (ii) in the absence of credit rating as specified in (i) above, not exceeding two times of its NOF or ten crore of rupees, whichever is lower including any amount remaining outstanding in its books as on the date of acceptance or renewal of such deposit, subject to (a) it is complying with all the prudential norms, and (b) having capital adequacy ratio of not less than fifteen per cent as per the last audited balance sheet.

## **Approved Credit Rating Agencies**

The names of approved credit rating agencies for the time being are as follows:-

- (a) The Credit Rating Information Services of India Ltd. (CRISIL)
- (b) ICRA Ltd.
- (c) Credit Analysis & Research Ltd.(CARE)
- (d) FITCH Ratings India Private Ltd.
- (3) No housing finance company shall have deposits inclusive of public deposits, the aggregate amount of which together with the amounts, if any, held by it which are referred in clauses (iii) to (vii) of sub-section (bb) of Section 45 I of the Reserve Bank of India Act, 1934 as also loans or other assistance from the National Housing Bank, is in excess of ten times of its NOF.

- (4) Where a housing finance company holds as on the date of commencement of these directions public deposits in excess of the limits specified in (2) above and as applicable to it or deposits inclusive of the items mentioned in (3) above in excess of the limits specified in (3) above, it shall -
  - (a) not accept fresh deposit or open new deposit account; or
  - (b) not renew the existing deposit or where the deposits are received under any recurring scheme, receive instalments under such scheme after the expiry of the scheme period;
  - (c) reduce such excess deposit by repayment on maturity.
- (5) In the event of down gradation of the credit rating to any level below 'A' from the level earlier held by the housing finance company, it shall
  - (i) report the position within fifteen working days to the National Housing Bank;
  - (ii) with immediate effect stop accepting fresh public deposit if the public deposit held by it is in excess of the limit specified under clause (ii) of paragraph 3(2) above; and
  - (iii) reduce within three years from the date of downgrading of credit rating, the amount of excess public deposit to nil or the appropriate extent permissible under clause (ii) of paragraph 3(2) above as the case may be, to which it is entitled to accept, by repayment as and when such deposit falls due or otherwise.

## Period of deposits

- 4. No housing finance company shall accept or renew any public deposit:
  - (a) which is repayable on demand or on notice; or
  - (b)unless such deposit is repayable after a period of twelve months or more but not later than eighty four months from the date of acceptance or renewal of such deposits.

#### **Explanation**

Where a public deposit is in Instalments, the period of such deposit shall be computed from the date of receipt of first Instalment.

## Joint deposit

5. Where so desired, deposits may be accepted in joint names with or without any of the clauses, namely, "Either or Survivor", "Number One or Survivor/s", "Anyone or Survivor/s.

#### Particulars to be specified in application form soliciting public deposits

6 (i) No housing finance company shall accept or renew any public deposit except on a written application from the depositors in the form to be supplied by the housing finance company, which form shall contain all the particulars specified in the Non-Banking Financial Companies and Miscellaneous Non-Banking Companies (Advertisement) Rules, 1977, made under section 58A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and also contain the particulars of the specific category of the depositors, i.e.

whether the depositor is a shareholder or a director or a promoter of the housing finance company or a member of public or a relative of a director of the company.

- (ii) The application form shall also contain the following:-
  - (a) the credit rating assigned for its deposits and the name of the credit rating agency which rated the housing finance company;
  - (b)a statement to the effect that in case of any deficiency of the housing finance company in servicing its deposits, the depositor may approach the National Consumers Disputes Redressal Forum, the State Level Consumers Disputes Redressal Forum for relief;
  - (c) a statement to the effect that in case of non-repayment of the deposit or part thereof in accordance with the terms and conditions of the deposit, the depositor may make an application to authorised officer of the National Housing Bank;
  - (d)a statement to the effect that the financial position of the housing finance company as disclosed and the representations made in the application form are true and correct and that the housing finance company and its Board of Directors are responsible for the correctness and veracity thereof;
  - (e) a statement to the effect that the housing finance company is within the regulatory framework of the National Housing Bank. It must, however, be distinctly understood that the National Housing Bank does not undertake any responsibility for the financial soundness of the housing finance company or for the correctness of any of the statements or the representations made or opinions expressed by the housing finance company; and for repayment of deposit/discharge of liabilities by the housing finance company;
  - (f) the information, relating to and the aggregate dues from the facilities, both fund and non-fund based, extended to, and the aggregate dues from companies in the same group or other entities or business ventures in which the directors and/or the housing finance company are/is holding substantial interest and the total amount of exposure to such entities;
  - (g) at the end of application form but before signature of the depositor, the following verification clause by the depositor shall be appended. "I have gone through the financial and other statements/ particulars/representations furnished/made by the housing finance company and after careful consideration I am making the deposit with the housing finance company at my own risk and volition."

## Introduction of depositors

7. Every housing finance company shall obtain proper introduction of new depositors before opening their accounts and accepting the deposits, and shall keep on its record the evidence on which it has relied for the purpose of such introduction.

## Explanation:

For the purpose of this paragraph, introduction shall mean identification of the prospective depositor and may be done either by one of the existing depositors or on the basis of any one of Income Tax Permanent Account Number (PAN), Election Identity Card, Passport, or Ration Card.

## Furnishing of receipts to depositors

- **8.** (1) Every housing finance company shall furnish to every depositor or his agent, unless, it has done so already, a receipt for every amount which has been or which may be received by the housing finance company by way of deposit before or after the date of commencement of these Directions.
- (2) The said receipt should be duly signed by an officer entitled to act for the housing finance company in this behalf and shall state the date of deposit, the name of depositor, the amount in words and figures received by the housing finance company by way of deposit, rate of interest payable thereon and the date on which the deposit is repayable.

Provided that, if such receipts pertain to Instalments subsequent to the first Instalment of a recurring deposit it may contain only name of the depositor/s, date and amount of deposit.

## Register of deposits

- 9. (1) Every housing finance company shall keep one or more registers in which shall be entered separately in the case of each depositor or group of joint depositors the following particulars, namely,
  - (a) name and address of the depositor or group of joint depositors, their nominees,
  - (b) date and amount of each deposit,
  - (c) duration and due date of each deposit,
  - (d) date and amount of accrued interest or premium on each deposit,
  - (e) date and amount of each repayment, whether of principal, interest or premium,
  - (f) date of claim made by the depositor,
  - (g) the reasons for delay in repayment beyond five working days, and
  - (h) any other particulars relating to the deposits.
- (2) The register or registers aforesaid shall be kept at each branch in respect of the deposit accounts opened by that branch of the housing finance company and a consolidated register for all the branches taken together at the registered office of the housing finance company and shall be preserved in good order for a period of not less than eight years following the financial year in which the latest entry is made of the repayment or renewal of any deposit of which particulars are contained in the register:

Provided that, if the housing finance company keeps the books of account referred to in sub-section (1) of Section 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) at any place other than its Registered Office in accordance with the provisions to that sub-section, it shall be sufficient compliance with this sub-paragraph if the register aforesaid is kept at such other place, subject to the condition that the housing finance company

delivers to the National Housing Bank a copy of the notice filed with the Registrar under the proviso to the said sub-section within seven days of such filing.

## Information to be included in the Board's Report

- **10.** (1) In every report of the Board of Directors laid before the housing finance company in a general meeting under sub-section (1) of Section 217 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) after the date of commencement of these Directions there shall be included, the following particulars or information, namely:
  - (a) the total number of accounts of public deposit of the housing finance company which have not been claimed by the depositors or not paid by the housing finance company after the date on which the deposit became due for re-payment; and
  - (b) the total amounts due under such accounts remaining unclaimed or unpaid beyond the dates referred to in clause (a) as aforesaid.
- (2) The said particulars or information shall be furnished with reference to the position as on the last date of the financial year to which the report relates and if the amounts remaining unclaimed or undisbursed as referred to in clause (b) of the preceding sub-paragraph exceed in the aggregate the sum of rupees five lakhs, there shall also be included in the report a statement on the steps taken or proposed to be taken by the Board of Directors for the repayment of the amounts due to the depositors or group of joint depositors and remaining unclaimed or undisbursed.

# Ceiling on the rate of interest and brokerage and interest on overdue public deposits

- 11. (1) No housing finance company shall-
  - (a) invite or accept or renew any public deposit on a rate of interest exceeding fourteen per cent per annum. Interest may be paid or compounded at rests which shall not be shorter than monthly rests.
  - (b) pay to any broker on public deposit collected by or through him,
    - (i) brokerage, commission, incentive or any other benefit by whatever name called, in excess of two per cent of the deposit so collected;
    - (ii) expenses by way of reimbursement on the basis of relative vouchers/bills produced by him, in excess of 0.5 per cent of the deposit so collected.
- (2) Payment of interest on overdue deposit

A housing finance company may, at its discretion, allow interest on an overdue public deposit or a portion of the said overdue deposit from the date of maturity of the deposit subject to the conditions that -

- (i) the total amount of overdue deposit or the part thereof is renewed in accordance with other relevant provisions of these Directions, from the date of its maturity till some future date, and
- (ii) the interest allowed shall be at the appropriate rate operative on the date of maturity of such overdue deposit which shall be payable only on the amount of deposit so renewed:

Provided that where a housing finance company fails to repay the deposit along with interest on maturity on the claim made by the depositor, the housing finance company shall pay interest from the date of claim till the date of repayment at the rate as applicable to the deposit.

## General provisions regarding repayment of deposits

- **12. (i)** No housing finance company shall repay any public deposit within a period of three months from the date of its acceptance.
- (ii). Where a housing finance company at the request of depositor/s repays a public deposit after the period indicated in clause (i) above but before its maturity, it shall pay interest at the following rate:
  - (a) Three months but before expiry of six months

No interest

(b) Six months but before expiry of twelve months

Not exceeding ten percent per annum

(c) Twelve months but before the date of maturity

One percentage point less than the rate at which the housing finance company would have ordinarily paid, had the deposit been accepted for the period for which such deposit had run.

Provided that in the event of death of a depositor, the public deposit may be paid prematurely to the surviving depositor/s in the case of joint holding with the survivor clause, or to nominee or legal heir/s with interest at the contracted rate upto the date of repayment.

(iii) A housing finance company may grant a loan upto seventy-five percent of the amount of public deposit to a depositor after the expiry of three months from the date of public deposit at a rate of interest two percentage points above the interest rate payable on the public deposit.

## Renewal of public deposit before maturity

- 13. Where any housing finance company permits an existing depositor to renew his public deposit before maturity for availing the benefit of higher rate of interest, such company shall pay the depositor the increase in the rate of interest provided,
- (i) the public deposit is renewed in accordance with the other provisions of these directions and for a period longer than the remaining period of the original contract; and
- (ii) the interest on the expired period of the public deposit is reduced by one percentage point from the rate at which the housing finance company would have ardinarily paid, had the deposit been accepted for the period for which such public deposit had run; any interest paid earlier in excess of such reduced rate is recovered/adjusted.

## Safe custody of approved securities

14. (1) Every housing finance company shall entrust to one of the scheduled commercial banks designated by it on that behalf, in the place where the registered office of the housing finance company is situated, the unencumbered approved securities required to be maintained by it in pursuance of Section 29B of the National Housing Bank Act, 1987;

Provided that a housing finance company may entrust such securities to the Stock Holding Corporation of India Ltd with prior approval, in writing, of the National Housing Bank, subject to such conditions as may be specified by the National Housing Bank in this behalf;

Provided further that where a housing finance company intends to entrust these securities to its designated bank at a place other than the place at which its registered office is situated or keep in the form of constituent's Subsidiary General Ledger Account with its designated scheduled commercial bank, it may do so with the prior approval, in writing, of the National Housing Bank;

(2) the securities mentioned in sub-paragraph (1) above shall continue to be entrusted to such designated bank for the benefit of the depositors and shall not be withdrawn or encashed or otherwise dealt with by the housing finance company except for repayment to the depositors.

## Provided that,

- (1) a housing finance company shall be entitled to withdraw a portion of such securities proportionate to the reduction of its deposits duly certified to that effect by its auditors;
- (2) where the housing finance company intends to substitute such securities, it may do so by entrusting substitute securities of equal value to the designated bank before such withdrawal.

## **Explanation**

'scheduled commercial bank' means a bank included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) excluding a Regional Rural Bank or a Cooperative Bank.

## **Employee Security Deposit**

- 15. A housing finance company receiving any amount in the ordinary course of its business as security deposit from any of its employees for due performance of his duties shall keep such amount in an account with a scheduled commercial bank or in a post office in the joint names of the employee and the housing finance company on the conditions that -
- (1) it shall not withdraw the amount without the consent in writing of the employee; and
- (2) the amount shall be repayable to the employee along with interest payable on such deposit account unless such amount or any part thereof is liable to be appropriated

by the housing finance company for the failure on the part of the employee for due performance of his duties.

#### Advertisement and statement in lieu of advertisement

- 16. (1) every housing finance company soliciting public deposits shall comply with the provisions of the Non-Banking Financial Companies and Miscellaneous Non-Banking Companies (Advertisement) Rules, 1977 and shall also specify in every advertisement to be issued thereunder, the following:
  - (a) the actual rate of return by way of interest, premium, bonus or other advantage to the depositors;
  - (b) the mode of payment to the depositors;
  - (c) maturity period of deposits;
  - (d) the interest payable on a specified deposit;
  - (e) the rate of interest which will be payable to the depositors in case the depositor withdraws the deposit prematurely;
  - (f) the terms and conditions subject to which a deposit will be renewed;
  - (g) any other special features relating to the terms and conditions subject to which the deposits are accepted/renewed; and
  - (h) the information, relating to the aggregate dues (including the non-fund based facilities) provided to/from companies in the same group or other entities or business ventures in which the directors and/or the housing finance company are holding substantial interest and the total amount of exposure to such entities.
- (2) where a housing finance company intends to accept public deposits without inviting or allowing or causing any other person to invite such deposits, it shall, before accepting deposits, deliver to the office of the National Housing Bank at New Delhi for registration, a statement in lieu of advertisement containing all the particulars required to be included in the advertisement pursuant to the Non-Banking Financial Companies and Miscellaneous Non-Banking Companies (Advertisement) Rules, 1977 as also the particulars stated in sub-paragraph (1) hereinabove, duly signed in the manner provided in the aforesaid Rules.
- (3) A statement, delivered under sub-paragraph (2) shall be valid till the expiry of six months from the date of closure of the financial year in which it is so delivered, or until the date on which the balance sheet is laid before the housing finance company in general meeting, or where the annual general meeting for any year has not been held, the latest day on which that meeting should have been held in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956(1 of 1956), whichever is earlier and a fresh statement shall be delivered in each succeeding financial year before accepting deposits in that financial year.

## **Opening of Branches**

**17.** A housing finance company shall, before opening a branch or an office, inform National Housing Bank in writing of its intention to open a branch or an office.

#### Closure of Branches

**18.** No housing finance company accepting deposits shall close its branch/office without publishing such intention in any one national level newspaper and in one vernacular newspaper in circulation in the relevant place and without advising National Housing Bank, before ninety days of the proposed closure.

#### **CHAPTER III - PRUDENTIAL NORMS**

## Income recognition

- 19. (1) Income recognition shall be based on recognised accounting principles.
- (2) Income including interest/discount or any other charges on NPA shall be recognised only when it is actually realised. Any such income recognised before the asset became non-performing and remaining unrealised shall be reversed.
- (3) In respect of hire purchase assets, where instalments are over due for more than twelve months, income shall be recognised only when hire charges are actually received. Any such income taken to the credit of profit and loss account before the asset becoming non-performing and remaining unrealised, shall be reversed.
- (4) In respect of lease assets, where lease rentals are overdue for more than twelve months, the income shall be recognised only when lease rentals are actually received. The net lease rentals taken to the credit of profit and loss account before the asset became non-performing and remaining unrealised shall be reversed.

Explanation: For the purpose of this paragraph, 'net lease rentals' mean gross lease rentals as adjusted by the lease adjustment account debited/credited to the profit and loss account and as reduced by depreciation at the rate applicable under schedule XIV of the Companies Act, 1956.

#### Income from investments

**20**.(1) Income from dividend on shares of corporate bodies and units of mutual funds shall be taken in to account on cash basis;

Provided that the income from dividend on shares of corporate bodies may be taken into account on accrual basis when such dividend has been declared by the corporate

body in its annual general meeting and the housing finance company's right to receive payment is established.

(2) Income from bonds and debentures of corporate bodies and from Government securities/bonds may be taken into account on accrual basis;

Provided that the interest rate on these instruments is predetermined and interest is serviced regularly and is not in arrears.

(3) Income on securities of corporate bodies or public sector undertakings, the payment of interest and repayment of principal of which have been guaranteed by the Central Government or a State Government may be taken into account on accrual basis.

## Accounting standards

**21**. Accounting Standards and Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (referred to in these directions as "ICAI") shall be followed insofar as they are not inconsistent with any of these Directions.

## Accounting for investments

- **22**. (1) Investment in securities shall be classified as current and long-term investments.
- (2) A long term investment shall be valued in accordance with the Accounting Standard issued by ICAI.
- (3) Quoted current investments shall, for the purpose of valuation, be grouped into the following categories, viz.,
  - (a) equity shares,
  - (b) preference shares,
  - (c) debentures and bonds,
  - (d) Government securities including treasury bills,
  - (e) units of mutual fund, and
  - (f) others.

Quoted current investments for each category shall be valued at cost or market value, whichever is lower. For this purpose, the investments in each category shall be considered scrip-wise and the cost and market value aggregated for all investments in each category. If the aggregate market value for the category is less than the aggregate cost for that category, the net depreciation shall be provided for or charged to the profit and loss account. If the aggregate market value for the category exceeds the aggregate cost for the category, the net appreciation shall be ignored. Depreciation in one category of investments shall not be set off against appreciation in another category.

- (4) Unquoted equity shares in the nature of current investments shall be valued at cost or break up value, whichever is lower. However, housing finance companies may substitute fair value for break up value of the shares, if considered necessary. Where the balance sheet of the investee company is not available for two years, such shares shall be valued at one rupee only.
- (5) Unquoted preference shares in the nature of current investments shall be valued at cost or face value or the net asset value whichever is less. In case the net asset value is negative, it should be valued at zero.
- (6) Investments in unquoted Government securities or Government guaranteed bonds shall be valued at carrying cost.
- (7) Unquoted investments in the units of mutual funds in the nature of current investments shall be valued at the net asset value declared by the mutual fund in respect of each particular scheme.
- (8) Commercial papers shall be valued at carrying cost.

Note: Unquoted debentures shall be treated as term loans or other type of credit facilities depending upon the tenure of such debentures for the purpose of income recognition and asset classification.

#### Asset classification

- 23. (1) Every housing finance company shall, after taking into account the degree of well defined credit weaknesses and extent of dependence on collateral security for realisation, classify its lease/hire purchase assets, loans and advances and any other forms of credit into the following classes, namely:-
- (i) Standard assets;
- (ii) Sub-standard assets;
- (iii) Doubtful assets; and
- (iv) Loss assets.
- (2) The class of assets referred to above shall not be upgraded merely as a result of rescheduling, unless it satisfies the conditions required for the upgradation.

## Provisioning requirement

24. Every housing finance company shall, after taking in to account the time lag between an account becoming non-performing, its recognition as such, the realisation of the security and the erosion over time in the value of security charged, make provision against sub-standard assets, doubtful assets and loss assets as provided hereunder:-

Loans, Advances and Other Credit Facilities Including Bills Purchased and Discounted

(1) The provisioning requirement in respect of loans, advances and other credit facilities including bills purchased and discounted shall be as under:

Loss Assets

The entire assets shall be written off. If the assets are permitted to remain in the books for any reason, 100% of the outstandings should be provided for.

ii) Doubtful Assets

- (a) 100% provision to the extent to which the advance is not covered by the realisable value of the security to which the housing finance company has a valid recourse shall be made. The realisable value is to be estimated on a realistic basis:
- (b) in addition to item (a) above, depending upon the period for which the asset has remained doubtful, provision to the extent of 20% to 50% of the secured portion (i.e. estimated realisable value of the outstandings) shall be made on the following basis:-

Period for which the asset has been % of provision considered as doubtful

Up to one year	20
one to three years	30
More than three years	50

(iii) Sub-standard Assets

A general provision of 10% of total outstanding should be made

Lease and hire purchase assets

(2) The provisioning requirements in respect of hire purchase and leased assets shall be as under:-

#### Hire purchase assets

(i) In respect of hire purchase assets, the total dues (overdue and future installments taken together) as reduced by the finance charges not credited to the profit and loss account and carried forward as unmatured finance charges and the depreciated value of the underlying asset, shall be provided for.

#### **Explanation**

For this purpose, the depreciated value of the asset shall be notionally computed as the original cost of the asset to be reduced by depreciation at the rate of 20 percent per annum on a straight line method. In the case of second hand asset, the original cost shall be the actual cost incurred for acquisition of such second hand asset.

book value

## Additional provision for Hire Purchase and Leased assets

(ii) In respect of hire purchase and leased assets, additional provision shall be made as under:

(a) Where any amounts of hire charges or lease rentals are overdue up to 12 months

(b) Where any amounts of hire charges or lease rentals are overdue for more than 12 months but up to 24 months

(c) Where any amounts of hire charges or lease rentals are overdue for more than 24 months but up to 36 months

(d) Where any amounts of hire charges or lease rentals are overdue for more than 36 months but up to 48 months

(e) Where any amounts of hire charges or lease rentals are overdue to 30% of the net book value

(e) Where any amounts of hire charges or lease rentals are overdue to 30% of the net book value

(iii) On expiry of a period of 12 months after the due date of the last installment of hire purchase/ leased asset, the entire net book value shall be fully provided for.

#### **NOTES**

for more than 48 months

- (1) The amount of caution money/margin money or security deposits kept by the borrower with the housing finance company in pursuance of the hire purchase agreement may be deducted against the provisions stipulated under clause (i) above, if not already taken into account while arriving at the equated monthly installments under the agreement. The value of any other security available in pursuance to the hire purchase agreement may be deducted only against the provisions stipulated under clause (ii) above.
- (2) The amount of security deposits kept by the borrower with the housing finance company in pursuance to the lease agreement together with the value of any other security available in pursuance to the lease agreement may be deducted only against the provisions stipulated under clause (ii) above.
- (3) It is clarified that income recognition on and provisioning against NPAs are two different aspects of prudential norms and provisions as per the norms are required to be made on NPAs on total outstanding balances including the depreciated book value of the leased asset under reference after adjusting the balance, if any, in the lease adjustment account. The fact that income on NPA has not been recognised cannot be taken as reason for not making provision.
- (4) An asset which has been re-negotiated or rescheduled as referred to in paragraph 2 (1)(za) of these Directions shall be a sub-standard asset or continue to remain in the same category in which it was prior to its re-negotiation or reschedulement as a doubtful asset or a loss asset as the case may be. Necessary provision is required to be made as applicable to such asset till it is upgraded. In case where an asset has been rescheduled on account of natural calamities having impaired the repaying capacity of

the borrower as provided in second proviso to paragraph 2(1)(za), any provisioning made prior to such rescheduling shall neither be written back nor adjusted against any provisioning requirements that may arise in future.

## Disclosure in balance sheet

- 25. (1) Every housing finance company shall, separately disclose in its balance sheet the provisions made as per paragraph 24 above without netting them from the income or against the value of assets.
- (2) The provisions shall be distinctly indicated under separate heads of accounts separately for housing and non-housing finance business and individually for each type of assets as under:-
  - (a) provisions for sub-standard, doubtful and loss assets; and
  - (b) provisions for depreciation in investments
- (3) Such provisions shall not be appropriated from the general provisions and loss reserves held, if any, by the housing finance company.
- (4) Such provision for each year shall be debited to the profit and loss account. The excess of provisions, if any, held under the heads general provisions and loss reserves may be written back without making adjustment against them.

## Requirement as to Capital Adequacy

- **26**. (1) Every housing finance company shall, maintain a minimum capital ratio consisting of Tier-I and Tier-II capital which shall not be less than-
- (i) ten percent on or before March 31, 2001; and
- (ii) twelve percent on or before March 31, 2002
- of its aggregate risk weighted assets and of risk adjusted value of off-balance sheet items.
- (2) The total Tier-II capital, at any point of time, shall not exceed one hundred percent of Tier-I capital.

## **Explanations:**

#### On balance sheet assets

(1) In these Directions, degree of credit risk expressed as percentage weightages have been assigned to balance sheet assets. Hence, the value of each asset/item requires to be multiplied by the relevant risk weights to arrive at risk adjusted value of assets. The aggregate shall be taken in to account for reckoning the minimum capital ratio. The risk weighted asset shall be calculated as the weighted aggregate of funded items as detailed hereunder:

#### Notes:

d)

securities

Others(to be specified)

(1) Netting may be done only in respect of assets where provisions for depreciation or for bad and doubtful debts have been made.

0

100

- (2) Stock on hire should be shown net of finance charges i.e. interest and other charges recoverable.
- (3) Assets which have been deducted from owned fund to arrive at tier-I capital pursuant to paragraph 2(1)(zd) will have a weightage of "0".

#### Off-Balance Sheet items

(2) In these Directions, degrees of credit risk exposure attached to off-balance sheet items have been expressed as a percentage of credit conversion factor. Hence the face value of each item requires to be first multiplied by the relevant conversion factor to arrive at risk adjusted value of off-balance sheet item. The aggregate shall be taken in to account for reckoning the minimum capital ratio. This shall have to be again multiplied by the risk weight of 100. The risk weighted value of the off-balance sheet items shall be calculated as per the credit conversion factors of non-funded items as detailed under:-

	Nature of Items	credit conversion factor (%)
i)	Undisbursed amounts of Housing loans sanctioned	50
ii)	Financial & Other guarantees	100
iii)	Shares/ debentures underwriting obligations	50
iv)	Partly-paid shares/ debentures	100
v)	Bills discounted/ rediscounted	10(•
vi)	Lease contracts entered into but yet to be executed	100
vii)	Other contingent liabilities (to be specified)	50

Provided that in item (i) above, in those cases where no documents are executed, no disbursement has taken place and in case sanction lapses in course of ume and notice to that effect is served on prospective borrower, credit conversion factor shall be taken as 0% and in the case of partly disbursed housing loans credit conversion factor shall be taken as 50%.

Note: Cash margins/ deposits shall be deducted before applying the conversion factor.

#### Restriction on investments in land and building and unquoted shares

- 27. (1) No housing finance company, which is accepting public deposit, shall invest in-
- (a) land or building, except for its own use, an amount exceeding ten percent of its owned fund;
- (b) unquoted shares of another company, which is not a subsidiary company or a company in the same group of the housing finance company, an amount exceeding ten percent of its owned fund.

Provided that the land or building or unquoted shares acquired in satisfaction of its debts shall be disposed off by the housing finance company within a period of three years or within such a period as extended by the National Housing Bank, from the

date of such acquisition if the investment in these assets together with such assets already held by the housing finance company exceeds the above ceiling:

Provided further that the land or building or unquoted shares held by the company in excess of the ceiling specified hereinabove on the date of commencement of these Directions, shall be disposed off so as to bring down such holding within the said ceiling by the housing finance company within three years or within such period as extended by the National Housing Bank from the date of coming into force of these Directions.

### Concentration of credit/investment

- 28. (1) No housing finance company shall,-
  - (i) lend to-
    - (a) any single borrower exceeding fifteen percent of its owned fund; and
    - (b) any single group of borrowers exceeding twenty-five percent of its owned fund;
  - (ii) invest in-
    - (a) the shares of another company exceeding fifteen percent of its owned fund;
    - (b) the shares of a single group of companies exceeding twenty-five percent of its owned fund;
  - (iii) lend and invest(loans/investments together) exceeding -
    - (a) twenty-five percent of its owned fund to a single party; and
    - (b) forty percent of its owned fund to a single group of parties.
- (2) Any loan granted and investment made by the housing finance company in excess of the ceilings specified hereinabove and existing on the date of commencement of these directions, shall be brought down by the housing finance company as per the repayment so adule in due course.

### Notes:

- (1) For determining the above mentioned limits, off-balance sheet exposures be converted in to credit risk by applying the conversion factors explained hereinabove.
- (2) The investment in debentures for the above purpose be treated as credit and not investment.

(3) The above ceilings on credit/investments shall be applicable to the own group of the housing finance company as well as to the other group of borrowers/investee companies.

### CHAPTER IV - DIRECTIONS TO AUDITORS

### Auditor's report to contain specified matters

29. In addition to the report made by the auditor under section 227 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) on the accounts of a housing finance company after the commencement of these Directions, the auditor shall make a report to the Board of Directors of the company on the matters specified in paragraphs 30 and 31 below.

### Matters to be included in the auditor's report

- 30. The auditor's report on the accounts of a housing finance company shall include a statement on the following matters, namely:
- (i) where the housing finance company was incorporated before 12th June, 2000 whether it has applied for registration as required under section 29A of the National Housing Bank Act, 1987 and whether it has received any communication from National Housing Bank about grant or refusal of certificate of registration to it;
- (ii) where the housing finance company was incorporated on or after 12<sup>th</sup> June, 2000 whether it has obtained a certificate of registration from National Housing Bank;
- (iii) whether the housing finance company has complied with the liquidity requirements as specified under Section 29B of the National Housing Bank Act, 1987 and kept the securities with the designated bank;
- (iv) whether the housing timance company has complied with Section 29C of the National Housing Bank Act, 1987;
- (v) whether the housing trance company has complied with the provisions of these Directions;
- (vi) whether the capital adequacy ratio as disclosed in the return submitted to National Housing Bank has been correctly determined and whether such ratio is in compliance with the minimum capital to risk weighted asset ratio as prescribed by the National Housing Bank in these Directions:
- (vii) where the housing finance company is accepting/holding public deposits whether
- (a) pit is deposits accepted by the housing finance company are within admissible
- the rotal borrowings of the housing finance company i.e. deposits inclusive of public deposits together with the amounts referred to in sub-clauses (iii) to (vii) of sub-section (bb) of Section 45 I of the Reserve Bank of India Act, 1934 and loans or other assistance from the NHB are within the limit prescribed in these Directions;

- (c) the deposits in excess of the admissible limit held by the housing finance company have been regularised in the manner stipulated by National Housing Bank.
- (d) the credit rating for deposits i.e \_\_\_\_\_ (mention the rating) assigned by the credit rating agency viz., \_\_\_\_\_ (name of the agency) on \_\_\_\_\_ (the date) is in force and the aggregate amount of deposits outstanding as at any point during the year has exceeded the limit specified by the rating agency;
- (e) the housing finance company has defaulted in paying to its depositors the interest and/or principal amounts of deposits after such interest and/or principal became due;
- (f) in case of opening of new branches or offices for acceptance of public deposits or closure of branches or offices, the housing finance company has complied with the relevant provisions of these Directions;
- (viii) where the housing finance company is not accepting public deposits- whether
- (a) the Board of Directors has passed a resolution for non-acceptance of any public deposits;
- (b) the company has accepted any public deposits during the relevant period/year;
- (c) the company are complied with prudential norms.

### Reasons to be stated for unfavourable or qualified statement

31. Where, in the auditor's report, the statement regarding any of the items referred to in paragraph 30 above is unfavourable or qualified, the auditor's report shall also state the reasons for such unfavourable or qualified statement, as the case may be. Where the auditor is unable to express any opinion on any of the items referred to in paragraph 30 above, the auditor's report shall indicate such fact together with reasons therefor.

### Obligation of auditor to report to the National Housing Bank

32. Where, in the case of a housing finance company, the statement regarding any of the items referred to in paragraph 30 above is unfavourable or qualified or in the opinion of the auditor the company has not complied with the provisions of these Directions or the provisions of chapter V of the National Housing Bank Act, 1987, it shall be the obligation of the auditor to make a report containing the details of such unfavourable or qualified statements and/or about the non-compliance, as the case may be, in respect of the company to head office of the National Housing Bank at New Delhi.

### **CHAPTER V - MISCELLANEOUS**

### Loans against housing finance company's own shares prohibited

**33**. (1) No housing finance company shall lend against its own shares.

(2) Any outstanding loan granted by a housing finance company against its own shares on the date of commencement of these Directions shall be recovered by the housing finance company as per the repayment schedule.

# Housing finance companies failing to repay public deposit prohibited from making loans and investments

34. A housing finance company which has failed to repay any public deposit or part thereof in accordance with the terms and conditions of such deposit, as provided in section 36A(1) of the National Housing Bank Act, 1987, shall not grant any loan or other credit facility by whatever name called or make any investment or create any other asset as long as the default exists.

### **Constitution of Audit Committee**

35. A housing finance company having assets of Rs. 50 crore and above as per its last audited balance sheet shall constitute an Audit Committee consisting of not less than three non-executive Directors of the Board.

### Accounting year

**36.** Every housing finance company shall prepare its balance sheet and profit and loss account as on March 31 every year with effect from the accounting year ending on March 31, 2002:

Provided that if the accounting year of any housing finance company ends on any date other than March 31, 2002, such housing finance company shall prepare its balance sheet and profit and loss account for any fraction of the year ending on March 31, 2002.

# Copies of balance sheet and accounts together with the Directors' report to be furnished to the National Housing Bank.

37. Every housing finance company shall deliver to the National Housing Bank an audited balance sheet as on the last date of each financial year and audited profit and loss account in respect of that year as passed by the housing finance company in General Meeting together with a copy of the report of the Board of Directors laid before the housing finance company in such meeting in terms of Section 217(1) of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) within 15 days of such meeting as also a copy of the report and the notes on accounts furnished by its Auditors.

### **Auditor's Certificate**

38. Every housing finance company holding/accepting public deposits shall furnish to the National Housing Bank, along with the copy of the audited balance sheet as provided under paragraph 37, a copy of the auditor's report to the Board of Directors and a certificate from its auditors to the effect that the full amount of liabilities to the depositors of the company including interest payable thereon are properly reflected in

the balance sheet and that the company is in a position to meet the amount of such liabilities to the depositors.

### Returns to be submitted to the National Housing Bank

- **39.** (1) Without prejudice to the provisions of paragraph 37, every housing finance company shall submit to the National Housing Bank an annual return furnishing the information specified in Schedule I to these Directions with reference to its position as on 31st March every year, a half yearly return furnishing the information specified in Schedule II to these Directions with reference to its position as on 30th September and 31st March every year and a quarterly return furnishing the information specified in Schedule III with reference to its position as at the end of every calendar quarter.
- (2) (i) Every housing finance company shall, within one month from the commencement of business, deliver to the National Housing Bank, a written statement containing a list of -
  - (a) the names and official designations of its principal officers;
  - (b) the complete postal address, telephone number/s and fax number/s of the registered/ corporate office;
  - (c) the names and office addresses of the auditors of the company;
  - (d) the names and the residential addresses of the directors of the housing finance company; and
  - (e) the specimen signatures of the officers authorised to sign on behalf of the housing finance company, returns specified in sub-paragraph (1).
  - (ii) any change in the list referred to in clause(i) of this sub-paragraph shall be intimated to the National Housing Bank within one month from the occurrence of such change.

# Balance-sheet, returns, etc. to be submitted to the office of National Housing Bank at New Delhi

**40.** Any balance sheets, returns or information required to be submitted or furnished to the National Housing Bank in pursuance of these Directions shall be submitted of furnished to the office of National Housing Bank at New Delhi.

### Exemptions

41. The National Housing Bank may, if it considers it necessary for avoiding any hardship or for any other just and sufficient reason, grant extensions of time to comply with or exempt any housing finance company or class of housing finance companies, from all or any of the provisions of these Directions either generally or for any specified period subject to such conditions as the National Housing Bank may impose.

### Interpretations

**42.** For the purpose of giving effect to the provisions of these Directions, the National Housing Bank may, if it considers necessary, issue necessary clarifications in respect of any matter covered herein and the interpretation of any provision of these Directions given by the National Housing Bank shall be final and binding on all the parties concerned.

# Saving of action taken or that may be taken for contravention of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 1989

- **43.** It is hereby clarified that the supercession of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 1989, as amended from time to time, shall not in any way affect:
- (i) any right, obligation or liability acquired, accrued or incurred thereunder;
- (ii) any penalty, forfeiture, or punishment incurred in respect of any contravention committed thereunder;
- (iii) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid.

and any such investigation, legal proceedings or remedy may be instituted, continued, or enforced and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if those Directions had not been superceded.

(Shekhar Agarwal) (Chairman

SCHEDULE I
(See paragraph 39 of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001)

Annual Return as on March 31, \_\_\_\_\_

### (Read instructions carefully before filling the return)

To be filled by Nat	ional
Housing Bank (N	(HB)
File No.	
ID No.	
Nature of Business	
District Code	
State Code	

1. Name of the Company	
Income Tax PAN	
2. Full address of the	
(1) Registered Office:	
	PIN
Telephone F	
Telex	l'elegraphic address
	PIN
	Faxe-mail
·	Telegraphic address
3. Whether a Government Company:	Yes/No
4. State/Union Territory in which the company	
	i) Deemed Public Company
	v) Branch of a Foreign company [ ]
	DD MM YYYY
6. Date of (i) Incorporation	
(ii) Commencement of business	
(iii) Financial year of the company	
7. (i) Principal object of the company as m Memorandum of Association:	entioned in its
(ii) Principal business transacted by the comp year under reporting:	eany during the
(iii) Other business transacted by the company under reporting:	
8. Whether the company has applied for registra Housing Bank Act, 1987:	tion in terms of the National Yes/No
If yes, give the date of application and if already	registered,

		, <u>,</u>			
10. Total number of employees (i) Full ti	me :				
(ii) Part	time				
(iii) Hon	orary basis :				
11. Whether shares of the company are li exchanges	<del></del>		Yes/No		
If yes furnish the name/s of the stock ex		<u> </u>			
12. Whether the Half-yearly Return on p date of this return has been submitted to date of furnishing the return			Yes/No		
13. (a) Whether the company at the begins to which the return pertains, was holding fixed deposits?	_		Yes/No		
If yes, give the following details:	<del></del>				
(i) Name of the rating agency:		<del></del>			
(ii) Rating awarded by such agency:					
(iii) Date of such rating and its validity per	iod :				
(b) Whether the company during the financial year to which the return pertains obtained any credit rating/s for its fixed deposits?  If yes, give the following details					
(i) Name of the rating agency:					
(ii) Rating awarded by such agency.					
(iii) Date of such rating and its validit					
period					
(c) Whether during the financial year to w was any change in the credit rating/s ment	_		re Yes/No		
(c) Whether during the financial year to w was any change in the credit rating/s ment If yes, give the following details	_		re Yes/No		
(c) Whether during the financial year to w was any change in the credit rating/s ment If yes, give the following details  (i) Name of the rating agency:	_		re Yes/No		
(c) Whether during the financial year to w was any change in the credit rating/s ment If yes, give the following details (i) Name of the rating agency: (ii) Rating awarded by such agency:	ioned in (a) or (b) a		re Yes/No		
(c) Whether during the financial year to w was any change in the credit rating/s ment If yes, give the following details (i) Name of the rating agency: (ii) Rating awarded by such agency: (iii) Date of such rating and its validity per	ioned in (a) or (b) a		re Yes/No		
(c) Whether during the financial year to w was any change in the credit rating/s ment If yes, give the following details (i) Name of the rating agency: (ii) Rating awarded by such agency: (iii) Date of such rating and its validity per (iv) Reasons for variation in credit rating, it	ioned in (a) or (b) a		re Yes/No		
(c) Whether during the financial year to w was any change in the credit rating/s ment If yes, give the following details (i) Name of the rating agency: (ii) Rating awarded by such agency: (iii) Date of such rating and its validity per (iv) Reasons for variation in credit rating, if 14. Whether a holding company or; a subside	ioned in (a) or (b) a iod: f any:	above ?			
(c) Whether during the financial year to w was any change in the credit rating/s ment If yes, give the following details (i) Name of the rating agency: (ii) Rating awarded by such agency: (iii) Date of such rating and its validity per (iv) Reasons for variation in credit rating, if 14. Whether a holding company or a subsidity between the company is a joint venture.	ioned in (a) or (b) a	above ?	re Yes/No		
(c) Whether during the financial year to w was any change in the credit rating/s ment If yes, give the following details (i) Name of the rating agency: (ii) Rating awarded by such agency: (iii) Date of such rating and its validity per (iv) Reasons for variation in credit rating, if 14. Whether a holding company or a subsidity 15. Whether the company is a joint venture 16. Name/s and address/es of the company.	ioned in (a) or (b) a	above ?			
(c) Whether during the financial year to w was any change in the credit rating/s ment If yes, give the following details (i) Name of the rating agency: (ii) Rating awarded by such agency: (iii) Date of such rating and its validity per (iv) Reasons for variation in credit rating, if 14. Whether a holding company or a subside 15. Whether the company is a joint venture 16. Name/s and address/es of the company promoters/ promoting institutions and	ioned in (a) or (b) a	above ?			
(c) Whether during the financial year to w was any change in the credit rating/s ment If yes, give the following details (i) Name of the rating agency: (ii) Rating awarded by such agency: (iii) Date of such rating and its validity per (iv) Reasons for variation in credit rating, if 14. Whether a holding company or a subside 15. Whether the company is a joint venture 16. Name/s and address/es of the company promoters/ promoting institutions and the shareholding pattern	ioned in (a) or (b) a	above ?			
(c) Whether during the financial year to w was any change in the credit rating/s ment If yes, give the following details (i) Name of the rating agency: (ii) Rating awarded by such agency: (iii) Date of such rating and its validity per (iv) Reasons for variation in credit rating, if 14. Whether a holding company or a subside 15. Whether the company is a joint venture 16. Name/s and address/es of the company promoters/ promoting institutions and the shareholding pattern [Enclose separate sheet, if necessary]	ioned in (a) or (b) a	above ?			
(c) Whether during the financial year to w was any change in the credit rating/s ment If yes, give the following details (i) Name of the rating agency: (ii) Rating awarded by such agency: (iii) Date of such rating and its validity per (iv) Reasons for variation in credit rating, if 14. Whether a holding company or a subsidity 15. Whether the company is a joint venture 16. Name/s and address/es of the company promoters/ promoting institutions and the shareholding pattern [Enclose separate sheet, if necessary]	ioned in (a) or (b) a	above ?			

	Telephonel	Fax	-
	Membership No		_
18. Name/s and address/es	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
of the company's bankers	- 11.0.2		-
[Enclose separate sheet,			
if necessary]		····	<b>_</b>
19.Name/s and address/es			
of the present directors			j
[Enclose separate sheet,			
if necessary]	<u>-</u> .		-
20. Whether the company has a 29C of the National Housing Ba		terms of Section	Yes/No
If yes give the following details return pertains:	s of such reserve fund for	the financial yea	r to which the
(i) Amount outstanding at the	beginning of the year:		
(ii) Amount transferred to the f	und during the year :		
(iii) Whether any amount was year:	appropriated from the res	serve fund during	the Yes/No
If yes, (a) the amount appropria	ited		
(b) purpose of appropriat	ion		
(c) date of reporting the a	appropriation to NHB		
(iv) Amount outstanding as on	the date of this return		

<sup>\*</sup> If it is a place other than the Registered Office.

<sup>+</sup> Tick the box which is applicable.

 $<sup>\</sup>beta$  A list showing the names and addresses of the places where the branches/offices of the company are situated should be enclosed.

<sup>\$</sup> If it is a subsidiary, the name of the holding company may be indicated.

# PART - 1 (A) Particulars of Public Deposits Outstanding as on March 31, \_\_\_\_

(Amount in lakhs of rupees)

				s of rupees
ltem	PARTICULARS	Item	No. of	
No.		Cod	Accoun	Amount
		8	ts	
1	2	3	4	5
1.	Deposits from public in the form of fixed deposits, recurring deposits, etc.	111		
2.	(i) Deposits received by a public company from its shareholders	112		
	(ii) Deposits received by a private limited company from joint shareholders other than the first named shareholder	113		
3.	Money received by issue of non-convertible unsecured debentures (See instruction no. 13)	114	· · · · · · · · · · · · · · · · ·	
4.	Total (1+2+3)	110		
5.	Any other deposits not included in part 2 of the Schedule	120		
6.	Total (4+5)	130		<u> </u>
7.	Of the total deposits at item 6 above, those			<del>                                     </del>
	(i) Repayable on demand or on notice*	141		
	(ii) For a period less than 12 months.*	142		
	(iii) For a period of 12 months or more but less than 24 months.	143		
	(iv) For a period of 24 months or more but less than 48 months.	144		
	(v) For a period of 48 months or more but less than 60 months.	145		
	(vi) For a period of 60 months	146		
	(vii) For a period more than 60 months but less than 84 months	147		
	(viii) For a period of 84 months.	148		
•	(ix) For a period more than 84 months*	149		
- <u>83.</u>	Total [7(i) to (ix)] should tally with 6 above	140		
9.	Of the total deposits at item 6 above, those free of			
	interest and bearing interest (excluding brokerage,			
	if any)Φ			
1	(Rate of interest : percent per annum)			l
	(i) Free of interest	151		
	(ii) Below 6%	152		
	(iii) 6% or more but less than 9%	153		
	(iv) 9% or more but less than 11%	154		
	(v) 11% or more but less than 13%	155		
	(vi) 13% or more but less than 14%	156		
	(vii) At 14%	157		
	(viii) More than 14%*	158		

10.	Total [9(i) to (viii)] should tally with item 6 above	150		
11.	Break-up of deposits at item 6 above according to	1	T	
ŀ	the size of deposits			
	(i) upto Rs.5,000	161		
	(ii) Rs.5,001 to Rs.10,000	162		
ł	(iii) Rs.10,001 to Rs.25,000	163		
}	(iv) Rs.25,001 to Rs.50,000	164	Γ"	
	(v) Rs.50,001 to Rs.100,000	165	Ţ	
	(vi) Over Rs.100,000*	166		
12.	Total [11(i) to (vi)] should tally with item 6 above	160		
13.	Of the total deposits at item 6 above			
1	(i) those which have matured but not claimed	171	T	
	(ii)those which have matured and claimed but not	172		
	paid -		<u> </u>	
14.	Of the deposits of the type at item 4 above			
	(i) deposits outstanding at the beginning of the	181		
1	year			
	(ii)deposits accepted/renewed during the year	182		
ļ	(ili)deposits repaid during the year	183		
	(iv)deposits outstanding at the end of the year	184		
15.	Of the deposits of the type at item 5 above			
}	(i) deposits outstanding at the beginning of the	191		
1	year			
	(ii) deposits accepted/renewed during the year	192		
	(iii) deposits repaid during the year	193		
	(iv) deposits outstanding at the end of the year	194		
16.	Of the total deposits at item 6 above, deposits	195		
l	received from non-resident Indians		<u> </u>	

(B)
Particulars of Deposits Mobilised [Items 14 (ii) and 15 (ii) of Part - 1(A)] During the Reporting Period

(Amount in lakhs of rupees)

Item No.	PARTICULARS	Item Code	No. of Account s	Amount
1	2	3	4	5
1.	Of the total deposits at item no.14 (ii) of Part- 1(A), those (i) Repayable on demand or on notice*	111.1		
Ţ	(ii) For a period less than 12 months.*	112.1	T	
	(iii) For a period of 12 months or more but less than 24 months.	113.1		
	(iv) For a period of 24 months or more but less than 48 months.	114.1		
	(v) For a period of 48 months or more but less than 60 months.	115.1		
Ī	(vi) For a period of 60 months	116.1		· · · · ·
,	(vii) For a period more than 60 months but less than 84 months	117.1		

(ix) For a period more than 84 months*   119.1   2.   Total [f (i) to (ix)] should tally with 14 (ii) of   Part-1(A)   (i) Repayable on demand or on notice*   121.1   (ii) For a period less than 12 months.*   122.1   (iii) For a period of 12 months or more but less   123.1   than 24 months.   (iv) For a period of 24 months or more but less   124.1   than 84 months.   (vi) For a period of 24 months or more but less   124.1   than 60 months.   (vii) For a period of 60 months or more but less   125.1   than 60 months.   (vii) For a period of 60 months   126.1   (viii) For a period of 60 months   126.1   (viii) For a period of 64 months.   (viii) For a period of 64 months.   128.1   (ix) For a period of 64 months.   128.1   (ix) For a period of 64 months.   128.1   (ix) For a period more than 60 months but less   127.1   than 84 months   (viii) For a period of 84 months.   128.1   (ix) For a period of 84 months.   128.1   (ix) For a period of 64 months.   128.1   (ix) For a period more than 84 months*   129.1   120.1   (ix) For a period more than 84 months*   129.1   120.1   (ix) For a period more than 84 months*   129.1   120.1   (ix) For a period more than 84 months*   129.1   120.1   (ix) For a period more than 84 months*   129.1   120.1   (ix) For a period more than 84 months*   129.1   120.1   (ix) For a period more than 84 months*   129.1   120.1   (ix) For a period more than 84 months*   129.1   120.1   (ix) For a period more than 84 months*   129.1   120.1   (ix) For a period more than 84 months*   129.1   120.1   (ix) For a period more than 94   (ix) For a period more than 94   130.1   (ix) For more but less than 13%   130.1   (ix) For more but less than 14%   136.1   (ix) For a period more but less than 14%   136.1   (ix) For a period more but less than 14%   136.1   (ix) For a period more but less than 14%   136.1   (ix) For a period more but less than 14%   136.1   (ix) For a period more but less than 14%   144.1   (ix) For a period more but less than 14%   144.1   (ix) For a period more but less than					
2. Total [1 (i) to (ix)] should tally with 14 (ii) of Part-1(A)  3. Of the total deposits at item no. 15 (ii) of Part-1(A)  (i) Repayable on demand or on notice*  (ii) For a period less than 12 months.*  (iii) For a period of 12 months or more but less than 24 months.  (iv) For a period of 24 months or more but less than 48 months.  (v) For a period of 48 months or more but less than 48 months.  (vi) For a period of 60 months  (vii) For a period of 64 months.  (vii) For a period of 84 months.  (vii) For a period of 84 months.  (viii) For a period of rore than 84 months*  128.1  (vi) For a period of 84 months.  (vii) For a period of rore than 84 months*  129.1  5. Of the total deposits at item 14 (ii) of Part-1(A), those free of interest and bearing interest (excluding brokerage, if any) <sup>©</sup> (Rate of interest: % per annum)  (i) Free of Interest  (ii) Below 6%  (vi) 13% or more but less than 11%  (vii) An 14%  (viii) More than 14%*  130.1  (viii) An 14%  (viii) Should tally with 14 (ii) of Part-1(A), those free of interest and bearing interest (excluding brokerage, if any) <sup>©</sup> (Rate of interest: % per annum)  (i) Free of interest  (ii) Below 6%  142.1  (iii) Below 6%  142.1  (iii) Below 6%  143.1  (vi) 13% or more but less than 13%  144.1  (vi) 13% or more but less than 14%  (vi) 13% or more but less than 14%  (vi) 13% or more but less than 14%  (vii) An 14%  (vii) An 14%  (viii) More than 14%*  146.1  (viii) Mor		(viii) For a period of 84 months.	118.1		
3. Of the total deposits at item.no. 15 (ii) of Part -1(A)  (i) Repayable on demand or on notice* 121.1  (ii) For a period less than 12 months.* 122.1  (iii) For a period of 12 months or more but less than 24 months.  (iv) For a period of 24 months or more but less than 24 months.  (iv) For a period of 48 months or more but less than 48 months.  (vi) For a period of 48 months or more but less than 60 months.  (vii) For a period of 60 months 125.1  (viii) For a period of 60 months 126.1  (viii) For a period of 84 months 128.1  (iv) For a period more than 80 months but less 127.1  than 84 months  (viii) For a period of 84 months 128.1  (iv) For a period of 84 months 128.1  (iv) For a period of 84 months 128.1  (iv) For a period more than 84 months* 129.1  4. Total [3 (i) to (ix)] should tally with 15 (ii) of Part-1(A), those free of interest and bearing interest (excluding brokerage, if any) <sup>©</sup> (Rate of interest: % per annum)  (i) Free of Interest 131.1  (ii) Below 6% 132.1  (iii) 6% or more but less than 9% 133.1  (iv) 9% or more but less than 11% 134.1  (vi) 11% or more but less than 14% 136.1  (vii) All 14% 137.1  (viii) More than 14%* 138.1  (vi) Fore of interest and bearing interest (excluding brokerage, if any) <sup>©</sup> (Rate of interest: % per annum)  (i) Free of interest and bearing interest (excluding brokerage, if any) <sup>©</sup> (Rate of interest: % per annum)  (i) Free of interest and bearing interest (excluding brokerage, if any) <sup>©</sup> (Rate of interest: % per annum)  (ii) Fore of more but less than 11% 144.1  (vi) 10% or more but less than 11% 144.1  (vi) 10% or more but less than 11% 144.1  (vi) 10% or more but less than 11% 145.1  (vi) 10% or more but less than 14% 146.1  (vii) Below 6% 142.1  (viii) Grant more but less than 14% 146.1  (viii) Grant more but less than 14% 146.1  (viii) Grant more but less than 14% 146.1  (viii) Alt 14% 144.1  (viiii) For a period of 24 months and tally with 15 (iii) of					
(ii) Repayable on demand or on notice* 121.1 (iii) For a period less than 12 months.* 122.1 (iii) For a period of 12 months or more but less than 24 months. (iv) For a period of 24 months or more but less 123.1 than 24 months. (iv) For a period of 24 months or more but less 124.1 than 48 months. (iv) For a period of 48 months or more but less 125.1 than 60 months. (ivi) For a period of 60 months 126.1 (vii) For a period more than 60 months but less 127.1 than 84 months (viii) For a period of 84 months. (ix) For a period of 84 months. (ix) For a period more than 84 months* 128.1 (ix) For a period more than 84 months* 129.1  4. Total [3 (i) to (ix)] should tally with 15 (ii) of Part-1(A), those free of interest and bearing interest (excluding brokerage, if any) <sup>©</sup> (Rate of interest where of interest and bearing interest (excluding brokerage, if any) <sup>©</sup> (Rate of interest 131.1 (ii) Below 6% 132.1 (iii) 6% or more but less than 9% 133.1 (iv) 9% or more but less than 11% 134.1 (v) 11% or more but less than 13% 134.1 (v) 11% or more but less than 14% 136.1 (vii) At 14% 137.1 (viii) More than 14%* 138.1 6. Total [5 (i) to (viii)] should tally with 14 (ii) of Part-1(A), those free of interest and bearing interest (excluding brokerage, if any) <sup>©</sup> (Rate of interest 141.1 (ii) Below 6% 142.1 (iii) Below 6% 143.1 (iv) 9% or more but less than 15% 144.1 (vi) 13% or more but less than 11% 144.1 (vi) 19% or more but less than 14% 145.1 (vi) 19% or more but less than 14% 146.1 (vi) 19% or more but less than 14% 146.1 (vii) At 14% 14% 147.1 (viii) More than 14%* 148.1  8. Total [7 (i) to (viii)] should tally with 15 (ii) of Part-1(A), (b) Expenses reimbursed to brokers 152.1	2.		110.1	•	
(ii) For a period less than 12 months.* 122.1  (iii) For a period of 12 months or more but less than 24 months.  (iv) For a period of 24 months or more but less than 24 months.  (v) For a period of 24 months or more but less than 86 months.  (v) For a period of 48 months or more but less than 60 months.  (vi) For a period of 60 months 126.1  (vii) For a period of 60 months 127.1  than 84 months 128.1  (viii) For a period of 84 months. 128.1  (ix) For a period of 84 months. 128.1  (ix) For a period of 84 months. 129.1  4. Total [3 (i) to (ix)] should tally with 15 (ii) of Part-1(A), those free of interest and bearing interest (excluding brokerage, if any) <sup>©</sup> (Rate of interest: % per annum)  (i) Free of interest 133.1  (ii) Below 6% 133.1  (iv) 9% or more but less than 19% 134.1  (v) 11% or more but less than 13% 136.1  (vii) A14% 137.1  (viii) More than 14%  6. Total [5 (i) to (viii)] should tally with 14 (ii) of Part-1(A), those free of interest and bearing interest (excluding brokerage, if any) <sup>©</sup> (Rate of interest 138.1  6. Total [5 (i) to (viii)] should tally with 14 (ii) of Part-1(A), those free of interest and bearing interest (excluding brokerage, if any) <sup>©</sup> (Rate of interest 130.1  (vii) A16 (viii) More than 14%  (viii) G16 (i) to (viiii) should tally with 14 (ii) of Part-1(A), those free of interest and bearing interest (excluding brokerage, if any) <sup>©</sup> (Rate of interest 141.1  (ii) Below 6% 142.1  (iii) Below 6% 143.1  (iv) 9% or more but less than 13% 145.1  (vi) 13% or more but less than 13% 145.1  (vi) 13% or more but less than 14% 146.1  (vii) A1 tal% 147.1  (viii) A1 tal% 147.1  (viii) More than 14%* 146.1  (viii) More than 14%* 146.1  (viii) More than 14%* 148.1  8. Total [7 (i) to (viii)] should tally with 15 (ii) of Part-1(A). 140.1  (b) Expenses reimbursed to brokers 152.1	3.	Of the total deposits at item.no. 15 (ii) of Part -1(A)			
(ii) For a period less than 12 months.*  (iii) For a period of 12 months or more but less than 24 months.  (iv) For a period of 24 months or more but less than 88 months.  (v) For a period of 48 months or more but less than 60 months.  (vi) For a period of 60 months 126.1  (vii) For a period of 60 months 127.1  than 84 months.  (vii) For a period of 64 months but less than 84 months 129.1  (viii) For a period of 84 months. 128.1  (ix) For a period of 84 months. 128.1  (ix) For a period of 84 months. 129.1  4. Total [3 (i) to (ix)] should tally with 15 (ii) of Part-1(A), those free of interest and bearing interest (excluding brokerage, if any) <sup>©</sup> (Rate of interest: % per annum)  (i) Free of interest 113.1  (ii) Below 6% 133.1  (iv) 9% or more but less than 19% 134.1  (v) 11% or more but less than 11% 136.1  (vii) At 14% 137.1  (viii) More than 14% 137.1  (viii) More than 14% 138.1  6. Total [5 (i) to (viii)] should tally with 14 (ii) of Part-1(A), those free of interest and bearing interest (excluding brokerage, if any) <sup>©</sup> (Rate of interest 138.1  6. Total [5 (i) to (viii)] should tally with 14 (ii) of Part-1(A), those free of interest and bearing interest (excluding brokerage, if any) <sup>©</sup> (Rate of interest 130.1  (vi) 17 Free of interest 130.1  (vi) 18 or more but less than 13% 138.1  (ii) Below 6% 142.1  (iii) Below 6% 142.1  (iii) Below 6% 143.1  (vi) 13% or more but less than 15% 145.1  (vi) 13% or more but less than 14% 146.1  (vii) 13% or more but less than 14% 146.1  (vii) 144% 147.1  (viii) At 14% 147.1  (viii) More than 14% 148.1  8. Total [7 (i) to (viii)] should tally with 15 (ii) of Part-1(A).  (b) Expenses reimbursed to brokers 152.1		(i) Repayable on demand or on notice*	121.1		
(iii) For a period of 12 months or more but less than 24 months.  (iv) For a period of 24 months or more but less than 48 months.  (v) For a period of 48 months or more but less than 60 months.  (vi) For a period of 60 months  (vii) For a period of 60 months  (vii) For a period of 60 months  (viii) For a period of 64 months.  (viii) For a period more than 64 months*  128.1  (ix) For a period more than 84 months*  129.1  1. Total [3 (i) to (ix)] should tally with 15 (ii) of Part-1(A), those free of interest and bearing interest (excluding brokerage, if any) <sup>©</sup> (Rate of interest in the first of th			122.1		
(iv) For a period of 24 months or more but less than 48 months.  (v) For a period of 48 months or more but less than 60 months.  (vi) For a period of 60 months  (vii) For a period of 60 months but less than 84 months  (viii) For a period of 84 months.  (vii) For a period of 84 months.  (viii) For a period of 84 months.  (viii) For a period of 84 months.  (viii) For a period of 84 months.  128.1  (vii) For a period of 84 months.  129.1  4. Total [3 (i) to (ix)] should tally with 15 (ii) of Part-1(A), those free of interest and bearing interest (excluding brokerage, if any) <sup>©</sup> (Rate of interest:  % per annum)  (i) Free of interest  (ii) Below 6%  132.1  (iii) 6% or more but less than 9%  133.1  (vi) 13% or more but less than 13%  (vi) 13% or more but less than 13%  (vii) At 14%  (viii) More than 14%*  136.1  (viii) At 14%  (viii) At 14%  (viii) Below 6%  142.1  (viii) Below 6%  (viii) Free of interest and bearing interest (excluding brokerage, if any) <sup>©</sup> (Rate of interest:  % per annum)  (i) Free of interest and bearing interest (excluding brokerage, if any) <sup>©</sup> (Rate of interest:  % per annum)  (i) Free of interest and bearing interest (excluding brokerage, if any) <sup>©</sup> (Rate of interest:  % per annum)  (ii) For or more but less than 13%  (iv) 9% or more but less than 14%  (viii) At 14%  (viii) At 14%  (viii) At 14%  (viii) At 14%  (viii) More than 14%*  8. Total [7 (i) to (viii)] should tally with 15 (ii) of Part-1(A)  (b) Expenses reimbursed to brokers  152.1		(iii) For a period of 12 months or more but less	123.1		
(v) For a period of 48 months or more but less than 60 months.  (vi) For a period of 60 months  (vii) For a period of 60 months but less than 84 months  (viii) For a period more than 60 months but less than 84 months  (viii) For a period of 84 months.  (ix) For a period of 84 months.  128.1  (ix) For a period of 84 months.  129.1  120.1  1(A)  5. Of the total deposits at item 14 (ii) of Part-1(A), those free of interest and bearing interest (excluding brokerage, if any) <sup>©</sup> (Rate of interest: % per annum)  (i) Free of interest  (ii) Below 6%  132.1  (iii) 6% or more but less than 9%  (iv) 9% or more but less than 11%  (vi) 13% or more but less than 13%  (vi) 13% or more but less than 14%  (vii) More than 14%*  138.1  6. Total [5 (i) to (viii)] should tally with 14 (ii) of Part-1(A), those free of interest and bearing interest (excluding brokerage, if any) <sup>©</sup> (Rate of interest: % per annum)  (i) Free of interest  (ii) Below 6%  (iii) 6% or more but less than 9%  (iv) 9% or more but less than 9%  (iv) 13% or more but less than 11%  (vi) 13% or more but less than 14%  (vii) At 14%  (vii) At 14%  (viii) More than 14%*  148.1  8. Total [7 (i) to (viii)] should tally with 15 (ii) of Part-1(A)  (viii) More than 14%*  140.1			124.1		
(vii) For a period of 60 months (viii) For a period more than 60 months but less than 84 months (viii) For a period more than 60 months but less (viii) For a period more than 84 months (viii) For a period more than 84 months*  128.1 (ix) For a period more than 84 months* 129.1  4. Total [3 (i) to (ix)] should tally with 15 (ii) of Part-1(A), those free of interest and bearing interest (excluding brokerage, if any) <sup>©</sup> (Rate of interest: % per annum) (i) Free of interest (ii) Below 6% (iii) 6% or more but less than 9% (iii) 6% or more but less than 11% (iv) 9% or more but less than 13% (iv) 13% or more but less than 14% (vi) 13% or more but less than 14% (vii) More than 14%* 136.1 (vii) More than 14%* 137.1 (viii) More than 14%* 138.1  6. Total [5 (i) to (viii)] should tally with 14 (ii) of 130.1 Part-1(A)  7. Of the total deposits at item 15 (ii) of Part-1(A), those free of interest and bearing interest (excluding brokerage, if any) <sup>©</sup> (Rate of interest: % per annum) (i) Free of interest (iii) 6% or more but less than 19% (iv) 9% or more but less than 19% (iv) 9% or more but less than 19% (iv) 9% or more but less than 19% (iv) 11% or more but less than 14% (iv) 11% or more but less than 14% (viii) 6% or more but less than 14% (viii) 6% or more but less than 14% (viii) At 14% (viii) More than 14%*  8. Total [7 (i) to (viii)] should tally with 15 (ii) of Part-1(A), 140.1 (viii) More than 14%*  8. Total [7 (i) to (viii)] should tally with 15 (ii) of Part-1(A), 140.1 (viii) More than 14%*  8. Total [7 (i) to (viiii)] should tally with 15 (ii) of Part-1(A), 140.1 (viii) More than 14%*		(v) For a period of 48 months or more but less	125.1		
(vii) For a period more than 60 months but less than 84 months (viii) For a period of 84 months. (ix) For a period more than 84 months*  128.1  (ix) For a period more than 84 months*  129.1  4. Total [3 (i) to (ix)] should tally with 15 (ii) of Part-1(A).  5. Of the total deposits at item 14 (ii) of Part-1(A), those free of interest and bearing interest (excluding brokerage, if any) <sup>©</sup> (Rate of interest: % per annum) (i) Free of Interest (ii) Below 6% (iii) 6% or more but less than 9% (iv) 9% or more but less than 11% (iv) 11% or more but less than 13% (iv) 13% or more but less than 14% (vii) At 14% (viii) More than 14%*  130.1  7. Of the total deposits at item 15 (ii) of Part-1(A), those free of interest and bearing interest (excluding brokerage, if any) <sup>©</sup> (Rate of interest: % per annum) (i) Free of interest (ii) Below 6% (iii) 6% or more but less than 19% (vi) 13% or more but less than 144 (ii) of Part-1(A), those free of interest and bearing interest (excluding brokerage, if any) <sup>©</sup> (Rate of interest: % per annum) (i) Free of interest (iii) Below 6% (iv) 9% or more but less than 11% (vi) 11% or more but less than 13% (vi) 9% or more but less than 14% (vi) 15% or more but less than 14% (vi) 16, 144% (viii) More than 14%*  8. Total [7 (i) to (viii)] should tally with 15 (ii) of Part-1(A) (b) Expenses reimbursed to brokers		<u></u>	126 1		<del></del> -
(ix) For a period more than 84 months* 129.1  1 Total [3 (i) to (ix)] should tally with 15 (ii) of Part-1(A). 1(A)  5. Of the total deposits at item 14 (ii) of Part-1(A), those free of interest and bearing interest (excluding brokerage, if any) <sup>©</sup> (Rate of interest: % per annum)  (i) Free of interest 133.1  (ii) Below 6% 132.1  (iii) 6% or more but less than 9% 133.1  (iv) 9% or more but less than 11% 134.1  (v) 11% or more but less than 13% 135.1  (vii) At 14% 137.1  7. Of the total deposits at item 15 (ii) of Part-1(A), those free of interest and bearing interest (excluding brokerage, if any) <sup>©</sup> (Rate of interest: % per annum)  (i) Free of interest 141.1  (ii) Below 6% 142.1  (iii) 6% or more but less than 11% 133.1  (viii) More than 14%* 136.1  (vi) 9% or more but less than 11% 144.1  (vi) 13% or more but less than 11% 144.1  (vi) 13% or more but less than 11% 144.1  (vi) 13% or more but less than 14% 146.1  (vii) 3% or more but less than 14% 146.1  (vii) 13% or more but less than 14% 146.1  (viii) More than 14%* 148.1  8. Total [7 (i) to (viii)] should tally with 15 (ii) of Part-1(A). 160.1  (a) Amount of brokerage paid 151.1  (b) Expenses reimbursed to brokers 152.1		(vii) For a period more than 60 months but less			
(ix) For a period more than 84 months* 129.1  1. Total [3 (i) to (ix)] should tally with 15 (ii) of Part-1(A). 1(A)  5. Of the total deposits at item 14 (ii) of Part-1(A), those free of interest and bearing interest (excluding brokerage, if any) <sup>©</sup> (Rate of interest: % per annum)  (i) Free of interest 133.1  (ii) Below 6% 132.1  (iii) 6% or more but less than 9% 133.1  (iv) 9% or more but less than 11% 134.1  (v) 11% or more but less than 13% 135.1  (vii) At 14% 137.1  7. Of the total deposits at item 15 (ii) of Part-1(A), those free of interest and bearing interest (excluding brokerage, if any) <sup>©</sup> (Rate of interest: % per annum)  (i) Free of interest 141.1  (ii) Below 6% 142.1  (iii) 6% or more but less than 11% 144.1  (v) 11% or more but less than 11% 144.1  (vi) 13% or more but less than 11% 144.1  (vi) 13% or more but less than 11% 144.1  (vi) 13% or more but less than 14% 146.1  (vi) 13% or more but less than 14% 146.1  (vi) 13% or more but less than 14% 145.1  (vi) 13% or more but less than 14% 146.1  (vii) At 14% 147.1  (viii) More than 14%* 148.1  8. Total [7 (i) to (viii)] should tally with 15 (ii) of Part-1(A). 160.1  (a) Amount of brokerage paid 151.1  (b) Expenses reimbursed to brokers 152.1	,	(viii) For a period of 84 months.	128.1		
4. Total [3 (i) to (ix)] should tally with 15 (ii) of Part-1(A)  5. Of the total deposits at item 14 (ii) of Part-1(A), those free of interest and bearing interest (excluding brokerage, if any) <sup>⊕</sup> (Rate of interest: % per annum)  (i) Free of interest (iii) Below 6% (iii) 6% or more but less than 9% (iv) 9% or more but less than 11% (v) 11% or more but less than 13% (vi) 3% or more but less than 14% (vii) More than 14%*  6. Total [5 (i) to (viii)] should tally with 14 (ii) of Part-1(A), those free of interest and bearing interest (excluding brokerage, if any) <sup>⊕</sup> (Rate of interest: % per annum)  (i) Free of interest (ii) Below 6% (iii) 6% or more but less than 13% (iv) 9% or more but less than 14% (vi) 11% or more but less than 9% (iv) 9% or more but less than 11% (v) 11% or more but less than 14% (vi) 13% or more but less than 14% (vi) 13% or more but less than 14% (vi) 13% or more but less than 14% (vii) At 14% (viii) More than 14%*  8. Total [7 (i) to (viii)] should tally with 15 (ii) of Part-1(A)  15.1 (a) Amount of brokerage paid (b) Expenses reimbursed to brokers					
5. Of the total deposits at item 14 (ii) of Part-1(A), those free of interest and bearing interest (excluding brokerage, if any) <sup>⊕</sup> (Rate of interest: % per annum)  (i) Free of interest (iii) Below 6% (iii) 6% or more but less than 9% (iv) 9% or more but less than 11% (v) 11% or more but less than 13% (vi) 13% or more but less than 14% (viii) At 14% (viii) More than 14%*  5. Total [5 (i) to (viiii)] should tally with 14 (ii) of Part-1(A), those free of interest and bearing interest (excluding brokerage, if any) <sup>⊕</sup> (Rate of interest: % per annum) (i) Free of interest (ii) Below 6% (iii) 6% or more but less than 13% (vi) 13% or more but less than 14% (vii) 13% or more but less than 14% (viii) More than 14%*  8. Total [7 (i) to (viii)] should tally with 15 (ii) of Part-1(A). 150.1	4.	Total [3 (i) to (ix)] should tally with 15 (ii) of Part-	120.1		
(i) Free of interest (ii) Below 6% (iii) 6% or more but less than 9% (iv) 9% or more but less than 11% (v) 11% or more but less than 13% (vi) 13% or more but less than 14% (viii) More than 14%* (viiii) More than 14%*  6. Total [5 (i) to (viii)] should tally with 14 (ii) of Part-1(A), those free of interest and bearing interest (excluding brokerage, if any) (Rate of interest: % per annum) (i) Free of interest (ii) Below 6% (iii) 6% or more but less than 13% (iv) 9% or more but less than 11% (vi) 11% or more but less than 11% (vi) 11% or more but less than 13% (vi) 13% or more but less than 13% (vii) 13% or more but less than 14% (viii) More than 14%*  8. Total [7 (i) to (viii)] should tally with 15 (ii) of Part-1(A)  140.1  9. (a) Amount of brokerage paid (b) Expenses reimbursed to brokers	5.	Of the total deposits at item 14 (ii) of Part-1(A), those free of interest and bearing interest (excluding brokerage, if any) <sup>©</sup> (Rate of interest:			
(ii) Below 6% (iii) 6% or more but less than 9% (iv) 9% or more but less than 11% (v) 11% or more but less than 13% (vi) 13% or more but less than 13% (vii) At 14% (viii) More than 14%* 138.1  6. Total [5 (i) to (viii)] should tally with 14 (ii) of Part-1(A), those free of interest and bearing interest (excluding brokerage, if any) (i) Free of interest (ii) Below 6% (iii) 6% or more but less than 19% (iv) 9% or more but less than 11% (v) 11% or more but less than 11% (v) 11% or more but less than 13% (vii) At 14% (viii) At 14% (viii) More than 14%* 148.1  8. Total [7 (i) to (viii)] should tally with 15 (ii) of Part-1(A), those free of interest than 14% (viii) At 14% (viii) More than 14%* 148.1  8. Total [7 (i) to (viii)] should tally with 15 (ii) of Part-1(A).  151.1 (b) Expenses reimbursed to brokers			121 1		<del></del>
(iii) 6% or more but less than 9% 133.1 (iv) 9% or more but less than 11% 134.1 (v) 11% or more but less than 13% 135.1 (vi) 13% or more but less than 14% 136.1 (vii) At 14% 137.1 (viii) More than 14%* 138.1  6. Total [5 (i) to (viii)] should tally with 14 (ii) of Part-1(A), those free of interest and bearing interest (excluding brokerage, if any) <sup>Φ</sup> (Rate of interest: % per annum) (i) Free of interest 141.1 (ii) Below 6% 142.1 (iii) 6% or more but less than 19% 143.1 (iv) 9% or more but less than 11% 144.1 (v) 11% or more but less than 13% 145.1 (vi) 13% or more but less than 14% 146.1 (vii) At 14% 147.1 (viii) More than 14%* 148.1  8. Total [7 (i) to (viii)] should tally with 15 (ii) of Part-1(A). 16) Expenses reimbursed to brokers 152.1					<del>  -                                   </del>
(iv) 9% or more but less than 11%				<del></del>	
(v) 11% or more but less than 13%					
(vi) 13% or more but less than 14%  (vii) At 14%  (viii) More than 14%*  138.1  6. Total [5 (i) to (viii)] should tally with 14 (ii) of Part-1(A)  7. Of the total deposits at item 15 (ii) of Part-1(A), those free of interest and bearing interest (excluding brokerage, if any) <sup>Φ</sup> (Rate of interest: % per annum)  (i) Free of interest  (ii) Below 6%  (iii) 6% or more but less than 9%  (iv) 9% or more but less than 11%  (v) 11% or more but less than 13%  (vi) 13% or more but less than 14%  (vii) At 14%  (viii) More than 14%*  8. Total [7 (i) to (viii)] should tally with 15 (ii) of Part-1(A)  1(A)  9. (a) Amount of brokerage paid (b) Expenses reimbursed to brokers		<u> </u>			
(vii) At 14% (viii) More than 14%*  6. Total [5 (i) to (viii)] should tally with 14 (ii) of Part-1(A)  7. Of the total deposits at item 15 (ii) of Part-1(A), those free of interest and bearing interest (excluding brokerage, if any) <sup>Φ</sup> (Rate of interest: % per annum)  (i) Free of interest (ii) Below 6% (iii) 6% or more but less than 9% (iv) 9% or more but less than 11% (iv) 9% or more but less than 13% (iv) 13% or more but less than 14% (vi) 13% or more but less than 14% (viii) At 14% (viii) More than 14%*  8. Total [7 (i) to (viii)] should tally with 15 (ii) of Part-1(A)  9. (a) Amount of brokerage paid (b) Expenses reimbursed to brokers  130.1  140.1  141.1  144.1  147.1  148.1					
(viii) More than 14%*  6. Total [5 (i) to (viii)] should tally with 14 (ii) of Part-1(A)  7. Of the total deposits at item 15 (ii) of Part-1(A), those free of interest and bearing interest (excluding brokerage, if any) <sup>©</sup> (Rate of interest: % per annum)  (i) Free of interest  (ii) Below 6%  (iii) 6% or more but less than 9%  (iv) 9% or more but less than 11%  (iv) 9% or more but less than 11%  (v) 11% or more but less than 13%  (vi) 13% or more but less than 14%  (vii) At 14%  (viii) More than 14%*  8. Total [7 (i) to (viii)] should tally with 15 (ii) of Part-1(A)  9. (a) Amount of brokerage paid (b) Expenses reimbursed to brokers  138.1  138.1  138.1  140.1					
6. Total [5 (i) to (viii)] should tally with 14 (ii) of Part-1(A)  7. Of the total deposits at item 15 (ii) of Part-1(A), those free of interest and bearing interest (excluding brokerage, if any) <sup>Φ</sup> (Rate of interest: % per annum)  (i) Free of interest  (ii) Below 6%  (iii) 6% or more but less than 9%  (iv) 9% or more but less than 11%  (v) 11% or more but less than 13%  (vi) 13% or more but less than 14%  (vii) At 14%  (viii) More than 14%*  8. Total [7 (i) to (viii)] should tally with 15 (ii) of Part-1(A)  9. (a) Amount of brokerage paid (b) Expenses reimbursed to brokers  130.1  141.1  141.1  141.1  142.1  143.1  144.1  145.1  146.1  147.1  148.1		· · ·			<del> </del>
7. Of the total deposits at item 15 (ii) of Part-1(A), those free of interest and bearing interest (excluding brokerage, if any) <sup>Φ</sup> (Rate of interest: % per annum)  (i) Free of interest (ii) Below 6% (iii) 6% or more but less than 9% (iv) 9% or more but less than 11% (iv) 9% or more but less than 11% (v) 11% or more but less than 13% (vi) 13% or more but less than 14% (vii) At 14% (viii) More than 14%*  8. Total [7 (i) to (viii)] should tally with 15 (ii) of Part-1(A)  9. (a) Amount of brokerage paid (b) Expenses reimbursed to brokers  151.1	6.	Total [5 (i) to (viii)] should tally with 14 (ii) of			
% per annum)       (i) Free of interest       141.1         (ii) Below 6%       142.1         (iii) 6% or more but less than 9%       143.1         (iv) 9% or more but less than 11%       144.1         (v) 11% or more but less than 13%       145.1         (vi) 13% or more but less than 14%       146.1         (vii) At 14%       147.1         (viii) More than 14%*       148.1         8. Total [7 (i) to (viii)] should tally with 15 (ii) of Part-1(A)       140.1         9. (a) Amount of brokerage paid       151.1         (b) Expenses reimbursed to brokers       152.1	7.	Of the total deposits at item 15 (ii) of Part-1(A), those free of interest and bearing interest			
(i) Free of interest       141.1         (ii) Below 6%       142.1         (iii) 6% or more but less than 9%       143.1         (iv) 9% or more but less than 11%       144.1         (v) 11% or more but less than 13%       145.1         (vi) 13% or more but less than 14%       146.1         (vii) At 14%       147.1         (viii) More than 14%*       148.1         8. Total [7 (i) to (viii)] should tally with 15 (ii) of Part-1(A)       140.1         9. (a) Amount of brokerage paid       151.1         (b) Expenses reimbursed to brokers       152.1					
(ii) Below 6% (iii) 6% or more but less than 9% (iv) 9% or more but less than 11% (v) 11% or more but less than 13% (vi) 13% or more but less than 14% (vii) At 14% (viii) More than 14%*  8. Total [7 (i) to (viii)] should tally with 15 (ii) of Part-1(A)  9. (a) Amount of brokerage paid (b) Expenses reimbursed to brokers			141.1	_	
(iii) 6% or more but less than 9%  (iv) 9% or more but less than 11%  (v) 11% or more but less than 13%  (vi) 13% or more but less than 14%  (vii) At 14%  (viii) More than 14%*  8. Total [7 (i) to (viii)] should tally with 15 (ii) of Part-1(A)  9. (a) Amount of brokerage paid (b) Expenses reimbursed to brokers  143.1  144.1  146.1  147.1  (viii) More than 14%*  148.1  151.1		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			
(iv) 9% or more but less than 11% (v) 11% or more but less than 13% (vi) 13% or more but less than 14% (vii) At 14% (viii) More than 14%*  8. Total [7 (i) to (viii)] should tally with 15 (ii) of Part-1(A)  9. (a) Amount of brokerage paid (b) Expenses reimbursed to brokers  144.1  146.1  147.1  140.1  151.1					
(v) 11% or more but less than 13%       145.1         (vi) 13% or more but less than 14%       146.1         (vii) At 14%       147.1         (viii) More than 14%*       148.1         8. Total [7 (i) to (viii)] should tally with 15 (ii) of Part-1(A)       140.1         9. (a) Amount of brokerage paid (b) Expenses reimbursed to brokers       151.1					<u> </u>
(vi) 13% or more but less than 14%       146.1         (vii) At 14%       147.1         (viii) More than 14%*       148.1         8. Total [7 (i) to (viii)] should tally with 15 (ii) of Part-1(A)       140.1         9. (a) Amount of brokerage paid (b) Expenses reimbursed to brokers       151.1					
(vii) At 14%       147.1         (viii) More than 14%*       148.1         8. Total [7 (i) to (viii)] should tally with 15 (ii) of Part-140.1       140.1         1(A)       151.1         (b) Expenses reimbursed to brokers       152.1					<del></del>
(viii) More than 14%*  8. Total [7 (i) to (viii)] should tally with 15 (ii) of Part- 1(A)  9. (a) Amount of brokerage paid (b) Expenses reimbursed to brokers  148.1  140.1  151.1  152.1					
8. Total [7 (i) to (viii)] should tally with 15 (ii) of Part- 1(A)  9. (a) Amount of brokerage paid (b) Expenses reimbursed to brokers  151.1 152.1					
9. (a) Amount of brokerage paid 151.1 (b) Expenses reimbursed to brokers 152.1	8.	Total [7 (i) to (viii)] should tally with 15 (ii) of Part-			
(b) Expenses reimbursed to brokers 152.1	<u>-</u>	1 /	151 1		
(	IJ.	<u> </u>			
(c) Amount of deposits mobilised by payment of 153.1			153.1		

	_	 			
		 	 T		
hroker	ace .			E .	
Drokera					

A statement showing the rates of interest offered as also the rates of brokerage paid on different types of deposits according to their periods i.e. exceeding 12 months, 24 months, 36 months etc. should also be submitted along with this part of the return. Details should be furnished separately.

PART - 2
Particulars of Borrowings and of Deposits not Included in Public Deposits as on March 31, \_\_\_\_\_

(Amount in lakhs of

				rupees)
Item No.	PARTICULARS	Item Code	No. of Account	Amount
1	2	3	4	5
1.	Money received from the Central or State Government(s) or money received from others, the repayment of which is guaranteed by the Central or State Government (s) or money received from a local authority.	221		
2.	Money received from -			
	(a) Foreign Government	222		
	(b) Foreign Authority	223	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	(c) Foreign Citizen or person	224		
	Total [(a)+(b)+(c)]	225		
3.	Borrowings from National Housing Bank	226		
4	Borrowings from -			
	(a) banks	227	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	<u> </u>
	(b) where meanicial institutions approximate the three provides	228		
Б.	Money received from any other company	229		
6.	Money received from directors/relatives of directors	230		
7.	Money received by a private company from its shareholders (in case of joint shareholders, money received from the first named shareholder only to be included)	231		
8.	Money received from employees of the company by way of security deposit.	232		
9.	Money received by way of security or advance from purchasing, selling or other agents in the course of company's business or advance received against orders for supply of goods or properties or for rendering of services.	233		
10.	Money received by issue of debentures secured by mortgage of immovable properties or convertible debentures  Of the above, debentures subscribed by banks [see also item No.(3) of Part -1(A)]	234 235	-	
11.	Money received by way of subscription to any shares or secured debentures pending allotment or			

	money received by way of calls in advance on shares in accordance with the Articles of Association of the company so long as such amount is not repayable to the shareholders under the Articles of Association of the company.	236
12.	Money brought in by promoters by way of unsecured loans in pursuance of stipulations of lending institutions	237
13.	Commercial Papers	238
14.	Money received from a mutual fund	239
15.	Money received as hybrid debt or subordinated debt having maturity period of sixty months or above	240
16.	Total (221+225 to 234+236 to 240 )	250

PART - 3
Statement Showing the "Net Owned Funds" As On March 31,\_\_\_\_\_

(Amount in lakhs of rupees)

Item No.	PARTICULARS	Item Code	Amoun
1	2	3	4
1.	Paid-up Equity Capital	311	
2.	Preference shares which are compulsorily convertible into equity	312	
3.	Free reserves		Ţ <del>_</del>
	(a) General Reserves	313	
	(b) Share premium	314	
	(c) Capital Reserves (representing surplus on sale of assets held in separate account)	315	
	(d) Debenture redemption reserve	316	
	(e) Capital redemption reserve	317	
	(f) Credit balance in P & L account	318	
	(g) Reserves under Section 36 (1) (viii) of Income Tax Act, 1961	319	
	(h) Other free reserves (to be specified)	319.1	
4.	Total (311 to 319.1)	310	
5.	Accumulated balance of loss	321	
6.	Deferred revenue expenditure	322	
7. ·	Other intangible assets	323	
8.	Total (321 to 323)	320	
9.	Owned Funds (310-320)	330	
10.	Book value of investment in shares of :		
-	(a) Subsidiaries	341	
	(b) Companies in the same group	342	
	(c) Other housing finance institutions which are companies. (Details to be furnished in separate Annexure)	343	
11	Book value of investments in debentures and bonds of :		
	(a) Subsidiaries	344	
	(b) Companies in the same group	345	

12.	Outstanding loans and advances (including hire purchase and lease finance) to and deposits with		
	(a) Subsidiaries	346	- 1
	(b) Companies in the same group (Details to be furnished in separate Annexure)	347	
13.	Total (341 to 347)	340	
14.	Amount of item 340 in excess of 10% of item 330 above	350	
15.	Net owned funds (330 - 350)	300	

PART - 4
Statement showing outstanding loans and advances including inter-corporate loans/deposits as on March 31,\_\_\_\_\_

Item No.	PARTICULARS	Item Code	Amount
1	2	3	4
1.	Housing Loans		
(i)	Individuals	411	
(ii)	Corporate Bodies		1
	(a) Companies in the same group	412	
	(b)Companies, firms and proprietary concerns where directors of the company hold substantial interest	413	
	(c) Other Corporate Bodies	414	<u> </u>
(iii)	Others (to be specified)	415	T
, .	Total housing loans [1 (i) to (iii)]	410	<u> </u>
2.	Other loans & advances	·	
(i)	Companies in the same group	421	
(II)	Companies not in the same group	422	
(iii)	Directors	423	
(iv)	Shareholders	424	
(v)	Chief Executive Officer and other employees	425	
(vi)	Purchasing, selling and other agents	426	
(vii)	Depositors	427	
(vili)	Others	428	
	Total [2 (i) to (viii)]	420	
	Grand Total (410 + 420)	430	1

PART - 4.1
Statement of Housing Loans to 'individuals' (Item Code 411 of Part-4)
(A)

							ב	udaiC	rsem	ents	(,	Amount in I	akhs of Rupees)
Category/size of housing loans (Rs.)	Item Code	Ur	ban	Ru	ırai	To	otal	6.00	Of W	hich to	tribe	Repaid during the year	Outstanding as on March 31,
								3G1.	CHAID	801	.0100	j	
		NO.	Amt	No.	Amt	No.	Amt	No.	Amt	No.	Amt	1	
1	2	3	4	5	6	7	. 8	9	10	11	12	13	14
For acquisition/ construction of new													

houses up to 50,000	451								
Above 50,000 and upto 100,000	452							· · · · · ·	
Above 100,000 and upto 300,000	453								
Above 300,000 and upto 500,000	454						pre		
Above 500,000 and upto 10,00,000	455								
Above 10,00,000	456	TT.							 -
Sub-total	450			1					<del></del>

(B)

Disbursements (Amount in takhs of Rupees)

								Rupe	<del>10</del> 8)				
Category/size of housing loans (Rs.)	Item Code	Uri	b <b>å</b> Π	Rural		T	otal		during		Repaid during the year	Outstanding as on March 31,	
	[			ſ		ĺ		<b>S</b> ch	caste	Sch	tribe	1 '	- 1
		No.	Amt	No.	Amt	.No	Amt	No.	Amt	No.	Amt		
1	2	3	4	5	8	7	-8	8	10	11	12	13	14
For upgradation Including major repairs													
Upto 20,000	461												
Above 20,000 and upto 30,000	462		_						<del></del>		-		
Above 30,000 and upto 50,000	463												
Above 50,000	484			-									
Sub-total	460			<u> </u>		-				_			<del></del>
Grand total (450+460)	470								<del> -</del>				

# PART - 4.2 Term Wise Break up of Housing Loans (Item Code 410 of Part - 4)

(Amount in lakhs of Rupess)

Term of the loan	Housing loan	s to individuals	Housing loans to corporate bod			
	No.	Amount	No.	Amount		
Upto 1 year				·.		
Above 1 year & upto 3 years						
Above 3 years & upto 5 years				<u> </u>		
Above 5 years & upto 7 years				<del></del>		
Above 7 years			1			

PART - 5
Statement Showing Investments at Book Value as on March 31, \_\_\_\_\_

(Amount in lakhs of

			rupees
item no.	PARTICULARS	Item Code	Amount
1	2	3	4
1.	Investment in shares of		
	(a) Subsidiaries	511	
	(b) Companies in the same group	512	1
*	(c) Other housing finance institutions which are companies	513	-
2.	Investment in debentures, bonds and commercial papers of		<u> </u>
	(a) Subsidiaries	514	
	(b) Companies in the same group	515	
3.	Investments in shares of and debenture/ bonds and commercial papers issued by companies and contribution to the capital of firms and proprietary concerns where directors of the company hold substantial interest. (Details to be furnished in separate Annexure)	516	
4.	Shares, debentures/bonds and commercial papers of other companies	517	
5.	Other Investments	-	
	(i) Fixed deposits with banks/certificates of deposits issued by banks	518	
	(ii) Deposits in any other deposit account with banks	519	
	(iii) Securities of central/state governments and bonds guaranteed by central/state governments	<b>52</b> 0	
	(iv) Units of Unit Trust of India	521	
	(v) Others (Please furnish a list showing book value and market value)	522	
6.	Total [511 to 522]	500	<u> </u>

### Certificate

\*Manager's/ Managing Director's/ Authorised Official's Certificate:

- 1. Certified that the directions contained in The Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 are being complied with.
- 2. Further certified that the particulars/information furnished in this return have been verified and found to be correct and complete in all respects.

Date : Place:	Signature of Manager/Managing Director/Authorised Official*
	Name: Designation:
*Strike	off whichever is not applicable.
`	Auditor's Report
We h	ave examined the books of account and other records maintained by
explan	that to the best of our knowledge and according to the information and lations given to us and shown by the records examined by us, the data furnished in turn are correct.
Place	<b>:</b>
Date :	Chartered Accountants
	Enclosures to the return
alread	bllowing documents should be submitted along with the return in case they have not y been sent. Please tick in the box against the item for the document enclosed and he date of submission if already submitted.
(1)	A copy of the audited balance sheet and profit and loss account dated nearest to the date of this return
(2)	Specimen signature card (Please see instruction no. 5)
(3)	A copy of the application form referred to in paragraph 6 of the
` '	Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001
(4)	A list of principal officers and the names and addresses of directors
(5)	Auditor's certificate as required in paragraph 38 of the Directions

### Instructions for Filling and Submission of the Return

### General

- 1. The return after compilation, should be submitted by a housing finance company once a year as early as possible after March 31 and latest by September 30 with reference to its position as on March 31 irrespective of the date of closing of the financial year of the company, to the Head office of the National Housing Bank, New Delhi as specified in paragraph 40 of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001. A certificate from the auditors of the company as required in terms of paragraph 38 of the Notification should be appended to the return.
- 2. The submission of the return should not be delayed for any reason such as the finalisation/completion of the audit of the annual accounts. The compilation of the return should be on the basis of the figures available in the books of accounts of the company.
- 3. The return wherever possible should be sent in a floppy diskette (floppy size 3.5, data structure Excel/dbase IV) together with a hard copy duly signed.
- 4. The number of accounts should be given in actual figures while the amounts should be given in lakhs of rupees rounded off to two decimal positions.
- 5. The return should be signed by the Manager(as defined in Section 2 of the Companies Act, 1956) and if there is no such Manager, by the Managing Director or any official of the company who has been duly authorised by the Board of Directors and whose specimen signature has been furnished to the National Housing Bank for the purpose. In case the specimen signature has not been furnished in the prescribed card, the return may be signed by the authorised official and his specimen signature may be furnished separately.
- 6. All particulars asked for in the Schedule should be filled up without leaving any part/item blank. In case there is nothing to report in any part/item of the return, it should be marked "Nil" and if any part/item is not relevant or applicable, it should be marked "NA".
- 7. The date to which the return pertains should invariably be filled up in the first page as well as in all the parts of the Schedule at the appropriate place.
- 8. "Subsidiaries" shall have the same meaning as assigned to it in the Companies Act, 1956 (1 of 1956).
- 9. A body corporate shall be deemed to be in the same group as the investing company if the body corporate is the managing agent of the investing company or if the body corporate and the investing company are under the same management.
- 10. "Substantial interest" means holding of a beneficial interest by an individual or his/ her spouse or minor child, whether singly or taken together, in the shares of a company, the amount paid up on which exceeds ten per cent of the paid up capital of the company or total capital subscribed by all the partners of a partnership firm.

### Part - 1(A)

- 11. If the company is a public company and a declaration as specified in instruction no.18 has not been obtained from its directors, such deposits should be shown against item 2.
- 12. The amount in respect of non-convertible portion of the debentures which are partly convertible and partly non-convertible, may be included under item 3 and the convertible portion may be shown against item 10 of Part 2.
- 13. Non-convertible unsecured debentures subscribed to by banks and institutions mentioned under clauses (iii) and (iv) of Section 45 I (bb) of the Reserve Bank of India Act, 1934 should not be included under item 3. Such amount should be included under item 4 of Part 2.
- 14. The period-wise classification of deposits should be made against the various heads under item 7 according to the periods for which they have been originally received/last renewed and not according to the periods they have run as from March 31 i.e. the date of return.
- 15. In item 11, the number of accounts and the amounts should be calculated in respect of each range of deposits.

- 16 Under item 13, if the aggregate amount of deposits not repaid exceeds Rs 5 lakhs, the reasons for non-payment of each deposit and the steps taken for repayment should be indicated in an Annexure
- 17 The amounts shown in Part-2 should not be included in this Part.

### Part - 2

- 18 Only money received from such persons on a declaration in writing that the money has not been given by such person/s out of funds acquired by him/them by borrowing or accepting deposits from another person should be shown against items 6 and 7
- 19 Money received from the shareholders of a private company deemed as a public company under section 43A of the Companies Act, 1956, should also be included under item 7 subject to the obtaining of declaration referred to in instruction no 18 above
- 20 The amounts already shown in Part -1(A) should not be included here

### Part -8

- 21 Figures relating to net owned funds should be as per the audited balance sheet pertaining to the date of return. In case auditing is not over, figures should relate to the books of accounts for the relevant period.
- 22 'Free reserves' shall include balance in share premium account, capital and debenture redemption reserves and any other reserves shown in the balance sheet and created through an allocation out of profits but not being (a) a reserve created for repayment of any future liability or for depreciation on assets or for bad debts, or (b) a reserve created by revaluation of assets of the company
- 23 Investment in shares includes investment in fully convertible depentures and/or convertible portion of partially convertible debentures. Investments held either in investment account or stock-in-trade should be included under item 10.
- 21 Debentures whether held in investment account or by way of stock-in-trade should be included under item 11 Non-convertible debentures, non-convertible portion of partially convertible debentures should also be included under this item
- 25 Credit balance in the profit and loss account should be adjusted by the actual provisions made for NPAs

### Part - 4

- 26 Sundry debtors, tax paid in advance and other recoverable items not in the nature of loans and advances should not be shown in this statement
- 27 Fixed deposits with other companies should be included under item 2(1) or 2(11) as the case may be and not in Part 5
- 28 Investment in unquoted debentures shall be treated as credit and not investment.

### <u> Part - 5</u>

- 29 Details of shares, debentures and commercial papers held in investment account or by way of stock in-trade should be included in this part
- 30 Fixed deposits with companies should not be included here but should be shown in Part-4
- 31 Investment in unquoted debentures shall be treated as credit and not investment and should not be included in Part-5

### SCHEDULE II

### [See paragraph 39(1) of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001] Half-Yearly Return as on March 31/September 30, \_\_\_\_

(To be submitted within two months from close of the half year)

Name of the HFC:	
Company code number	
Registration number	

PART-A Capital Funds-Tier-I [ Amount in rupees lakhs]

Item	PARTICULARS	Item	Amo
No.		Code	
1.	Paid-up Equity Capital	111	
2.	Preference shares which are compulsorily convertible		Ţ
	into equity	112	
3.	Free reserves		
	(a) General Reserves	113	
	(b) Share premium	114	
	(c) Capital Reserves (representing surplus on	115	
	sale of assets held in separate account)		
	(d) Debenture redemption reserve	116	
	(e) Capital redemption reserve	117	
	(f) Credit balance in P & L account	118	
	(g) Other free reserves (to be specified)	119	
4.	Total (111 to 119)	110	<u> </u>
5.	Accumulated balance of loss	121	
6.	Deferred revenue expenditure	122	
7	Other intangible assets	123	
8.	Total (121 to 123)	120	
9.	Owned Funds (110-120)	130	
10.	Book value of investment in shares of :		
	(a) Subsidiaries	141	ļ
	(b) Companies in the same group	142	
	(c) Other housing finance institutions which are	143	
	companies		
11.	Book value of investments in debentures and bonds of	444	
	(a) Subsidiaries	144	
40	(b) Companies in the same group	145	
12.	Outstanding loans and advances to and deposits with	1.40	
	(a) Subsidiaries	146 147	
13.	(b) Companies in the same group  Total (141 to 147)		
	Amount of item 140 in excess of 10% of item 130	140	-
14.		150	
1 <i>E</i>	above	150 151	
15.	Tier I Capital - Net owned funds (130 - 150)	151	

PART-B-Capital Funds-Tier- II [Amount rupees in lakhs]

 Item Name	Item Code	Amount
(1)	(2)	(3)

(i) Preference shares (other than those compulsorily convertible into equity)	161	
(ii) Revaluation Reserves	162	
(iii) General provisions and loss reserves	163	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
(iv) Hybrid capital instruments	164	*·· <del>* · · · · · · · · · · · · · · · · ·</del>
(v) Subordinated debt	165	
(vi) Aggregate Tier-II Capital	160	
Total Capital Funds (151+160)	170	<del></del>

PART C - Risk Assets & Off-Balance Sheet Items [Amount rupees in lakhs]

Items	Item code	Amount
(i) Adjusted value of funded risk assets, ie, on-balance sheet items (To tally with Part D)	181	
(ii) Adjusted value of non-funded and off-balance sheet items (To tally with Part E)	182	
(iii) Total risk weighted assets/exposures[total (i) + (ii)]	180	
(iv) Percentage of capital funds to risk weighted assets/exposures: (a) Tier-I capital	191	
(b) Tier-II capital	192	
(c) Total capital	193	

PART D - Weighted assets, I.e., on-balance sheet items [Amount rupees in lakhs]

Item description	Item code	Book Value	Risk wei- ght	Adjusted Value
Cash and bank balances including fixed deposits & certificate of deposits	210		0	
II. Investments				
(a) Approved securities as defined in the National Housing Bank Act, 1987	221		0	
(b) Bonds of public sector banks and FDs/CDs/bonds of public financial institutions				
(i) Amount deducted in item 14 in Part A	222		0	
(ii) Amount not deducted in item 14 in Part A	223		20	
(c) Unit Trust of India	224		20	
(d) Shares of all companies and debentures/bonds/ commercial papers of companies other than (b) above/units of mutual fund other than (c) above				
(i) Amount deducted In Item 14 in Part A	225		0	
(ii) Amount not deducted in item 14 in Part A	226		100	
III. Current assets (a) Stock on hire (see Note 2 below)				
(i) Amount deducted in item 14 in Part A	231		0	
(ii) Amount not deducted in item 14 in Part A	232		100	
(b) inter corporate loans /deposits				
(i) Amount deducted in Item 14 in Part A	233	, .	0	<del>γ.</del>
(ii) Amount not deducted in item 14 in Part A	234		100	<del></del>
(c) Loans and advances fully secured by company's own deposits	235	<del></del>	0	
(d) Loans to staff	236		0	,

(e) Housing loans to individuals backed by mortgage of immovable property, which are classified as standard assets and where loan to value ratio does not exceed 75%	237	75
(f) Other housing loans (including those to individuals but not qualifying under (e))	238	100
(g) Other loans & advances		
(i) Amount deducted in item 14 in Part A	241	0
(II) Amount not deducted in item 14 in Part A	242	100
(h) Bills purchased/discounted		
(i) Amount deducted in item 14 in Part A	243	0
(ii) Amount not deducted in item 14 in Part A	244	100
(i) Others (to be specified)	245	100
IV Fixed assets [net of depreciation]		
(a) Assets leased out		
(i) Amount deducted in item 14 in Part A	251	0
(ii) Amount not deducted in item 14 in Part A	252	100
(b) Premises	253	100
(c) Furniture & Fixtures	254	100
V Other assets		
(a) Income tax deducted at source (net of provisions)	255	0
(b) Advance tax paid (net of provisions)	256	0
(c) Interest due on Government securities	257	0
(d) Others(to be specified)	258	100
Total weighted assets	200	

### Notes

- 1 Netting may be done in respect of assets where provisions for depreciation or for bad and doubtful debts have been made
- 2 Stock on hire should be shown net of finance charges, i.e., interest and other charges recoverable
- 3 Assets which have been deducted (item code150) from owned fund to arrive at net owned fund will have a weightage of '0'.

PART - E - Weighted non-funded exposures/off-balance sheet Items Amount rupees in lakhs

Item description	Item code	Book value	conv- ersion factor	Equival ent	Risk weight	Adjusted value
Undisbursed amount of housing loans sanctioned	310		50		100	
2 Financial & other guarantees	320		100	<del>                                     </del>	100	<del></del>
3 Shares / debenture underwriting obligations	330	<del>                                     </del>	50		100	
4 Partly paid shares/debentures	340		100		100	

5 Bills discounted/rediscounted	350	100	100	
6 Lease contracts entered in to but yet to be executed	360	100	100	
7 Other contingent Habilities (to be specified)	370	50	100	
				<del></del>
Total non-funded exposures	300			

Note: Cash margin/deposits shall be deducted before applying the conversion factor where ever applicable.

PART- F - Asset classification [Amount rupees in lakhs]

Aggregate of credit exposures and provisioning in respect of them:

Item description	Item code	Amount	Provision required as per directions	Actual provision made
(i) Standard Assets	411			
(ii) Sub-standard assets				
Individual housing loans	412		·-·	'
Housing loans to corporate/agencies	413			
Lease and hire purchase assets	414		•	
Other credit facilities	415			
(助) 'Desititel Ascets				
Individual housing loans	416			
Housing loans to corporate/agencies	417			
Lease and hire purchase assets	418		•	
Other credit facilities				
(iv) Loss Assets	419			
Individual housing loans	420			
Housing loans to corporate/agencies	421			
Lease and hire purchase assets	422		,	
Other credit facilities	423		,	
Aggregate provisioning	400		•	
Other provisions in respect of:				
(i) Depreciation of fixed assets	451			
(li) Depreciation in investments	452			
(ili) Loss/intangible assets	453			<u> </u>
(iv) Provision for taxation -	454			
(v) Gratuity /provident fund	455			
(vi) Others ( to be specified)	456			
Total	450	+	<del></del>	

PART G - Particulars regarding investments in and advances to companies/firms in the same group and other HFCs.

Item description	Item code	Amount
(i) Book value of bonds and debentures and outstanding loans and advances to and deposits with subsidiaries and companies	510	

in the same group (Details to be enclosed in separate sheet)		
(II) Investment in shares of subsidiaries and companies in the same group and all HFCs (Details to be enclosed in separate sheet)	520	
(iii) Investment by way of shares, debentures, loans and advances, leasing, hire purchase finance, deposits etc, in other companies, firms and proprietary concerns where directors of HFC hold substantial interest.	530	

PART H - Particulars regarding concentration of advances including off-balance sheet exposures and investment to parties including those in Part G above

Item description	Item code	Amount
(i) Loans and advances including off-balance sheet exposures to any single party in excess of 15 percent of owned fund of the HFC (Details to be enclosed in separate sheet)	610	
(ii) Loans and advances including off-balance sheet exposures to a single group of partles in excess of 25 percent of owned fund of the HFC (Details to be enclosed in separate sheet)	620	
(iii) Investment in a single company in excess of 15 percent of the owned fund of the HFC (Details to be enclosed in separate sheet)	630	
(iv) Investments in the shares issued by a single group of companies in excess of 25 percent of the owned fund of the HFC	640	
(v) Loans, advances to (including debentures, bonds and off- balance sheet exposures) and investment in shares of a single party in excess of 25 percent of owned fund of the HFC	650	
(vI) Loans, advances to (including debentures, bonds and off- balance sheet exposures) and investment in a single party in excess of 40 percent of net owned fund of the HFC	660	

#### Notes:

- (1) All these exposure limits are applicable to the HFC's own group as well as to the borrower/investee company's group.
- (2) Investment in debentures for this purpose shall be treated as credit and not investment.

PART I - Particulars regarding investments in premises and unquoted shares

Item description	Item code	Amount
(i) Investments in premises (land & buildings), except for own use, held by the HFC in excess of 10 percent of the owned fund	1	
(a) Acquired by the HFC independently (b) Acquired in satisfaction of its debts	710 720	-
(ii) Investments in unquoted shares except those held in the subsidiaries and companies in the same group in excess of 10 percent of owned fund	730	

Deposits Instrument	Name agency	of	rating	Date of rating	Rating assign <del>e</del> d	Valid upto	Borrowing limit or conditions imposed by rating agehcy, if any
-				ļ			

Note: A copy of the rating should be furnished along with this return.

PART K - Particulars on sult filed and decreed debts by the HFC and against It

Item	Item code	Amount
(i) Loans, advances and other credit facilities for which the HFC has filed suits in any court of law for recovery of its dues including the decreed debts	8,10	,
Pending for over 5 years	811	{
Pending for 3 to 5 years	812	{
Pending for 1 to 3 years	813	}
Pending for less than 1 year	814	
(ii) Out of (I) above, the loans, advances and other credit facilities for which decree has been obtained by the HFC	820	
(iii) Recoveries made in suit filed/decreed debts (including amounts deposited in the court)	830	
(iv) Suit filed and decreed against the company	840	

### Certificate

#### Certified that

- (1) the data/information furnished in this statement are in accordance with the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001. The statement has been compiled from the books of account and other records of the company and to the best of my knowledge and belief they are correct;
- (2) the company has accepted public deposit and the quantum of such deposit is within the limits applicable to the company;
- (3) the company has not paid interest/brokerage on deposit beyond the ceiling prescribed under the Directions;
- (4) the company has not defaulted in repayment of matured deposit;
- (5) the credit rating for fixed deposits assigned by credit rating agency, viz at (rating level) is valid:
- (6) the capital adequacy disclosed in Part C of the return after taking into account the particulars contained in Parts, D, E and F has been correctly worked out;
- (7) classification of assets as disclosed in Part F of the return has been verified and found to be correct. No roll-over/re-phasement of loans, lease and hire purchase transactions and bills discounted beyond due dates has been observed. The substandard or doubtful or loss asset, if upgraded has been done so, in conformity with relevant provisions of the Directions;
- (8) investment in group companies as disclosed in Part G of the return and exposures to Individuals/firms/other companies exceeding the credit/investment concentration norms as disclosed in Part H of the half-yearly return and classification of such asset is correct;
- (9) net owned fund as per Tier-I capital of the company has been correctly worked out.

_		_	1		
$-\alpha$	and	$\Delta$ n	nan	ΩIT	Λī
, ,,	and	911	0011	QII.	Ο.

(name of the company):

Place: Date:

Q

Managing Director/
Chief Executive Officer

Office seal

### Auditor's Report

We	have	examined	the	books	of	accounts		and	othe	ì۲	recor	ds i	maintain	ed by
				Com	oany	Limited	in	resp	ect	of	the	capita	al fund	s, risk
		ures and risk											nts here	
made	by the	Managing Dir	ector/	Chief Exe	cutiv	e Officer of t	the	e com	pany (	or h	nis auth	norised	d represe	entative
Wer	eport tha	at to the best	of our	knowled	ge ar	nd according	g t	o the	inform	nati	on and	expla	nations	given ta
us ai	nd as sh	own by the re	ecord,	examined	by ι	is the figure	98	showi	ı in F	art	ts A, B	, C, D	, E, F, G	6, H, I, J
and l	K of the	statement he	reinab	осуе аге	corre	ct.								

For & on behalf of Chartered Accountants Membership No.\_\_\_\_\_Name of signatory:

Office Seal

Place:

Date

### SCHEDULE III

### Return on Statutory Liquid Assets for the Quarter ended March/June/September/December, 20,....

(See Section 29 B of the National Housing Bank Act, 1987 and paragraph 39(1) of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001)

1.	Name of the Company				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2.	Company Code			<del></del>	·
3.	Address of the Registered Office				
		PIN	<u> </u>	1	
	Phone Nos.	Fax No.		e-mail	address
4.	Address of the Corporate/ Head Office				
		PIN			
	Phone Nos.	Fax No.		e-mail	address
5.	Status of registration with NHB in terms of section 29A of the National Housing Bank Act, 1987:				
<del></del>	i) Number and date of Certificate of Registration if issued by NHB				
	ii) If not registered, indicate whether the application submitted for registration is rejected/ pending				

### Part A Details of Public Deposits and Maintenance of Liquid Assets

Details of Public Deposits outstanding as at the end of preceding second I. (Please see Note 1 quarter i.e. March/June/September/December 20 below):

(Rupees in lakhs)

		(Itapees III lakiis			
Sr.No.	Particulars	Item	Amount		
		Code			
1.	Deposits received from public in the form of	111			
	Fixed Deposits, Recurring Deposits etc.				
2.	(i) Deposits received from shareholders by a	112			
	Public Limited Company				
··	(ii) Deposits received from Joint shareholders	113			
	other than the first named shareholder by a	' ]			
	Private Limited Company.				
3.	(i) Money received by issue of Non-		·		
	convertible unsecured debentures (please	114			
	see Note 2 below)				
	(ii) Any other type of public deposits	115			
4.	Total ( 111 to 115)	100			
		1			

#### 11. Details of Liquid Assets maintained:

1.	Minimum amount of liquid assets required to be invested in unencumbered approved securities at % of public deposits shown against item code 100 above	121
2.	Minimum amount of total liquid assets required to be maintained in form of unencumbered approved securities together with other specified forms of liquid assets at % of public deposits shown against item code 100 above	122
3.	Liquid assets actually maintained :	
	A. Unencumbered approved securities     [details to be furnished as per Annex 1]	123
	B. In term deposits or certificates of deposits with scheduled banks	124
	C. In deposits with NHB	125
	[details of B and C to be furnished as per Annex 2]	
	D. In bonds issued by NHB	126
<u> </u>	[details to be furnished as per Annex 4]	,
1 .	1	

PART III -- SEC 41

	Total (123 to 126)	120	T	
4.	<ul> <li>(a) Name of the designated bank and address where the securities are lodged [details to be furnished as per Annex 3)</li> <li>(b) Amount of securities lodged</li> </ul>			
	(i) Book Value	126	1	
	(ii) Market Value	127		
	Indicate whether the company has maintained the required level of liquid assets on a daily basis during the quarter  A. in unencumbered approved securities		Yes	
	(please tick)			
			No	
	B. on total basis (i.e. investment in unencumbered approved securities together with other specified forms of liquid assets) (please tick)		Yes	
			No	
	If not, indicate the date wise position of the shortfall during the quarter [as per Annexure 5]			
5.	(a) Whether the requirement of SLR was complied with during the last quarter? (please tick)		Yes	
	(product story)		No	
	(b) If not, whether demand for penal interest was made by NHB? (please tick)		Yes	
	``` <u>`</u>		No	
	(c) If yes,			
	(i) amount	128	<u> </u>	
	(ii) date of payment thereof	129		

Part B

Information regarding compliance of the Housing Finance Companies (NHB) Directions,

2001 (as amended from time to time)

(Rupees in lakhs)

	/ L	
Net owned fund (as per the last audited balance sheet of the company)	131	
Capital Adequacy Ratio (as per the last audited balance sheet of the company)	132	
Credit rating :		
i) Rating assigned	133	
n) Date of rating	134	
iii) Name of the Rating Agency	135	
	balance sheet of the company) Capital Adequacy Ratio (as per the last audited balance sheet of the company) Credit rating: i) Rating assigned n) Date of rating	balance sheet of the company)  Capital Adequacy Ratio (as per the last audited balance sheet of the company)  Credit rating:  i) Rating assigned 133  n) Date of rating 134

	iv) Whether any change has occurred since the last rating (Please furnish details separately)	136	
4.	Public deposits outstanding as at the close of business on the date of commencement of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001	137	
5.	Quantum of excess public deposits held, if any, by the company as on the date of commencement of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001	138	
6.	Public Deposits outstanding as on date of this return (i.e. last working day of the quarter to which this return relates)	139	·
7.	Quantum of public deposits permissible as per the provisions of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 as on date of this return	140	
8.	Quantum of excess public deposits remaining to be regularised on the date of this return	141	
9.	Deposits accepted during the quarter under reference	142	
10.	Deposits renewed during the quarter under reference	143	
11.	Deposits matured but remained unpaid/ not renewed as on the date of this return:  (a) No. of accounts  (b) Amount	144 145	
12.	Of 11 above, those where orders of authorised officer of National Housing Bank have been received  (a) No. of accounts  (b) Amount	146 147	
13.	(a) Steps taken/being taken to regularise the excess public deposits within the time frame permitted under the Directions (please furnish details in a separate statement)		
	(b) Steps taken to comply with orders of authorised officer of National Housing Bank (please furnish details in a separate statement)		

Part C

### (a) List of branches/offices opened:

Date of	Reference No. and date	Remarks
opening	of communication to NHB	
,	İ	
	-	
		,
		1

### (b) List of branches/offices closed:

of	Date of publicity	Date of closing	Reference No. and date of communication to	Remarks
the branches/offices			NHB	

We declare that the above information is true and correct.

-	כ	i _	_	_	
٠	_	А	C.	ρ	-

Date: official

Name and signature of the authorised

### NOTE:

- 1. For the purpose of this return, assets should be maintained on daily basis and should relate to the public deposit liabilities (including interest accrued thereon) as defined in paragraph 2 (1)(w) of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 as on the last working day of the second preceding quarter. For example, the liquid assets to be maintained on each day during the quarter ended 30<sup>th</sup> June 2000 (i.e. 1.4.2000 to 30.6.2000) should relate to the public deposit liabilities as at the close of business on the last working day of the quarter ended 31<sup>st</sup> December 1999.
- 2. The non-convertible unsecured debentures/bonds (other than those subscribed by banks and FIs) including interest accrued thereon should be included under this item.
- 3. The return shall be submitted within fifteen days from the last day of the respective quarter.

# Annexure - 1 List of approved securities held towards liquid assets requirement

(Rupees in lakhs)

Sr.	Name of the security	Amount (at market value or	Interest collection
No.		carrying cost as the case may	dates
		toe)	
		•	
		,	

### Annexure-2

### List of deposits held with scheduled commercial banks or with National Housing Bank

(Rupees in lakhs)

Sr. No.	Name of the bank	Address of the bank's branch	Amount (including interest accrued)

### Annexure-3

### Name and address of designated bank(s)

Sr. No.	Name of the bank	Name of the branch and address	Remarks (Reference no. of letters of information to NHB)
		,	

### Annexure - 4

### Details of investment in bonds issued by National Housing Bank\*

Serial no.	Description	Amount	Interest collection dates

<sup>\*</sup>Other than those already included in approved securities (Annexure - 1)

### Annexure - 5

### Details of shortfall in maintenance of liquid assets

### A. Shortfall in approved securities

(Rupees in lakhs)

			(Itapood III lakita)		
Date ,			Amount required to be maintained	Amount actually maintained	Shortfall
From	То	No. of days			

# B. Shortfall in total liquid assets (i.e. approved securities taken together with other permissible forms of liquid assets)

(Rupees in lakhs)

	Date		Amount required to be maintained	Amount actually maintained	Shortfall
From	То	No. of days			
				,	

### MEDICAL COUNCIL OF INDIA

### - RECRUITMENT RULES -

### Note:

- 1. Relaxations and concessions for candidate belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Class (OBC) and Physically handicapped provided by the Central Government &/or as amended from time to time for appointment and promotion in the Council office shall be applicable. Other general instructions issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, New Delhi for recruitment/promotion to the SC/ST/OBC cadre shall be followed.
- 2. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for the receipt of application. In case of recruitment made through the Employment exchanges the crucial date for determining the age limit shall be last date up to which Employment exchanges are asked to submit the names.
- 3. The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes/Scheduled Tribe, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of the candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. For this purpose footnote may be added that appointing authority shall records the reasons for relaxing the qualification regarding experience in writhing while doing so.
- 4. Benefit of added years of service admissible under Rule 30 of C.C.S. (Pension) Rules, 1972 as amended from time to time shall be applicable.
- 5. Qualifications are relaxable at the discretion of appointing authority in case candidates are found otherwise suitable for the job.
- 6. In case of promotions seniority-cum-merit criteria will be followed. Age & Educational qualifications shall be relaxable in the case of departmental candidates for promotion, if found otherwise suitable for the post. Qualifying service for selection posts may be relaxed by the competent authority upon the recommendations by the Departmental Promotion Committee.
- 7. Non-functional selection grade will be applicable after completing the qualifying service prescribed in the recruitment rules for respective higher promotion in the selection posts.
- 8. The assured career progression scheme as contained in O.M. No.35034/1/97-Estts. (D) dated 9/8/1999 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training), New Delhi shall be applicable to the employees of the Council. (Annexure I)

### RECRUITMENT RULES FOR GROUP "A" POSTS IN MEDICAL COUNCIL OF INDIA

Name of Post	No. of Post	Scale of Pay	Whether Selection post or non- selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
Secretary	1	18,400-500-22400 plus non-practicing allowance as admissible	4 Selection	Applicable	Between 40 & 55 years Relaxable for Government	Educational Qualifications  MBBS from a recognised University with a recognised postgraduate medical degree.  Experience  A total of 16 years in the profession out of which 10
					servants up to 5 years.	A total of 16 years in the profession out of which 10 years teaching experience in a Medical College after a Postgraduate medical degree with atleast 3 years experience as Professor in any department in a Medical College/ Teaching hospital.  OR a total of 16 years in the profession out of which 2 years as Additional Secretary or 3 years as Joint Secretary in the Medical Council of India

PART III—SIC 4]

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any		promotion/deputation/transfer/short-term contract/re-employment is to be made	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition
8 No	9 One year	10 "Promotion failing which by direct recruitment.	Promotion – Additional Secretary with 2 years regular service in the grade of Rs. 16400-20000/- or with 3 years combined length of regular service in the grades of Additional Secretary/Joint Secretary: or in the event of the post of Additional Secretary remaining unfilled, Joint Secretary with 3 years regular service in the grade of Rs. 14300-18300/-	President-Chairman, Vice president-member, Addl. DGHS(ME)-member, three members to be nominated by the Executive Committee of the Council & Secretary — member secretary.  The selection will be subject to the approval of Executive Committee

Whole-time 3 Inspector		4	Rules) 1972	f	,
	19400 500 2240	4	5	6	7
	plus non-practicinal allowance as admissible	j	Not Applicable	Between 50 to 55 years (relaxable in exceptional cases)	MBBS from a recognised University with a recognised postgraduate medical degree qualification in clinical & non-clinical subjects.  Experience  A total of 16 years teaching experience after Postgraduate medical degree out of which at least 3 years experience as Professor in a recognised Medical College/Postgraduate institution.  Desirable  Experience of teaching & examining both at under graduate & post-graduate levels in medical instt. or administration & management of teaching hospitals or colleges or associations under universities, inspections & orientation of this council & contribution in the field of medical education.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Rectt.; Whether by direct rectt. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method	Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/ short-term contract/re-employment is to be made	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition
8	. 9	10	11	12
Does not arise	Tenure post for three years in the first instance, which may be extended at the option of the council up to the age of 62 years.	By direct recruitment	Does not arise	President-Chairman, Vice president- member, three members to be nominated by the Executive Committee of the Council & Secretary -member secretary. The selection will be subject to the approval of Executive Committee

Name of Post	No. of Post	Scale of Pay	Whether Selection post or non- selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
Additional Secretary	1	3 16400-450-20000 plus non-practicing allowance as admissible.	Selection	Not Applicable	Between 40 to 50 years. Relaxable for Government servants up to 5 years.	Oualifications  MBBS from a recognised University with a recognised postgraduate medical degree.  Experience  A total of 14 years standing in Profession out of which 8 years teaching experience in a medical college after postgraduate medical degree qualification.  Or  A total of 14 years standing in Profession out of which 2 years regular service as Joint Secretary in the MCI.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Rectt.; Whether by direct rectt. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method	Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/short-term contract/re-employment is to be made	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition
8	9	10	11	12
No	One year	Promotion failing which by Direct recruitment.	Promotion - Joint Secretary with 2 years regular service in grade of Rs. 14300-18300/- or with 6 years combined length of regular service in the grades of Joint Secretary/Deputy Secretary.	President-Chairman. Vice president- member, three members to be nominated by the Executive Committee of the Council & Secretary -member secretary. The selection will be subject to the approval of Executive Committee

. —--

Name of Post	No. of Post	Scale of Pay	Whether Selection post or non- selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
	ļ <u>.</u>			Rules) 1972		
<u> </u>	2	3	4	3	6	/
Joint	1	14300-400-18300	Selection	Applicable	Between 40	Qualifications
Secretary		plus non-practicing			to 50 years	MBBS from a recognised University with a
		allowance as		1	Relaxable,	recognised postgraduate medical degree.
		admissible.			for	Experience
	i				Government	A total of 12 years in the profession out of which 5
	1				servants up	years teaching experience in a Medical College after
					to 5 years.	a Postgraduate medical degree qualification.
1						OR I
						A total of 12 years standing in the profession out of
						which 5 years as Deputy Secretary in the Medical
					-	Council of India.
L	1	l <u> </u>			<u> </u>	

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Rectt.; Whether by direct rectt. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method	Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/short-term contract/re-employment is to be made	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition
8	9	10	11	12
No	One year	Promotion failing which by Direct recruitment.	Promotion – Deputy Secretary (Medical) with 5 years regular service in the grade of Rs. 12000-18000/	President-Chairman, Vice- president-member, three members to be nominated by the Executive Committee of the Council & Secretary -member secretary. The selection will be subject to the approval of Executive Committee

Name of Post	No. of Pos	Scale of I	Pay Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rufe 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	•	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Deputy Secretary	3	12000-375-1 plus 25% r practicin allowance admissib	non- Applicable	Applicable .	Between 35 to 45 years Relaxable for Government servants up to 5 years	Educational Qualification  MBBS from a recognised University with a recognised postgraduate medical degree  Experience  Must have 10 years experience in the profession out of which 3 years teaching experience in medical college after postgraduate medical degree.
Whether age educational qualification	ı	Period of Probation, if any	Method of Rectt.; Whether by direct r Or by promotion or deputation/transfer	rectt. promoti by term co	-	ruitment by /transfer/short- oyment is to be  If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Rectt.; Whether by direct rectt. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method	Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/short-term contract/re-employment is to be made	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition
8	9	10 .	11	12
Does not arise	One year	Direct recruitment	Does not arise	President-Chairman. Vice president-member. two members to be nominated by the Executive Committee of the Council & Secretary -member secretary. The selection will be subject to the approval of Executive Committee

Name of Post	No. of Post	Scale of Pay	Whether Selection post or non- selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	, 3	4	5	6	7
Deputy Secretary (Admn.)	1	12000-375-18000	Selection	Applicable	Between 35 to 45 years Relaxable for Government servants up to 5 years.	Educational Qualification Graduate from a recognised University.  Experience 5 years experience as Senior Group "A" Officer in the pay scale of Rs. 10,000-325-15200 in a Public/Under takings/Statutory or Autonomous organization with knowledge of Establishment, Accounts and administration sector

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Rectt.; Whether by direct rectt. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method	Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/short-term contract/re-employment is to be made	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition
No No	9 Two years	10 By promotion failing	a) Promotion – Assistant Secretary	President-Chairman Vice president-
		which by Direct recruitment	with 5 years regular service in the grade of Rs. 10000-15200/- b) Transfer on Deputation – Officials under the Central/State Governments/Universities/Govt. Medical Colleges/Hospitals/ Public Sector Undertakings/Statutory or Autonomous Organizations; and (i.) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 5 years regular service in posts in the scale of Rs. 10000-15200; and (iii) possessing educational qualification prescribed for Direct Recruits and having experience of dealing with establishment and accounts matters.	member, two members to be nominated by the Executive Committee of the Council & Secretary-member secretary.  The selection will be subject to the approval of Executive Committee

_	
_	
_	
v	
`	
_	
PART	
_	
,	
_	
_	
_	
Ħ	
·-	
2	

Name of Post	No. of Post	Scale of Pay	Whether Selection post or non- selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Law Officer	1	12000-375-16500	Not applicable	Applicable	Between 35 to 45 years (Relaxable for Govt. Servant upto 5 years	Educational Qualification Graduate with Ll.B. with at least 55% marks.  Experience At least 10 years standing in the profession after registration with Bar Council of India.  Desirable – Experience of working in Law deptt. in Govt./Autonomous organization.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Rectt.; Whether by direct rectt. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method	Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/short-term contract/re-employment is to be made	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition
. 8	9	10	11	12
Does not arise	Two years	Direct recruitment	Does not arise	President-Chairman, Vice president-member, two members to be nominated by the Executive Committee of the Council & Secretary—member secretary.  The selection will be subject to the approval of Executive Committee

PART III--SEC. 4]

_	
J	

Name of Post	No. of Post	Scale of Pay	Whether Selection post or non- selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Assistant Secretary	3	10000-325-15200	Selection	Applicable	Between 35 to 45 years Relaxable for Government servants up to 5 years.	Educational Qualification Graduate from a recognised University.  Experience 5 years regular service in the grade of 8000-275- 10500 or 8 years service in the grade of 6500- 200-10500 in a Public sector undertaking/statutory or autonomous organization with Knowledge of Establishment, Accounts, fundamental & supplementary rules and other Govt. rules.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Rectt.; Whether by direct rectt. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method	Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/short-term contract/re-employment is to be made	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition
8	9	10	11	12
No	Two years	Promotion/Transfer on deputation (including Short-term contract), failing which by Direct Recruitment  Note: If the Departmental candidate is selected for appointment to the post, it is to be treated as having	a) Promotion – Administrative Officer with 5 years regular service in the grade of Rs. 8000-13500/- or with 8 years combined length of regular service in the grades of administrative Officer/Section Officer; or in the event of the post of Administrative Officer remaining unfilled, Section Officer with 8 years regular service in the grade of Rs. 6500-10500/-  b) Transfer on Deputation - Officials under the Central / State Governments/	President-Chairman, Vice president-member, two members to be nominated by the Executive Committee of the Council & Secretary-member secretary.  The selection will be subject to the approval of igner tive Committee
		been filled by Promotion.	Universities/Government Medical Colleges /Hospitals/ Public Sector Undertakings /Statutory or Autonomous Organizations; and (i.) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 5/8 years regular service in posts in the scale of Rs. 8000—13500/- 6500-10500 respectively; and (iii) possessing educational qualification prescribed for Direct Recruits, knowledge of Government rules and having experience of dealing with establishment and accounts matters.	•

₹ *:
2

Name of Post	No. of Post	Scale of Pay	Whether Selection post or non- selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Administrative Officer		8000-275-13500	Selection	Applicable	Between 35 to 45 years Relaxable for Government servants up to 5 years.	Qualification: Graduate from a recognised University with Second Division  Experience: 5 years experience as Section Officer in a Public' undertaking/Statutory or Autonomous organization or 8 years regular service in the grade of 5500-9000/6500-10500.  Desirable: Knowledge of Government Rules and Regulations.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Rectt.; Whether by direct rectt. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method	Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/short-term contract/re-employment is to be made	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition
8	9	10	11	12
No	Two years	Promotion/Transfer on deputation (including Short-term contract). failing which by Direct Recruitment.  Note: If the Departmental candidate is selected for appointment to the post, it is to be treated as having been filled by Promotion.	a) Promotion: Section Officer with 5 years regular service in the grade of Rs. 6500-10500 or with 8 years combined length of regular service in the grades of Section Officer/Superintendent in the grade of 5500-9000/ b) Transfer on Deputation - Officials under the Central/State Governments/Universities/Govt. Medical Colleges/Hospitals/Public Sector Undertakings/Statutory or Autonomous Organizations; and (i.) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 5/8 years regular service in posts in the scale of Rs. 6500-10500/5500-9000 respectively; and (iii) possessing educational qualification prescribed for Direct Recruits, knowledge of Government rules and having experience of dealing with establishment and accounts matters.	President-Chairman Vice president- member, two members to be nominated by the Executive Committee of the Council & Secretary-member secretary. The selection will be subject to the approval of Executive Committee

Name of Post	No. of Post	Scale of Pay	Whether Selection post or non- selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
Computer Programmer	2 1	3 8000-275-13500	Not applicable	Applicable	Between 35 to 45 years Relaxable for Government servants up to 5 years.	Qualification: Master degree in Statistics /Mathematics (with Statistics)/Operation Research /Physics or Economics (with Statistics) /Commerce(with statistics) with DCA or MCA or Degree in Engineering/Computer Sciences of a recognised University or equivalent.  5 years' experience of electronic data processing work, out of which at least 2 years experience should be in actual programming on an electronic computer.  Desirable: Master degree in Engineering or Doctorate degree in any of the subjects mentioned in Essential qualification.  Knowledge of one or more programming languages (to be indicated at the time of recruitment)

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Rectt.; Whether by direct rectt. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method	Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/short-term contract/re-employment is to be made	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition
8	9	10	11	12
Does not arise	Two years	Direct recruitment or by deputation	Does not arise	President-Chairman Vice president- member, two members to be nominated by the Executive Committee of the Council & Secretary-member secretary. The selection will be subject to the approval of Executive Committee

## RECRUITMENT RULES FOR GROUP "B" POSTS IN MEDICAL COUNCIL OF INDIA

Name of Post	No. of Post	Scale of Pay	Whether Selection post or non- selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Section Officer	2	6500-200-10500	Selection	Applicable	Between 35 to 40 years Relaxable for Government servants up to 5 years.	Qualification: A degree from recognised University  Experience: 3 years regular service as Superintendent in the scale of Rs. 5500-175-9000 in the Public Sector undertaking/Statutory or Autonomous organization

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Rectt.; Whether by direct rectt. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method	Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/short-term contract/re-employment is to be made	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition
8	9	10	11	12
No	Two years	By promotion failing both by Direct recruitment	Promotion - Superintendent with 3 years regular service in the grade of 5500-175-9000.	President/Vice president-Chairman two Council members - member to be nominated by the Executive Committee of the Council & Secretary-member secretary. The selection will be subject to the approval of Executive Committee

Name of Post	No. of Post	Scale of Pay	Whether Selection post or non- selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
I	2	3	4	5	6	7
Accounts Officer	1	6500-200-10500	Selection	Applicable	Between 25 to 35 years Relaxable for Government servants up to 5 years.	Oualification: A degree from recognised University  Experience: 3 years regular service as Accountant in the Scale of Rs. 5500-175-9000 in the Central/State Govt./Public undertaking/Statutory or Autonomous organization.

1	Ξ	
ļ	GAZETTE (	
1	111	
	QF.	
	INDIA,	
	IA, DECEMBER	
	BER	
	29,	
	2001	
	IE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 29, 2001 (PAUSA 8, 1923)	
	œ —	
	923)	

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Probation, if any	Method of Rectt.; Whether by direct rectt. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method	Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/short-term contract/re-employment is to be made	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition
8	9	10 .	11	12
No	Two years	Promotion/Transfer on deputation (including Short-term contract), failing which by Direct Recruitment  Note: If the Departmental candidate is selected for appointment to the post, it is to be treated as having been filled by Promotion.	Promotion: 3 years regular service as Accountant in the grade of 5500-175-9000	President/Vice president- Chairman two Council members  - member to be nominated by the Executive Committee of the Council & Secretary-member secretary.  The selection will be subject to the approval of Executive Committee

Name of Post	No. of Post	Scale of Pay	Whether Selection post or non- selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4 '	5	6	. 7
Private Secretary	, 1	6500-200-10500	Selection	Applicable	Between 25 to 35 years Relaxable for Government servants up to 5 years.	A Degree from recognised University.  Experience 3 years regular service as Stenographer/Personal Assistant in the scale of Pay Rs. 5500-175-9000 in a Govt./Semi Govt./Statutory Body/Public sector undertaking or teaching institution.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Rectt.; Whether by direct rectt. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method	Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/short-term contract/re-employment is to be made	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition
No No	Two years	Promotion/Transfer on deputation (including Short-term contract), failing which by Direct Recruitment  Note: If the Departmental candidate is selected for appointment to the post, it is to be treated as having been filled by Promotion.	a) Promotion- Personal Asstt. in the grade of Rs. 5500-9000 with 3 years regular service.  b) Transfer on Deputation - Officials under the Central/State Governments/Universities/ Govt. Medical Colleges/Hospitals/ Public Sector Undertakings/ Statutory or Autonomous Organizations; and (i.) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 3/6 years regular service in posts in the scale of Rs. 5500-9000/5000-8000 respectively; and (iii) possessing educational qualification prescribed for Direct Recruits.	President/Vice president-Chairman two Council members - member to be nominated by the Executive Committee of the Council & Secretary-member secretary. The selection will be subject to the approval of Executive Committee

Name of Post	No. of Post	Scale of Pay	Whether Selection post or non- selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Personal Assistant	Į.	5500-175-9000	Non- selection	Applicable	25 years Relaxable for Government servants up to 5 years.	Qualification A degree from a recognised University  Experience 3 years regular service as Stenographer in the scale of pay of Rs. 5000-8000 and proficiency in short hand & typing as under:  120 w.p.m Speed in shorthand & 40 w.p.m. speed in typing.

DECEMBER
₹ 29,
2001
(PAUSA
œ
192

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Rectt.; Whether by direct rectt. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method	Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/short-term contract/re-employment is to be made	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition
8	9	10	11	12
No	Two years	By promotion failing which by Direct recruitment	<ul> <li>a) Promotion - Stenographer Grade-II in the Scale of Rs. 5000-8000 with 3 years regular service.  Or  With 6 years combined length of service in the grade of 5000-8000/4500-7000.</li> <li>b) Transfer on Deputation - Officials under the Central/State Governments/Universities/Govt.  Medical Colleges/Hospitals/ Public Sector Undertakings/Statutory or Autonomous Organizations; and (i.) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 3/10 years regular service in posts in the scale of Rs. 5000-8000/4000-6000 respectively.</li> </ul>	President/Vice president-Chairman two Council members - member to be nominated by the Executive Committee of the Council & Secretary-member secretary.  The selection will be subject to the approval of Executive Committee

	THE G
	AZETTĿ
¦ 	GAZETTI: OF INDIA, DECEMBER 29, 2004 (PAUSA 8, 1
	A. DECE
	MBER 29
	), 2001
	(PAUSA
	8. [923)
ì	

Educational and other qualifications required for

1 Superintendent	2 5	3 5500-175-9000	4 Non- selection	1 11	6 Between 25 & 30 years Relaxable for Government servants up	A degree 3 years Rs. 50	regular service as Head Clerk in the scale of 000-8000 in a Govt./Public'Semi Govt.
Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period o Probation		oy direct by or by otransfer age of the to be	Grade from which is promotion/deputatiterm contract/re-entmade	on/transfer/sh	organiz	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition
8	9	method		<del> </del>	11		12
No	Two ye		ion failing y Direct	Promotion - Head 5000-8000 with 3 ye the g	Clerk in the sca ears regular server grade. Or ed length of ser	vice in	President/Vice president-Chairman two Council members - member to be nominated by the Executive Committee of the Council & Secretary-member secretary. The selection will be subject to the approval of Executive Committee

Whether

benefit of

added years

of service admissible

under rule 30 of the C.C.S.

Age limit

for direct

recruits

direct recruits

Name of Post

No. of

Post

Scale of Pay

Whether

Selection

post or non-

selection

post

Name of Post	No. of Post	Scale of Pay	Whether Selection post or non- selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Accountant	1	5500-175-9000	Non- selection	Applicable	Between 25 to 30 years Relaxable for Government servants up to 5 years.	Qualification: A degree from recognised University.  Experience: 3 years regular service as Head Clerk in the scale of Rs. 5000-8000 in a Govt./Public/Semi Govt. undertaking/Statutory Body or Autonomous organization

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Rectt.; Whether by direct rectt. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method	Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/short-term contract/re-employment is to be made	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition
8	9	10	11	12
No	Two years	By promotion failing which by Direct recruitment	Promotion - Head Clerk in the scale of 5000-8000 with 3 years regular service in the grade.  Or  With 6 years combined length of service in the grade of 5000-8000/4500-7000.	President/Vice president-Chairman two Council members - member to be nominated by the Executive Committee of the Council & Secretary-member secretary.  The selection will be subject to the approval of Executive Committee

## RECRUITMENT RULES FOR GROUP "C" POSTS IN MEDICAL COUNCIL OF INDIA

Name of Post	No. of Post	Scale of Pay	Whether Selection post or non- selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Stenographer Grade II	2	5000-150-8000	Non- selection	Applicable	Between 25 to 35 years Relaxable for Government servants up to 5 years.	Qualification A Degree from recognised University 100 w.p.m. speed in Stenography and 40w.p.m. speed in typing in English language.  Experience 8 years regular service as Stenographer grade III in the scale of Rs. 4000-6000 in the Govt./Public sector undertaking/Statutory Body or Autonomous organization/Teaching institutions.

PARI III—SEC 4

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Rectt.; Whether by direct rectt. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method	Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/short-term contract/re-employment is to be made	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition
8	9	10	11	12
No	Two years	By promotion failing which by Direct recruitment	a) Promotion - Stenographer Gr. III in the scale of 4000-6000 with 8 years regular service.  Or With 3 years regular service in the scale of 4500-7000  b) Transfer on Deputation - Officials under the Central/State Governments/ Universities/Govt. Medical Colleges /Hospitals/ Public Sector Undertakings /Statutory or Autonomous Organizations; and (i.) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 8 years regular service in post in the scale of Rs. 4000-6000; and (iii) possessing educational qualification prescribed for Direct Recruits.	Secretary-Chairman, Jt. Secretary, Deputy. Secretary, Asstt. Secretary (Admn.) - Member.  The selection will be subject to the approval of President.

Name of Post	No. of Post *	Scale of Pay	Whether Selection post or nor selection post	benefit of added years	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Hindi Translator	1	5000-150-8000	Not applicable	Applicable	Between 25 to 30 years Relaxable for Government servants up to 5 years.	Oualification:  Master degree of a recognised University in Hindi /English with English/Hindi as a main subject at the degree level  Or  Master degree of a recognised University with Hindi as medium of instruction and examination with English as a compulsory subject at degree level  Or  Bachelor's degree with Hindi and English as main subjects or either of the two as medium of examination and other as a main subject plus recognised Diploma/Certificate course in translation from Hindi to English & vice versa or two years' experience of translation from Hindi to English and vice versa in Central/State Govt. offices including Government of India undertaking.  Experience 3 years regular service in the grade of 4500-125- 7000
Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Probat any	I	y direct property te or by //transfer age of the o be	rade from which recommended re	n/transfer/sh	ort- what is its composition
8	1 9			<u> </u>	1	12
No	Two y			Does n	_	Secretary—Chairman, Jt. Secretary, Deputy. Secretary, Asstt. Secretary (Admn.) - Member The selection will be subject to the approval of President.

Name of Post	No. of Post	Sca	le of Pay	Wheth Selection post or a selection post	on 10n- 0n	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	1	tional and other qualifications required for recruits	
1	2		3	4		5	6		7	
Head Clerk	10	5000	-150-8000	Non- selection		Applicable	Between 30 to 35 years Relaxable for Government servants up to 5 years.	Exper 8 year Clerk/5 6000 sector	ification: gree from a recognised University.  rience: ears regular service as Upper Division /Store Keeper in the scale of pay of Rs. 4000- in a Govt./Govt. Hospital/University/Public r undertakings/ Statutory Body or Autonomous itzation or teaching institution.	
Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		d of ation, if	Method of Whether by rectt. Or by promotion deputation. & percenta vacancies to filled by vamethod	y direct or by transfer ge of the	Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/shorterm contract/re-employment is to be made			ort-	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition	
8		9	10			<u> </u>	1		12	
No Two yea		years By promotion failing which by Direct recruitment		Direct		omotion - U.D.C. ade of 4000-6000 service in			Secretary-Chairman, Jt. Secretary, Deputy. Secretary, Asstt. Secretary (Admn.) - Member.	
					with	n 3 years regular	Or service in the s -7000	cale of	The selection will be subject to the approval of President.	

	No. of Post	Sca	le of Pay	Whether Selection post or n selection post	on on-	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits		ational and other qualifications required for recruits
1	2		3	4		5	6	-	7
Computer Operator	2	4000	-1 <del>0</del> 0-6000	Not applicab	ole	Applicable	Between 18 to 27 years Relaxable for Government servants up to 5 years.	A degraph of the second of the	fication: ree from a recognised University or equivalent ication and a speed of not less than 8000 key ssions per hour for data entry work.  The speed of 8000 key depressions per hour te entry work is to be judged by conducting a test on the EDP Machine(s) by the Competent rity.  rience: 3 years regular service as Data entry operator I in the scale of Rs. 3050-4590.
Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Probation, if Whether by direct promotion or by deputation/transfer and the wacancies to be		pror term	Frade from which recruitment by romotion/deputation/transfer/short-erm contract/re-employment is to be nade			If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition		
8	1	9	10			i	1		12
Does not arise	Two	years	Direct recr	ruitment		Does n	ot arise.		Secretary-Chairman, Jt. Secretary, Deputy. Secretary, Asstt. Secretary (Admn.) - Member. The selection will be subject to the approval of President.

Name of Post	No. of Post	Scale of Pay	Whether Selection post or non- selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
Stenographer Grade III	5	4000-100-6000	Not applicable	Applicable	6 Between 18 to 27 years Relaxable for Government servants up to 5 years.	7  Qualification: Matriculation or its equivalent. A speed of 80 w.p.m. in shorthand (English) and a minimum speed of 40 w.p.m. in typing (English).  Desirable Qualification: A degree from a recognised University/Institution.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Rectt.; Whether by direct rectt. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method	Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/short-term contract/re-employment is to be made	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition
8	9	10 .	11	12
Does not arise	Two years	Direct recruitment	Does not arise.	Secretary—Chairman, Jt. Secretary, Deputy. Secretary, Asstt. Secretary (Admn.) - Member The selection will be subject to the approval of President.

٦	
	•
E	
_	
Ξ	
-	
J	

Name of Post	No. of Post	Scale of	f Pay	Whether Selection post or non- selection post	bene added of se admi under of the (Per	ether efit of years rvice ssible rule 30 C.C.S. usion	Age limit for direct recruits	Educational and direct recruits	other qualifications required for
1	2	3		4		5	6		7
Telephone Operator cum Receptionist	1	4000-100	)-6000	Not applicable	Appl	cable	Between 18 to 27 years Relaxable for Government servants up to 5 years.	Experience: 5 years experience Operator in a	equivalent qualification.  e as Telephone, PBX, Fax & Telex of Govt./Public sector undertakings or Autonomous organization on.
Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Proba any	tion, if dir by per	ect rectt. deputati rcentage	Rectt.; Whethe Or by promot on/transfer & of the vacancie rious method	ion or	promo	-	ecruitment by n/transfer/short- ployment is to be	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition
8		9		10 -			11		12
Does not arise	Two	years	Dire	ect recruitment			Does not	arise.	Secretary-Chairman, Jt. President Secretary, Deputy. Secretary, Asstt. Secretary (Admn.) - Member. The selection will be subject to the approval of.

Name of Post	No. of Post	Scale of Pay	Selection post or non- selection post	Whethen benefit of added year of service admissibunder rule of the C.C. (Pension Rules) 19	of ars ce ole e 30 C.S.	Age limit for direct recruits	1	ntional and other qualifications required for recruits
Store Keeper	1	3 4000-100-600	4 0 Non- selection	5 Applicab	le	6 Between 18 to 27 years Relaxable for Government servants up to 5 years.	A de equiva  Exper One yeaccour private	lent.
Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Probation, if any rectt. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method		by centage of	recruitment by promotion/deputa		tation/ r,m	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition	
8 No		years	10 100% by promotic	on.	305	Promotion Promot	e Rs. years	Secretary-Chairman, Jt. Secretary, Deputy. Secretary, Asstt. Secretary (Admn.) - Member.  The selection will be subject to the approval of President.

Name of Post	No. of Post	Scale of Pay	Whether Selection post or non- selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
U.D. Clerk	16	4000-100-6000	Non- selection	Applicable	Between 25 to 30 years Relaxable for Government servants up to 5 years.	Qualification: A degree from a recognised University or equivalent  Experience: 8 years regular service in the grade of L.D.C.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Rectt.; Whether by direct rectt. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method	Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/short-term contract/re-employment is to be made	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition
8	9	10	11	12
No	Two years	100% by promotion.	Promotion  L.D.C. in the scale Rs. 3050-4590 with 8 years regular service in the grade. On the basis of fitness cum seniority.	Secretary-Chairman, Jt. Secretary, Deputy. Secretary, Asstt. Secretary (Admn.) - Member
				The selection will be subject to the approval of President.

_	
ŝ	

1	No. of Post	Scale of Pay	Whether Selection post or non- selection post	bene added of se admi under of the (Per	ether efit of I years ervice issible rule 30 C.C.S. ision	Age limit for direct recruits	Educational and o direct recruits	ther qualifications required for	
1	2	3	4	1	5	6		.7	
Staff Car Driver (Grade II)	1	4000-100-6000	Non- selection	Applicable 30 years above Relaxa for Government servant		30 years and above Relaxable for Government servants up to 5 years.	Oualification: Middle standard (VIII passed) with valid Driving Licence from State Transport/Licencessing authority.  Experience: 12 years of regular service in the ordinary grade (Rs. 3050-4590) must be able to read english numbericals and figure. Must be able to locate faults and carryout minor running repairs. Must have good knowledge of Traffic Regulations. Must be able to change wheels and correctly inflate tyres. Clean driving experience + Record without major Traffic Penalty imposed by competent authority.		
Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probati	on, if direct red by deput percents	of Rectt.; Whether tt. Or by promoto ation/transfer & ge of the vacancis various method	tion or	promo	tion/deputatio	ecruitment by n/transfer/short- ployment is to be	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition	
8	9		10 .		11			12	
No	Two y	By promotion on Non-selection (seniority-cum-fitness) basis and will be further subject to passing of a Trade Test of appropriate Standards failing which direct recruitment.		sis and assing oriate	Under assured career progression scheme as contained in OM No 35034/197-Estt.(D) dated 9/8/99 of Ministry of Personnel Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) New Delhi.			Secretary-Chairman, Jt. Secretary, Deputy. Secretary, Asstt. Secretary (Admn.) - Member.  The selection will be subject to the approval of President.	

	No. of Post	Scale of	f Pay	Whether Selection post or non- selection post	Whether benefit of added year of service admissible under rule of the C.C (Pension Rules) 19	irs e ke 30	Age limit for direct recruits		tional and other qualifications required for recruits
Record Keeper-cum-	1	3 3050-75-3 459	t t	4 Not applicable	5 Applicabl	le	6 Between 25 to 35 years.	A) Gra	aduate or equivalent perience/proficiency in one of the following
Librarian		407					Relaxable for Government servants up to 5 years.	are i) ii) iii) iv) v) C) Ca En to the Specia person	a for three years.  Typing with a minimum speed of 35 w.p.m., Understanding of classification system, Experience in preparing and filling a catalogue cards; Experience of counter duties; Knowledge of multiple language.  Indidates are required to qualify in a General glish Test and such other test as may be held assess their proficiency/experience in one of qualifications mentioned under (B) above.  Indicates a certificate/diploma in Library & ation science.
Whether age and				Rectt.; Whether		1	de from whi	ch	If a DPC/Selection Committee exists,
educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Probati any	dej the	putation/t	promotion or l ransfer & perc s to be filled by	centage of	recruitment by promotion/deputation/ transfer/short-term contract/ re-employment is to be made		rm	what is its composition
8	1 -	9 10					11		12
Does not arise	Two y	ears	By Direct recruitment.		ent.	Does not arise.		se.	Secretary-Chairman, Jt. Secretary, Deputy. Secretary, Asstt. Secretary (Admn.) - Member. The selection will be subject to the approval of President.

Name of Post	No. of Post	Scale of Pay	Whether Selection post or non- selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits  7			
l L.D. Clerk	2 27	3 3050-75-3950-8	4	5	6 Between 18 & 27 years Relaxable for Government servants up to 5 years.				
L.D. Clerk	27	4590	Not applicable	Applicable		recognised board,  ii) 30 w.p.m. typing speed in English.  t			
Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of	ational Probation, promotion or by deputation if any the vacancies to be filled be recruits upply in the					Grade from which recruitment by promotion/deputation/ transfer/short-term contract/ re-employment is to be made	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition		
promotees 8	9	<del></del>		10		11	12		
Yes to extent indicated in Col.10	Two	ii) 5% of Grow equi servi qual 30 w exan SC/S Note: a) U shall not be the numbe who quali employees vacancies employees considered	recent by direct recent of vacancies shall be up D staff who possivalent qualification ce in Grade D., on tifying examination p.m. The maximum unation is 45 years (T).  Infilling vacancies per carried over. (b) I gr of vacancies available to out of merit shall be arrising in the subsets qualifying at an early before the vacancies of the vacanci	e filled up from an aress minimum Ma and have 5 years the basis of a Dep and English typin age limit for eli (50 years of age to certaining to a part of more of such enable under clause tion: such excess see considered for quent years so that rijer examination qualify at a latter all be filled on see the seed on see the considered for the considered for the considered for quent years so that the considered for quent years so that the considered for qualify at a latter and the filled on seed the considered for the considered for qualify at a latter that the considered for the considered for the considered for qualify at a latter that the considered for	arriculation or regular artmental ag speed of gibility for for the ticular year aployees than (ii) those number of filing the are examination.	As stated in col 10.	Secretary-Chairman, Jt. Secretary, Deputy. Secretary, Asstt. Secretary (Admn.) - Member The selection will be subject to the approval of President.		

	USE			post or non- selection post	added yea of service admissibl under rule of the C.C. (Pension Rules) 197	rs recruits e e 30 S.	unect	Tectulis	
1	2		3			6		7	
Driver (Ordinary Grade)	ry 4590 Not Applicable Not exceed 27 years for Government Servant		e Not exceeding 27 years Relaxable for Government servants up to 5 years.	ii) Possession of a valid driving licence for no car. iii) Knowledge of motor mechanism (The cand should be able to remove minor defeating vehicles),					
Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Probation, if any deputation/transfer & per the vacancies to be filled I method		by centage of	Grade from wherecruitment by promotion/depteransfer/short-temployment is to be made	utation/ erm	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition			
8		9 10			11		12		
Does not arise	Two	years	By direct recruitme		ent	Does not a	rise –	Secretary—Chairman, Jt. Secretary, Deputy. Secretary, Asstt. Secretary (Admn.) - Member The selection will be subject to the approval of President.	

Whether

benefit of

Whether

Selection

Age limit

for direct

direct recruits

Educational and other qualifications required for

Name of Post

No. of

Post

Scale of Pay

	No. of Post	Sca	le of Pay	Whether Selection post or non- selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educations direct recr	al and other qualifications required for uits
1	2		3	4	5	6		7
Gestetner Operator	2		(5-3950-80- 4590	Non selection	Applicable	Between 18 & 27 years Relaxable for Government servants up to 5 years.	Oualification Matriculation Experience One year's Gestetner m	on pass.  Experience in operating and maintaining
Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		l of tion, if	Or by prom deputation/ percentage	direct rectt. totion or by transfer & of the be filled by	Grade from wh promotion/depu term contract/r made	itation/transfe	r/short-	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition
8	<del> </del> ,	9	<del></del>	0				12
No		years	By promo which t	tion failing by Direct tment.	prescribed test d	ftary with 4 year rade 2650-400 by in operating oject to qualify	0 and who Gestetner ing the	Secretary-Chairman, Jt. Secretary, Deputy. Secretary, Asstt. Secretary (Admn.) - Member. The selection will be subject to the approval of President.

## RECRUITMENT RULES FOR GROUP "D" POSTS IN MEDICAL COUNCIL OF INDIA

	No. of Post	Sca	le of Pay	Whether Selection post or non- selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Education direct rec	nal and other qualifications required for ruits
1	2		3	4	5	6		7
Daftary	3		50-65-3300- 0-40 <b>0</b> 0	Non selection	Applicable	Between 18 & 27 years Relaxable for Governmen t servants up to 5 years.	10 years ex	tion: bass from a recognised School/Institution.  Experience in the post of Peon/Messenger.  The maintain records in proper shape.
Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		d of tion, if	Or by prom deputation/ percentage	direct rectt. lotion or by transfer & of the be filled by	Grade from wh promotion/depu term contract/re made	itation/transf	ier/short-	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition
8	1	9	]	10		11		12
No		lot icable	By pro	omotion	4 years regular se Peon/Messanger Rs. 2550-3200		f pay of	Secretary-Chairman, Jt. Secretary, Deputy. Secretary, Asstt. Secretary (Admn.) - Member  The selection will be subject to the approval of President

Name of Post	No. of Post	Scale of Pay	Whether Selection post or non- selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Messenger	2	Rs. 2550-55-2660-	Not	Applicable	Between 18	Qualification:
		60-3200	applicable		& 27 years	8 <sup>th</sup> class pass from a recognised school/institution.
				i	Relaxable	
					for	Desirable: Training in Basic and "Refresher" course
					Government	in Home Guards and Civil Defence.
	l				servants up	
				<u></u>	to 5 years.	

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Rectt.; Whether by direct rectt. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method	Grade from which recruitment by promotion/deputation / transfer/short-term contract/re- employment is to be made	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition
8	9	10	11	12
Does not arise	Two years	Direct recruitment	Does not arise	Secretary—Chairman, Jt. Secretary, Deputy Secretary, Asstt. Secretary (Admn.) - Member.  The selection will be subject to the approval of President.

Name of Post	No. of Post	Scale of Pay	Whether Selection post or non- selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Peon	5	Rs. 2550-55-2660- 60-3200	Not applicable	Applicable	Between 18 & 27 years Relaxable for Government servants up to 5 years.	Qualification:  8 <sup>th</sup> class pass from a recognised school/institution  Desirable: Training in Basic and "Refresher" course in Home Guards and Civil defence.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Rectt.; Whether by direct rectt. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method	Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/ short-term contract/re-employment is to be made	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition
8	9	10	11	12
Does not arise	Two years	Direct recruitment	Does not arise	Secretary-Chairman, Jt. Secretary, Deputy. Secretary, Asstt. Secretary (Admn.) - Member. The selection will be subject to the approval of President.

qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	any	Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method	transfer/short-term contract/re-employment is to be made	composition	
8	9	10	,	12	13
Does not arise	One Year	Direct recruitment	Does not arise	Not applicable	Secretary-Chairie an, It. Secretary, Deputy, Secretary, Asstt. Secretary (Admn.) - Member.
   	-	1	i	1	The selection will be subject to the approval of President

Name of Post	No. of Post	Scale of Pay	Whether Selection post or non- selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	
1	$\overline{2}$	3	- 4	5	6	7	  -
Safai Karamchari		2550-55-2660-60- 3200	Not applicable	Applicable	Between 18 & 27 years Relaxable for Government servants up to 5 years.	Oualification:  8 <sup>th</sup> class pass from a recognised school/institution	

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Rectt.; Whether by direct rectt. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method	Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/ short-term contract / re-employment is to be made	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition
8	9	10	11	12
Does not arise	Two years	Direct recruitment	Does not arise	Secretary-Chairman, Jt. Secretary, Deputy. Secretary, Asstt. Secretary (Admn.) - Member. The selection will be subject to the approval of President.

(Dr. M. Sachdeva) Secretary Medical Council of India

## THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

### Mumbai-400005, the 8th November 2001

#### **CORRIGENDA**

No 3WCA(8)/3/2000-01 —In Notification No. 3 WCA(8)/1/2000-01 Dt. 26.4.2001 cancelling the certificate of practice of following members w e f. 8.12.2000 included at serial numbers mentioned against each member be treated as deleted —

Şr. No.	Sr No of the	M No	Name and Address
NO.	Notification	n	
1.	18	5790	Mr Surte Arvind Baburao, 302 Kasturi Tower,
			Lal Bahadur Shastri Marg Opp Vandana Talkies, Thane-400602.
2.	63	14851	Mr Phansekar Subhashchandra Bunglow No 10 S B I Staff Vaibhav Co. Op Daulat Nagar, Road No 1, Borivli-East Mumbai-400066.
3.	120	30527	Mr. Bothara Shantilal Tarachand Main Road Chopda, At & P O Chopda Chopda-425001
4.	373	40800	Mr Pradhan Rajiv Prabhakar 11/32 Khandke Bldg. J K Sawant Rd., Dadar Mumbai-400028
5	549	47433	Mr Presswala Zuzer Esmail 48 Sarana Street 3rd Floor, Mumbai-400003.
6	602	49029	Ms Neha Sanghvi 79/81, August Kranti Marg 4 Nirmal Nivas No. 1 Mumbai-400058.
7.	742	101892	Mr. Palan Mehul Jayant 7 Anjali Chambers R C Dutt Road, Opp. Circuit House, Alkapuri Baroda-390007
8.	754	102344	Mr. Shah Mehul Anantrai 103, Rajniketan Bapu Vashi Road Vile Parle-W Mumbai-400056.

#### The 12th November 2001

No 3WCA(5)/3/1999-2000—In Notification No 3 WCA(4)/3/99-2000 Dt. 27 9 2000 removing the names of following members w.e.t. 1 10 1999 included at serial numbers mentioned against each member be treated as deleted:—

Sr. No.	Sr. No. of the Notification		Name and Address
1	161	15570	Mr Rustogi Satish Chand 1/3 Yamuna, V H B Society East High Court Road, Kachipura Ramdas Peth, Nagpur-440010
2.	377	32711	Mr. Dalal Shailesh 307-308 Rajkamal Plaza-B Opp Samrudhi Complex, Near High Court, Navrangpura Ahmedabad-380009.
3.	730	39222	Mr Kulkarni Balwant Keshav B-2/19 Meenal Gardens, 5th Floor, Patwardhan Baug, Erandawane, Pune-4) 1004.
4	897	41365	Mr Andhare Kıran Sudhakar 4/3, V.H B Colony (L.I.G), Behind Medical College, Nagpur-440027.
5	1647	49985	Mr Kumbhani Devang Hasmukh, 206, A Wing, Madhuban, 27A Raheja Towership, Malad (E) Mumbai-400097
6	1749	76571	Mr Shircesh Jain 4-A-202, Samarpan Complex Jesal Park, Dist Thane Bhayandai (East) Bhayandar-401105
7	1956	102018	Mr. Shah Nimesh Maheshkumar B-1/1, Ghanshyam Apartments Shahibaug Road Ahmedabad-380004
8.	1981	102387	Mr Jain Kapil Arthur Andersen & Co 18th Floor, Express Towers Nariman Point Mumbai-400021
9.	2542	105576	Mr Shah Sunil Rupchand D-503, Shankeshwar Nagar Shiv Vallabh Road, Ashok Vai Dahisar (East) Mumbai-400068

THE		JTE OF CHARTERED ACCOUN INDIA fe Parade, Colaba. Mumbai – 400		9	003164	M: SHAH PRATAPCHAND HIRACHAND P H SHAH & CO MANGAL BHAWAN II FLOOR ROOM NO 21 MANCHHUBHAI RD MALAD-EAST- MUMBAI-400097	25/03/2000
•	Static A/A	(Chartered Accountants) - 3	DEC 20		003198	MT GHIRNIKAR VINAYAK NARAYAN V N GHIRNIKAR & CO SAIOM VINAYAK APPARTMENTS 48 HILL ROAD GOKULPETH NAGPUR-440010	<del>2</del> 7/01/2003
the Cha exercise Section Institute of Memi	intered Ac e of the p 20 of the of Charte hers of this	in possuance or in possuance or in possuance or in possuance or successful and in possuance o	notified that in o-section (1) of Council of the orn the Register	11	003469	Mr SATTHA JEHANGIR ELHRAMJI B-3 BENNETT BLDG BHARUCHA PARSI CLNY SWAMI VIVEKANANDA RD ANDHERI MUMBAI-400058	05/07/2000
S No	MRN	Member Name & Address	Removal Dt	12	004060	Mr AIYAR MANI	07/03/2000
1	000005	Mr SHAH NARANDAS MOHANLAL SHAH & CO , MAKER BHAVAN NO 2 3RD FLOOR	23/08/2000			ARJUN K S AIYAR & CO 49-55 BOMBAY SAMACHAR MARG MUMBAI-400023	
	000544	BLOCK NO C 18 NEW MARINE LINES MUMBAI-400020	4.00.000	13	004941	Mr KETKAR DAMODAR RAMCHANDRA SECOND FLOOR SILVA BUILDING ERASMO CARVALHO ST	06/11/2000
	000514	CHANDRAPRASAD RATILAL 606 PRESIDENT HOUSE NR AMBAWADI CIRCLE OPP C N VIDYALAYA	11/08/2000	14 #	005221	MARGAO GOA-403601  Mr SHAH MAHENDRA HIRACHAND A S MADON & CO 79-80 ESPLANADE	20/11/2000
	000708	AHMEDABAD 380006  Mr. SHAH SHANTILAL	04/11/1999			MANSION IIND FLOOR 144 M G RD MUMBAI-400001	
		KESHAVLAI A/2 JALVIHAR FLATS B/H AJANTA COMMERCIAL CENTRE ASHRAM ROAD AHMEDABAD-380014		15	• 00572н	Mr Salve Hemendrakumar prasadrao 17-19 Dhoble Layout Faras Chhindwara road Nagpur-440030	29/02/2000
	000/24	Mr KHARE MAHESHWAR TRIMBAK KHARE BUNGLOWS 19-20 VRINDAVAN SOCIETY NAVLPEH PL-UE-411030	08/09/2000	16	005750	Mr Shah Mahendrakumar Chimanlal Mehta Chokshi & Shah Cooper Bldg 2nd Floor 229 Shamaldas Gandhi Marg (PR	07/12/2004
	001583	Mr GHANEKAR ,	09/05/2000			STREET) MUMBAI-400002	MCESS
		PURUSHOTTAM DATTATRAY P D GHANEKAR & CO 231 COMMISSARIAT BLDG DADHABHOY NAOROJI RD FORT MUMBAI-400001		17	005789	Mr MEHTA NAVROZE HORMUSJI PUNDOLE BLDG OPP MITHAWALA AGIARY SLEATER RD GRANT RD MUMBAI-400007	20/08/2000
	001795	Mr MAINTHIA BHANJI TULSIDAS B T MAINTHIA & CO 21 COMMERCIAL CHAMBERS JN OF MASJID BUNDER & MOHD ALI RD MUMBAI-400003	09/12/1999	18	006252	Mr SONI TALAKSHI RATANSHI T R SONI & CO 56-C MITTAL COURT NARIMAN POIN MUMBAI-400021	21/10/2000
	001892	Mr PARIKH BABUBHAI AMBALAL BABUBHAI A PARIKH & CO FLAT NO. SUNDER SADAN 63-A WADILAL PATI MUMBAI-400004		19	006486	Mr ASHER KRISHNARAJ A/43 BHAGYA APTS S BHARDAWADI ANDHERI WEST MUMBAI-400058	30/04/2000
	001995	Mr KAIKI RUSTOM ALPAIWALA A F FERGUSON & CO ALLAHABAD BANK BLDG BOMBAY SAMACHAR MARG MUMBAI-460001	07/11/2000	20	006492	Mr CHHA YA KIRIT KUMAR RAMASHANKER RAV NIVAS BHAUDASOHALLA SIA BAUG VADODARA-390001	12/11/2000

Pal	er III—Si	.c. 4) THE GAZETTE OF 1	NDIA. DEC	EMBE	C 29、 200 ======	1 (PAUSA 8, 1923)	6519
21	nn7705	Mr Shah Laxmichand Tulsidas Chandra House 2nd Floor 90 Perin Nariman Street Bazar Gate Street) Mumbaj-400001	16/02/2000	33	038383	Mr AGRAWAL RATANLAL FULCHAND R F AGRAWAL & CO A/10 ISHWAR NAGAR GROUND L B S MARG BHANDUP MUMBAI-4000/78	30/04/2000 FLOOR
22	008728	Mr PITHWA KISHORKANT NARANDAS 353/30/1 MAHIVIR JYOT-C VALLABH BAUG LANE GHATKOPAIS MUMBAI-400077	28/04/2000	34	<b>V39321</b>	Mr AGARWAL' SURESH DEDRAJ S D AGARWAL 11/2 PRIYADARSHNI COLONY NEAR R TO NAGAR NAGPUR-440001	08/06/2000
23	010518	MF MUKADAM AMIRALI MOOSABHAI MUKADAM CO RAGHAVJI BLDG II FLOOR RAGHAVJI RD GOWALIA TANK MUMBAI-400036	01/04/2000	35	053542		10/12/1999
24	012318	Mr RAJGOR JAVERLAL SHANKERJI 17,SOOD-ANAND,NARIMAN RD EXT VILE-PARLE-E MUMBAI-400057	23/12/1999	36	104190	Ms NIMBALKAR SONAL SHIVAJIRAO PANORAMA H_2/ 454,LAXMINAGAR PUNE-411009	06/04/2000
25	017355	Mr JOSHI KIRTIKUMAR SHANTILAL B12 KAMDHENU SHASHTRI NAGAR S V RD BORIVALI-WEST- MUMBAI-400092	04/04/2000			(1	ASHOK HALDIA) SECRETARY
26	031952	Mr SHROFF RAHUL VINODCHANDRA R V SHROFF & CO, 2-C ARIHANT OPP ANUPAM TALKIES GOREGAON EAST MUMBAI-400063	12/06/1999				
27	033075	Mr PANTHAKI NAVZER JAMSHEDJI N J PANTHAKI & CO C/O P J POHOWALA 1/957 PALIA STREET, NANPURA, SURAT-395001	03/07/1999				
28	034113	Mr CHARI RAMCHANDRA RAGHAVA SHOP NO 4,SAIJYOT BLDG GUPTE ROAD ,VISHUNAGAR DOMBIVALI-421201	19/02/2001				
29	034574	Mr ANANDWALA VYOMESH MAFATLAL FLAT NO 404, 4TH FLCOP TULSI II, BONBON LANE 4 BUNGLOWS, ANDHERI(WEST) MUMBAI-400053	12/01/2000				
30	035796	Mr SHAH DEEPAK KANTILAL DARSHAN NEAR RAILWAY CROSSIN AMUL DAIRY RD ANAND-388001	03/02/2001 G				
31	037718	Mr NANDHA MANILAL JAMNADAS M J NANDHA & CO, 3 RAVALIA PLOT PORBANDAR-360575	16/09/2000				
32	038326	Mr AGRAWAL VIVEK KUMAR 502/3-B, SIDDHIVINAYAK CO HSG SOC WESTERN EXPRESS HIGHWAY ASHA NAGAR, BORIVALI - EAST MUMBAI-400066	13/11/1999				

## THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

27. Cuffe Parade, Colaba Mumbai - 400 005

#### NOTIFICATION

(Chartered Accountants)

-3 DEC 2001

3WCA(4)/3/2000-2001 In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute at their Request with effect from date(s) mentioned against the names of the following members:-

S No.	MRN	Member Name & Address	Removal Dt
1	000849	Mr SHROFF PESTONJI SORABJI 808 KHUSHNUM DR AMBEDKAR RD DADAR MUMBAI-400014	14/03/2001
2	007195	Mr. KHATLAWALA JYOTINDRA JASVANTLAL A-9, PRERANA,OPP H P PUMP S V RD SANTACRTUZ(WEST) MUMBAI-400054	31/03/2000
3	036040	Ms SWATI SIDDHARTH PRATAP C/O DR K L SHAH 26 DAR UL MULIK 26 PANDTA RAMABAI ROAD MUMBAI-400007	01/04/2000
4	038502	Mr. AHUJA SUNIL JAWAHARLAL B-10-6, 1ST FLOOR,1;2 SECTOR 15, VASHI NAVI MUMBAI-400703	15/08/2000
			0111111

( Dr. ASHOK HALDIA) SECRETARY THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA NEW DELHI

3<sup>rd</sup> December, 2001

## (CHARTERED ACCOUNTANTS)

No.25-CA(43)/91: In exercise of the powers conferred by sub-Section (2) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949 and in terms of the provisions of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that Shri Gupta Hemant Kumar, 35, Kamayani Kunj, 69, I.P. Extension, Patpar Ganj, New Delhi-110 092 (Membership No.82016) has been found guilty, by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, of professional misconduct within the meaning of Clause (1) of Part III of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 read with Sections 21 and 22 of the said Act. In respect of the aforesaid misconduct, the Council of the Institute, after affording an opportunity of hearing under Section 21(4) of the said Act to the said Shri Gupta Hemant Kumar, has ordered that his name be removed from the Register of Members for a period of one month. In pursuance thereof, it is hereby notified that the name of said Shri Gupta Hemant Kumar (M.No.82016) shall stand removed from the Register of Members for a period of one month with effect from 29<sup>th</sup> December, 2001.

Bruker

(T. KARTHIKEYAN)
ADDITIONAL DIRECTOR (SPL. GRADE)

No.25-CA(76)/92: In exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949 and in terms of the provisions of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that Shri Gupta Narendra Kumar, F.C.A., Chartered Accountant, A-45, Sector XXVI, Noida-201 301, (Dist.) Gautam Budh Nagar (U.P.) (Membership No.16064) has been found guilty, by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, of professional misconduct within the meaning, inter alia, of Clause (11) of Part I and Clause (1) of Part III of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 read with Sections 21 and 22 of the said Act. In respect of the aforesaid misconduct, the Council of the Institute, after affording an opportunity of hearing under Section 21(4) of the said Act to the said Shri Gupta Narendra Kumar, has ordered that his name be removed from the Register of Members for a period of six months. In pursuance thereof, it is hereby notified that the name of said Shri Gupta Narendra Kumar (Membership No.16064) shall stand removed from the Register of Members for a period of six months with effect from 29<sup>th</sup> December, 2001.

formula a

(T. KARTHIKEYAN)
ADDITIONAL DIRECTOR (SPL. GRADE)

## The Institute of Chartered Accountants of India

(Decentralised Office) 7, Russell Street, Calcutta - 700 071

No 3N 200 it is	tification N CA(4)/1/19 00 dated 201 shereby noti	(Chartered Accountants)  O0-2001: With reference to this Institute's Nos. 3ECA/4/2/1999-2000 dated 11 Apr 2000, 1999-2000 dated 01 Mar 2000, 3SCA(4)/4/1999-Jan 2000, 3WCA(4)/3/99-2000 dated 31 Mar 2000, fied in pursuance of Regulation 20 of the Chartered		054939 055284	Mr. MEHRA ASHWANI ACA C/O DABUR NEPAL PVT LTD PO BOX 14375 TINKUNNE NEPAL KATHMANDU 0 NEPAL  Mr. SEN SANDEEP ACA 770A,BLOCK P NEW ALIPORE KOLKATA 700053
cot Ins	nferred by I stitute of C rospectively	Regulations, 1988 that in exercise of the powers Regulation 19 of Regulations, the Council of the Chartered Accountants of India has restored to the Register of members with effect from a names of the following members.	11	055720	Mr. VERMA MANOJ KUMAR ACA 18,LAKHI PALLI P.O.MOREPUKUR, DT: HOOGHLY RISHRA 0
s.N	No. MR	N Member Name & Address	12	058214	Ms. GUPTA SUNETRA ACA 9B/2A GOBINDAPUR ROAD LAKE GARDENS KOLKATA 700045
1	015958	Mr. BANDYOPADHYAY KALYAN KUMAR ACA 52 CHANDI GHOSH ROAD KOLKATA 700040	13	080628	Mr. MENON SRIKUMAR ACA CHIEF EXECUTIVE CORPORATE AND COMMERCIAL BOC INDIA LTD KOLKATA 700088
2	022140	Mr. RAVI MOHAN N ACA ACCOUNTS MANAGER HINDUSTAN LEVER LIMITED DIST: TINSUKIA DOOM DOOMA 786151	14	090317	Mr. ROY BISWA JIVAN ACA FLAT NO-H-7 CLUSTER X PURBACHAL SALT LAKE KOLKATA 700097
3	050152	Mr. SETH ALOK NATH ACA 35 UPENDRA CHANDRA BANERJEE ROAD KOLKATA 700054			ANI HILL
4	051752	Mr. BEDIA NATWAR LAL FCA C/O GAJANAN SECURITIES SERVICES LTD 9/12 LAL BAZAR STREET A BLOCK 3RD FLOOR KOLKATA 700001			(ASHOK HALDIA) SECRETARY
5	052499	Mr. CHINCHELA ASHOK FCA NEAR SBI TULISIPUR BRANCH DEULASAI TULISIPUR CUTTACK 753008			
6	052852	Mr. BASOTIA PANKAJ KUMAR FCA 863 LAKE TOWN BLOCK A KOLKATA 700089			
7	053082	Mr. SAREEN VISHAL ACA 7B HEMCHHAYA 40 IRON SIDE ROAD KOLKATA 700019			
8	054167	Mr. CHAKRABARTI PARTHA ACA 843 BLOCK -O NEW ALIPORE KOLKATA 700053			

## The Institute of Chartered Accountants of India

(Decentralised Office) 7, Russell Street, Calcutta - 700 071

3ECA/5/3/2000-2001: With reference to this Institute's
Notification Nos.3ECA/4/11/1982-83 dated 31st Mar,1983,
3ECA(4)/12/1983-84 dated 31 Mar 1984, 3CCA/4/6/1986-87
dated 28 Jan 1987,3ECA/4/4/1993-94 dated 1st Feb, 1994,
3ECA(4)/3/1994-95 dated 03 Feb,1995, 3ECA(4)/2/1996-97
dated 20 Dec 1996, 3ECA/4/3/1998-99 dated 12th May,1999,
3ECA/4/2/1999-2000 dated 11th Apr,2000, 3ECA/4/3/2000-2001
dated 22nd Feb,2001 and 3ECA/4/3/2000-2001 dated 26th
Mar,2001, it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of
the Chartered Accountants Regulations, 1988 that in exercise of
the powers conferred by Regulation 19 of Regulations, the Council
of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to
the Register of members with effect from the dates mentioned
against their names, the names of the following members:-

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restored dt.
1 00	01864	Mr. JANTRANIA BHAGWANDA MANILAL FCA 26 SARAT BOSE ROAD 'BASUDHARA' FLAT 43 KOLKATA 700020	.S 08/12/2000
2 00	)4248	Mr. DAS BIRENDRA KISHORE 50-06-46 ST. APT /3A WOODSIDE, QUEENS U.S.A. NEWYORK 11377 NEW YORK	FCA . 01/10/1999
3 00	)4796	Mr. SHARMA KESHAR DEO F M/S K D SHARMA & CO 23/1 DOBSON ROAD HOWRAH 711101	CA 08/12/2000
<b>4 0</b> 0	06323	Mr. BHUTANI OM PARKASH 12B LORD SINHA ROAD FLAT NO-4 KOLKATA 700071	FCA 08/12/2000
5 00	7555	Mr. AGRAWAL TARA CHAND 152 RAJA R L MITRA ROAD "IDEAL APARTMENT" 7TH FLOOR FLAT NO 7C & D KOLKATA 700010	FCA 08/12/2000
6 00	8019	Mr. KAMLANI ABDUL KARIM P.O.BOX-88 SHARJAH, U A E O U A E,	FCA 08/12/2000

7	008725	Mr. NAG TUSHAR KANTI FCA 08/12/2000 699-B NEW ALIPORE BLOCK-P
		KOLKATA 700053
8	009511	Mr. MAJUMDAR RAJAT KANTI ACA B-6/38 DIAMOND PARK 17/01/2001 JOKA KOLKATA 700104
9	009648	Mr. KAPOOR ASHOK KUMAR FCA 139 DAKSHINDARI ROAD 08/01/2001 TRIMURTI APARTMENTS KOLKATA 700048
10	010178	Mr. SEN MIHIR KUMAR FCA 08/12/2000 19 COBBLESTONE COURT OAKLAND NJ 07436 USA 0 U S A
11	011976	Mr. RAJENDRA PRASAD FCA 08/12/2000 VICE PRESIDENT INCOME TAX APPELLATE TRIBUNAL 225/C A J C BOSE ROAD KOLKATA 700020
12	012429	Mr. GHOSH ARABINDA ACA 08/12/2000 164A/6/1 LAKE GARDENS KOLKATA 700045
13	012451	Mr. PASSARY PRAHALAD BHAGAT ACA AJANTA APPARTTMENTS 07/03/2001 FLAT NO 8A 10 GURU SADAY ROAD KOLKATA 700019
14	013905	Mr. BARMAN PRASANTA KUMAR ROY FCA P-26 KANUNGO PARK 08/12/2000 GARIA . KOLKATA 700084
15	020527	Mr. PARTHASARTHY K FCA 08/12/2000 643/B O BLOCK NEW ALIPORE KOLKATA 700053

Mr. SIVASANKARAN K A ACA 08/12/2000

08/12/2000

FD-322 GROUND FLOOR

17 040182 Mr. SUBUDHI K RANJAN KUMAR FCA C/O M/S A M JAIN & CO

> 37 HAMAM STREEET OPP: TO HAMAM HOUSE MUMBAI 400023

NEAR FD PARK SECTOR 3 SALT LAKE CITY KOLKATA 700091

16 023503

18 050044	Mr. GUHA MAJUMDAR SATYABRATA ECTP PHASE IV 10/1 B TYPE FLAT 14/12 KOLKATA 700078	FCA 32 10/2000		Mr. TULSYAN RAMSWAROOP FCA R S TULSYAN & CO 08/12/2000 62 BENTINCK STREET 3RD FLOOR KOLKATA 700069
19 050052	Mr. SIRCAR ANJAN ACA 08/1 2 LAKE VIEW ROAD KOLKATA 700029	12/2000	051833	Mr. BHOTIKA PREM KUMAR FCA 65 BAZAL PARA LANE 08/12/2000 SALKIA
20 050126	Mr. SETH BODH RAJ FCA 08/1 19A DEODHAR STREET FLAT NO B1-214 NANDANIK APARTM KOLKATA 700019	12/2000 MENT , 34	051843	Mr. MISHRA ABHAY FCA 08/12/2000 C/O M/S RAJESH CHATURVEDI
21 050334	Mr. JAIN BHAGCHAND FCA 08/1 2B GRANT LANE	12/2000		& ASSOCIATES 337 PARNASREE KOLKATA 700060
22 050567	2ND FLOOR KOLKATA 700012  Mr. BAFNA MADANLAL FCA 08/1	35	052140	Mr. SARAWAGI VUAY KUMAR FCA M/S V K SARAWAGI & CO 08/12/2000 ROOM NO 401 MANGALAM
22 030307	20 A RAMESH MITRA ROAD KOLKATA 700025		052216	24 HEMANT BASU SARANI KOLKATA 700001 Mr. KUNDU NANI GOPAL FCA 08/12/2000
23 050623	(IN BETWEEN HALTU BAZAR &	02/2001		3/B BELIAGHATA MAIN ROAD KOLKATA 700085
24 050777	TARUN SERVICE STATION) KOLKATA 700078		052380	Mr. SAHA BISWANATH ACA 08/12/2000 PO & VILLAGE: BIDHANGARH KOLKATA 700066
24 050777	9 RAJIV APARTMENTS 19B MANDEVILLA GARDEN KOLKĄTA 700019			Mr. JAIN AJIT KUMAR ACA 08/12/2000 MANI- TOWERS, FLAT DA-1 31/41 BINOBA BHAVE TOAD DAKSHINA BLOCK KOLKATA 700038
25 050971	Mr. JAIN NARESH KUMAR FCA 08/1 4C 'ORBIT' I GARSTIN PLACE KOLKATA 700001		052550	Ms. GHOSE MADHUMITA ACA 09/11/2000 66 HINDUSTHAN PARK KOLKATA 700029
26 051102	Mr. DIG GOPAL CHANDRA ACA 08/1 AREA FINANCE MANAGER WESTERN JHARIA AREA PO: MOONIDIH	12/2000 40	052617	Mr. BANERJEE ANJAN ACA 30/11/2000 71 S N BANERJEE ROAD KOLKATA 700014
27 051178	DHANBAD 828129  Mr. ROY SEKHAR KANTI ACA 08/14/17, PURBAPALLI 24 PARGANAS SODEPUR 743178		052693	Mr. BHATTACHARYYA SAMIR KUMAR, FCA MANAGER FINANCE & ADMINISTRATION KAGEM MINING LIMITED 08/J2/2000 P O BOX 21657 KITWE ZAMBIA 0 ZAMBIA
28 051398	36 GANESH CHANDRA AVÈNUE KOLKATA 700013	42 12/2000	052755	Mr. SARKAR DEBASISH FCA 08/12/2000 208 N S C BOSE ROAD FLAT NO # 1D KOLKATA 700040
29 051416	Mr. JHANWAR RAM AWTAR FCA 23/1A GARIAHAT ROAD(WEST) 08/1 KOLKATA 700068	12/2000 43		Mr. AGARWAL KESHAV FCA 08/12/2000 225 PRANTIK PALLI KOLKATA 700042
30 051457	Mr. BANERJEE NARAYAN ACA 08/1 15-B,HAZRA ROAD KOLKATA 700026	12/2000 - 44	052992	Mr. SEKHON RAMINDER SINGH ACA MA-1/6 FLAT 2B 08/12/2000 GARDEN ESTATES KOLKATA 0
31 051467	Mr. BASU SWAPAN FCA 08/1 KAMALPUR PLOT BENA CHITY , DURGAPUR 713213	12/2000 45	053136	Mr. BOSE AJAY KUMAR ACA 08/12/2000 1/13 PAIK PARA ROW KOLKATA 700037

46 053396	Mr. DUTTA CHOUDHURY DIBYENDU FCA 41 RAIL VIHAR 08/12/2000 SECTOR-30 NOIDA 201303	58 054343	Mr. NANGALIA SANJAY ACA 08/12/2000 PO BOX 2232 RUWI, POSTAL CODE-112 SULTANATE OF OMAN 0 SULTANATE OF OMAN
47 053450	Mr. NANDI BASHU DEB FCA 08/12/2000 M/S B NANDI & CO. 86 PURBA SINTHEE BYE LANE (MAIDAN PALLY) KOLKATA 700030	59 054350	Mr. LOYALKA SANJAY KUMAR ACA C/O HINDUSTHAN GAS & INDUSTRIES LTD 22 NEW TANGRA ROAD 08/12/2000 KOLKATA 700046
48 053576	Mr. JAIN BIJAY RAJ FCA 08/12/2000 ' 32 EZRA STREET, ROOM NO 1062 10TH FLOOR KOLKATA 700001	60 054641	Mr. SARKAR JOY ACA 01/12/2000 FLAT NO IC, SHIVAM APPARTMENTS, 134 PURBA PALLY, KASBA(HALTU) KOLKATA 700078
49 053679	Mr. BOKARIA ASHOK KUMAR FCA A K BOKARIA & CO 08/12/2000 113 NETAJI SUBHAS ROAD 3RD FLOOR ROOM NO 40 KOLKATA 700001	61 054744	Mr. SENGUPTA SUPRIYA ACA 06/02/2001 C/O D DASGUPTA P-80A LAKE ROAD 2ND FLOOR KOLKATA 700029
50 053693	Mr. JAIN ARUN KUMAR FCA 08/12/2000 C/O B C JAIN & ASSOCIATES 2B GKANT LANE 2ND FLOOR ROOM NO 74 KOLKATA 700012	62 054835 63 054858	Mr. AGARWALA ASHOK KUMAR FCA 36 MAHARSHI DEVENDRA ROAD08/12/2000 ROOM NO 606 KOLKATA 700006  Mr. KHETAN ARUN PRAKASH ACA
51 053704	Mr. GOSWAMI ASIS KUMAR ACA DY MANAGER 08/12/2000 WCL MAJRI AREA		C/O MAHESH KUMAR AGARWAL 08/12/2000 FLAT NO 308 BLOCK A 138 G T ROAD HOWRAH 711101
KUCHNA	C-14 KUCHNA HOUSING COMPLEX PO: SHEMBAL CHANDRAPUR 4/2907	64 054890 2000	Mr. PATJ PROMOD KUMAR ACA 03/11/ D-22 NDDB CAMPUS WESTERN EXPRESS HIGHWAY
52 053886	Ms. GUPTA KUSUM ACA 11/12/2000 10/9 GOBINDPUR ROAD KOLKATA 700045	<b>45.</b> 05.4000	GOREGAON(EAST) MUMBAI 400065
53 053967	Mr. RAVINDRAN S ACA 08/12/2000 IDBI BÁNK LTD 101 PARK-STREET KOLKATA 700016	65 054920	Mr. CHOUDHARY SANJAY KUMAR FCA 29 N S B ROAD 08/12/2000 DT BURDWAN RANIGANJ 713347
54 054182	Mr HOR PARTH PRATIM ACA 08/12/2000 CHIEF FINANCE OFFICER TASTY BITE EATABLES LTD R-4 KOHINOOR ESTATE WAKDEWADI	66 054941	Mr. PATRO P RAJARAO ACA 08/12/2000 303 NIHARIKA APARTMENT CUTTACK ROAD BHUBANESWAR 751007
55 054291	BOMBAY PUNE ROAD PUNE 411003  Mr AGARWAL ARUN KUMAR FCA 11 CLIVE ROW 08/12/2000	67 055021	Mr SIPANI DILIP KUMAR FCA 08/12/2000 PRAMESHWARI BUILDING 4TH FLOOR, CHATRIBARI ROOM NO 7 GUWAHATI 781001
	3RD FLOOR, R.NO. 2B KOLKATA 700001	68 055186	,
56 054307	Mr. PUROHIT ASHARAM FCA 08/12/2000 35 SIR HARIRAM GOENKA STREET KOLKATA 700007		FLAT NO B-4-E SNEHA GARDEN 28 RAI BAHADUR ROAD KOLKATA 700053
57 054336	Mr. TANDON VIJAY ACA 08/12/2000 HB-292/1 SALT LAKE SECTOR-III KOLKATA 700091	69 055202	

70	055266	Mr GOEL SANJAY ACA PO-BOX 60552 GABORONE BOTSWANA 0	08/12/2000	82	055870	Mr MUKHOPADHYAY GOUTAMANSHU ACA 29/1 RAI MOHAN BANERJEE ROAD KOLKATA 700035 08/12/2000
		BOTSWANA		83	056048	Mr BIYANI ALOK KUMAR ACA DINESH APARTMENTS 08/12/2000
71	055411	Mr GUPTA NIKHILESH ACA BLOCK 852 TAMPINES STREET 82 #06-205	04/01/2001			FLAT NO A 5 3 113/3 DAKHINDARI ROAD, SHREEBHUMI KOLKATA 700048
		SINGAPORE 520852 SINGAPORE		84	056144	Mr GUPTA SANDEEP ACA 08/12/2000 C/O G S GUPTA 6A KIRAN SHANKAR ROY ROAD
72	055493	Mr PANI BRAHMANANDA FCA D-2 FACULTY HOUSING NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN				SECOND FLOOR KOLKATA 700001
		PALDI AHMEDABAD 380007	•	85	056245	Mr BOHRA DEVENDRA KUMAR ACA HOTEL ANAND BUILDING 08/12/2000 KHOYATHONG ROAD
73	055505	Mr VARADHARAJAN V ACA FLAT NO 2A 2ND FLOOR 18 KARUNAMOYEE GHAT ROAD	08/12/2000			MANIPUR IMPHAL 795001
		KOLKATA 700082		86	056424	Mr SANGANERIYA MAHESH KUMAR FCA MAHESH SANGANERIYA & CO 08/12/2000
74	055582	Mr DATTA BISWAJIT ACA 1 RAMMÖHAN PLACE DT HOOGHLY KONNAGAR 712235	08/12/2000			BAJRANG BHAWAN,1ST FLOOR, FANCY BAZAR OPP UCO BANK GUWAHATI 781001
75	055617	Mr PAL DILIP ACA A 2/2 NIRODE APTT "L" ROAD BISTUPUR	08/12/2000	87	056498	Mr AGRAWALLA SANJAY KUMAR ACA PLOT NO N3/410 08/12/2000 I R C VILLAGE NAYAPALLI
74	055620	JAMSHEDPUR 831001  Mr ASHOK KUMAR FCA	08/13/2000			BHUBANESWAR 751015
70	033029	M/S AGARWAL MAHESWARI & CO 2B GRANT LANE ROOM NO 88 4TH FLOOR KOLKATA 700012	08/12/2000	88	056512	Ms SIPANI MONIKA FCA . 08/12/2000 PARMESHWARI BUILDING 4TH FLOOR ROOM NO 7 CHATRIBARI GUWAHATI 781001
77	<b>\$55643</b>	Ms BANTHIA ASHA M ACA 69T PRINCE BAKHTIAR SHAH ROA KOLKATA 700033	08/12/2000 AD	89	056633	Mr TOSHNIWAL LALIT ACA 08/12/2000 EXPECTRUM SOLUTIONS 22/9 MANOHARPUKUR ROAD
78	055650	Mr SUDHIR KUMAR ACA FLAT 12C MINTO PARK SYNDICAT 13 D L KHAN ROAD	08/12/2000 E	00	0 <b>5</b> 6609	KOLKATA 700026  Mr SEN DIPAK ACA 98/12/2000
		ALIPORE KOLKATA 700027		90	030098	C/O MR SAMIR KUMAR DUTTA 9 KHELAT BABU LANE KOLKATA 700037
79	055651	Ms KUMAR JYOTI FCA MANAGER	08/12/2000	91	056928	Mr TRIVFDI PRAVEEN KUMAR ACA
		GLOBAL TRUST BANK OM TOWER 32 CHOWRINGHEE ROAD KOLKATA 700027				356/26 S K BOSE SARANI 08/12/2000 KALINDI WEST 4TH FLOOR CHASI PARA KOLKATA 700030
80	055706	Mr ADHIKARY HIMANSU KUMAR 160A JADAV GHOSH ROAD SARSUNA KOLKATA 700061	FCA 08/12/2000	92	056977	Mr SURANA ANAND KUMAR ACA C/O ALEXANDRIA CARBON BLACK CO SAE EL NAHDA ROAD 15/12/2000 AMREYA, ALEXANDRIA
81	055804	Mr BARUA BHASKAS JYOTI ACA ASSAM TEA BROKERS PVT LTD				EGYPT 0 EGYPT
		RUKMININAGAR G S ROAD GUWAHATI 781006		93	057018	Mr GUPTA PRASHANT ACA 08/12/2000 SHANTI NAGAR BLDG NO 5 FLAT NO 27 LILUAH HOWRAH 711204

94 05	041 Mr MAJUMDAR ASHISH ACA 188/61 PRINCE ANWAR SHAH ROA KOLKATA 700045	08/12/2000 AD	107 057777	Mr GARODIA ALOK ACA 08/12/2000 FRITO LAY J174 VIJAY RATTAN VIHAR
95 05	071 Mr GADHWALA RAJ KUMAR - FO	CA		SECTOR 15(PART II) GURGAON 0
	65 N S B ROAD GHOSH MARKET IST FLOOR, ROOM NO 19 RANIGANJ 713347	08/12/2000	108 057938	Mr AGARWAL ANIL ACA 08/12/2000 8 BANSTALLA LANE KOLKATA 700001
96 05	096 Mr RATHI SHYAM SUNDAR AC I D B I NARIMAN BHAWAN NARIMAN POINT MUMBAI 400021	A 09/02/2001	109 058052	Mr LENKA BIJAY KUMAR ACA 09/10/2000 AUTOMOTIVE WIRING SYSTEMS LTD 4 MILE POST NAGAR ROAD PUNE 4111014
97 05	165 Mr SHARMA RAJESH ACA 3E CRESCENT TOWER 229 A J C BOSE ROAD KOLKATA 700020	08/12/2000	110 058068	Mr CHATTOPADHYAY DEBDULAL ACA UTTARYAN 08/12/2000 HOUSE NO 42 DT HOOGHLY RISHRA 712102
98 05	174 Mr SARAWAGI SURESH KUMAR 37 DR ABANI DUTTA ROAD GAGANANCHAL COMPLEX HOWRAH 711106	ACA 08/12/2000	111 058085	Mr CHOUDHURY BIKASH ACA 08/12/2000 B CHOUDHURY & ASSOCIATES C/O CHOUDHURY HOUSE NEHRU ROAD
99 05	264 Mr SAMAJDAR BIPLAB ACA 10 KIRAN SANKAR ROY ROAD 3RD FLOOR KOLKATA 700001	08/12/2000	112 058116	SILIGURI 734405  Mr JAIN AMIT KUMAR ACA 08/12/2000 C33 SUNRISE FLAT NO 605 & 606 SHASTRI NAGAR NEAR LOKMANDWALA
100 05	389 Mr KALANI RAJESH KUMAR A C/O R S R MOHOTA SPG & WVG N PO HINGANGHAT	•	112 059103	ANDHERI (W) MUMBAI 400053
101 05	DT. WARDHA WARDHA 0 450 Mr MISHRA NILADRI PRASAD	ACA	113 038192	Mr GHOSH PRADYUMNA ACA 07/02/2001 ITH LTD 108 EMBASSY CENTRE 11 CRESCENT ROAD
	PLOT NO N/1/70 NAYAPALLI BUII N H 5 BHUBANESWAR 751013	LDING 08/12/2000	114 058199	BANGALORE 560001  Mr DHANUKA SAJAN ACA 08/12/2000 12 MANGOE LANE
102 05	VSNL.	ACA 08/12/2000	115 058202	KOLKATA 700001 Mr JAIN RAJESH KUMAR ACA 08/12/2000
103 05	L.VS B KASHINATH DHURU MAI PRABHADEVI MUMBAI 400028 497 Mr KÅRTHIKEYAN B ACA	08/12/2000	115 050,02	127 NETAJI SUBHASH ROAD 4TH FLOOR ROOM NO 402 KOLKATA 700001
100 00	CORPORATION BANK-ZONAL OF 16/10 ARYA SAMAJ ROAD KAROL BAGH NEW DELHI 110005		116 058336	Mr CHOKHANY ARVIND ACA 08/12/2000 FD-16 SECTOR III SALT LAKE CITY KOLKATA 700091
104 05	518 Mr GUPTA ARUN KUMAR ACA 33 ABHOY GUHA ROAD PLOT NO 201 LILUAH HOWRAH 711204	08/12/2000	117 058435	Mr PATNAIK RAJSEKHAR ACA 14/12/2000 NIRMAL BHAVAN DR NO 15-97 ARUNDHATI COLONY CANTONMENT
105 05	622 Mr KUMAR MUKESH ACA 6/1/1 PADMAPUKUR (NETAJI NA KOLKATA 700092	08/12/2000 GAR)	118 058556	Mr SINGHAL RAJESH KUMAR ACA 23 MITRA LANE 08/12/2000
106 05	665 Mr SOM BISWARUP ACA 4A/1 DHARMATALA ROAD IST FLOOR	08/12/2000	119 058569	KOLKATA 700007  Mr DHANDHANIA SURAJ KUMAR ACA
	KOLKATA 700042			228, M G ROAD 08/12/2000 2ND FLOOR, KOLKATA 700007

	3A MAHARAJ APARTMENT 2 BROAD STREET KOLKATA 700019	08/12/2000	133 (	059898	Mr. JAIN RITUM ACA 08/12/2000 FLAT 4A METRO TOWERS 1 HO CHI MINH SARANI KOLKATA 700071
	Mr. SINGH SANJIVE KUMAR CAPITAL ACCOUNTS GROUP GENERAL OFFICE BLDG. TATA STEEL JAMSHEDPUR 831001	08/12/2000	134	060009	Mr. AGARWAL VIKAS KUMAR SENIOR ACCOUNTANT DELOITTE & TOUCHE P O BOX 778 BOTSWANA GARORONE 0
122 058876	Mr. MOHANTY DIPTI RANJAN AG PLOT NO 3934 GOVINDASWAR ROAD OLD TOWN BHUBANESWAR 751002	CA 28/09/2000	135	060091	GABORONE 0 BOSTWANA  Mr. BANDYOPADHYAYA DEBDULAL ACA M/S D K DE SARKAR & CO 08/12/2000
123 058901	Ms. ARORA SIMMI ACA A-1/2/203 SUCHIDHAM, IOC COMPLEX	08/12/2000			167/4 LENIN SARANI 2ND FLOOR KOLKATA 700072
	GENERAL A K VAIDHYA MARG MALAD(EAST) MUMBAI 400097		136	060193	Mr CHHAWCHHARIA AMIT CITIBANK NA CITIBANK CENTRE PLOT C061 BANDRA KURLA COMPLEX
124 058992	Mr. BHAGANIA ANURAG ACA A/31 TAKSHASHILA APARTMENTS 57 I P EXTENSION DELHI 110092	08/12/2000	137	089188	BANDRA(EAST) MUMBAI 400051 Mr. MALLICK AMBIKA PRASAD
125 059238	Mr GUPTA VIVEK ACA SHANTI NAGAR BLDG.NO.5, FLAT-27 LILUAH HOWRAH 711204	08/12/2000			BISWAJIT FCA 08/12/2000 S K SAMAL & ASSOCIATES B-221 HIG DUPLEX BARMUNDA BHUBANESWAR 751003
126 059258	Mr. BANTHIA LAXMIPAT ACA FLAT 5EC MANIKANCHAN 5/1/1B DR RKM SARANI	08/12/2000	138	105724	Mr PANSARI KARUNAKAR ACA 08/12/2000 C/O ANNAPURNA RICE MILLS BARGARH 768028
127 059294	KOLKATA 700019  Mr. DALMIA ANIL KUMAR ACA C/O M/S G GARG & CO	08/12/2000	139	107255	Ms DHARNIDHARKA MANISHA ACA A5H,SNEHA GARDENS, 08/12/2000 28,RAI BAHADUR ROAD, KOLKATA 700053
128 050202	14/2 OLD CHINA BAZAR STREET IST FLOOR KOLKATA 700001 Mr. NAHATA SANJAY KUMAR AG	⊇ <b>A</b>	140	200282	Mr. ANANDAKUMAR P ACA C/O QUEST INTERNATIONAL 6 SAKI VIHAR ROAD SAKINAKA
128 039302	BLUE HILL APPARTMENT FLAT NO B-4 3RD FLOOR AD-RABINDRAPALLY, KESHTOPUI KOLKATA 700059	08/12/2000	141	206143	MUMBAI 400072  Mr. ROUTRAY KALAGOLAP ACA 08/12/2000 P.O. BALITUTH
129 059306	Mr. JAIN SUNIL KUMAR ACA C/O LODHA CAPITAL MARKETS L 13/3 STRAND ROAD KOLKATA 700001	08/12/2000 TD	142	207407	VIA KUJANG DISTT - JAGATSINGHPUR ORISSA JAGATSINGHPUR 754141 Mr. SARANGI RAJENDRA KUMAR ACA
130 059404	Mr. JAIN RAKESH KUMAR ACA C/O ABHAY KUMAR JAIN ROSHAN MARKET 2ND FLOOR FANCY BAZAR GUWAHATI 781001	08/12/2000	142	207497	C-7 PARKVIEW APARTMENTS 08/12/2000 IST PROFESSORS COLONY TAMBRAM EAST CHENNAI 600056
131 059420	Mr. PRASAD LAXMAN KUMAR C/O.VOLTAS LTD GILLANDER HOUSE 8,N.S ROAD KOLKATA 700001	ACA 08/12/2000	143	057506	Mr. AGRAWAL SUDARSHAN KUMAR FCA 7/1A GRANT LANE 08/12/2000 2ND FLOOR KOLKATA 700012
132 059832	Mr. MUNDRA RITESH KUMAR A C/O P K MUNDRA & CO 1 CROOKED LANE 119 MERLIN CHAMBERS KOLKATA 700069	CA 08/12/2000			AlyLLA, Lac (ASHOK HALDIA) SECRETARY

## The Institute of Chartered Accountants of India

10 054308 Mr. GUPTA SHIV SHANKAR

11 054593. Mr. GUPTA PREM KUMAR

DY CHAIRMAN, PARADEEP PORT TRUST,

DT JAGATSINGHPUR, PARADEEP 754142

11 CLIVE ROW, 3RD FLOOR,

ROOM NO 11, CALCUTTA 700001

(Decentralised Office) 7, Russell Street,

## Calcutta - 700 07t 10 DEC 2001

## (Chartered Accountants)

3ECA/5/5/2000-2001: In Notification No 3ECA/4/4/2000-2001 dated 26th March, 2001 removing the name of the members with

effect from 8 prescribed m included at s 47, 48, 58, 5	larch, 2001 removing the name of the members with 8th December, 2000 on occount of non-payment of embership fees, the name of the following members erial numbers 5, 8, 12,18, 25, 26, 30, 35, 37, 39, 43, 9, 61, 64, 66, 69, 72, 73, 74, 78, 80, 82, 85, 86, 87, 115, 117, 118, and 119 respectively be treated as	12 055065 13 055106	198B SARAT BOSE ROAD, CALCUTTA 700029
S.No. MRN	Member Name & Address	14 055715	Mr. SINGH SUBODH KUMAR ROOM NO-63H 3RD FLOOR,
1 006998	Mr. MAJUMDAR SUSHIL KUMAR 36/3 P G M SHAH ROAD, ANJALI APARTMENTS, FLATA1, CALCUTTA 700033	15 055782	161/1 MAHATMA GANDHI ROAD, CALCUTTA 700007 Mr. LUHARUKA PRADEEP KUMAR 90/95 RAJARHAT ROAD, GANGA APARTMENT, 3RD FLOOR,
	Mr. DASGUPTA SHIVAJI C/O P SARKAR & ASSOCIATES, 35 CHITTARANJAN AVENUE, 3RD FLOOR, CALCUTTA 700012	16 055940	CALCUTTA 700059  Mr. MUKHERJEE SRINATH LANSDOWNE SQUARE MANSION, 30-B PADDAPUKUR ROAD, CALCUTTA 700020
3 050151	Mr. MOOKIM RAJENDRA KUMAR MOOKIM & ASSOCIATES, MOOKIM BHAWAN 2ND FLOOR, G T ROAD, ASANSOL 713301	17 056221	Mr. GHOSE CHOUDHURY S "MONALISA", 28/4, MOTUHEEL AVENUE CALCUITA 700074
4 051550	Mr. SARKAK PARIMAL P SARKAR & ASSOCIATES, 35 CHITTARANJAN AVENUE, 3RD FLOOR CALCUTTA 700012	18 056317	
5 052560	Mr. MEHTA ANAND CHAND B-1 GARDEN APARTMENTS, 2/10 SARAT BOSE ROAD, CALCUTTA 700020	19 056663	Mr. RAKSHIT SUBIR 3A, JAGADISH NATH ROY LANE, CALCUTTA 700006
6 052568	Mr. BAGCHI NANDAN KUMAR C/O PABITRAPADA CHAKRABORTY, 117 NANDAN KANAN SOUTH,	20 056737	Mr. PANI SAMARENDRA PLOT NO. 2132/5036, NAGESWAR TANGI LEWIS ROAD, BHUBANESWAR 751002
7 053372	DT 24 PARGANAS (NORTH), RAHARA 743186	21 056822	Mr. DEY SUBHASISH FLAT 2/3 'GODHULI APARTMENTS', AE-I RABINDRAPALLY, P O: PRAFULLAKANAN KRISHNAPUR, CALCUTTA 700059
8 053812	CALCUTTA 700069  Mr. TODI AJAY KUMAR 205 RABINDRA SARANI, 2ND FLOOR ROOM NO 81, CALCUTTA 700007	22 056886	Mr. GURUMURTHY N C/O M/S P SARKAR & ASSOCIATES, 35 C R AVENUE, 3RD FLOOR, CALCUTTA 700012
9 054063	Mr. SEN SABYASACHI C/O P M SEN, GROUND FLOOR, FLAT NO 1, 96 KANKULIA ROAD, CALCUTTA 700029	23 057116	Ms+AGRAWAL VINEETA 13A DACRES' LANE, 5TH FLOOR, ROOM NO 508, CALCUTTA 700069

24 057228 Mr. GOENKA KAMAL KUMAR 1/1E SOUTH SINTHEE ROAD, CALCUTTA 700050

25 057350 Mr. BANSAL RAMESH KUMAR
ITC LIMITED, 37 CHOWRINGHEE,
INTERNAL AUDIT DEPT (6TH FLOOR),
KOLKATA 700071

26 057623 Mr. KHANDELWAL VIKASH BLOCK A FLAT 501, 36 PALM AVENUE, CALCUTTA 700019

27 057641 Ms. BHANDARI DEEPALI 55D CANNING STREET, 1ST FLOOR, CALCUTTA 700001

28 057674 Mr. TOSHNIWAL JAIPRAKASH
ACCOUNTS EXECUTIVE,
HINDUSTAN COCA-COLA BEVERAGES
PVT. LTD.
PLOT: 11/11A DABGRAM INDUSTRIAL
GROWTH CENTRE, JALPAIGURI

29 058045 Ms. SINHA TANUJA C-6/4 GREEN TOWER, GOLF GREEN, CALCUTTA 700095

30 058436 Mr. PATTWARI SUNIL KUMAR
C/O-BABULAL AGARWAL,
156, BAITHAK KHANA ROAD, 2ND FLOOR,
CALCUTTA 700009

3 P 058752 Mr. ARORA PANKAJ P-92 BLOCK-B, 3RD FLOOR, BANGUR AVENUE, CALCUTTA 700055

32 059930 Mr. PANDA JAYANTA KUMAR C/O SANTOSH RATH, KALPANA SQUARE, QR NO-2 RB 1/2, ORISSA, BHUBANESWAR 751014

33 060108 Mr. MISHRA PARTHA SARATHI PLOT NO 270 1ST FLOOR, KHARVEL NAGAR, UNIT III, BHUBANESWAR 751001

34 060208 Mr. SARAF ROHIT 11A KALAKAR STREET, CALCUTTA 700007

35 060293 Ms. SUBRAMANIAN ARUNA 112/2 SELIMPUR ROAD, CALCUTTA 700031

> (ASHOK HALDIA) SECRETARY

AM 4 Ldi

# THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA 16/77 B, Civil Lines,

## Kanpur - 208 001

(Chartered Accountants)

11 DEC 201

3CCA(5)/2/2000-2001 With reference to this Institute's Notification

Nos 3CA(4) (6) / 1988-89 dated 09-02-1989, 3CCA(4) (6) / 1993-94 dated 01-12-1993,

3CCA(4) (1)/1996-97 dated 02/12/1996, 3CCA(4) (4)/1997-98 dated 12-03-1999,

3CCA (4) (1) / 1998-99 dated 23-04-1999, 3CCA(4) (1)/99-2000 dated 12-01-2000,

3CCA (4) (1) / 2000-2001 dated 02-02-2001, 3ECA (4) /3/1994-95 dated 03-02-95,

it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of members with effect from the dates mentioned against their names, the name of the following members -

S No	MRN	Member Name & Address	Restore Date	S No	MRN	Member Name & Address	Restore Date
1.	003312	Mr GUPTA MAHESH CHANDRA FCA 133/189 M BLOCK KIDWAI NAGAR KANPUR-208011	08/12/2000	8	014272	Mr SAXENA BIPIN KUMAR ACA FLAT NO. 40 JAI LAKSHMI APARTMENT PLOT NO 59	23/01/2001
2	007249	Mr TODI GOVIND RAM FCA MANASATI 2/I PARSI MOHALLA, GPO	08/12/2000			1 P EXTENSION DELHI-110092	
		INDORE-452001		9	028870	Mr SRINIVASAN R FCA 712 EXPRESS APARTMENTS	08/12/2000
3	008084	Mt. MEHTA RAMESH CHAND FCA SB-10 GANESH MARG	08/12/2000			VAISHALI GHAZIABAD	
		BAPU NAGAR JAIPUR-302015		10	030806	Mr TAVINDER JEET SINGH FCA	08/12/2000
4	010438	Mr SHARMA VASUDHA BALLABH FCA 28 SHAMLA HILLS ROAD BHOPAL	08/12/2000			61 MOTILAL NEHRU NAGAR S A F LINES BHILAI NAGAR DURG-490022	
5	012316	Mr SUJIT CHANDRA BANDOPADHYAY ACA DY GENERAL MANAGER CENTRAL BANK OF INDIA, MUMBAI MAIN OFFICE MAHATMA GANDHI ROAD, F	21/11/2000 FORT	11	039477	Mr. HEDA SUSHIL KUMAR ACA C-95 KAMALA NEHRU NAGA IST EXTENSION JODHPUR	08/12/2000 R
6	013085	MUMBAI-400023  Mr NAHATA	08/12/2000	12	043302	Mr WADJIKAR AJAY FCA SRUSTHI APARTMENT	08/12/2000
-	0.5000	CHANDANMAL ACA VARNDAVAN APARTMENT D-2 MEERA MARG	50/ 12/2000			FLAT NO 211 KHERAPATI ROAD GWALIOR	
		BANI PARK JAIPUR-302016		13	044600	Mr. BHANDARI BHAG	08/12/2000
7	013310	Mr SHARMA RAJENDRA FCA R SHANDILYA & CO AMRIT RAGHU NATIIJI KA M JAIPUR-302002				CHAND FCA C/O HIRALAL SOHANLAL MAHAVIR BAZAR BIJAINAGAR AJMER-305624	

S M No.	ALC 1	Member Name & Address	Restore Date	S. MRN No.	Member Name & Address	Restore Date
14. 0	44835	Mr. VELMURUGAN S ACA HPCL RAIPUR LPG PLANT MANDIR HASAND RAIPUR-492001	08/12/2000	23. 070286	Mr. JAIN MAHENDRA KUMAR FCA PRESIDENT ADITYA MILLS LTD MADANGANJ KISHANGARH-305801	08/12/2000
15. 0-	49701	Mr. DUGAR RAJNISH KUMAR ACA K II 8 TATA HOUSING CENTRE LALLU BHAI PARK ROAD	05/03/2001	24. 070318	Mr. GOEL ASHOK KUMAR FCA III-A/24 NEHRU NAGAR GHAZIABAD-201001	08/12/2000
16. 04	49852 '	MUMBAI-400058  Mr. MAKWANA  MITHA LAL ACA AT POST KHOD	08/12/2000	25 070328	Mr. AJMANI HARBANS SINGH FCA BUS STATION ROAD LAKHIMPUR LAKHIMPUR KHERI-262701	08/12/2000
17 0:	50953	DIST PALI PALI-306119  Mr. PISUPATI	04/01/2001	26. 070407	BEHARI FCA GROUND FLOOR "SAI DEEP" 7/29, TILAK NAGAR,	08/12/2000 BUILDING
		MADHAVAYYA ACA FLAT NO. 405 TIRUMALA RESIDENCY RAM NAGAR GUNDU VIDYANAGAT HYDERABAD-500044		27. 070449	KANPUR-208002  Mr. AGRAWAL VED PRAKASH FCA 71 ADARSH COLONY, CIVIL LINES RAMPUR-244901	08/12/2000
18 05	53419 \	Mr. SHARMA RAMESH KUMAR ACA D-32, DAFFODIL BUILDING ASHIANA GARDEN,	16/06/2000	28. 070712	Mr. DADU RAJENDRA KUMAR FCA R-14/53 NEW RAJ NAGAR GHAZIABAD-201002	08/12/2000
10.04		SONARI JAMSHEDPUR-831011		29. 070790	Mr. SHAH NAVEEN CHANDRA ACA 309 5TH AVE #	08/12/2000
19. 05	55977	Mr. GARG RATAN LAL FCA 299 VINOBA BASTI SRIGANGANAGAR-335001	08/12/2000		500, NEW YORK NY-10016 NEW YORK USA	
20. 05	56204	Mr. AGARWALA NARAYAN ACA C/O SARASWATI & CO A. C. DUTTA LANE	08/12/2000	30. 071228	Mr. RAJIV KRISHNA ACA NAZAR BAG BANDA-210001	08/12/2000
		F. A. ROAD KUMARPARA GUWAHATI-781001		31. 071537	Mr. EVANI SUDHAKAR FCA PLOT NO. 3, BLOCK NO. 29 WEST NEHRU NAGAR DIST DURG	08/12/2000
21. 05	8721	Mr. JAIN MANISH ACA PLOT NO. B-2 CITY CENTRE SECTOR-IV	08/12/2000	32. 071913	BHILAI-490020  Mr. JAIN MAHENDRA	08/12/2000
ማማ ለማ	/01 <b>7</b> 2	BOKARO STEEL CITY-827004	00/10/2000		KUMAR FCA 201 AMIT CHAMBERS	Jul 12/2000
22. 07	O1/3	Mr. NEERAJ KUMAR FCA 25/7 RAM BAGH ROAD MUZAFFARNAGAR-251001	08/12/2000		5-6 JAORA COMPOUND M. Y. H. ROAD INDORE-452001	

S No	MRia	Member Name & Address	Restore Dute	S No	MRN	Member Name & Address Restor Date
33	072019	Mr GHOSH AMITABII ICA CHANDEN COMPLEX NEAR KOTWALI RAIPUR	08/12/2000	42	072888	Mr SANJEEV KUMAR 08/12/2000 VIJAY ACA TREASURER MASSILLON STAINLESS IN 411 OBERLIN ROAD S W PO BOX-4813
34	072025	Mr. VERMA DINESH KUMAR ACA SATYA BHAWAN	08/12/2000			OH-44648 MASSILLION U S A
		KHAILAND MARKET AJMER		43	072969	Mr CHOUDHARY 08/12/200 SACHIDANAND ACA SHIV SADAN
35	072158	Mr. KHANDELWAL DINESH CHAND ACA 434 KESAV NAGAR ANNA SAGAR CIRCULAR RO. AJMER-305006	08/12/2000 AD	•		B. B. ROAD KARANIBAD JHARKHAND B DEOGHAR-814112
36	072200	Mr. AGARWALA SANJAY KUMAR FCA 30/220 FIRST FLOOR SANJAY PLACE	08/12/2000	44	073052	Mr KRIPA SHANKER ACA 08/12/200 SUPERINTENDENT ACCOUNTS C-3 PHASE-1 TCL COMPLEX BABRALA BADAUN-202521
37	072238	AGRA-282002  Mr BHADURI MOYUKH ACA SR. MANAGER (FINANCE) STEEL AUTHORITY OF INDIA BHILAI STEEL PLANT		45	073454	Mr RAJEEV MOHAN ACA 29/12/2(N) 278-C REGAL SHIPRA SUN CITY INDIRAPURAM GHAZIABAD
38	072271	BHILAI-490001  Mr PRAMOD KUMAR MAHESHWARI ACA ADA PHASE II	06/09/2000	46	073574	Mr GUPTA SURESH 08/12/200 KUMAR FCA 313 DHULA HOUSE BAPU BAZAR JAIPUR
		ARYA NAGAR RAMGHAT ROAD NEAR DR NAVNEET MAHESHWARI'S RÉSIDENCE ALIGARH		47	073626	Mr JAIN RAJESH ACA 08/12/200 R-58 ZONE-I M P NAGAR BHOPAL-462003
39	07 <b>2583</b> f	Mr MAHESHWARI SUNIL KUMAR DWARKADAS ACA M-20 MAHESH COLONY TONK PHATAK JAIPUR-302015	06/11/2000	48	073745	Mr CHATURVEDI KRISHNA 08/12/200 CHANDRA FCA IST FLOOR SHARDA MARKET CHATTA BAZAR MATHURA-281001
40	072611	Mr JAIN ASHOK KUMAR FCA 103, BARJATIA CHAMBERS 44 JAORA COMPOUND INDORE-452001	<b>A 08/12/2</b> 000	49	073879'	Mr TANDON LALIT 08/12/200 NARAYAN ACA MANAGER (F&A) BHARAT ALUMINIUM CO 1/1D PO BALCO TOWNSHIP KORBA-495684
41	072840	Mr. RAJ SHIROMANI SINGH FCA 134, MIG AVADHPURI LAKHANPUR KANPUR	08/12/2000	50	074005	Mr ANIL KUMAR 08/12/200 SHARMA FCA FLAT NO T-2 MANJUSHA APARIMENT B-7 RAMPRASTHA GHAZIABAD-201011

S. No	MKN	Member Name & Address	Restore Date	S. <u>No.</u>	MRN	Member Name & Address	Restore Date
51.	074060	Mr. TIWARI SANJAY KUMAR ACA KASTURI ANCHAL C-123 DR. R. K. COLONY BHILWARA-311001	08/12/2000	60.	074405	Mr. JAIN DINESH FCA ROOP KAMAL 13 BANK COLONY NAVRANG NAGAR BEAWAR-305901	08/12/2000
	074079 074098	Mr. MEHTA SURENDRA SINGH FCA SURENDRA SINGH MEHTA & 101 SIDDHARTH APARTMENT 51 MAHAVEER NAGAR INDORE-452001 Mr. AGRAWAL RAJESH		61	074528	Mr. KABRA ANIL KUMAR ACA FINANCE CONTROLLER JAIPRAKASH INDUSTRIES LT CAMP BASPA-II HYDROELEC PROJECT (300MVV) SHOLTU COLONY P.O. TAPRI KINNAUR-172104	TRIC
J.,	074078	KUMAR FCA 2ND FLOOR JANKI BHAWAN NEAR SHAHID PARK FREE G UJJAIN		62.	074726	Mr. SONI SANJIV ACA FINANCE MANAGER CBM PROJECT CELL CMPDI RANCHI-834008	08/12/2000
54	074104	Mr GEHANI RAVI FCA AL MOUWASAT HOSPITAL PO. BOX-282 DAMMAM-31411 SAUDI ARABIA	03/01/20001		074760	Mr. SHUKLA SUNEEL M ACA BIHARI SADAN 5 SHRINAGAR (ANNEXE) INDORE-452001	
55	074243	Mr. CHAUHAN RAJENDRA SINGH ACA DHARTINATH PAWILION BEHIND SHASTRI CIRCLE P.O UDAIPUR-313001	08'12/2000	64	074840	Mr TIWARI RAKESH ACA H. NO. 20/2528, TIWARI SADA PURANI BASTI KAN MAHAJA KA BAR GOVIND RAJION KA JAIPUR-302001	N
56.	074267	Mr. KHANDELWAL JEETMAL ACA 60 SHANTI KUNJ NEAR CIRCUIT HOUSE	08/12/2000	65	074976	Mr. SRIVASTAVA KRISHNA KUMAR FCA 117/H-1/304 MODEL TOWN PANDU NAGAR KANPUR-208005	08/12/2000
57.	07 <b>4286</b>	ALWAR-301001  Mr. PAREEK RAVINDRA FCA 303 & 304 SHRI GOPAL TOWE ASHOK MARG AHINSA CIRCI C-SCHEME JAIPUR-302001	R		075064 075204	Mr. SAXENA MUDIT ACA C/O NAVIN K AGRAWAL 215 DILEZAKPUR (NEAR DR SEN GUPTA) GORAKHPUR-273001  Mr. SOGANI MAHESH	08/12/2000 08/12/2000
58.	074328	Mr. JAIN ASHOK KUMAR FCA A-5 MOONLIGHT APARTMENT 70 I.P. EXTENSION	08/12/2000 F			KUMAR FCA 66-A RADIO MARKET NEHRU BAZAR JAIPUR-302001	3. <b>1. 2.</b> 3
59. (	074355	PATPARGANJ DELHI-110092 Mr. ZAIDI SANAUL	08/12/2000	68.	075212	Mr. VYAS RAJESH KUMAR FCA VYAS KUTI PURANI DEEG BHARATPUR-321001	08/12/2000
		HASAN FCA 117/556 P-1 BLOCK KAKADEO KANPUR-208025		69. (	075327	Mr. RAJESH KUMAR T FCA 25 MEHGNA SINGH MARKET GUMTI NO 5 KANPUR-208012	08/12/2000

S. MRN No.	Member Name & Address	Restore Dute	S. MRN No.	Member Name & Address Restore Date
70. 075370	Ms. CHHABRA RASHMI ACA CENTRAL BANK OF INDIA PARLIAMENT HOUSE NEW DELHI	08/12/2000	80. 076189	Mr. SHUKLA SHEKHAR FCA 08/12/2000 3/CH/19 JAWAHAR NAGAR JAIPUR-3Q2004
71. 075487	Mr. KHAN HAROON ACA PO BOX NO. 2832 KMPG CEAT MARWICK CHARTERED ACCOUNTANTS SALALAH-211 SULTANATE OF OMAN UAE	08/12/2000	81 076240	Mr. KHANDELWAL SHYAM 08/12/2000 SUNDER ACA M/S RAJASTHAN STATE POWER CORPN. LTD. E-166 YUDHISTHAR MARG C-SCHEME JAIPUR
72. 075601 73. 075693	Mr. MALHOTRA RAVI ACA DY MANAGER (TAXATION) H.M.T. LTD. BEAWAR ROAD AJMER-305003 Mr. AGARWAL VIVEK	08/12/2000 01/01/2001	82. 076280	Mr. RAJAN SANJEEV KUMAR ACA L. I. C. OF INDIA F & A DEPTT. DIVISIONAL OFFICE 19 M.G. MARG INDORE
	PRAKASH ACA C/O MR ANKUSH GUPTA 37 A MOTIA KHAN NEW DELHI-110055		<b>83</b> . 0 <b>76</b> 310	Dr. JAIN ARUN KUMAR ACA 08/12/2000 MAHILA MAHAVIDYALAYA JODHPUR-342001
74. 075734	Mr. SABHARWAL GIRISH ACA 3, ZILADHISH MARG RAJPUR ROAD DEHRADUN-248001	08/12/2000	84. 076311	Mr. DHOOT PRADEEP ACA 08/12/2000 27 MALHARGANJ (DEWAS) KANNOD-455332
75. 075795	L-5/22 SHASTRI NAGAR SIGRA VARANASI	08/12/2000	85. 076325	Mr. SHARMA NARESH 08/12/2000 KUMAR ACA 44/45 KATEWA CHAMBERS SHASTRI NAGAR JAIPUR-302016
76. 0 <b>7598</b> 1	Mr. JAIN SURENDRA KUMAR ACA 18, TARANI COLONY DEWAS-455001	15/12/2000	86 076345	Mr. CHOKHANI PRAMOD 08/12/2000 KUMAR ACA C/O STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD.
77. 076089	Mr. SINGH AMIT ACA 8 VIDHYA BHAWAN SCHOOL UDAIPUR-313001	08/12/2000		16/98 M. G. MARG L. I. C. BUILDING 4TH FLOOR KANPUR-208001
78. 076136	Ms. MADAN JYOTSANA ACA 1000/2 SHASTRI NAGAR MEERUT-250001	08/12/2000	87. 076348	Mr. MUSTAFA ALI ACA 08/12/2000 COSTAL TRADING & CONTG CO P. O. BOX-2323 DUBAI UAE
79. 076171	Mr. SINGHAL MAHAVIR PRASAD ACA M P. SINGHAL & ASSOCIATES 64 SHOPPING CENTRE KOTA-324007	08/12/2000	88. 076352	Mr. SUSHIL KUMAR ACA 08/12/2000 JR 4 HINDALCO INDUSTRIES COLONY RENUKOOT SONEBHADRA 231217

S MR No	:14	Member Name & Address	Restore Date	S. MRN No	Member Name & Address Restor Date
89 076		Mr CHINTAKINDI RADIIA KRISHNA ACA SR. ACCOUNTS OFFICER NORTHERN COALFIELDS LTI JAYANT PROJECT	08/12/2000	99. 077324	Mr. SINGHVI RAJNEESH ACA 08/12/200 SOBHAGYA A-306 SHASTRI NAGAR JODHPUR
90. 076		SIDHI-486890  Mr. JHANWAR MUKESH 08/	12/2000	100.077423	Mr. JAIN RAKESH KUMAR ACA 08/12/200 165 SCHEME NO. 4
JO. 070		KUMAR ACA NEAR BALAJI TEMPLE SADAR BAZAR MADANGANJ			RAJENDRA NAGAR ALWAR-301001
		KISHANGARH-305802		101.077517	Mr. JAIN PUSHPENDRA 14/07/200 KUMAR ACA
91. 0 <b>7</b> 6		Mr. GUPTA VIJAY KUMAR ACA 1096 BARKAT NAGAR KISAN MARG	08/12/2000		73/100 AGARWAL FARM MANSAROVAR JAIPUR
		VAIPUR-302015		102.077714	Mr. AGRAWAL AMITABH ACA 08/12/200 C/O RAMKUMAR SHIVDUTT ROY
92. 076		Mr. MANGAL SANJAY ACA D-34 LOF EAST OF KAILASH NEW DELHI-110065	08/12/2000		SADAR ROAD PO FORBESGANJ ARARIA
93. 076		Mr. ARORA SHIV KUMAR FCA HARNAM SHIV & CO. PRAGATI VIHAR	08/12/2000	103.077803	MR. BHATT KAMLESH 08/12/200 KUMAR ACA 1/9 KISHANGANJ BEAWAR-305901
		OPP. N.I.I.T. KASHIPUR BY PASS ROAD RUDRAPUR-263153		104.077821	Mr. BAID VIKRAM ACA 08/12/200 K-18 DURGA DAS PATH MALVIYA MARG
94. 076	(	Mr. KHANDELWAL GAJENDRA PRAKASH ACA 3768 SARAS SADAN	08/12/2000		C-SCHEME JAIPUR-302001
		GANGAURY BAZAR JAIPUR-302001		105.077943	Mr. AGARWAL ROHIT ACA 08/12/2000 C-21 SHIVAJI MARG DIGGI HOUSE
9Š. 076	(	Mr. DUBLISH VIPUL CHANDRA ACA 270 SOTI GANJ	08/12/2000		RAM BAGH ROAD JAIPUR-302001
96. 076°		MEERUT-250001	20/10/2000	106.078049	Mr. ASAWA SUNIL ACA 08/12/2000 18, AHUJA MARKET,
<del>90</del> . 070	] :	Mr. KASHYAP MUKESH FCA M/S M KASHYAP & ASSOCIAT SHANTI VIHAR COLONY DANGANIYA			OPPOSITE SHREE CLOTH MARKET, PUR ROAD, BHILWARA-311001
		RAIPUR-492001		107.078190	Mr. VINOD KUMAR ACA 08/12/2000 K-109 SOUTH CITY-I
97. 076	]	Mr. GARG DEEPAK KUMAR ACA C/O YOGI ASSOCIATES 13 VICTORIA PARK	08/12/2000		HARYANA GURGAON-122001
	l	MEERUT-280004		108.078200	Ms. HAVELIA NEELAM ACA 08/12/2009 18 ARYA SAMAJ MANDIR ROAD
98. 0769	1	Mr. SAMTANI PAWAN ACA PLOT NO. 314/5 SECTOR-11 NOIDA	08/12/2000		GANESH GANJ LUCKNOW-226018

S. MIRN No.	Member Name & Address	Restore Date	S. MRN No.	Member Name & Address Rest
109.078514	Mr. PODDAR NARESH KUMAR ACA SITE-II D-40 SECTOR-55 NOIDA-201301	08/12/2000	120.079180 <sup>r</sup>	Mr. SHUKLA CHANDRA 08/12/20 PRAKASH ACA 216 PRIME PALACE ARAWALI MARG FAIZABAD ROAD LUCKNOW
110.078575	Mr. AMOLAK ACA B-19 RATAN NAGAR NEAR BALAJI HOSPITAL DHER KA BALAJI JAIPUR-302012	08/12/2000	121.079340	Mr. SHARMA SANJEEV ACA 08/12/20 1/132 F (I) SAKET COLONY SURENDRA NAGAR ALIGARH-202001
†11.0 <b>787</b> 07	Mr. GARG BHARAT KUMAR ACA D2/23 HERMES HERITAGE YESWADA	08/12/2000	122.079516	Mr. CHOPRA SURYA 08/12/20 PRAKASH ACA B-71 DURGADAS NAGAR PALI MARWAR-306401
112.078751	PUNE	08/12/2000	123.079677	MR. DHAMANI MUKESH ACA08/12/2 D-118A BABU NAGAR KRISHNA MARG JAIPUR-302015
	DR. JAIPRAKASH COLONY NEAR DEEN DAYAL PARK DIST. BARAN BARAN-325205		124,079704	Mr. ARORA ATUL ACA 08/12/20 41 ANKUR APTS 10TH GULMOHAR X ROAD J.V.P.D. SCHEME
113.078833	Mr. TEWARI NAVIN ACA 18 PANCHMAHAL APARTME. 47 I.P. EXTENSION NEW DELHI-110092	08/12/2000 NTS	125.081155	MUMBAI-400049  Mr. SAHNI ANIL FCA 08/01/20 IFFCO LTD. AONLA UNIT BAREILLY-243403
114.079077	Mr. PORWAL RAHUL ACA 28 SURANA STREET MALDAS STREET UDAIPUR-313001	08/12/2000	126.081668	Mr. GUPTA AMBRISH 08/12/20 KUMAR FCA K-8 ANUPAM NAGAR RAIPUR-492007
115.0 <b>79087</b> 116 079089	Mr. SHAH PANKAJ ACA K 37/110, GWAL DAS SAHU L VARANASI-221001 Ms. KAITHWAL POOJA ACA		127.082338	Mr. RAKESH KRISHAN ACA 21/07/20 C-1/1565 VASANT KUNJ NEW DELHI-110070
110 079089	14TH FLOOR C WING MITTAL TOWER 47/6 M.G. ROAD BANGALORE-600001	03/12/2000	128.082477	Mr. ASHOK KUMAR ACA 10/11/20 MANAGER (F&A) ONGC TEL BHAWAN DEHRADUN-248003
117 079108 1	Mr. KHETPAL PRADEEP ACAINDRA PUSHPA CIVIL LINES BEHIND CHATTISGARH COL		129.087064	Mr. MATHUR SANJAY FCA 08/12/20 A 639 SECTOR-19 NOIDA-201301
118.079116	RAIPUR-492001  Mr. GARG LALIT ACA G-5 CHETAK CENTRE 12/01 R.N.T. MARG INDORE-452001	08/12/2000	130.087383	Mr. YOGESH KUMAR ACA 08/12/2000 RANBAXY LAB LTD. 25 NEHRU PLACE NEW DELHI
119 0 <b>7914</b> 1	Mr. CHOUDRY KULDEEP J ACA 208-KAMALA NEHRU NAGAI AJMER ROAD HEERAPURA JAIPUR	08/12/2000	131.087665	Mr. AGRAWAL DHRUVA 08/12/20 KUMAR FCA A-69 B SECTOR-40 NOIDA-201301

MKN No.	Member Name & Address	Restore Date	S. MRN No.	Member Name & Address	Restore Date
132.088605	Mr. MALHOTRA RAJESH FCA 16/256/7 VASUNDHARA DISTT. GHÁZIABAD SAHIBABAD Mr. AGRAWAL UMESH FCA		142.0932 <b>78</b> (	Mr. AGRAWAL SANJEEV KUMAR ACA •C/O SH. D.D. SINGHAL SHANTI PURAM ADA COLONY AGRA ROAD ALIGARIH	08/12/2000
150.002550	B-114 GANPATI PLAZA BHIWADI-301019	10122000	143.093565	Mr. PANKAJ MOHAN ACA	08/12/2000
134.089373	Mr. GOEL AND KUMAR FCA 311-311A IIIRD FLOOR NAMDHARI CHAMBER	08/12/2000		C/O SHRI R. M. GUPTA IND C-117 NEHRU NAGAR GHAZIABAD-201001	
	D.B. GUPTA ROAD KAROL BAGH NEW DELHI-110005		144.093747	MR. MITTAL AJAY ACA INDIAN OIL CORPORATON LT K.R.P.L. REFINERY PANIPAT	08/12/2000 D.
135.090000	Mr. SASHIKANTH R ACA C/O KPML PEM MARWICK P.O. BOX-7613 ABU DHABI U.A.E.	08/12/2000	145.094489	Mr. GUPTA SHYAM SHANKER ACA OPPOSITE HEAD POST OFFIC FIROZABAD-283203	08/12/2000 F
136.090006	Mr. MAHTO SHYAM KUMAR FCA 304 JAGAT TRADE CENTRE PRASER ROAD PATNA-800001	29/11/2000	146.096077	Mr. JAIN HEETENDRA KUMAR ACA C/O JAY CALENDAR NEAR KHADI ASHRAM ALWAR-301001	08/12/2000
137.090198	Mr. MANOJ KUMAR ACA M/S KUMAR MANOJ & CO. C/O MADHU SUDAN DAYAL CHHAPETI, ANUPSHAHR BULANDSHAHAR-202390	08/12/2600	147.104323	Ms. KAUL VINITA ACA 367 SECTOR 3 SHAKTI NAGAR BHOPAL-462024	08/12/2000
138.091060	Mr. SHARMA SUDHIR KUMAR FCA 306 MASJID MOTH N.D.S.EII NEW DELHI-110049	08/12/2000	148.105557	Mr. TOSHNIWAL VINOD KUMAR ACA GOKUL, RAI JI MORA STREET TOSHINIWAL ON KA NOHERA BHILWARA-311001	
139.091660	Mr. GUPTA RAJESH KUMAR FCA C-137 SECTOR-15 NOIDA-201301	08/12/2000			
140.091983	Mr. SINOH HARNAM FCA 15/5 SHASTRI NAGAR UDHAM SINGH NAGAR BAZPUR-262401	08/12/2000			
141.092499	Mr. TYAGI PARMOD ACA NETACROSS LTD. B-65 OKHLA PH-1 NEW DELHI-110020	08/12/2000		-A11+14	L'

(Dr. ASHOK HALDIA) SECRETARY

# THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA 16/77 B, Civil Lines,

# (Chartered Accountants) Kanpur - 208 001 12 DEC 2001

3CCA(5)(1) /200! 2002 With reference to this Institute's Notification ...

Nos. 3CCA(4) (3) / 1984-85 Dated 10/09/1985-3CCA(4) (3) / 1987-88 dated Q1/12/1987,

3CCA (4) (6)/1988-89 dated 09/02/1989, 3CCA (4) (3)/1992-93 dated 11/11/1992,

3CCA (4) (1)/1996-97 dated 02/12/1996, 3CEA (4) (4)/1997-98 dated 23/03/1998,

3CCA (4) (1) / 98-99, dated 23 Apr 1999, 3CCA (4) (1)/99-2000 dated 12 Jan 2000,

3CCA (4) (1)/2000-2001 dated 02 Feb 2001, 4CA(1)/18/78-79 dated 11 August, 78

it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of members with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following members

s No	MRN	Member Name & Address	Restore Date	S. No.	MRN	Member Name & Addicas	Restore Date
1		Mr. YEOTIKAR PRABHAKAR VASUDEO FCA 402 AKRUTHI NIWAS 12-13, 619 NAGARONNA NAG SECUNDERABAD-500017		7.	017599	Mr. GOEL SHRI KRISHAN ACA HOUSE NO. 8 VASANT VIHAR PHASE-II	08/12/2000
2.	011084	Mr. JAIN SATISH CHANDRA ACA FLAT NO. 3 MARVELLOUS APPT MAHATMA NAGAR NASIK	28/05/2 <b>0</b> 01	8.	024328	Mr. MUKILAN D FCA 1/83 SEFID COLONY FAIRLANDS TAMIL NANDU SALEM-636016	11/05/2001
3.	012786	Mr. GUPTA SHYAM SUNDER ACA 40 NAVEEN PARK SHYAM PARK EXTN SAHIBABAD GHAZIABAD	21/03/2001	y	029482`	Mr. RAMESH NAYAK K ACA SRI SAI'HYANARAYANA KRIP. III MAIN ROAD SUBHASH NAGAR MANGALORE-575001	
4	014039		14/06/2001	10,	039363	Mr. KUMBHAT PANKAJ ACA REGIONAL FINANCE MANAG COCA COLA P. O. BOX 52172 DUBAI UAE	
5	015972	Mr. AGIWAL SITARAM ACA I'LAT NO. 101 GANESHYALAY JHARUDIH DHANBAD		11	043 <b>769</b> /	ME LAKHOTIA ANIL KUMAR ACA 67 ASHOK MARG ANASAGAR LINK ROAD AJMER-305001	29/05/2001
6.	017529	Mr. GUPTA VIJENDRA LAL ACA C/G G. P. SHARMA ADVOCAT SHAMI CHARI BAZAR DURG	03/04/2001	12.	054481	Mr. UMESH KUMAR FCA H. NO. 73 AMBEDKAR PATH BESTDES NATIONAL SCHOOL P.O.B.V. COLLEGE PATNA-800014	27/04/2001

S MRN	Member Nime & Address	Kentore Date	S No	MKN	Member Name & Address	Restore Date
13 054685	Mr. ACARWAL SUIDHIR KUMAR FCA CHARTERED ACCOUNTANT C/O ALLIED COMMERCIAL CO B-9 RAISAR PLAZA INDIRA BAZAR JAIPUR-302001	08/12/2000 O	22.	070999 r	Mr. BHUSAN LAL BAJAJ ACA DGM (FINANCE) NTPC/VSTPP PO VINDHYANAGAR DIST SIDHI SIDHI-486885	08/08/2001
14 054786	Mr DEY SANTOSH KUMAR ACA C/O DEY ELECTRICALS GORAS BUILDING LAHURABIR	09/05/2001	23	071216	Mr AGRAWAL NARENDRA KUMAR ACA AGRAWAL SADAN OLD STATION ROAD ALWAR-901091	23/05/2(X)1
15. 055502	VARANASI-221001  Mr SETH JAWAHAR .ACA  DY. MANAGER FINANCE  TATA ENGINEERING & LOCO  CO LIMITED	31/05/2001 MOTIVE	24	071 <del>5</del> 02	Mr MEHTA RAMESH ACA NO. 1813, SUBHASH NAGAR GHB, IOC ROAD CHANDRHEDA ÁHMEDABAD	28/0¶/2(N))
16. 055809	CHINHĀT INDUSTRIAL AREA LUCKNOW-226019 Mr. PANIGRAHI PARTHASARTHI ACA	22/03/2001	<b>25</b> .	071575	Mr. Pawan Kumar Swarup Aca 298/8 Saniay Kutir Asifgani	25/04/2001
17. 055846	P O. BOX 56921 K. S. A. RIYADH-11564 Mr. MATHUR JITENDRA ACA	01/10/1999	26.	071592	AZAMGARH-270001  Mr. PANDIYA RAMESH CHANDRA FCA B-1017 DIDIRA NAGAR LUCKNOW	06/08/2001
18. 057830	I/25 J ANU KIRAN COLONY VIA KOTA BHABHA NAGAR-323307 Mr. ASHRAF NOMAN ACA NO. 185 PATLIPUTRA COLON	12/09/2001 Y	27.	071831	Mr. JAIN VINOD  KUMAR FCA  C/O ABHINAV ANIL & ASSOC  75/6, HALSEY ROAD  KANPUR-208001	06/09/2001 IATES
19. 059399	PATNA  Mr. JAIN AMIT KUMAR ACA BUSH BOAKE ALLEN (INDIA) 5 J.L. NEHRU ROAD		28.	071881	Mr. GARG NETRABAL FCA I-442 GOVIND PURAM POST DASNA GHAZIABAD-201002	12/06/2001
20 070004	METRO HOUSE 2ND FLOOR CALCUTTA-700013		29.		Mr. GUPTA ANIL KUMAR FCA 75% HALSEY ROAD KANPUR-208001	08/12/2000
20. 070094	NATH FCA 5/57 VIDHYADHAR NAGAR JAIPUR	17/07/2001	30	072454	Mr. PARVEEN KUMAR ACA GUR MANDI HANUMANGARH TOWN SRIGANGANAGAR-335001	01/10/1999
41. <b>V/0485</b> 5	Mr. RAMESH CHANDRA GUPTA FCA FLAT NO. 550 POCKET-5 MAYUR VIHAR-I DELHI	28/08/2001	31		Mr. GUPTA RAM BABOO FCA 5/3 KHANDELWAL TOWERS VIDHYADHAR NAGAR JAIPUR-302012	08/12/2000

S. MRN No.	Member Name & Address	Rostore Date	S MRN No.	Member Name & Address	Restore Date
32 <b>0728</b> 19	Mr. Sabarwal Sudeep FCA F1 Rangitata Place Lynfield Auckland New Zeland	01/10/1 <b>99</b> 9	42. 074542	Mr. RATHI RAM KISHORE ACA 59 DAMODAR COLONY RAMOHALLA JODHPUN	01/10/1999
33. 073126	Mr. TRIPATHI RAJEEVA FCA 5/29 SFTH STREET FARRUKHABAD - 209625	27/03/2001	43. 074545	Mr. Sandhu Jaspal Singh Aca D-84 first floor Road #1 Ashok Nagar	13/07/2001
34. 073 <b>296</b>	Mr. RAJEEV GUPTA ACA B-3 BAPNA HOUSE	28/04/2001		RANCHI	
	NEW COLONY M IROAD JAIPUR		44. 074818	Mr. JOSHI GHAN SHYAM FCA H. NO. 871,	01/10/1999
35, 073904	Ms. MEHTA SUNITA ACA K-7 MALVIYA MARG C-SCHEME JAIPUR-302001	01/10/1999		GANGA MATA KI GALI GOPAL JI KA RASTA JAIPUR-302001	
36. 074037	Mr. SUMEET CHUGH ACA B-5/24 VALLABH VIHAR SEC-13 ROHINI DELHI-110085	05/09/2001	45. 75057	Mr. MOONDRA KAILASH ACA GOLE BUILDING SARDARPURA JODHPUR-342006	01/10/1999
37. 074088	Mr. KHURDIA RATAN LAL FCA 178 ASHIWINI MARG HUMAD HOUSE, DELHI GATE UL'AIPUR-313001	01/10/1999	46. 075178	Mr. KEDIA GOPAL KUMAR AĆA C/O ANNAPURNA AGENCY 113 AMBA JI TEXTILE MAR BHILWARA	
38. 074260	Mr. JAIN RAJENDRA ACA 1 GA-23 JAWAHAR NAGAR JAIPUR-302604	01/10/1999	47. 075377	Mr. GUPTA SANJAY KUMAR ACA 128/953 Y BLOCK NEAR S. I. V. N. CONVENT S	23/04/2001 SCHOOL
39. 074283	Mr. AGARWAL MUKESH FCA F-306 SARITA VIHAR NEW DELHIAI 10044	08/12/2000		KIDWAI NAGAR KANPUR-208011	,
40. 074318	Mr. ANANTHA SAYANAM T ACA E-3/408-F BHEL TOWNSHIP KAILASHPURAM	02/08/2001	48. 075556 `	Mr. JALAN AJAY FCA 323 III FLOGR GANPÁTI PLAZA M. I. ROAD JAIPUR-302001	08/12/2 <u>0</u> 00
	TIRUCHY-620014		49. 075678	Mr. PANDEY RUP MANI FO	CA 25/08/2001
41. 074470	Mr. MITTAL VINAY KUMAR ACA 82 ANKUR APTTS PATPAR GANJ DELHI	03/04/2001		SHIPRA SUN CITY INDIRAPURAM GHAZIABAD-201010	

MRN No	Member Name & Address	Restore Date	S. No.	MKN	Member Name & Address	Restore Date
	Mr. GUPTA KRISHAN 01/05/20 KUMAR ACA 552, E-BLOCK MAYUR VIHAR PHASE-II NEW DELHI	001	60.	077 <b>7</b> 06 F	Mr. DANGAYECH MATHURA DAS ACA H. NO. 881 BABA HARISHCHANDRA MA CHANDPOLE BAZAR JAIPUR-302001	
51. 075747	Mr. SETHI ANSHUL ACA 2 SHIV MARG BEHIND GOVERNOR HOUSE CIVIL LINES JAIPUR-302006	27/08/2001		077726	111/138 HARSH NAGAR KANPUR-208012	28/05/2001
52. 076121	Mr. AGRAWAL PRAMOD FCA 110 SARAOGI MANSION M. I. ROAD JAIPUR-302003	08/12/2000	62	077814	Mr MISHRA SHASHI CHANDRA ACA CHARTERED ACCOUNTANT 431 & 232, SECTOR-I BOKARO STEEL CITY-827001	08/12/2000
53. 076413	Mr MEHTA ROHIT ACA C/O ANJANI RAKESH & ASSO CUSTOM ROAD BANSWARA-327001	01/10/1999 OCIATES	63.	078387	Ms. MITTAL NITU ACA CHAPTERED ACCOUNTANT SECTOR-C 68-SONAGIRI PIPLANI BHEL	01/10/1999
54° 076628 <sup>[</sup>	Mr SONI BADRI LAL ACA 2/411 VIDHYADHAR NAGAR JAIPUR-302001	08/12/2000	64.	078641	BHOPAL Mr. JHANWAR SURESH	28/06/2001
55. 076634	Ms. INTODIA DEEPA ACA 71 SECTOR NO. 3 HIRAN MAGRI UDAIPUR-313001	14/06/2001			KUMAR ACA A-501, VIJAY SINGH PATHIK I BHILWARA-311001	NAGAR
56. 077120	Mr. MATAI DILIP KUMAR ACA E-136 AMBABARI JAIPUR-302012	04/06/2001	65.	079501	MI. SAMRIA AJAY KUMAR ACA 204, A BLOCK SILVER LINES APARTMENT 20/2 B MANORAMA GANJ INDORE	08/12/2000
57. 1077225	Mr. GUPTA PRASHANT ACA- 1 PAREEK COLLEGE ROAD JAIPUR	08/12/2000	<b>66</b> .	080864	Mr. GOELA AKUN KUMAR ACA C-121 HOSIERY COMPLEX	25/06/2001
58. 077322	Mr. PARAKH RAJESH ACA DELOITTE & TOUCHE P. O. BOX-990	08/12/2000	<b>.</b>		PHASE-II EXTENSION NOIDA-201301	
59. 077400	ABU DHABI UAE Mr. GUPTA ASHISH ACA	01/10/1999	67 (		Mr. MAHESHWARY RAM ( SWAROOP FCA  135 RATANDEEP COMPLEX BAREILLY	<b>08/12/2</b> 000
	CHARTERED ACCOUNTANT 105 NAI BAS TI GHAZIABAD-201001	-	68. (	081270	Mr. JAIN SURESH CHAND FCA 26 PARK ROAD DEHRADUN	20/04/2001

S MRN No	Member Name & Address	Restore Date	S No	MRN	Member Name & Address	Restore Date
69 082820	Mr SALUJA PARSHOTAM 08/ LAL FCA 26 PATEL MARKET SRIGANGANAGAR-335001	12/2000	78	089796	Mr AGRAWAL SANJAY FCA 110 SARAOGI MANSION M I ROAD AIPUR	08/12/2000
70 083289	Mr RISHESWAR PRASAD ACA 16 BAGWATI ROAD NORTHERN TOWN JAMSHEDPUR-831001	08/12/2000	79	089807	Mr GUPTA ASHOK KUMAR FCA GALI KANOONGO MANDI RAMDAS MATHURA-110092	08/12/2000
71 083710	MOHAN FCA FINANCIAL CONTROLLER TORORO CEMENT METROPOL 8-10 ENTEBB E ROAD PO BOX 22753	01/10/1999 Ł HOUSE	80	090196	Mr VARADARAJAN N K AC. C/O PRICE WATER HOUSE CO THAMES COURT I VICTORIA S I WINDSOR BREKS SL4 IHB U K	
72 085903	KAMPALA UGANDA Mr RIZVI AHMED	51/10/19 <del>9</del> 9	81	090316	Mr BUDHDEO PRASAD FCA MANPUR PEHANI P O BUNIADGANJ	30/04/2001
72 063703	PERVEZ FCA 288 CHAUHATTA SAHUPEER GATE MEERUT	J. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	82	092398	GAYA-823003  Mr JAIN MUKESH ACA 202 OCEAN COMPLEX SECTOR 18	08/12 2000
73 086214	Mr ANSHUMAN KANKAN FCA B-91 SECTOR-27 NOIDA-201301	98/12/2000	83	093099	MR BHATIA RAMESH ACA RAMESH BHATIA & ASSOCIA III-M-37 NEHRU NAGAR	
74 087648	Mr ANIL KUMAR TCA C/O NASCO MARKETING CO YAKURE GROWNWAY P O BOX 716, JOD NIZERIA	25/06/2001 LTD	84	093840	GHAZIABAD-201001  Mr TRIPATHI RAJESH ACA C/O SANTOSH MISHRA 1252/60 AWADH NAGAR STATION ROAD	16/07/2001
75 088103	Mr SANDEEP KUMAR ACA M/S SAN DEEP KUMAR & CO 105 NAI BASTI NEW GHANTAGHA R GHAZIABAD-201001	01/10/1999	85	094630	MAINPURI-205001  Mr PATRA B'AJAY  KUMAR ACA  387 DDA FLATS	09/07/2001
76 088941	Ms KAK ANJALI ACA FLAT NO 586 SECTOR 29	08/12/2000	86	094740	KHIRKI VILLAGE DELHI Mr SUBHASH CHAND ACA	08/12/2000
77 089072	NOIDA-201303 Mr AGARWAL MUKESII ACA	18/05/2001	uo	V24/40	F-801 NEEL PADMKUNJ VAISHALI GHAZIABAD-201010	On the minut
	B-89 PINK APARIMENT PASCHIM VIHAR NEW DELHI-110063		87	095291	Mr GAGAN DLEP ACA 9 GANGA NAGAR KAILWAY ROAD HAPUR-245101	08/12/2000

S No	MRN	Member Name & Address	Restore Date
88	096538	Mr RAJNISH KUMAR SINGH ACA JANAK COMMERCIAL COM SRI KRISHNA NAGAR BEGUSARAH	07/08/2001 PLEX
<b>8</b> 9	100890	Mr Y V. NARASIMHA RAO ACA C/O Mr. Y. KRISHNAMURTH DOOR NO 86-4-14/3 VADREVUNAGAR RAJAHMUNDRY-533103	19/06/2001 Y
90	102355	Ms AGARWAL DEEPALI ACA U-A/67 NEHRU NAGAR GHAZIABAD-201001	A 08/12/2000
91	105899	Mr MODI KAMLESH V AC 9 PARSHWA BLOCK SHANTI NAGAR SIROHI-307001	A 01/10/1999
92	201558	Mr KRISHNAN L ACA FINANCE MANAGER POLICY MANAGER SYSTEM OPTEL SOFTWARE TECHNO INDORE-452008	
93	207182	Mr SANKARAN R ACA OFFICER IDBI BANK LTD ALANKAR CHAMBERS RATLAM KOTHI A B ROAD INDORE-452001	08/12/2000
94	208354		MM LAGIOK HALDIA)

SECRETARY

3SCA(8)/1/2001-2002. In pursuance of Clause (iii) of Regulation 10 (i) of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members have been cancelled with effect from the dates mentioned against their names, as they do not desire to hold their Certificate of Practice.

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.	S.No.	. MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
1 00	03548	Mr. SESHADRI T S FCA NO. 13 (OLD NO. 7) FIRST CROSS STREET KARPAGAM GARDENS	01/04/2001	10 0	)16425	Mr. BHASKAR RAMADAS FCA LAVANIA TC 17-1029-1 POOJAPPURA THIRUVANANTHAPURAM-6950	01/04/2001
		ADYAR CHENNAI-600020	0.4.10.4.10.00.0	11 (	16815	Mr. MATHIAS NOEL JOSEPH ACA G-1 EASTERN COURT	01/04/2001
2 00	04056	Mr. ARUMUGAM V N FCA 40-A MANDAVELI STREET NALVAR KOVIL PETTAI THIRUKAZHUKUNDRAM-6031	01/04/2001			24 COLES ROAD FRAZER TOWN BANGALORE-560005	
3 00	04479	Mr. JOSEPH K C FCA VALLAKALIL T.C.4/109 KOWDIAR P O THIRUVANANTHAPURAM-695	01/01/2001	12 (	018725	Mr. KIRAN CHANDRA N BOAL FCA BOAL CENTRE SECOND CROSS GANDHI NAGAR BANGALORE-560009	01/04/2001
4 00	04485	Mr. SUBBARAMAN M N ACA NO 4C THIRD MAIN ROAD POSTAL COLONY WEST MAMBALAM CHENNAI-600033	01/04/2001	13 (	)18976	Mr. JOSE J MULACKAL ACA FINANCIAL CONTROLLER IRIDIUM MIDDLE, EAST POST BOX 32616 DUBAI U A E	01/04/2001
5 00	05737	Mr. MUTHUKRISHNAN S FCA TOUCHWOOD APARTMENTS I 21-8 RAMANATHAN STREET MAHALINGAPURAM CHENNAI-600034	01/04/2001 I FLOOR	<u>14</u> _	020069	Mr. RAJARAMAN N FCA FLAT 2 A ARWIN AVARAT NO.69 PANCHALI AMMAN KOI ARUMBAKKAM CHENNAI-600106	31/03/2001 L STREET
6 00	09612	Mr. VASUDEVAN M A ACA OLD NO.25/26 WARREN ROAL FLAT NO.9 RAJESWARI APAR MYLAPORE CHENNAI-600004		15	020216	Mr. GANESAN K V FCA NO 51 (OLD NO 22) I FLOOR MARAMMA TEMPLE STREET OFF COCONUT AVENUE ROAD MALLESWARAM BANGALORE-560003	01/04/2001
7 0	11191	Mr. NARASING RAO R P FCA HIG NO 12 K H B COLONY KALLAHALLY II STAGE SHIMOGA-577204	01/04/2001	16 (	021995	Mr. MADAN V ACA 54 IICROSS II STRAGE RADHAKRISHNA LAYOUT PADMANABH NARGAR BANGALORE-560017	15/06/2001
8	015613	Mr. RAMAMOORTHI A FCA 10 2ND STREET 1ST FLOOR EAST ABHIRAMAPURAM MYLAPORE CHENNAI-600004	31/03/2001	17	022853	Mr. KASIM A J ACA 1,APPU STREET I LANE, MYLAPORE CHENNAI-600004	31/03/2001
9	015723	Mr. MOHAN GEORGE JACOB FCA 2G KINGS CREST 8 MILLERS ROAD BANGALORE-560046	01/04/2001	18	023319	Mr. RAGHUNATHAN M S ACA G-1 SOORYA GRUHA 10/1 SENTHIL ANDAVAR ROAD DHANALAKSHMI COLONY VADAPALANI CHENNAI-600026	31/03/2001

		<del></del>			
S.No. MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.	S.No. MRN	Member Name & Address Cancel	Dt.
19 023672	Mr. SUDHAKAR REDDY J FCA D NO. 9-14-13 C B M COMPOUND VISAKHAPATNAM-0	01/04/2001	29 201925	Mr. NARENDRANATH D ACA 01/04/2 G-234 PANAMPILLY NAGAR ERNAKULAM KOCHI-682036	2001
20 026000	Mr. VENKATESAN B FCA CHIEF FINANCE OFFICER CHINMAYA INTERNATIONAL RESIDENTIAL SCHOOL SIRUVANI ROAD NALLURVAYAL POST COIMBATORE-641114	31/03/2001	30 202253	Ms. USHA N ACA VASANTH APARTMENTS 1B, FIRST FLOOR NEW NO. 32 OLD NO. 26 VENKATESA AGRAHARAM MYLAPORE CHENNAI-600004	2001
21 027939	Mr. RAMESH BABU S V FCA FINANCIAL CONTROLLER BIG STAR TRADING CO LTD P O BOX 39325 NAIROBI KENYA-521301 EAST AFRICA	10/03/2001	31 202369	Mr. KOLETH JOHN SUDEEP FCA 31/03/1 FINANCE MANAGER LORNE STEWART PLC STEWART HOUSE KENTON ROAD HARROW MIDDLESEX HA3 9TU UNITED KINGDOM	2001
22 029611	Mr. Shanker narayan aca 280, 37 B Cross Jayanagar, 9th Block Bangalore-560069	01/04/2001	32 202548	Mr. NARAYANA B L ACA 03/12/14 4B 25TH WARD CANTONMENT BELLARY-583104	2000
23 029911	Ms. PADMA GOWTHAMAN ACA 14-A DHANASEKARAN I CROSS STREET WEST MAMBALAM CHENNAI-600033	31/03/2001	33 203628	Mr. SENTHIL VELAN S ACA 31/03/11 FIRST MAIN ROAD RAJIV GANDHI NAGAR ERUKKENCHERY CHENNAI-600118	2001
24 053152	Mc SRINIVASAN P A FCA DEPUTY GENERAL MANAGER M/S OCEAN MASTERS L L C P O BOX 52056 U A E	01/04/2001	34 203653	Mr. LAKSHMANA KAMATH S FCA 'MADHAV KRIPA' MATADAKANI CROSS ROAD MANGALORE-575006	′2001
25 079537	Mr. TANDON ABHISHEK ACA FINANCE OFFICER (TRANSMISSION)-FPA ITI LTD DOORAVANI NAGAR	06/01/2001	35 203697 36 203723	Mr. MURUGESAN R FCA 01/04/2 ACCOUNTANT ENKAY EXPRESS P O BOX 55393 U A E  Mr. BRAHMAIAH VUNNAM ACA31/03/	
26 095763	BANGALORE-560016  Mr. SINGH DEEPAK KUMAR A MANAGER CANARA BANK TRUSTEE & TAXATION SECTION	CA31/03/2001		12-12-160/2 RAVINDRA NAGAR SEETHAPHALMANDI SECUNDERABAD-500361	
	51 STOCK EXCHANGE TOWERS 1ST CROSS J.C ROAD BANGALORE-560027	S	37. 204300	Ms. MAHALAKSHMI S ACA 31/03/ OLD NO 281 NEW NO 228 SECTOR C JALAVAYUVIHAR KAMANAHALLI MAIN ROAD	'2001
27 200500	Mr. JOHN K ABRAHAM FCA CHIEF ACCOUNTANT M/S GISCO P O BOX 46625 ABU DHABI U A E	01/04/2001	38 204329	BANGALORE-560084  Mr. VENKATESAN R ACA 31/03/ 1-1-401/2/A GANDHI NAGAR HYDERABAD-500080	′ <b>2</b> 001
28 200851	Mr. CHANDRAMOULI N ACA FLAT 11, 2ND FLOOR 3/1 & 2 DEVADI STREET MYLAPORE CHENNAI-600004	01/04/2001	39 204584	Mrs. MEERA RAMANAN ACA 01/04/ FLAT NO 303 VIJAYA LEELA APARTMENTS 7-1-32 LEELA NAGAR AMEERPET * HYDERABAD-500016	'2001

S.No. MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.	S.No. MRN	Member Name & Address Cancel Dt.
40 204889	Mr. SUBHASCHANDRA PAI T ACA FN-5 MRPL HOUSING COLONY KUTHETHUR PO VIA KATIPALLA MANGALORE-574149	01/04/2001	50 207604	Mr. VISHNUVARDHAN S ACA FLAT B/4 4TH FLOOR PARSN AJAY APARTMENTS 7 HANUMANTHA ROAD CHENNAI-600014
41 204943	Mr. NARASIMHAN P L ACA FLAT NO 25 THIRD FLOOR 33 THIRD MAIN ROAD GANDHINAGAR ADYAR CHENNAI-600020	31/03/2001	51 207807	Mr. VENKATARAMANA M K ACA 01/04/2001 NO 9 SUBBU STREET L B ROAD TIRUVANMIYUR CHENNAI-600041
42 205054	Ms. BHARATHI MURUGESAN ACA C/O MR. R MURUGESAN P O BOX 55393 DUBAI U A E	01/04/2001	52 208513	Mr. SAI MAHESH D ACA 31/03/2001 FLAT NO 3-C QUANTA TRINITY 34 WEST ROAD WEST CIT NAGAR NANDANAM CHENNAI-600035
43 205483	Mr. NAGARAJAN T ACA 365 SABARI SALAI J S APARTMENTS MADIPAKKAM	31/03/2001	53 209123	Mr. VENKATAKRISHNAN M ACA 31/03/2001 4/51 ALATHUR SUBRAMANI STREET CHOOLAI CHENNAI-600112
44 205690	CHENNAI-600091  Mr. SURESH R ACA C14 RR FLATS 8 WARREN ROAD MYLAPORE	31/03/2001	54 209377	Mr. HARIPREDEEP G ACA 01/04/2001 WADI AL HAWASNA TRADING ENT. P O BOX 1987 POSTAL CODE 111 SEEB SULTANATE OF OMAN
45 205777	CHENNAI-600004  Mr VASIMALLA LUTHER ANANDA RAJU ACA	01/04/2001	55 209480	Mr. RAHUL TYAGI ACA 01/04/2001 D/123-E RAJAMANNAR SALAI K K NAGAR CHENNAI-600078
17 00507D	H NO. 6-3-582/1/1 KHAIRATABAD HYDERABAD-500004 Mr. SIVA SARAVANAN S K AC	· A 21/02/2001	56 209499	Ms. MEERA S ACA 31/03/2001 G-2 NO 6 KIRUPASANKARI STREET WEST MAMBLAM CHENNAI-600033
46 205979	(OLD NO 7) NEW NO.15 SRIRANGAMMAL STRE OLD WASHERMENPET CHENNAI-600021		57 210092	Mr. DEVAKUMAR P ACA 31/03/2001 17/2 VIVEKANANDAR STREET M G R NAGAR CHENNAI-600078
47 206039	Mr KORLEPARA RAMA RAO ACA 2-2-1137/8/8/A NEW NALLAKUNTA HYDERABAD-500044	30/12/2000	58 210093	Mr. DEEPAK CHANDRAN ACA 31/03/2001 C/O KPMG WESCARE TOWERS 16 CENOTAPH ROAD TEYNAMPET CHENNAI-600018
48 206222	Ms. VEENA M C ACA NO 378, 7TH MAIN 2ND CROSS REMCO LAYOUT VIJAYANAGAR II STAGE BANGALORE-560040	01/04/2001	59 210277	Mr. KRISHNAN V ACA 01/04/2001 NO 55 (OLD NO 17) SOUTH K R KOIL STREET WEST MAMBALAM CHENNAI-600033
49 207407	Mr SHANMUGASUNDARAM N SR ACCOUNTS OFFICER (EXPO CAVIN KARE PVT LTD PETERS ROAD CHENNAI-600014	02/05/2001	60 210501	Mr. VENKATESWARA RAO D ACA 28/05/2001 T-4 SAI SARAVANA RESIDENCY D NO 4-2-65 LALITHANAGAR AKKAYAPALEM VISAKHAPATNAM-530016

S.No. MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.	S.No. MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
61 210504	Mr. SURYANARAYANAN K ACA G-3 'JUMBO GANPATH' KARTHIKEYAPURAM 2ND CROSS LANE MADIPAKKAM CHENNAI-600091	01/04/2001	62 210677	Ms. CHITRA R ACA OFFICER (ACCOUNTS DEPARTMENT) CENTRAL OFFICE NAIKANAL ROUND KERALA, THRISSUR-	11/06/200

(Ashok Haldia) Secretary